डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

अक्टूबर,2013

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

अक्टूबर,2013

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

आर. के. गुप्ता, आई.आर.एस.ई.
प्रबन्ध निदेशक
R. K. Gupta, I.R.S.E.
Managing Director

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

प्राक्कथन

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना है जिसे रेल मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज एवं इसके विकर्ण के समानान्तर भारी माल-भाडा के संचालन हेतु परिवहन की साफ एवं पर्यावरण अनुकूल प्रणाली प्रदान की जा सके । डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की योजना, निर्माण एवं ऑपरेशन स्टेज में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का परम महत्व है। डी.एफ.सी.सी.आई.एल में कार्पोरेट संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की अनुमोदित नीति (सं.स्वा.प) अपनाई गई है । संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण नीति का उद्देश्य है निरंतर विकास तथा संरक्षा, स्वस्थ वर्क पर्यावरण तथा प्रदूषण रहित परिस्थितियां सुनिश्चित करना । संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण नीति को ध्यान में रखते हुए संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल तैयार किया गया है । संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण मेनुअल संदर्भ दस्तावेज हैं जो संरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा डी.एफ.सी.सी वर्क साईट पर संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पद्धति का पालन न करने के लिए दंड पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। ऐसी प्रत्याशा है कि डी.एफ.सी.सी.आई.एल के सं.स्वा.प. मेनुअल पर आधारित साईट विनिर्दिष्ट सं.स्वा.प. मेनुअल कार्यान्वयन के लिए वर्क निष्पादकों को विकास दिलाएगा ।

इस उपयोगी एवं व्यावहारिक सं.स्वा.प. मेनुअल को तैयार करने के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल का एस.ई.एम.यू.दल बधाई का पात्र है । मुझे विश्वास है कि डी.एफ.सी.सी.आई.एल के सभी विभाग एवं यूनिट कार्यालय इस मेनुअल का बेहतर प्रयोग करेंगे ।

(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

विषय सूची

क्र.स.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना		7
2.	कार्पोरेट की संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण नीति		8
3.	भाग-I	संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण	9
4.	भाग-II	संरक्षा	35
5.	भाग-III	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं कल्याण	79
6.	भाग-IV	पर्यावरण प्रबंधन	87
7.	भाग-V	दंड एवं पुरस्कार	97
8.	107 परिशिष्ट		
(क)	परिशिष्ट सं.1	संविदागत कार्य के सुरक्षित निष्पादन के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल तथा संविदाकार के बीच समझौता ज्ञापन ।	107
(ख)	परिशिष्ट सं.2	बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम 1996 तथा नियम 1998 के अनुसार संरक्षा, कल्याण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं ।	109
(ग)	परिशिष्ट सं.3	साईट संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण योजना	112
(घ)	परिशिष्ट सं.4	संविदाकार द्वारा तैनात वर्कमैन के लिए एच.आई.वी/एड्स निवारण एवं नियंत्रण पर वर्कप्लेस नीति ।	114
9.	सामान्य अनुदेश		
I)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./01	संविदा मूल्यों पर आधारित सं.स्वा.प. संगठनों की न्यूनतम जनशक्ति आवश्यकताएं ।	115
II)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./02	संरक्षा, बिजली, पर्यावरण, यातायात इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य(ओ.एच) पेशेवर के लिए न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव ।	117
III)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./03	संरक्षा, स्वास्थय एवं पर्यावरण मॉनीटरिंग की न्यूनतम आवश्यकताएं तथा दृश्य-श्रव्य उपकरण	119
IV)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./04	वर्कमैन के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अभिविन्यास प्रशिक्षण : कार्य पर प्रथम दिवस के लिए विषय	121
V)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./05	आई.डी.कार्ड फार्मेट	122

VI)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./06	प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सं.स्वा.प प्रशिक्षण विवरण ।	123
VII)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./07	सं.स्वा.प. जागरूकता सृजित करने के लिए मनाए जाने वाले दिवस ।	125
VIII)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./08	सं.स्वा.प. संचार पोस्टरों/संकेत बोर्ड/वीडियो की न्यूनतम आवश्यकता ।	126
IX)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./09	सं.स्वा.प. सर्विस के लिए विशेषज्ञ एजेंसी ।	129
X)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./10	न्यूनतम लाइटिंग आवश्यकता ।	130
XI)	डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./11	डी.एफ.सी.सी.आई.एल का कार्य प्रगति पर है का डिस्प्ले बोर्ड ।	131
10	फार्म		
क	डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/01	साईट सं.स्वा.प. समिति का गठन ।	133
ख	डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/02	समिति बैठक का कार्यवृत्त	134
ग	डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/03	कोल्ड वर्क परमिट	136
घ	डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/04	हॉट वर्क/सीमित क्षेत्र में प्रवेश के लिए हॉट वर्क परमिट	139
ड.	डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/05	इलेक्ट्रीकल आइसोलेशन/एनर्जाजेसन परमिट	143
च	डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/06	क्षमता प्रमाण पत्र	144
11.	संलग्नक-I	सीलिका एक्सपोजर रिडक्शन योजना	145
12	संलग्नक-II	राष्ट्रीय संरक्षा दिवस-इतिहास एवं पृष्ठभूमि	159

प्रस्तावना

भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है । यह 3.3 मिलीयन वर्ग मीटर से ज्यादा की भूमि तथा एक बिलीयन से ज्यादा की जनसंख्या को सर्व करती है । गत 50 वर्षों में भारतीय परिवहन सेक्टर में भारी वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षों में रेल मालभाड़ा की मात्रा में पांच गुणा से ज्यादा की वृद्धि हुई और यात्री कि.मी. की संख्या में सात गुणा से ज्यादा की वृद्धि हुई है। भारतीय पोर्ट द्वारा टनभार हैंडल में 16 गुणा की वृद्धि हुई जबकि हावाई मालभाड़ा में 30 गुणा की वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 में रेलवे मालभाड़ा 73 मिट्रीक टन था जो वर्ष 2000-01 में 10.98% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 474 मिट्रीक टन हो गया। यद्यपि वर्ष 2001 के बाद, मालभाड़ा यातायात में औसतन 8.50% की वार्षिक वृद्धि हुई और वर्ष 2008-09 में लगभग 794 मिट्रीक टन के मालभाड़ा का परिवहन किया गया। मालभाड़ा यातायात की इस तीव्र वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थ बनाया, इसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल के ट्रैक पर यातायात का संकुलन बढ़ा है।

रेल मालभाड़ा परिवहन की अतिरिक्त क्षमता के लिए तीव्र वृद्धि एवं मांग से निपटने के लिए भारत सरकार ने लुधियाना-कोलकाता तथा दिल्ली-मुंबई शहरों को कनेक्ट करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी रूटों के समानान्तर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के विकास का कार्य प्रारंभ किया है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की योजना एवं विकास, वित्तीय स्रोतों के मोबीलाइजेशन, निर्माण, अनुरक्षण तथा आपरेशन के कार्यों के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डी.एफ.सी.सी.आई.एल) की स्थापना की गई थी।

- 1399 कि.मी. लम्बा पश्चिमी कोरीडोर मुबंई (जे.एन.पी.टी) से दिल्ली के नजदीक दादरी तक डबल लाइन ट्रैक होगा और वड़ोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फूलेलार तथा रेवाड़ी शहरों को कनेक्ट करेगा।
- पूर्वी कोरीडोर 1839 कि.मी. ट्रैक कोलकाता के नजदीक दनकुनी से लुधियाना तक होगा। इसमें सोन नगर से खुरजा (820 कि.मी.) तथा खुरजा से दादरी कोरीडोर (46 कि.मी.) डबल लाईन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन कोरीडोर तथा खुरजा से लुधियाना (412 कि.मी.) सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाईन सम्मिलित है।
- दिल्ली के नजदीक दादरी में पूर्वी एवं पश्चिमी कोरीडोर को मिलाने का प्रस्ताव है ।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की अवसंरचना परियोजना में अलाइनमेंट के साथ बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग वर्कस का सामना करना पड़ेगा । सुरक्षित वर्क पर्यावरण सुनिश्चित करने तथा परियोजना के दुर्घटना मुक्त निष्पादन के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दिशानिर्देशों का अनुसरण करने की आवश्यता है। वर्क निविदा एवं वर्क मेनुअल में संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण मेनुअल संदर्भित है ।

कार्पोरेट संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन लिमिटेड संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में श्रेष्ठता की प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि निरंतर विकास, सुरक्षित एवं स्वस्थ वर्क पर्यावरण तथा वर्क प्लेस पर प्रदूषण रहित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके । हम डी.एफ.सी.सी.आई.एल में :-

- कर्मचारियों एवं वर्करों, सम्पत्ति की संरक्षा के लिए प्रभावी मानदंड स्थापित एवं सम्पोषित करेंगे तथा वर्क गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम संरक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण को उचित प्रकार से नियंत्रित करेंगे ।
- संरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण पर संबंधित नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे ।
- वर्क गतिविधियों में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण तथा व्यवसाय को संघटित करना।
- निरंतर संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण ।
- संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर जागरूकता पैदा करना और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, आंतरिक संचार के माध्यम से सभी व्यक्तियों में ज्ञान एवं दक्षता का अपेक्षित स्तर विकसित करना और उक्त दक्षता एवं क्षमता का निरंतर विस्तार करना।
- निर्माण एवं ऑपरेशन के दौरान दुर्घटना, कार्य से संबंधित स्वास्थ्य खराब होने को रोकने के उचित उपाय करना तथा इकोलॉजिकल बैलेंस एवं हैरीटेज का संरक्षण ।

भाग-I

संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण

1.0 सामान्य

1.1 क्षेत्र

1.1.1 यह दस्तावेज संविदाकार/उप संविदाकार तथा अन्य किसी एजेंसी जो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डी.एफ.सी.सी) के वर्कसाइट निर्माण में तैनात है से जुड़े कार्यों के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर नियोक्ता की मुख्य आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। यद्यपि सभी वर्कमैन/महिला के लिए जो इसके वर्क साइट पर हैं के लिए डी.एफ.सी.सी मुख्य नियोक्ता है, डी.एफ.सी.सी के संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण मेनुअल की अनुप्रयोज्यता बहुत महत्वपूर्ण है।

1.2 परिभाषा/भाषा एवं संक्षिप्तियां

1.2.1 इस दस्तावेज में

1) "जाएगा" का प्रयोग अनिवार्य आवश्यकता दर्शाता है ।
2) "जाए" का प्रयोग दिशानिर्देश दर्शाता है कि कड़ी अनुशंसा ।
3) "भी" का प्रयोग दिशानिर्देश दर्शाता है कि विचार की आवश्यकता है ।
4) सं.स्वा.प. का अर्थ है संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण
5) नियोक्ता का अर्थ है डी.एफ.सी.सी.आई.एल
6) मुख्य संरक्षा अधिकारी का अर्थ है डी.एफ.सी.सी.आई.एल द्वारा नामित अधिकारी जो सभी संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण क्रिया की मॉनीटरिंग के लिए समग्र रूप से जिम्मेवार होगा जोकि इस दस्तावेज में निर्धारित हैं ।
7) बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए का अर्थ है बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर (रोजगार का विनियम तथा सर्विस की शर्तें) अधिनियम 1996.
8) बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर का अर्थ है बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर (रोजगार का विनियम तथा सर्विस की शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998.
9) बी.ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू उपकर अधिनियम का अर्थ है बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर कल्याण उपकर अधिनियम 1996.
10) डी.जी. का अर्थ है महानिदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ।
11) फैक्टरी अधिनियम, 1948
12) पर्यावरण: सभी लिविंग एवं नॉन लिविंग वस्तुओं का संकलन जो जीव या जीवों के समूहों के चारों ओर है। पर्यावरण में सभी अवयव, घटक तथा परिस्थितियां सम्मिलित हैं जिनका कुछ प्रभाव किन्हीं जीवों की वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। पर्यावरण में जीवीय तथा अजैव अवयव दोनों सम्मिलित हैं जिनका अवलोकित जीवों पर प्रभाव पड़ता है ।

13) संरक्षा:सुरक्षित रहना, खतरा, जोखिम या चोट से मुक्ति ।

14) स्वास्थ्य: स्वास्थ्य से होने वाली मृत्यु को रोककर, जोखिम नियंत्रण तथा जनता से कार्य एवं उनके जॉब से जनता को अपनाकर सभी व्यवसायों के वर्करों की भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली का उच्च स्तरीय प्रोत्साहन एवं अनुरक्षण ही व्यावसायिक स्वास्थ्य है ।

15) वर्क साइट: निर्माण के लिए संविदा सीमा । साइट में स्टैकिंग, मलवा निपटान क्षेत्र तथा साथ ही साथ परिवहन रूट भी सम्मिलित होगा ।

16) एस.पी.सी.बी : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

17) सी.पी.सी.बी. : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

18) सी.सी.ओ.ई : विस्फोटक का मुख्य नियंत्रक, पी.ई.एस.ओ, नागपुर

1.3 इस दस्तावेज का अनुप्रयोग

1.3.1 उप संविदाकारों तथा सभी अन्य एजेंसी द्वारा संचालित सभी पहलुओं सहित संविदाकार के कार्य क्षेत्र के सभी पहलुओं पर यह दस्तावेज लागू हैं । इस संविदा के साथ कोई गतिविधि सम्बद्ध नहीं है जो इस दस्तावेज की सीमा से बाहर है ।

1.4 इस दस्तावेज का उद्देश्य

1.4.1 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण के दौरान अवांछित घटना या दुर्घटना, व्यावसायिक खराबी तथा पर्यावरण पर हानिकर प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ।

1.4.2 यह दस्तावेज-

i) नियोक्ता एवं संविदाकार के बीच संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अंतरापृष्ठ का उल्लेख करते हैं ।

ii) प्रक्रिया का विवरण बताते हैं जिसके द्वारा संविदा के अंतर्गत कार्य के दौरान संविदाकार सं.स्वा.प. मामलों से निपट सकता है ।

iii) सं.स्वा.प. के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल परियोजना संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल में दिए संदर्भ, व्यवहार तथा प्रक्रिया का उल्लेख है।

2.0 संरक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

2.1 हासिल किए जाने वाले कार्यों के लिए सं.स्था.प के लक्ष्य, उद्देश्य एवं ध्येय

i) जीरो टोटल रिकार्डएबल चोट या दुर्घटना ।

ii) जीरो रिपोर्टएबल पर्यावरण घटना ।

iii) अनुमोदित संविदाकार सं.स्वा.प. योजना के अनुरूप सभी व्यक्तियों को प्रेरित करना ।

iv) अनुमोदित सं.स्वा.प. योजना के अनुसार निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा संचालन का संपूर्ण अनुपालन ।

v) 100% घटना/दुर्घटना रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग

vi) वर्क पर उचित पी.पी.ई के प्रयोग का 100% अनुवर्तन ।

vii) पर्यावरण, सड़क/रेल प्रयोगकर्त्ता, नजदीकी आवासीय क्षेत्र तथा यातायात को कम से कम बाधित कर निर्माण कार्य निष्पादित करना ।

3.0 अनुपालन

3.1 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू)

3.1.1 निर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त होने वाले संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संविदाकार को संविदा प्रदान करने से पूर्व परिशिष्ट सं.1 पर प्रस्तुत समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाए।

3.2 डी.एफ.सी.सी.आई.एल की सं.स्वा.प. नीति तथा प्रबंध प्रणाली :

3.2.1 परियोजना सं.स्वा.प मेनुअल में उपलब्ध डी.एफ.सी.सी.आई.एल की सं.स्वा.प. नीति एवं प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निर्माण कार्य किया जाएगा ।

3.3 भारतीय सांविधिक आवश्यकता :

3.3.1 प्राथमिक सांविधिक विनियम :

3.3.1.1बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर (रोजगार के विनियम एवं सर्विस की शर्तों) अधिनियम 1996, राज्य बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण वर्कर नियम, बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा केन्द्रीय नियम 1998, फैक्टरी अधिनियम 1948 के बारे में समझ के माध्यम से संविदाकार न केवल निरीक्षक के परिप्रेक्ष्य की संतुष्टि हेतु विकास करेगा परंतु निर्माण वर्कसाइट पर सं.स्वा.प के प्रभावी प्रबंधन के लिए मजबूत टूल के रूप में विधिनिर्माण का प्रयोग करेगा ।

3.3.1.2 उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर बेहतर समझ के लिए संविदाकार की सुविधा के लिए संविदाकारों का पंजीकरण, रजिस्टर एवं रिकार्ड का अनुरक्षण, कार्य के घंटे तथा मजदूरी, कल्याण, चिकित्सा सुविधा तथा संरक्षा आवश्यकता से संबंधित धाराएं/नियमों की सारणीबद्ध सूचना परिशिष्ट सं.2 में दी गई है। यह सूचना मात्र है न ही सीमित सूची है ।

3.3.2 महत्वपूर्ण नियम एवं विनियम :

निर्माण कार्य नीचे सभी सूचीबद्ध लागू वैधीकरण तथा भारतीय सांविधिक आवश्यकता के अनुसार किए जाएंगे परंतु सीमित नहीं हैं :

I. भारतीय बिजली अधिनियम 2003 एवं नियम 1956
II. राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005
III. फैक्टरी अधिनियम 1948
IV. मोटर वाहन अधिनियम जैसा कि 1994 में संशोधित हुआ और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989.
V. भारतीय रोड कांग्रेस कोड आई.आर.सी : एस.पी : 55-2001 रोड निर्माण जोन से संरक्षा पर दिशानिर्देश।
VI. पेट्रोलीयम अधिनियम, 1934 तथा नियम 2002
VII. गैस सिलेंडर नियम, 2003

VIII. भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 1983.

IX. (भारतीय) बायलर्स अधिनियम, 1923.

X. पब्लिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 एवं नियम 1991

XI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं नियम 1950

XII. संविदा लेबर अधिनियम 1970 एवं नियम 1971

XIII. बाल मजूदरी (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 एवं नियम 1950

XIV. पर्यावरण कानून जैसाकि भाग-IV में उल्लिखित है।

XV. फ्लाई एश यूटिलाइजेशन अधिसूचना, सितम्बर 1999 जैसाकि अगस्त 2003 में संशोधित।

XVI. संबद्ध नियमों के साथ वर्कमैन मुआवजा अधिनियम, 1923

XVII. ए.सी. ट्रैक्शन अनुरक्षण तथा ऑपरेशन का भारतीय रेल मेनुअल

XVIII. आई.आर.पी रेलपथ मेनुअल

3.3.3 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उसके सभी कर्मचारी/वर्कमैन "वर्कमैन मुआवजा अधिनियम" के अंतर्गत कवर हैं और अन्ततः ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने वर्कमैन को मुआवजा देगा ।

3.3.4 उपरोक्त अधिनियम/नियमों के होते हुए भी, व्यक्ति एवं सामग्री की संरक्षा के लिए भारत गणतंत्र में किसी अन्य अधिनियम या नियम के कार्यक्षेत्र में संविदाकार को छूट प्राप्त नहीं है ।

3.3.5 यदि इस दस्तावेज में उल्लिखित आवश्यकताएं देश के लागू विधान से कम सख्त या विरोधाभासी हैं तो बाद वाला लागू होगा।

4.0 संविदाकार की सं.स्वा.प नीति एवं योजना

4.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू की धारा-39 के अनुसार, संवीदाकार नियोक्ता के साथ विचार-विमर्श कर सं.स्वा.प. नीति निर्धारित करेगा और इसे सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित कराएगा और वर्क साईट के प्रमुख स्थलों पर हिंदी एवं देशी भाषा में प्रदर्शित करेंगे ताकि निर्माण करने वाले ज्यादातर वर्कर इसे समझ सकें ।

4.2 निविदा की स्वीकृति की अधिसूचना के 4 सप्ताह के अंदर, संवीदाकार विस्तृत एवं व्यापक संविदा विनिर्दिष्ट सं.स्वा.प. योजना प्रस्तुत करेगा । सं.स्वा.प. योजना में विस्तृत नीति, प्रक्रिया तथा विनियम सम्मिलित हैं जिनका कब कार्यान्वयन किया जाएगा, संविदा प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेगा । सं.स्था.प योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे परंतु ये सीमित नहीं है :

i) सं.स्वा.प. के लिए संविदाकार की नीति, संगठन एवं व्यवस्था का विवरण ।

ii) संविदाकार के प्रस्तावित प्रबंधन के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम एवं अनुभव जो संविदाकार के सं.स्वा.प. निष्पादन के समन्वय तथा मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेवार होगा ;

iii) सं.स्वा.प. स्टॉफ की संख्या जो प्रस्तावित संविदाकार के ऐजेंट के साथ जो वर्कस पर कर्मचारी की जिम्मेवारी, प्राधिकार तथा संचार का लाईन होगा ।

iv) संविदाकार की नीति का विवरण तथा इसकी पहचान एवं बाधा के आंकलन की प्रक्रिया, तथा उसे हल करने हेतु उपाय ;

v) इस संविदा के लिए प्रत्याशित सं.स्वा.प. बाधाओं की सूची तथा प्रभावी एवं प्रगुण स्वास्थ्य तथा संरक्षा प्रक्रिया हासिल करने के लिए संविदाकार के प्रस्तावों को प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त सूचना;

vi) सं.स्वा.प. प्रशिक्षण कोर्स तथा एनर्जी ड्रिलस का वर्णन जोकि संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो अनुसरण किए जाने वाले पाठ्यक्रम की आउटलाइन के साथ होगा ।

vii) संरक्षा उपकरणों का विवरण जोकि व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव उपकरणों सहित संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा;

viii) संविदाकार की नीति एवं प्रक्रिया का विवरण ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोजेक्ट साईट पर प्रयुक्त संविदाकार के उपकरण सेफ स्थिति में हैं और इनको सही तरीके से प्रयोग किया जा सके;

ix) संविदाकार की सं.स्वा.प. नीति एवं प्रक्रिया का विवरण ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उप संविदाकार, संविदाकार की संरक्षा योजना का पालन कर रहा है;

x) सं.स्वा.प. से संबंधित मामलों के संबंध में संविदाकार के अनुशासनिक प्रक्रिया का विवरण, तथा

xi) दुर्घटना, खतरनाक घटना या व्यावसायिक बीमारी की रिपोर्टिंग एवं जांच के लिए संविदाकार की प्रक्रिया का विवरण ।

4.3 संविदाकार समय-समय पर तथा नियोक्ता द्वारा अपेक्षितानुसार मांगे जाने पर सं.स्वा.प योजना के अनुपूरक इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि कार्यस्थल से संबंधित संरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दायित्व, जिम्मेवारी, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में संविदाकार द्वारा हमेशा विस्तृत, व्यापक एवं तत्काल उपलब्ध होगा। सं.स्वा.प योजना के अनुपूरक के किन्हीं तथा सभी अनुरोध अनुमत प्रक्रिया के अनुसार नियोक्ता को किए जाएं ।

4.4 यदि किसी भी समय नियोक्ता के मत के अनुसार सं.स्वा.प. योजना अपर्याप्त है या संशोधन या सुधार अपेक्षित है ताकि वर्कस की सुरक्षा तथा साईट पर सभी वर्कमैन सहित आगंतुकों की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके, तो नियोक्ता संविदाकार से सं.स्वा.प. योजना को संशोधित करने हेतु अनुदेश दे सकता है और संविदाकार 7 दिनों के अंदर संशोधित योजना नियोक्ता की समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेगा ।

4.5 सं.स्वा.प. योजना या नियोक्ता की स्वीकृति या सं.स्वा.प. योजना के रिजेक्शन तथा/ इसके अनुपूरक में कोई चूक, असंगति या भूल, तथा साईट संरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के संबंध में संविदाकार के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा कार्य के निष्पादन के दौरान उचित एवं मान्यता प्राप्त संरक्षा प्रक्रिया अपनाने हेतु संविदाकार द्वारा किसी विफलता के लिए कोई माफी नहीं होगी ।

4.6 संविदाकार सं.स्वाप. योजना पर दृढ़ रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव है सभी पंक्ति के उप ठेकेदारों के लिए अपेक्षित है कि प्रत्येक संविदाकार पार्टी के पास सं.स्वा.प. योजना की प्रति हो और इसके प्रावधानों का पालन हो।

4.7 साईट सं.स्वा.प. योजना में कवर विषय-वस्तु का विवरण परिशिष्ट सं.3 में दिया गया है।

5.0 डिजाइनर की भूमिका

5.1 संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण में डिजाइनर की भूमिका :

5.1.1 डिजाइनर की प्राथमिक भूमिका में उन लोगों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के जोखिम को न्यूनतम करना सम्मिलित है जो निर्माण, अनुरक्षण, सफाई, मरम्मत, ढाहने या स्ट्रक्चर को ढाहने का कार्य करने वाले हैं और इसी प्रकार अन्य व्यक्ति जो निकटवर्ती सड़क प्रयोगकर्त्ता/सामान्य पब्लिक जो कार्य से प्रभावित हो सकते हैं ।

5.2 सामान्य फिलॉस्फी :

5.2.1 डिजाइनर वर्क में स्वास्थ्य एवं संरक्षा पर विचार के दौरान उनसे वही कार्य की प्रत्याशा की जाए जो डिजाइन तैयार करते समय उचित हो। जोखिम के लिए यह संभव है कि संभाव्यता के स्तर पर जो अड्रेस नहीं किया जा सका उसे विस्तृत डिजाइन के दौरान देखा जाए । यह निर्णय लेते समय कि व्यवहारिक रूप से क्या उचित है, डिजाइन की विशेषता द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य एवं संरक्षा का जोखिम विशेषता को छोड़कर लागत के विरूद्ध मापा जाए । समग्र डिजाइन प्रक्रिया निर्माण चरण तथा अनुरक्षण के दौरान सभी जोखिम से बचने के लिए चिन्ता द्वारा प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है । यद्यपि, एक दूसरे के विरूद्ध विचार कर निर्णय करने की आवश्यकता है कि लागत की गणना केवल वित्तीय संबंध में नहीं है, परंतु यह सुरूचिपूर्ण, बिल्ड योग्यता या पर्यावरण प्रभाव के उपयुक्तता उद्देश्य के लिए भी है । इन सिद्धांतों को लागू कर, डिजाइन स्तर पर निर्णय लेना संभव है, जिससे निर्माण कार्य के दौरान जोखिम से बचा जा सकेगा या कम होगा । कई मामलों में, बड़ी संख्या में डिजाइनों पर विचार करने से कई वैध डिजाइनों का हल प्राप्त होता है । डिजाइन समस्या के हल तक पहुँचने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसमें निर्णय की उचित प्रक्रिया सम्मिलित की जाए, जो स्वास्थ्य एवं संरक्षा मुद्दों को महत्व दे।

5.3 जोखिम नियंत्रण का पदानुक्रम :

5.3.1 जहां तक व्यवहारिक रूप से उचित हो डिजाइनर को जोखिम नियंत्रण या निवारण बचाव के सिद्धांतों के पदानुक्रम के रूप में ज्ञात कदमों की श्रृंखला को लागू कर जोखिम से बचने या कम करने की आवश्यकता है । उठाए गए कदमों में निम्न सम्मिलित होगा :

(क) विचार करें यदि बाधा को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है ताकि जोखिम को रोका जा सके (उदाहरण- जोखिम से बचने के लिए डिजाइन को बदलें) :

(ख) यदि यह हासिल नहीं किया जा सकता है, तो जोखिम से स्रोत पर संघर्ष किया जाए (उदाहरण- सुनिश्चित करें कि मदों के विस्तृत डिजाइन के लिफ्ट में लिफ्टिंग के लिए अटैचमेंट प्वाइंट सम्मिलित हो);

(ग) इसमें असफल होने पर, जोखिम को नियंत्रित करने के उपायों को प्राथमिकता दी जाए जिससे सभी लोगों का बचाव हो ;

(घ) अंतिम आश्रय के रूप में, व्यक्तिगत बचाव के उपायों द्वारा जोखिम नियंत्रण का उपाय किया जाए (उदाहरण- संरक्षा साज का उपयोग)

5.4 ड्राइंग में स्वास्थ्य एवं संरक्षा जोखिम उपलब्ध कराने की ड्यूटी :

5.4.1 ऐसी स्थिति जहां डिजाइनर ने डिजाइन कार्य पूरा कर लिया है और निष्कर्ष यह है कि इसमें जोखिम है, तो बचे हुए स्वास्थ्य एवं सरंक्षा जोखिम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए । जोखिम के बारे में अन्य को सूचना देने के लिए डिजाइन में यह सूचना सम्मिलित करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं था । यह उन पार्टियों के लिए अनिवार्य है जिसने डिजाइन सूचना का प्रयोग करना है ।

5.4.2 यदि डिजाइनर का मूल डिजाइन अनुमान स्वास्थ्य या संरक्षा को प्रभावित करता है, या स्वास्थ्य एवं संरक्षा जोखिम मानक डिजाइन दस्तावेज से सुस्पष्ट नहीं है, तो डिजाइनर अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराएंगे । इस सूचना में जोखिम के साथ डील करने हेतु पूर्वोपाय के बारे पूर्वानुमान का व्यापक संकेत सम्मिलित होगा। यह सूचना स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित होने की आवश्यकता है, इसे ड्राइंग में लिखित विनिर्देशन या आउटलाइन पद्धति स्टेटमेंट के रूप में सम्मिलित किया जाए । रिकार्ड किए जानेवाले विवरण का स्तर सम्मिलित बाधा की प्रकृति तथा जोखिम के सम्बद्ध स्तर द्वारा निर्धारित होगा ।

5.5 नियोक्ता का अनुमोदन :

5.5.1 प्रत्येक अस्थायी ढांचा जैसे- मंच, फॉल्स वर्क, लांउचिंग गार्डर, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर इत्यादि की अपनी डिजाइन गणना होगी और स्वास्थ्य एवं सरंक्षा जोखिम के अलावा पद्धति स्टेटमेंट में सम्मिलित किया जाए । संविदा की शर्तों के अनुसार नियोक्ता का डिजाइनर या उसके द्वारा अनुमोदित प्रूफ चैक परामर्शदाता जैसा लागू हो, इन सभी डिजाइनों को अनुमोदित करेगा ।

5.5.2 कोई भी गैर-मानक ढांचा जैसे- री-बार का बना ट्रेस्टेल या ढांचा जोकि बहुत पुराना, जर्जर, कई बार मरम्मत हो चुका है इत्यादि, जिसके लिए किसी भारतीय मानक के तहत उचित प्रकार से डिजाइन की संकल्पना नहीं की जा सकती है को कम अवधि के लिए भी साइट पर प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.5.3 यदि उपरोक्त उल्लेखित खंडों में किसी का पालन नहीं होता है तो अनसेफ कृत्य तथा या स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना लगाया जाएगा ।

6.0 संविदाकार सं.स्वा.प संगठन

6.1 शिक्षा एवं अनुभव :

6.1.1 सांविधित आवश्यकता के आधार पर सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./01 (अंत में संलग्न) में निर्धारित तथा संविदा मूल्य पर आधारित संरक्षा संगठन के अनुसार संविदाकार अपेक्षित सं.स्वा.प व्यक्ति नियुक्त करेगा । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा वर्क अनुभव सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/ सं.स्वा.प /सा.अ./02 में दिए गए हैं ।

6.1.2 नियोक्ता के साथ मजदूर कल्याण मामलों पर प्रभावी प्रवर्तन के उद्देश्य से तथा सांविधिक प्राधिकार द्वारा मजदूर कल्याण विधान को लागू करने के लिए प्रत्येक संविदाकार खंड 6.1.1 के अनुसार विधिवत् अर्हक एवं अनुभवी पूर्णकालिक मजदूर कल्याण अधिकारी तैनात करेंगे ।

6.2 आचरण एवं सक्षमता :

6.2.1 संविदाकार सं.स्वा.प व्यक्ति का आचरण एवं क्रियाविधि की मॉनीटरिंग नियोक्ता द्वारा की जाएगी । किसी भी चूक या कमी के लिए इस दसतावेज के भाग-V के दंड खण्ड 59.0 के अंतर्गत दिए गए विवरण के अनुसार दंड लगाया जाएगा ।

6.2.2 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वयक्ति उन्हें सौंपे गए कार्य करने में सक्षम हैं । ऐसी स्थिति में जब संविदाकार किसी व्यक्ति की सक्षमता प्रदर्शित करने में असमर्थ रहता है जिसकी गतिविधियों का वर्कस सं.स्वा.प निष्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, नियोक्ता बिना किसी कार्यविधि औपचारिकता के साईट से व्यक्ति को हटा देगा ।

6.3 नियोक्ता से अनुमोदन :

6.3.1 सं.स्वा.प जॉब के लिए तैनात प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा स्वास्थ्य स्थिति कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व टिप्पणी एवं अनुमोदन के उद्देश्य के लिए निर्धारित फार्मेट में नियोक्ता को प्रस्तुत की जाए । केवल नियोक्ता के अनुमोदन से ही ये व्यक्ति कार्य करने हेतु प्राधिकृत हैं । यदि कोई सं.स्वा.प व्यक्ति जाता है तो इसकी सूचना नियोक्ता को दी जाए । संविदाकार नए व्यक्ति को भर्ती करेगा और रिक्ति को भरेगा ।

6.4 सं.स्वा.प. व्यक्ति की जिम्मेवारी :

6.4.1 संविदाकार एवं उप-संविदाकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए अपेक्षित सं.स्वा.प जनशक्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी केवल मुख्य संविदाकार की है । नियोक्ता द्वारा दर्शाई न्यूनतम अपेक्षित जनशक्ति में उप-संविदाकार का कार्य भी सम्मिलित है । मुख्य संविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि वो सभी संविदाकारों द्वारा निष्पादित सभी कर्यों के लिए अपेक्षित सं.स्वा.प. जनशक्ति उपलब्ध कराए । मुख्य संविदाकार द्वारा निष्पादित सभी उप-संविदा दस्तावेजों में आवश्यक शर्तें सम्मिलित की जाएं ।

6.5 सं.स्वा.प. व्यक्तियों की नियुक्ति की स्थिति :

6.5.1 कोई भी संविदाकार किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से सं.स्वा.प जनशक्ति नियुक्त नहीं करेगा जिससे मामले में प्रभाव कम होता हो । सभी सं.स्वा.प. जनशक्ति केवल मुख्य संविदाकार के वेतनपत्रक पर होंगे और न किसी उपसंविदाकार या आउटसोर्सिंग जनशक्ति एजेंसी इत्यादि के वेतनपत्रक पर होंगे । यह शर्त यातायात मार्शल जैसे पदों पर लागू नहीं होगी जो कि लगभग दैनिक आवश्यकता के आधार पर तैनात हैं ।

6.6 सं.स्वा.प. व्यक्तियों की रिपोर्टिंग:

6.6.1 सभी सं.स्वा.प. व्यक्ति सं.स्वा.प. के प्रधान को रिपोर्ट करेंगे, जो सीधे नियोक्ता के मुख्य परियोजना प्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे। नियोक्ता हमेशा इस प्रक्रिया के अनुवर्तन की मॉनीटरिंग करेगा। गैर अनुवर्तन की स्थिति में दंड खंड के अनुसार दंड वसूला जाएगा ।

6.7 अपर्याप्त सं.स्वा.प. व्यक्ति:

6.7.1 यदि संविदाकार न्यूनतम अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने में असफल रहता है जैसाकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./01 में सोदाहरण है या सृजित रिक्तियों को 14 दिनों के अंदर भरने में असफल रहता है, तो इसे नियोक्ता द्वारा संविदाकार की लागत पर उपलब्ध कराया जाए । उक्त उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रशासनिक व्यय जैसे- पेपर विज्ञापन या जनशक्ति परामर्श प्रभाव इत्यादि सम्मिलित है तो वह भी संविदाकार की लागत पर होगा ।

6.8 अन्य ड्यूटी के निष्पादन का निषेध :

6.8.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर की अनुसूची-VIII के अनुसार, किसी भी सं.स्वा.प. व्यक्ति को कोई कार्य करना अपेक्षित या अनुमत नहीं होगा जोकि सामान्य सूचना डी.एफ.सी.सी.आई.एल/ सं.स्वा.प/सा.अ./01 में उल्लेखित संबंधित संवर्ग के लिए सं.स्वा.प. ड्यूटी के निष्पादन के असंगत या हानिकारक है ।

6.9 सं.स्वा.प. के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं:

6.9.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर की अनुसूची-VIII के अनुसार, संविदाकार सभी सं.स्वा.प. व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं, उपकरण तथा सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे जोकि उन्हें अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभाने हेतु समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है ।

6.9.2 नियोक्ता की न्यूनतम आवश्यकताओं की ऐसी सुविधाएं/उपकरण जो सं.स्वा.प व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने हैं, सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./03 में दिए गए हैं।

7.0 संविदाकार सं.स्वा.प. समिति

7.1 सभी कर्मचारी कार्य के अपने स्थल पर संरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए व्यवस्था को बनाने एवं मॉनीटरिंग में सहभागिता कर सकेंगे । साईट स.स्वा.प. समिति की स्थापना जिसमें कर्मचारी, संविदाकार एवं उप-संविदाकार प्रबंधन प्रतिनिधि हैं वे कर्मचारियों की सहभागिता एवं वचनबद्धता बढ़ा सकते हैं। संविदाकार फार्मेशन को सुनिश्चित करेगा और संविदाकार की सं.स्वा.प. समितियों की क्रियाविधि की मॉनीटरिंग करेगा ।

7.2 विचारार्थ विषय :

7.2.1 समिति के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :-

i) कम्पनी की संरक्षा नीति एवं पद्धति को दृढ़ करना ।
ii) संविदाकार के साईट सं.स्वा.प. योजना की पर्याप्तता की मॉनीटरिंग एवं इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ।
iii) सं.स्वा.प प्रशिक्षण की समीक्षा
iv) संविदाकार की मासिक सं.स्वा.प रिपोर्ट की समीक्षा

v) निर्माण कार्य में दुर्घटना एवं असुरक्षित क्रियाविधि के संभावित कारणों की पहचान करना एवं उपचारी उपायों का सुझाव देना.

vi) संरक्षा सप्ताह, संरक्षा प्रतियोगिता, संरक्षा बातचीत तथा संरक्षा पर फिल्म शो आयोजित कर संरक्षा में नियोक्ता एवं वर्करों की रूचि पैदा करना, जब कभी भी अपेक्षित या आवश्यक हो पोस्टर तैयार करना या इसी प्रकार के अन्य उपाय करना।

vii) निर्माण स्थल का दौरा करना ताकि असुरक्षित क्रियाविधि की जांच की जा सके तथा असुरक्षित परिस्थितियों का पता लगाना और प्राथमिक उपचार एवं कल्याण सुविधा सहित इनके सुधार के लिए उपचारी उपाय की सिफारिश करना।

viii) प्रत्येक समिति बैठक से पूर्व समिति दल के सदस्य साईट का निरीक्षण करेंगे और सं.स्वा.प निरीक्षण रिपोर्ट की मॉनीटरिंग करेंगे ।

ix) निर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त उपस्करों के प्रयोग, हैंडलिंग तथा अनुरक्षण से संबंधित बाधाओं को नियोक्ता के संज्ञान में लाना ।

x) निर्माण कार्य में निर्माण साईट तथा संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के अन्य विभिन्न पहलूओं में कल्याण सुविधाओं के सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना ।

xi) विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रासायनों एवं अन्य निर्माण सामग्री को हैंडल करने से संबंधित स्वास्थ्य बाधाओं को देखना तथा व्यक्तिगत बचाव उपकरण सहित उपचारी उपाय का सुझाव देना।

xii) पिछली संरक्षा समिति बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा तथा यदि कोई गैर-अनुपालन है तो व्यक्ति/उप- संविदाकारों के विरूद्ध कार्रवाई करना ।

7.3 एल.ओ.ए. की तिथि से 4 सप्ताह के अंदर, सं.स्वा.प. समिति गठित की जाए और फार्म सं. डी.एफ.सी.सी./एस.एफ/01 में उपलब्ध फार्मेट के अनुसार सदस्यों एवं कर्मचारियों को इस अधिसूचना को प्रेषित किया जाए ।

7.4 साईट सं.स्वा.प. समिति की बैठक कैलेंडर माह में एक बार संचालित की जाए और निम्न सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ।

अध्यक्ष : संविदा के मुख्य परियोजना प्रबंधक

सदस्य-सचिव: सं.स्वा.प. प्रबंधक (प्रभारी)

सदस्य :

i) मजदूर कल्याण अधिकारी
ii) प्लांट एवं मशीनरी के प्रभारी
iii) विभिन्न क्रियाविधि के वरिष्ठ प्रबंधक/इंजीनियर
iv) उप-संविदाकार के प्रतिनिधि
v) मजदूर संविदाकार के प्रतिनिधि
vi) वर्करस प्रतिनिधि
vii) सं.स्वा.प. कर्मचारी
viii) नियोक्ता के प्रतिनिधि

7.5 सह-संविदाकार की सहभागिता :

7.5.1 डिपो, स्टेशन तथा अन्य निकटस्थ क्षेत्र जहां एक से अधिक मुख्य संविदाकार एक साथ कार्य कर रहे हैं, नियोक्ता अन्य संविदाकारों को मुख्य सिविल संविदाकार की मासिक सं.स्वा.प समिति की बैठक ज्वाइन करने का अनुदेश देंगे ताकि सुरक्षा, संरक्षा, लाइटिंग, शौचालय, पीने का पानी

इत्यादि के कॉमन प्रावधानों तथा इसकी अनुरक्षण लागत को शेयर करने के बारे में विचार-विमर्श एवं निर्णय लिया जा सके ।

7.5.2 लागत शेयरिंग के सामान्य सिद्धांत या तो निकटस्थ क्षेत्र पर निष्पादित वर्कस के संविदा मूल्य पर आधारित होगा या निकटस्थ क्षेत्र में प्रत्येक संविदाकार द्वारा तैनात वर्कमैन की दैनिक औसत संख्या पर आधारित होगा ।

7.6 दो मासिक सं.स्वा.प. समिति की बैठकों के बीच न्यनूतम समय :

7.6.1 किन्हीं दो सं.स्वा.प. मासिक समिति बैठकों के बीच कम से कम 21 दिनों की अवधि का अंतर रखा जाए ।

7.7 कार्यसूची:

7.7.1 सदस्य सचित बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम सात कार्य दिवस अग्रिम रूप से सभी सदस्यों को कार्यसूची परिपत्रित करेंगे ।

7.7.2 कार्यसूची मुख्यत: निम्न को कवर करेगी:

i) कार्यवृत्त की पुष्टि
ii) साईट सं.स्वा.प निष्पादन/स्थिति पर अध्यक्ष की समीक्षा/सामान्य रूपरेखा
iii) गत माह का सं.स्वा.प. आंकड़े
iv) घटना/दुर्घटना जांच/नियर मिस/खतरनाम घटना रिपोर्ट
v) साईट सं.स्वा.प निरीक्षण
vi) उप-संविदाकार के सं.स्वा. प. मामले
vii) सदस्यों द्वारा संरक्षा प्रस्तुतीकरण
viii) नियोक्ता की रिपोर्ट
ix) अन्य कोई मामला

7.8 बैठक के कार्यवृत्त :

7.8.1 फार्म सं. डी.एफ.सी.सी./एस.एफ./02 में उपलब्ध फार्मेट के अनुसार बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाएं और संभवत: 2 वर्किंग दिनों के अंदर सभी सदस्यों को मेल/फैक्स द्वारा तथा बाद में हार्डकॉपी भेजी जाए। संरक्षा समिति बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधितों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएं ।

7.9 अनुशासनिक कार्रवाई:

7.9.1 बैठक के अध्यक्ष सदस्यों को बकाया मुद्दों के संबंध में सूचित करेगा और कुछ सदस्यों या अन्य सह/ उप-संविदाकारों द्वारा पुनरावृत्त अपराध/गैर अनुपालन के मामले में, संबंधित संविदा खंडों के अनुसार छोटी शास्ति के प्रावधान सहित उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव करेंगे और नियोक्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

8.0 आई.डी.कार्ड एवं कार्य पर पहला दिन, सं.स्वा.प. अभिविन्यास प्रशिक्षण

8.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि साईट पर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति प्रवेशन सं.स्वा.प. प्रशिक्षण प्राप्त करें जिसमें उन्हे कार्य की प्रकृति, साईट वर्क के दौरान आने वाली बाधाओं तथा ऑपरेशन के अंतर्गत उनके स्वयं की क्रियाविधि से जुड़ी विशेष बाधाओं के बारे में बताया जाए।

प्रशिक्षण में सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./04 में दी गई विषय वस्तु को कवर किया जाए ।

8.2 सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./05 में दिए फार्मेट के अनुसार किसी कार्य के लिए इन्हें तैनाती से पूर्व सभी व्यक्तियों को संविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित 85 मि.मी.X 55 मि.मी. आकार के फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ।

8.3 संविदाकार वर्करों को ज्ञात भाषा में एक व्यक्तिगत सं.स्वा.प. हैंडबुक/कार्ड भी जारी करेंगे, जो सं.स्वा.प एवं आपातकालीन प्रक्रिया पर सूचना उपलब्ध कराएगी जिसके बारे में संविदा पर कार्यरत सभी व्यक्तियों को जानकारी होनी चाहिए जैसे- आपातकालीन टेलीफोन नम्बर तथा इसके अनुसरण की आवश्यकता । संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि इसे वितरित किया जाए और साईट पर कार्यरत सभी व्यक्तियों को विषयसूची से परिचित कराया जाए ।

9.0 सं.स्वा.प. प्रशिक्षण

9.1 सं.स्वा.प. निष्पादन के लिए संविदाकार के सभी स्तरों पर लोगों का व्यवहार महत्वपूर्ण है ।

9.2 प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों तथा व्यवहार परिवर्तन एवं संरक्षा निष्पादन में अन्य व्यक्तियों की तैनाती के लिए संविदाकार गुणवत्ता सं.स्वा.प. प्रशिक्षण आयोजित करेंगे ।

9.3 संविदाकार सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण करेंगे और यह प्रदर्शित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे कि उप संविदाकार सहित नियुक्त सभी व्यक्ति उपयुक्तता अनुसार अर्हक, सक्ष्म एवं फिट हैं । इसमें निम्न सम्मिलित हैं :-

i) सभी व्यक्तियों के लिए विस्तृत जॉब विवरण, ताकि इनकी सं.स्वा.प. जिम्मेवारी को सम्मिलित किया जा सके ।
ii) अर्हता का विनिर्देशन, सक्षमता तथा व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता
iii) वर्कफोर्स में उप संविदाकार के कर्मचारी, वैंडर प्रतिनिधि तथा साईट आगंतुक सहित सभी व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता की रिकार्डिंग एवं आंकलन ।
iv) नए किराएदार निर्धारण की पद्धति उदाहरण-विगत प्रशिक्षण
v) पुष्टिकरण के साधन कि प्रणाली प्रभावी हैं ।
vi) ए. मैट्रीक्स तथा प्रशिक्षण आवश्यकता की अनुसूची, कवरिंग जनरल, टॉस्क विनिर्दिष्ट तथा सं.स्वा.प. संबंधी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण बारंबारता दर्शाना एवं फ्रेशर कोर्स के बीच अंतराल ।
vii) प्रशिक्षण कोर्स की समय पर, सक्षम डिलीवरी ।

9.4 संविदाकार असुरक्षित कृत्य तथा असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान, खोज एवं समापन के लिए सभी कार्यकारी के लिए व्यवहार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे ।

9.5 प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों को सं.स्वा.प. प्रशिक्षण की विषय-सूची जैसाकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./06 में दिया गया है, संचालित की जाएं ।

9.6 छह माह में एक बार सभी कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाए ।

9.7 नियोक्ता परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल के अनुसार टूलबॉक्स टॉक प्रतिदिन हाई-रिस्क वर्कमैन के लिए संचालित की जाएं ।

9.8 मार्शल के लिए ढांचा संरक्षा, क्रेन संरक्षा, वैल्डिंग संरक्षा, बिजली संरक्षा, यातायात संरक्षा सहित उच्च संरक्षा पर ऑन द स्पॉट व्यावहारिक कौशल विकास प्रशिक्षण भी सभी फोरमैन/वर्कमैन के लिए संचालित किए जाएं जो संबंधित जॉब से जुड़े हैं ।

9.9 दैनिक संरक्षा शपथ जैसाकि सं.स्वा.प. मेनुअल में दिया गया है, वर्कमैन सहित बिना नागा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा ली जाए ।

9.10 हायड्रा ऑपरेटर सहित सभी वाहन ड्राइवर को ड्राइवर प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से रक्षात्मक ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिलाया जाए । सभी वाहन ड्राइवर 6माह में एक बार इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले रक्षात्मक ड्राइविंग पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे।

9.11 खंड 9.10 को छोड़कर उपरोक्त सूचीबद्ध सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण संकाय/संगठन, विषय सूची तथा अवधि के लिए नियोक्ता से अनुमोदन लेने के बाद संविदाकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे ।

9.12 यदि संविदाकार समय पर सभी कर्मचारियों को उपरोक्त उल्लेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो यह यदि अपेक्षित हो तो सभी संविदाकारों को सूत्रबद्ध कॉमन योजना द्वारा मान्यता प्राप्त एवं सक्षम एजेंसी के माध्यम से नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाए । इसके लिए होने वाले किसी भी प्रशासनिक व्यय एवं प्रशिक्षण फीस की लागत का वहन संविदाकार द्वारा किया जाएगा ।

10.0 सं.स्वा.प निरीक्षण

10.1 संविदाकार सं.स्वा.प. निरीक्षणों को संचालित करने के लिए एक पद्धति विकसित एवं निर्देशित करेगा और आवधिक आधार पर अन्य जोखिम प्रबंधन विश्लेषण करेगा।

10.2 सं.स्वा.प. निरीक्षण का उद्देश्य है निर्माण गतिविधियों, ऑपरेशन, मशीनरी, प्लांट एवं उपकरणों में किसी भिन्नता की पहचान करना और सं.स्वा.प. योजना एवं इसकी अनुपूरक प्रक्रिया एवं कार्यक्रम की भिन्नता की पहचान करना।

10.3 निम्न सं.स्वा.प. कार्यक्रम को अपनाया जाए ।

i) योजनाबद्ध सामान्य निरीक्षण
ii) नेमी निरीक्षण
iii) विनिर्दिष्ट निरीक्षण
iv) अन्य निरीक्षण
v) औचक निरीक्षण

10.3.1 योजनाबद्ध सामान्य निरीक्षण :

10.3.1.1 योजनाबद्ध सामान्य निरीक्षण पूर्व निर्धारित अंतराल पर निष्पादित किए जाते हैं और इसमें सामान्यत: संविदाकार एवं नियोक्ता दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं ।

10.3.1.2 निरीक्षण जिन्हें इस निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

i) मासिक संविदाकार एवं उप संविदाकार का साईट संरक्षा समिति निरीक्षण ।
ii) संविदाकार साईट सं.स्वा.प. टीम द्वारा दैनिक संरक्षा निरीक्षण ।

10.3.2 नेमी निरीक्षण:

10.3.2.1 नेमी निरीक्षण प्राय: वर्क साईट, उपकरणों एवं अस्थायी ढांचों से संबंधित निरीक्षण होते हैं जोकि साईट एवं उपकरण आपरेटरों एवं अस्थायी ढांचा निर्माता द्वारा निष्पादित किए जाते हैं ।

निरीक्षण जिन्हें इस निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:-

i) आपरेटर द्वारा प्लांट एवं उपकरण का दैनिक निरीक्षण ।
ii) ढांचा पर्यवेक्षक द्वारा ढांचा का साप्ताहिक निरीक्षण ।
iii) सक्षम बिजली पर्यवेक्षक द्वारा बिजली हैंड टूलस का मासिक निरीक्षण ।
iv) सक्षम बिजली पर्यवेक्षक द्वारा अस्थायी बिजली सिस्टम का तिमाही निरीक्षण।
v) सरकारी अनुमोदित सक्षम व्यक्ति द्वारा लिफ्टिंग मशीनरी, लिफ्टिंग एप्लायंसेस/टूलस एवं टैक्ल्स, उपकरण एवं गियर्स का अर्धवार्षिक निरीक्षण ।
vi) पी.पी.ई का अनियमित निरीक्षण ।

10.3.2.2 उपरोक्त उल्लेखित सूची व्यापक नहीं है । संविदाकार अतिरिक्त श्रेणी शामिल कर सकते हैं । संविदाकार के साईट सं.स्वा.प. प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्लांटस, उपकरणों, पावर्ड टूलस तथा अन्य कोई अस्थायी ढांचा का आवधिक नेमी निरीक्षण करेंगे जो ऑपरेटरों तथा वर्कमैन के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं ।

10.3.3 विनिर्दिष्ट निरीक्षण :

10.3.3.1 पूर्वनिर्धारत तिथियों के बिना गतिविधियों पर विनिर्दिष्ट निरीक्षण निष्पादित किए जाएं । गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए सामान्यत: सक्षम पर्यवेक्षक निरीक्षण करते हैं कि क्या ये सामान्य नियमों; प्रस्तुत क्रियाविधि विवरण या विकसित प्रक्रिया के अनुरूप हैं ।

निम्न कुछ उदाहरण हैं जो अकसर निष्पादित किए जाते हैं जोकि निर्माण साईट पर अपेक्षित हैं :

i) हैवी लिफ्टिंग ऑपरेशन से पूर्व निष्पादित निरीक्षण ।
ii) सीमित क्षेत्र में व्यक्ति के प्रवेश करने से पूर्व एवं बाद में निष्पादित निरीक्षण ।
iii) वैल्डिंग एवं गैस कटिंग ऑपरेशन से पूर्व एवं बाद में निष्पादित निरीक्षण
iv) फार्मवर्क निर्माता द्वारा कॉन्क्रीटिंग से पूर्व फार्मवर्क का निरीक्षण ।

उपरोक्त उल्लेखित सूची व्यापक नहीं है । संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम पर्यवेक्षक सभी उच्च जोखिम प्रक्रम एवं गतिविधियों का निरीक्षण करें ।

10.3.4 अन्य निरीक्षण :

निम्न सहित अन्य निरीक्षण :

i) सरकार के श्रम विभाग द्वारा अनिवार्य निरीक्षण ।
ii) डी.एफ.सी.सी.आई.एल का सं.स्वा.प. प्रबंधन दल ।

10.3.5 आकस्मिक निरीक्षण :

(क) वर्क साईट का दौरा करना
(ख) सं.स्वा.प. मेनुअल शर्तों के अनुवर्तन के लिए ट्रेन्च की ऊँचाई/के अंदर वैल्डिंग, वर्किंग की जांच।
(ग) यदि सं.स्वा.प मेनुअल के अनुसार जोखिम भरा कार्य किया जा रहा है तो जहां आवश्यक हो वर्क परमिट लिया जाए ।

10.3.6 नियोक्ता उपकरणों, अस्थायी ढांचा जैसे प्लेटफार्म/ढांचा इत्यादि का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और समय-समय पर संरक्षा तैयारी की समीक्षा करेंगे ।

10.3.7 संविदाकार सभी गतिविधियों, आपरेशन तथा उपकरणों के लिए सभी अपेक्षित संरक्षा निरीक्षण जांच सूची तैयार करेंगे । भारतीय मानदंडों, नियमों तथा विनियमों एवं नियोक्ता आवश्यकता के आधार पर जांच सूची तैयार की जाए । परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल में उपलब्ध फार्मेटस का भी संदर्भ दिया जाए ।

10.3.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए सभी निरीक्षणों के रिकार्ड एवं रिपोर्ट उचित प्रकार से रखें। योजनाबद्ध सामान्य निरीक्षण एवं नेमी निरीक्षणों की रिपोर्ट का प्रयोग संरक्षा समिति बैठकों के दौरान विचार विमर्श हेतु किया जाए ।

11.0 सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा

11.1 सामान्य

11.1.1 सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र संभावित जोखिम, दायित्व एवं निर्माण संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण योजना के अनुपालन की मात्रा तथा नियोक्ता की लागू एवं वर्तमान सं.स्वा.प. विधान विनियम तथा आवश्यकता के विरूद्ध इसकी अनुपूरक प्रक्रिया एवं कार्यक्रम का आंकलन करना। निर्धारित प्रैक्टिस/प्रक्रिया के संबंध में प्रचलित प्रैक्टिस की तुलना में सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा ढांचा निरीक्षण है ।

11.1.2 निर्माण कार्य के दौरान सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेवारी परियोजना प्रबंधक की है ।

11.2 मासिक लेखापरीक्षा रेटिंग स्कोर (एम.ए.आर.एस):

11.2.1 माह में एक बार मासिक लेखापरीक्षा रेटिंग स्कोर (एम.ए.आर.एस) को निष्पादित किया जाए। प्रीडिजाइन स्कोर रेटिंग फार्मेट के आधार पर परियोजना प्रबंधक एवं नियोक्ता प्रतिनिधियों की टीम इसे संचालित करेगी। प्रीडिजाइन मासिक लेखापरीक्षा स्कोर रेटिंग फार्मेट का विवरण परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल में दिया गया है।

11.2.2 यह मासिक सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा रेटिंग स्कोर (एम.ए.आर.एस) रिपोर्ट संविदा की शर्तों नियोक्ता का परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल तथा संविदाकार का साईट विनिर्दिष्ट सं.स्वा.प योजना के साथ संविदाकार द्वारा नियोक्ता को सामान्य अनुपालन के मूल्यांकन में समर्थ करेगा ।

11.2.3 मासिक लेखापरीक्षा डी.एफ.सी.सी.आई.एल के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएगी। परियोजना प्रबंधक नियोक्ता के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा का काम करेंगे । संविदाकार के वरिष्ठ प्रबंधक एवं सं.स्वा.प. प्रभारी को भी सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाए ।

11.2.4 समय

मासिक लेखापरीक्षा रेटिंग स्कोर (एम.ए.आर.एस) मासिक सं.स्वा.प. समिति की बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 7दिन पूर्व संचालित की जाए ।

11.2.5 मूल्यांकन :

11.2.5.1न्यूमेरिकल स्कोरिंग को 1-10 स्केल पर मापा गया है । लेखापरीक्षा किए गए सेक्शन के प्रत्येक एलीमेंट के विरूद्ध प्रदान किए गए प्वाइंटस के मूल्यांकन में लेखापरीक्षा टीम अपनी टिप्पणी का प्रयोग करेगी ।

जहां कहीं भी कुछ टॉपिक एवं उप टॉपिक लागू नहीं हैं वहां स्कोर रेटिंग देने की आवश्यकता नहीं है। समग्र लेखापरीक्षा रेटिंग निम्न द्वारा हासिल की जाए :

समग्र लेखा परीक्षा रेटिंग = $\frac{\text{वास्तविक हासिल स्कोर X 100}}{\text{अधिकतर संभव स्कोर}}$

11.2.5.2 लेखापरीक्षा की क्रीटिकैलिटि को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा :

क्र.सं.	स्कोर	विवरण	कार्रवाई
1.	<60%	तुरंत	24 घंटे के अंदर संविदाकार द्वारा अपेक्षित सुधार
2	<75%	आवश्यक सुधार	7 दिनों में संविदाकार द्वारा सुधार तथा नियोक्ता को लिखित में पुष्टि ।
3.	<90%	अपेक्षित सुधार	एक माह में संविदाकार द्वारा सुधार तथा नियोक्ता को लिखित में पुष्टि ।

क्र.स.1 एवं 2 पर एम.ए.आर.एस के मामले में संविदाकार उपचारी कदमों की नजदीकी मॉनीटरिंग करेंगे और नियोक्ता को सुधार की रिपोर्ट देंगे ।

11.2.6 रिपोर्ट

प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति नियोक्ता एवं सभी उप संविदाकारों को भेजी जाए, जिनके साथ मासिक सं.स्वा.प. समिति की बैठक में इसपर विचार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी सुधारात्मक कार्रवाई पर सहमति बन सके ।

11.3 मासिक बिजली संरक्षा लेखापरीक्षा :

11.3.1 संविदाकारों के वरिष्ठ सं.स्वा.प.(बिजली) इंजीनियर तथा नियोक्ता के प्रतिनिधियों का दल मासिक बिजली संरक्षा लेखापरीक्षा संचालित करेगा जो निम्न कवर करेगा और डी.एफ.सी.सी.आई.एल के लिए नामित ई.आई.जी नियोक्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

i) बिजली दुर्घटनाओं की जांच, निष्कर्ष एवं उपाय ।
ii) पावर जनरेशन एवं पावर आवश्यकता की पर्याप्तता ।
iii) पावर डिस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थिति ।
iv) अद्यतन बिजली सिंगल लाइन डायग्राम जो आई.पी. 44 डी.बी. व्यवस्था सहित पावर स्रोत एवं डिस्ट्रीब्यूशन की वर्तमान स्थिति दर्शाता हो ।
v) बिजली बचाने के उपकरण-सलेक्शन, स्थापना एवं अनुरक्षण ।
vi) अर्थ या ग्राउंड कनेक्शन तथा अर्थ पिट अनुरक्षण विवरण ।
vii) बिजली कर्मियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण ।
viii) नेमी बिजली निरीक्षण विवरण
ix) बिजली अनुरक्षण प्रणाली एवं रजिस्टर
x) मुख्य बिजली उपकरणों के नेम प्लेट विवरण
xi) साईट में वर्गीकृत जोन, यदि कोई है ।

11.4 बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा:

11.4.1 बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित की जाएगी जो अर्हता प्राप्त लेखापरीक्षकों के साथ सक्षम है और उनके पास नियोक्ता के पूर्वानुमोदन के साथ अपेक्षित अनुभव है ।

11.4.2 लेखापरीक्षा टीम की सक्षमता का क्षेत्र:

11.4.2.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम एवं नियमों की व्यावहारिक समझ, स्वास्थ्य/चिकित्सा पर सांविधिक आवश्यकता तथा वर्कमैन का कल्याण, निर्माण की बाधाएं तथा इससे बचाव एवं नियंत्रण, यातयात प्रबंधन, बिजली संरक्षा, रिग्गिं, संरक्षा या निर्माण उपकरण तथा पर्यावरण प्रबंधन ।

11.4.2.2 लेखापरीक्षा आई.एल.ओ तथा/या राष्ट्रीय मानदंडों की दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जाए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी उपरोक्त फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत की जाए ।

11.4.3 बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा वार्षिक या बर्कएबल इंटरवल आधार पर संविदा की करेंसी के दौरान संचालित की जाए ।

11.4.4 सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा के लक्ष्य ।

बाह्य लेखापरीक्षा की विषय वस्तु एवं कवरेज में निम्न मदें सम्मिलित की जाएं :

11.4.4.1 सं.स्वा.प. प्रबंधन :

i) संगठन
ii) संचार एवं मोटिवेशन
iii) टाइम ऑफिस
iv) निरीक्षण
v) आपातकालीन तैयारी
vi) बजट आबंटन
vii) शिक्षा एवं प्रशिक्षण
viii) वर्क परमिट सिस्टम

11.4.4.2 तकनीकी:

i) बिल्डिंग एवं ढांचा
ii) निर्माण आपरेशनल संरक्षा
iii) सामग्री संरक्षा
iv) हैंड टूलस एवं पावर टूलस
v) इलेक्ट्रीकल सिस्टम
vi) सेफ्टी एप्लायंसेस
vii) अग्निशमन एवं नियंत्रण
viii) हाउसकीपिंग
ix) अनुरक्षण एवं मशीनरी संरक्षा
x) प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा सुविधा
xi) कल्याण उपाय
xii) पर्यावरण प्रबंधन
xiii) कैमीकल हैंडल्ड का एम.एस.डी.एस
xiv) लिफ्टिंग एप्लायंसेस/टूलस एवं टैकल्स

11.4.5 लेखापरीक्षा दस्तावेज :

11.4.5.1 संविदाकार लेखापरीक्षा टीम द्वारा समीक्षा के लिए निम्न सूचीबद्ध दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

i) सं.स्वा.प. नीति
ii) सं.स्वा.प. मेनुअल

iii) सं.स्वा.प. नियम एवं विनियम
iv) संगठनात्मक चार्ट
v) वार्षिक सं.स्वा.प. उद्देश्य /कार्यक्रम
vi) दुर्घटना/नियर मिस सांख्यिकी एवं विश्लेषण
vii) सभी व्यक्तियों के लिए सं.स्वा.प. प्रशिक्षण कार्यक्रम/रिकार्ड
viii) सभी उपकरणों के आपरेटिंग मेनुअल तथा अनुरक्षण मेनुअल
ix) सभी लिफ्टिंग एप्लांयसेस एवं गियर्स के सेफ योग्यता प्रमाणपत्र
x) सभी व्यक्तियों के लिए चिकित्सा फिटनेस रिकार्ड
xi) जोखिम पहचान, निर्धारण तथा नियंत्रण विवरण
xii) पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट
xiii) मॉक ड्रिल सहित आपात प्रबंधन रिकार्ड

11.4.6 लेखापरीक्षा तैयारी :

i) लेखापरीक्षा टीम सदस्यों को साक्षात्कार तथा हार्डवेयर एवं दस्तावेजों के माध्यम से टिप्पणी द्वारा सूचना एकत्र करना अपेक्षित है ।
ii) लेखापरीक्षा टीम सं.स्वा.प. विधान नियमों एवं विनियमों तथा डी.एफ.सी.सी.आई.एल आवश्यकता के आधार पर सभी पार्टस कवर करने के लिए जांच सूची तैयार करेगा ।
iii) लेखापरीक्षा टीम के सदस्य गैपस एवं विकनेस की पहचान के संबंध में तथ्यान्वेषण का सत्यापन करेंगे ।
iv) निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए समग्र जिम्मेवारी लेखापरीक्षा लीडर की है ।

11.4.7 रिपोर्टिंग

11.4.7.1 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाए और संविदाकार को प्रति के साथ लेखापरीक्षा संचालन के 7 दिनों के अंदर नियोक्ता को सीधे भेजें ।

11.4.8 रिपोर्ट कन्टेन्ट :

i) कार्यपालक सार- अंतिम जांच सूची के आधार पर जैसाकि लिखा गया है, लेखापरीक्षा टीम सदस्यों द्वारा नियोक्ता के निष्कर्ष, लेखापरीक्षा लीडर टिप्पणी एवं निष्कर्ष के संक्षिप्त एवं सही सार का संकलन करेगा।
ii) प्रस्तावना- इसमें सुविधा या लेखापरीक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा तिथियों (लेखापरीक्षा की तैयारी एवं बाद की गतिविधियों के लिए इनका समावेश) के संबंध में इसमें मूल सूचना होगी ।
iii) मुख्य सकारात्मक निष्कर्ष - इसमें सकारात्मक पहलूओं का सार निहित है जैसाकि लेखापरीक्षक द्वारा अवलोकित किया गया है । इसमें उन मुद्दों की मुख्य बातें भी सम्मिलित हैं जो प्रयुक्त कार्यप्रणाली या उपलब्धि के संबंध में श्रेष्ठ प्रैक्टिस के रूप में वारंट प्रसार करेगा।
iv) लेखापरीक्षा निष्कर्ष- लेखापरीक्षा जांच सूची में दिए विवरण के अनुसार सभी लेखापरीक्षा निष्कर्ष को प्राथमिकता 1 एवं 2 के अनुसार ग्रुप किया जाए जैसाकि अलग लिस्टिंग में नीचे विवरण दिया गया है और समयबद्ध अनुपालन के लिए सिफारिश की जाए -
   (क) प्राथमिकता 1: गैप या कमजोरी सुधार की कार्रवाई को सामान्यत: दो सप्ताह के समय में कार्यान्वित किया जाए, यदि जोखिम संभावना उच्च या अस्वीकार्य है ।
   (ख) प्राथमिकता 2: कार्रवाई सामान्यत: कार्यान्वित या सुधार अधिकतम 3-4 सप्ताह में किया जाए, यदि सुधार नहीं होता है तो छोटी चोट या व्यवसाय क्षति की संभावना सृजित की जाए।

11.4.9 नियोक्ता द्वारा अनुरूपता रिपोर्ट एवं कार्रवाई:

11.4.9.1 संविदाकार द्वारा प्राथमिकता 1 के अंतर्गत सम्पोषित मदों के कार्यान्वयन की पर्याप्तता जांच के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षा संचालन के 14 दिनों के बाद लेखापरीक्षक निरीक्षण करेंगे और संविदाकार की प्रति के साथ नियोक्ता को अनुरूपता/गैर अनुरूपता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11.4.9.2 संविदाकार द्वारा प्राथमिकता 2 के अंतर्गत सम्पोषित मदों के कार्यान्वयन की पर्याप्तता जांच के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षा संचालन के 28 दिनों के बाद पुन: लेखापरीक्षक निरीक्षण करेंगे और संविदाकार की प्रति के साथ नियोक्ता को अनुरूपता/गैर अनुरूपता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11.4.9.3 लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेखित मदों की गैर अनुरूपता के मामले में, नियोक्ता कार्य को रोकने और या मद को कार्यान्वित करने के लिए कोई दंड लगाने सहित आवश्यक कदम उठाएगा ।

11.4.10 बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा संचालित करने में संविदाकार की विफलता:

11.4.10.1 यदि संविदाकार समय पर बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा संचालित करने में असफल रहता है तो नियोक्ता इसे संविदाकार की लागत पर कराएगा । क्रम.स. 59.0 पर दर्शाए दंड को भी आकर्षित किया जाए ।

12.0 सं.स्वा.प. संचार

12.1 संविदाकार वर्क फोर्स के बीच संरक्षा जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के रूप में उच्च आवाज के माध्यम से मौखिक संचार के अलावा वर्कसाईट के चारों ओर पोस्टर प्रचार/बिल बोर्ड/बैनर/ग्लोसाइन के माध्यम से संरक्षा, व्यावहारिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण प्रबंध उपायों के संचार के प्रत्येक प्रयास किए जाएं । पोस्टर हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य उपयुक्त भाषा में होने चाहिए। पोस्टर/बिल बोर्ड/बैनर/ग्लो साइन कम से कम माह में एक बार परिवर्तित किए जाएं ताकि ये यथावत् बने रहें ।

12.2 संविदाकार महत्वपूर्ण दिनों का भी अवलोकन करें जोकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./07 में सूचीबद्ध हैं और संरक्षा बोर्ड एवं पोस्टरों की प्रिंटिंग एवं प्रदर्शन करेंगे जैसाकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./08 में सूचीबद्ध है ।

12.3 दर्शाई सूची नियोक्ता की न्यूनतम आवश्यकता है और संरक्षा निष्पादनकर्त्ता तथा अन्य किन्हीं गतिविधियों के लिए उचित पुरस्कार योजना का निर्धारण कर संविदाकार को सं.स्वा.प. संचार गतिविधियों के लिए प्रेरित करें जोकि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं ।

13.0 सं.स्वा.प. नियोक्ता को प्रस्तुत करना।

13.1 संविदाकार का सं.स्वा.प. प्रबंधन निम्न रिपोर्टें आवधिक रूप से नियोक्ता को भेजें:-

i) दैनिक रिपोर्टिंग करने वाले वर्कमैन की कुल संख्या (जैसाकि खंड 13.2 में दिया गया है)
ii) मासिक सं.स्वा.प. रिपोर्ट (जैसाकि खंड 13.3 में दिया गया है)
iii) सं.स्था.प. समिति बैठक के कार्यवृत्त (जैसाकि खंड 7.91 में दिया गया है)
iv) सं.स्वा.प. निरीक्षण रिपोर्टें
v) सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा रिपोर्टें
   (क) मासिक लेखापरीक्षा रेटिंग स्कोर (एम.ए.आर.एस रिपोर्ट)
   (ख) बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा
   (ग) बिजली संरक्षा लेखापरीक्षा

vi) वायु एवं आवाज गुणवत्ता मानीटरिंग रिपोर्ट

13.2 वर्कमैन की कुल संख्या की दैनिक रिपोर्टिंग :

13.2.1 संविदाकार दिन में किसी शिफ्ट के प्रारंभ होने के 2 घंटे के अंदर किसी उप संविदाकार सहित कुल तैनात वर्कमैन की कुल संख्या के बारे में नियोक्ता को रिपोर्ट करेंगे । यह रिपोर्टिंग संविदाकार के मुख्य सं.स्वा.प. प्रबंधक की प्राथमिक ड्यूटी होगी और रिपोर्टिंग टेली-फैक्स/ई-मेल के माध्यम से की जाए । नियोक्ता द्वारा उक्त की प्राप्ति की जांच का दायित्व संविदाकार पर होगा । यदि सूचना प्राप्त नहीं होती है या शिफ्ट के प्रारंभ होनेके 2 से ज्यादा घंटे बाद प्राप्त होती है तो संबंधित खंड के अनुसार दंड वसूला जाएगा।

13.3 मासिक सं.स्वा.प. रिपोर्ट:

13.3.1 संविदाकार मासिक सं.स्वा.प. रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें निम्न सम्मिलित होगा और 3 प्रतियां नियोक्ता को अगामी माह को 7वीं तारीख के अंदर जमा करेंगे जैसा कि परियोजना सं.स्वा.प मेनुअल में विनिर्दिष्ट है ।

i) मासिक मैन-ऑवर विवरण जैसाकि परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल में विनिर्दिष्ट है ।
ii) मासिक दुर्घटना/घटना का विवरण जैसाकि परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल में विनिर्दिष्ट है ।
iii) सं.स्वा.प. समिति विवरण
iv) माह में संचालित सं.स्वा.प. प्रशिक्षण का विवरण
v) सं.स्वा.प. निरीक्षण
vi) सं.स्वा.प. की आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण जैसे-बिजली लेखापरीक्षा इत्यादि ।
vii) माह के दौरान की गई सं.स्वा.प. संचार गतिविधियां जो पोस्टर प्रदर्शित की संख्या और स्टॉक में उपलब्ध शेष दर्शाता है ।
viii) वायु गुणवत्ता/शोर मॉनीटरिंग विवरण
ix) टूल बाक्स टॉक विवरण
x) पी.पी.ई विवरण : खरीद की मात्रा, वर्कमैन को जारी तथा उपलब्ध स्टॉक
xi) आई.पी.44 पैनल बोर्ड पर विवरण, लाइटिंग पोलस, वैल्डिंग एवं कटिंग, उपकरण, सीढ़ी, फहराना, टूलस एवं टैकल्स
xii) मासिक लक्स मीटर स्टडी परिणाम
xiii) हाउसकीपिंग
xiv) बैरीकेड अनुरक्षण विवरण
xv) जोखिम भरी खुदाई की संख्या
xvi) स्वास्थ्य एवं कल्याण गतिविधियां
xvii) माह में संविदाकार के परियोजना प्रबंधक द्वारा संचालित संरक्षा वॉक ।
xviii) आगामी माह के लिए योजनाबद्ध सं.स्वा.प. गतिविधियां

14.0 रिपोर्ट की गई दुर्घटनाएं एवं जांच

14.1 नियोक्ता को रिपोर्ट करना:

14.1.1 सभी दुर्घटनाएं एवं संकटपूर्ण घटनाओं की मौखिक सूचना तुरंत नियोक्ता को दी जाए तदउपरांत घटना/दुर्घटना की तिथि/समय के बारे में लिखित रूप में दिया जाए। इससे नियोक्ता को दुर्घटना/संकटपूर्ण घटना के परिदृश्य तक पहुँचने में मदद मिलेगी और किसी

बचाव कार्य को मॉनीटर/सहायता करने या और/जांच प्रक्रिया प्रारंभ करने में सहायता मिलेगी ताकि साक्ष्य गुम न हो ।

14.1.2 सभी दुर्घटनाओं (घातक/चोट) तथा संकटपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर भेजी जाए जैसाकि नियोक्ता के परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल में फार्मेट उपलब्ध है ।

14.1.3 कोई घटना या दुर्घटना, जो होने से बची हो/संकटपूर्ण घटना को नियोक्ता को रिपोर्ट करने से छूट प्राप्त नहीं है ।

14.1.4 नियोक्ता को मौखिक एवं लिखित रिपोर्टिंग में जानबूझकर की गई देरी के लिए संबंधित खंड के अनुसार दंडित किया जाए ।

14.2 सरकारी संगठनों को रिपोर्टिंग :

14.2.1 नियोक्ता को उपरोक्त मौखिक एवं लिखित रिपोर्टिंग के अलावा, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के संबंधित नियम एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए की धारा-39 के अनुसार, बिल्डिंग या निर्माण साईट पर वर्कर की किसी दुर्घटना के पता लगने पर कि :

(क) के कारण मृत्यु हुई है; या

(ख) 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए दुर्घटना के तुरंत बाद वर्किंग से वर्कर अशक्त हुआ हो;

घातक दुर्घटना के मामले में चार घंटे के अंदर विशेष मैसंजर तथा अन्य दुर्घटना के मामले में 72 घंटे सहित एस.एम.एस/ई-मेल, टेलीफोन, फैक्स या इसी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा उपरोक्त को तुरंत भेजा जाए:

i) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जहां संविदाकार ने फर्म/कार्य को पंजीकृत किया है।
ii) बोर्ड को जिसके साथ वर्कर सम्मिलित है और लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है।
iii) महानिदेशक तथा
iv) स्वजन का अगला या वर्कर का अन्य संबंधी जो दुर्घटना में सम्मिलित हैं ।

14.2.2 इसके अलावा, दुर्घटना की सूचना नियोक्ता द्वारा भेजी जाए जहां दुर्घटना से :

(क) मृत्यु हुई है; या

(ख) 10 दिन से ज्यादा के लिए वर्क से घायल वर्कर को अशक्त किया है

i) नजदीकी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी;
ii) जिला मजिस्ट्रेट या अपेक्षित आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट
iii) उप जिला मजिस्ट्रेट

14.2.3 यदि किसी दुर्घटना के कारण मामूली चोट लगती है तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए और घायल वर्कर को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल या अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

14.2.4 जहां किसी दुर्घटना से अंगहानि होती है और बाद में इसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मृत्यु के 72 घंटों के अंदर उपरोक्त खंड 14.2.1 तथा 14.2.2 में उल्लेखित प्राधिकार को ऐसी मृत्यु की लिखित सूचना भेजेंगे ।

14.2.5 नजदीकी चूक या संकटपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग:

14.2.5.1 संकटपूर्ण घटनाओं या नजदीकी चूक के मुख्यत: निम्न प्रकार को निरीक्षकों को रिपोर्ट किया जाए जिसके पास अधिकारिता है, चाहे वर्कर को अंगहानि या मृत्यु न हुई हो:

(क) लिफ्टिंग एप्लांयसेस का गिरना या खराब होना,या फहराना या कन्वेयर्स, या बिल्डिंग की हैंडलिंग के लिए इसी प्रकार के उपकरण या निर्माण सामग्री या ब्रेकेज या रोप की विफलता, चेन या लूज गियर्स; या निर्माण कार्य में प्रयुक्त क्रेन की ओवरटर्निंग;

(ख) ऊँचाई से वस्तु का गिरना;

(ग) मिट्टी, सुरंग, पाइप लाइन, किसी दीवार, फर्श गैलरी, छत या ढांचे का कोई अन्य हिस्सा, लॉउचिंग गार्डर, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मंच या पहुँच के साधन तथा फार्मवर्क का गिरना या धँसना ।

(घ) बिल्डिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त किसी गैस या गैसों या किसी तरल या ठोस के वायुमण्डलीय प्रैशर से ज्यादा प्रैशर के भंडारन के लिए प्रयुक्त रिसिवर या पात्र में विस्फोट;

(ङ) निर्माण स्थल के किसी भी जगह पर आग एवं विस्फोट के कारण क्षति जहां कर्मचारी तैनात हैं ;

(च) किसी खतरनाक पदार्थ का छलकना या रिसाव और उसके कंटेनर को क्षति पहुँचना;

(छ) परिवहन उपकरणों का गिरना, उलटना, टॉपलिंग या टक्कर;

(ज) निर्माण स्थल पर हानिकारक टॉक्सिक गैसों का रिसाव या रिलीज;

14.2.6 लांउचिंग गार्डर, लिफ्टिंग एप्लांयसेस, लूज गियर, होस्ट या बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण वर्क की विफलता के मामले में, निर्माण स्थल पर मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों, ऐसे एप्लांयसेस, गियर, होस्ट, मशीनरी या उपकरणों तथा ऐसी घटनाओं के साईट, जहां तक संभव हो, को अक्षुब्ध रखा जाए जबतक कि प्राधिकार द्वारा निरीक्षण न कर लिया जाए;

14.2.7 घातक दुर्घटना या संकटपूर्ण घटनाओं के लिए दिए गए प्रत्येक नोटिस के बाद बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए की धारा-39 के अंतर्गत तथा बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर में दिए विनिर्दिष्ट फार्म में संबंधित प्राधिकार को लिखित रिपोर्ट भेजी जाए।

14.3 दुर्घटना जांच:

14.3.1 सामान्य

14.3.1.1 ओपन एवं सकारात्मक वातावरण में जांच संचालित की जाए ताकि साक्षय खुले दिल से बात करने को प्रोत्साहित हों । प्राथमिक उद्देश्य उन तथ्यों का पता लगाने हेतु हो कि भविष्य की संभाव्य ज्यादा गंभीर घटनाओं को रोका जाए।

14.3.1.2 दुर्घटनाएं एवं संकटपूर्ण घटनाएं जिसके कारण मृत्यु, गंभीर चोट या बड़ी क्षति हुई है की जांच तुरंत नियोक्ता के परामर्श से संविदाकार द्वारा की जाए जिससे दुर्घटना/घटना के कारण का पता चल सके ताकि इसकी पुनर्रावृत्ति रोकने हेतु उपाय निर्धारित किए जा सकें।

14.3.1.3 नजदीकी चूक तथा छोटी दुर्घटनाओं की भी जांच यथाशीघ्र संविदाकार द्वारा की जाए कि क्यों ये संकेत हैं कि संरक्षा प्रबंधन प्रणाली में खामियां हैं।

14.3.2 घटना जांच की प्रक्रिया

14.3.2.1 यह महत्वपूर्ण है कि किसी दुर्घटना या संकटपूर्ण घटना के बाद घटना से संबंधित सूचना सुव्यवस्थित तरीके से एकत्र की जाए। निम्न कदमों का अनुसरण किया जाए:-

(क) फोटो खीचें एवं स्केच बनाएं

(ख) सम्मिलित उपकरणों, वर्क पीस या सामग्री तथा पर्यावरण स्थितियों की जांच

(ग) घायलों, प्रत्यक्षदर्शियों तथा अन्य सम्मिलित पार्टी से भेंट।

(घ) जहां आवश्यक हो विशेषज्ञ की राय लें

(ङ) सम्मिलित विर्निष्ट संविदाकार या उप संविदाकार की पहचान

14.3.2.2 सूचना एकत्र करने के दौरान यह आवश्यक है कि घटना का विश्लेषण किया जाए।

(क) दुर्घटना या घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़े

(ख) पता लगाएं कि किस स्थिति में दुर्घटना हुई

(ग) सभी संभव कारणों और विभिन्न तथ्यों को प्रभावित करने वाले कारणों पर विचार करें जिसके कारण दुर्घटना हुई और दुर्घटना के सबसे ज्यादा संभाव्य कारण की पहचान करें, दुर्घटना के कारण को कभी भी लापरवाही के रूप में वर्गीकृत न करें। विनिर्दिष्ट कृत्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई की अवश्य पहचान की जाए।

14.3.2.3 अगला स्तर है अनुवर्ती कार्रवाई

(क) निष्कर्ष एवं समापन पर रिपोर्ट।

(ख) पुनर्रावृत्ति रोकने के लिए बचाव के उपाय निर्धारित करना।

(ग) निष्कर्ष को सार्वजनिक करना एवं की गई उपचारी कार्रवाई ।

14.4 नियोक्ता द्वारा घटना की स्वतंत्र जांच:

14.4.1 घातक/संकटपूर्ण घटना के मामले में नियोक्ता स्वतंत्र जांच भी संचालित करेंगे। संविदाकार एवं उसका स्टॉफ आवश्यक सहयोग देंगे और दुर्घटना के बारे में प्रमाण देंगे।

14.4.2 नियोक्ता द्वारा जांच पूरी की जाने तक संविदाकार दुर्घटना के सीन को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करेंगे।

14.4.3 साक्ष्य रिकार्डिंग के संबंध में नियोक्ता द्वारा बुलाए गए सभी व्यक्ति बिना विलम्ब अनुदेशों का पालन करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सूचना का दमन करने पर उसे साईट से तुरंत हटाया जाए और/या संबंधित दंड खंड के अनुसार दंडित किया जाए।

15.0 आपातकालीन तत्परता योजना

15.1 संविदाकार बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के संबंधित नियम के अंतर्गत संविदाकार सं.स्वा.प. योजना के अंश के रूप में सभी वर्क साईट के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार करेंगे। योजना संविदाकार तथा सभी अन्य उप-संविदाकारों की आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को संघटित करेगी। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में विस्तृत संचार व्यवस्था सहित सभी आपातकालीन डीलिंग के लिए संविदाकार की प्रक्रिया का वर्णन होगा जिससे साईट प्रभावित हो सकती है। यह कहां लागू होगा, चोट, बीमारी, निकासी, आग, रसायन का छलकना, खराब मौसम एवं बचाव इसमें सम्मिलित है।

15.2 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि निम्न से उत्पन्न आपात को डील करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाई जाए:

i) आग एवं विस्फोट
ii) लिफ्टिंग एप्लांयसेस एवं परिवहन उपकरणों का गिरना
iii) बिल्डिंग, शैड या ढांचा इत्यादि का गिरना
iv) गैस का रिसाव या खतरनाक गुड्स या रसायन का गिरना
v) बम की धमकी, अपराध या आतंकवादी हमला
vi) वर्करों का डूबना
vii) भू-स्खलन जिसमें वर्करों का दबना, भूकंप, आंधी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं
viii) खुदी हुई ट्रेंच का गिरना
ix) अस्थायी प्लेटफार्म या ढांचे का गिरना

15.3 दुर्घटना या संकटपूर्ण घटना होने की स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा उपचार तथा पीड़ितों को बचाने के लिए व्यवस्था की जाए। चेन ऑफ कमांड तथा संविदाकार के जिम्मेवार व्यक्तियों और तुरंत संप्रेषण के लिए उनके टेलीफोन नम्बर तथा पते पर्याप्त रूप से जारी किए जाएं और वर्कप्लेस में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

15.4 संविदाकार शीघ्रता से घायलों को अटैंड करने के लिए नजदीकी अस्पतालों एवं फायर स्टेशनों से अपेक्षित संबंध रखेंगे और इस उद्देश्य के लिए वर्किंग समय के दौरान स्टैंड वाई ड्यूटी पर आपातकालीन वाहनों को रखेंगे ।

15.5 संविदाकार अपने सभी वर्करों तथा अपने उप संविदाकार के वर्करों के लिए प्रत्येक माह में साईट पर आपातकालीन मॉक ड्रिल करेंगे ।

15.6 संविदाकार की यह जिम्मेवारी है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्राधिकार को सूचित करें और मामले के अनुसार आपात में मदद लें ताकि आपात की जटिलता को कम किया जा सके। प्रारंभ में टेलीफोन के माध्यम से तुरंत डी.एफ.सी.सी.आई.एल को सूचित किया जाए उसके बाद लिखित रिपोर्ट संविदाकार द्वारा भेजी जाए।

16.0 सं.स्वा.प. सेवाओं के लिए विशेषज्ञ/एजेंसी

16.1 नियोक्ता के पूर्वानुमोदन से प्रशिक्षण, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य किसी सं.स्वा.प. सेवा के उद्देश्य के लिए बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के संबंधित नियम के अंतर्गत संविदाकार सूचीबद्ध विशेषज्ञ/एजेंसी की सेवाएं भी ले सकते हैं।

16.2 संविदाकारों को सहायता के रूप में, विशेषज्ञ/एजेंसी की सूची एवं अन्य प्रस्तावित सेवाएं तत्काल संदर्भ के लिए सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./09 में दिए गए हैं। इसके अलावा यदि संविदाकार किसी सं.स्वा.प. गतिविधियों के लिए किसी विशेषज्ञ/एजेंसी का प्रयोग करना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जा सकती है बशर्ते वे सक्षम हों और नियोक्ता की समान्य आवश्यकताओं को पूरा करता हो। प्रत्येक मामले में नियोक्ता का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

संरक्षा

भाग-II
संरक्षा

17.0 हाउसकीपिंग

17.1 सभी अनावश्यक अपशिष्ट को वर्किंग पर्यावरण से हटाने की क्रिया ही हाउसकीपिंग है, इसके द्वारा दुर्घटना एवं चोट के विरूद्ध बचाव की प्रथम पंक्ति प्रदान की जाती है।

17.2 संविदाकार यह समझते और स्वीकार करते हैं कि अनुचित हाउसकीपिंग किसी भी निर्माण साईट में प्रथम बाधा है और यह सुनिश्चित करें कि हाउसकीपिंग के उच्च मानदंड बनाए रखे जाएं। वास्तव में "साफ-सफाई ही धर्मनिष्ठा है"।

17.3 हाउसकीपिंग सभी साईट कर्मचारियों की जिम्मेवारी है और इस गतिविधि के प्रति पर्यवेक्षण स्टॉफ के निरंतर प्रयासों द्वारा प्रबंधन की प्रतिबद्धता दर्शाई जाए।

17.4 सामान्य हाउसकीपिंग संविदाकार द्वारा की जाएगी और वर्क साईट, निर्माण डिपो, बैचिंग प्लांट, लेबर कैम्प, भंडार, कार्यालयों तथा शौचालयों/पेशाबघरों पर इसे हमेशा सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संविदाकार सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/ सं.स्वा.प/ सा.अ./01 के अनुसार हाउसकीपिंग स्टॉफ के विशेष ग्रुप का गठन करेंगे। यह ग्रुप वर्क साईट एवं आसपास के क्षेत्रों की रोजाना सफाई सुनिश्चित करेगा और नियोक्ता द्वारा अनुमोदित फार्मेट में एक रजिस्टर मेनटेन करेगा।

17.5 अच्छी हाउसकीपिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय नियत किया जाए। हाउसकीपिंग दस्ते के दल द्वारा यह किया जाएगा।

17.6 अपेक्षित स्थलों पर मलवा के निपटान के लिए अलग-अलग कंटेनर उपलब्ध कराने तथा इनकी नियमित सफाई की जिम्मेवारी संविदाकार की है।

17.7 साईट के चारों ओर पूरी ऊँचाई वाली बाड़, बैरियर, बैरीकेड इत्यादि लगाएं जाएं ताकि आसपास के क्षेत्र को खोदी गई मिट्टी, कूड़ा-करकट इत्यादि से बचाया जा सके, जिससे असुविधा हो सकती है और जनता को खतरा हो सकता है। ऐसे बैरीकेड जो जनता को स्पष्ट रूप से दिखें को नियमित साफ-सफाई एवं पेंटिंग द्वारा मेनटेन किया जाए जैसाकि नियोक्ता द्वारा निर्देशित है। इन्हें एक लाइन एवं लेवल में मेनटेन किया जाए।

17.8 बैरीकेड, सामग्री तथा कम्पोजीशन का ढांचा डायमेंशन, इसके रंग की योजना। डी.एफ.सी.सी.आई.एल का लोगों एवं अन्य विवरण निविदा दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशन के अनुरूप होंगे।

17.9 बाहर जाने के सभी आपातकालीन मार्ग, एग्जिट फायर डोर, ब्रेक-ग्लास अलार्म प्वाइंटस, फायर फाइटिंग उपकरण, प्राथमिक उपचार स्टेशन तथा अन्य आपात स्टेशनों को स्वच्छ, बाधा रहित तथा अच्छी वर्किंग स्थिति में रखा जाए।

17.10 कील लगी लकड़ी को मोड़ा/निकाला जाए और उचित प्रकार से ढेर लगाया जाए।

17.11 अतिरिक्त मिट्टी एवं मलवा को वर्किंग क्षेत्र से हटाया/निपटान किया जाए और आधिकारिक डम्पसाइट पर डाला जाए। रेत, मिट्टी एवं अन्य प्रचूर्णित सामग्री इत्यादि ले जाने वाले ट्रकों को मूवमेंट के दौरान ढका जाए ताकि धूल या गंध के प्रभाव से बचा जा सके। साईट से बाहर जाने वाले ट्रकों के टायरों को पानी से साफ किया जाए, जहां कहीं भी नियमित सड़क यातायात एग्जिट के लिए मार्ग पर बिखराव की संभावना हो।

17.12 सड़क पर ट्रक/ट्रॉली, क्रेन तथा ट्रेलर्स इत्यादि की पार्किंग की अनुमति न दी जाए, जिससे यातायात मूवमेंट बाधित हो सकता है।

17.13 सड़कों को क्लीयर रखा जाए और सामग्री जैसे- पाईप, स्टील, सैंड बोल्डर्स, कंक्रीट, चिप्स तथा ईंट इत्यादि की सड़क पर रखने की अनुमति न दी जाए इससे सड़क यातायात के फ्री मूवमेंट में बाधा नहीं होगी। इसी प्रकार यदि वर्क साईट रेलवे ट्रैक के नजदीक है, तो विद्यमान रेलवे ट्रैक पर रूकावट की अनुमति न दी जाए।

17.14 सड़कों पर जल ठहराव या बेनटोनाइट बिखराव की अनुमति न दी जाए। यदि सड़क पर बेनटोनाइट बिखराव पाया जाता है जिससे कि सड़क प्रयोगकर्त्ता की संरक्षा को खतरा है तो संबंधित खंड के अनुसार संविदाकार को दंडित किया जाए।

17.15 यार्ड, भंडार एवं ऐसे लोकेशन पर जहां सामग्री को भविष्य के प्रयोग के लिए अनलोड किया जाता है, सामग्री की उचित एवं सुरक्षित स्टैकिंग का अत्यधिक महत्व है। भंडारन क्षेत्र तक पहुँच आसान होनी चाहिए और भंडार/ढेर की गई सामग्री क्रमबद्ध एवं सुरक्षित तरीके से की जाए।

17.16 ज्वलनशील रसायन/कम्प्रेस्ड गैस सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाए।

17.17 वर्किंग क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्थलों पर पड़े अप्रयुक्त/सरप्लस केबल, स्टील मदें तथा स्टील स्क्रैप को निर्धारित स्थलों पर रखा जाए।

17.18 लकड़ी के सभी स्क्रैप, लकड़ी के खाली केबल ड्रम तथा अन्य ज्वलनशील पैकिंग सामग्री को वर्क प्लेस से हटाकर निर्धारित स्थलों पर ले जाया जाए।

17.19 सीमेंट के खाली बैग तथा अन्य पैकिंग सामग्री को उचित प्रकार से ढेर किया जाए और हटाया जाए ।

17.20 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि हाउसकीपिंग से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से उसके सभी उप-संविदाकार साईट को साफ रखें ।

18.0 ऊँचाई पर वर्किंग

18.1 परिभाषा

18.1.1 "पहुँच" एवं "निकास" में चढाई व अवतरण सम्मिलित है।

18.1.2 "नाजुक सर्फेस" का अर्थ है सर्फेस, जहां दबाव से लोडिंग करने पर विफलता हो सकती है, जहां दबाव दिया जाएगा।

18.1.3 "लाईन" में रोप, चेन या निवार सम्मिलित है ।

18.1.4 "व्यक्तिगत पतन का बचाव" का अर्थ है-

(क) पतन बचाव, वर्क नियंत्रण, वर्क स्थिति, सेफ्टी बैल्ट, पतन रोकना या अन्य सिस्टम के अलावा बचाव प्रणाली जिसमें केवल संरक्षण सामूहिक संरक्षोपाय हैं; या

(ख) रोप पहुँच एवं तकनीक की स्थिति;

18.1.5 "ऊँचाई पर कार्य" का अर्थ है-

(क) स्थल या ग्राउंड लेवल से नीचे सहित किसी भी स्थान पर कार्य;

(ख) वर्क के दौरान ऐसे प्लेस से पहुँच या निकास हासिल करना, स्थायी वर्क प्लेस में सीढ़ी द्वारा छोड़कर, जहां यदि बचाव के उपाय नहीं किए गए हैं, व्यक्ति गलती कर सकता है जिससे व्यक्तिगत चोट लग सकती है।

18.1.6 'वर्क उपकरण' का अर्थ है वर्क पर प्रयोग के लिए किसी मशीनरी, एप्लांयसेस, उपकरण, टूल या स्थापना (चाहे छोड़कर या नहीं) और सम्मिलित है:-

(क) गार्ड-रेल, टो-बोर्ड, बैरियर या बचाव के इसी प्रकार के सामूहिक उपाय

(ख) वर्किंग प्लेटफार्म

(ग) अरेस्टिंग फॉल्स के लिए नेट, एयरबैग या अन्य सामूहिक संरक्षोपाय

(घ) व्यक्तिगत काल प्रोटेक्शन सिस्टम

(ङ) सीढ़ी

18.1.7 वर्किंग प्लेटफार्म

(क) का अर्थ है वर्क के प्लेस के रूप में प्रयुक्त प्लेटफार्म या वर्क के प्लेस से पहुँच या निकास के साधन के रूप में;

(ख) में सम्मिलित है कोई मंच, लटकता हुआ मंच, ढांचा, मोबाइल प्लेटफार्म, घोड़ी, गैंगवे, गैंटरी एवं सीढ़ी का रास्ता, जिसका जैसे प्रयोग हो।

18.2 संगठन एवं योजना:

संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि हाइट पर कार्य

i) किसी आपात एवं बचाव के लिए उचित प्रकार से योजनाबद्ध हो

ii) का पर्यवेक्षण उचित प्रकार से हो; और

iii) इस प्रकार से किया जाए, जोकि व्यवहारिक रूप से सुरक्षित हो।

18.3 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि हाइट पर कार्य केवल तभी किया जाए जब कार्य में सम्मिलित व्यक्तियों के स्वास्थ्य या संरक्षा को मौसम का खतरा न हो।

18.4 सक्षमता:

संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को हाइट पर कार्य के संबंध में व्यवस्था, योजना तथा पर्यावेक्षण सहित किसी गतिविधि या किसी ऐसे में प्रयोग के लिए वर्क उपकरण में तैनात नहीं करेंगे बशर्ते वह ऐसा करने को सक्षम है या प्रशिक्षित है, और सक्षम व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

18.5 हाइट पर कार्य से जोखिम बचाव

संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य को ऐसी हाइट पर न किया जाए जहां कार्य को सुरक्षित तरीके से करना व्यवहारिक न हो।

18.6 जहां कार्य हाइट पर किया जाना है, संविदाकार जहां तक व्यवहारिक हो बचाव के लिए नीचे दिए गए उपयुक्त एवं पर्याप्त साधन अपनाएंग, कोई व्यक्ति जो ऊँचाई से गिरता है को व्यक्तिगत रूप से चोट लगेगी ।

(क) वह सुनिश्चित करेगा कि कार्य-

i) कार्य के विद्यमान स्थल पर किया जा रहा है

ii) (पहुँच या निकास प्राप्त करने के मामले में) 18.15 में दिए गए आवश्यकताओं के अनुपालन में विद्यमान साधनों का प्रयोग। जहां यह व्यवहारिक रूप से सुरक्षित तथा उचित एर्गोनॉमिक परिस्थितियों के अंतर्गत करना उचित हो; और

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार कार्य करना व्यवहारिक नहीं है, उसके द्वारा बचाव के लिए पर्याप्त वर्क उपकरण उपलब्ध कराना, जहां तक उचित प्रकार से व्यवहारिक हो, फॉल होती है।

18.7 जहां खंड 18.6 के अंतर्गत उठाए गए उपाय फॉल के जोखिम को समाप्त नहीं करता है, तो प्रत्येक संविदाकार-

(क) जहां तक व्यवहारिक हो, निम्न को कम करने के लिए पर्याप्त वर्क उपकरण उपलब्ध कराए जाएं-

i) दूरी एवं जराजीर्णता; या

ii) जहां दूरी को कम करना व्यवहारिक नहीं है, फॉल की जराजीर्णता; तथा

(ख) खंड 18.4 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बशर्ते ऐसा अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुदेश या बचाव के लिए अन्य अतिरिक्त उपयुक्त एवं पर्याप्त उपाय करना, जहां तक व्यवहारिक हो, कोई व्यक्ति जो ऊँचाई से गिरता है को व्यक्तिगत चोट लगती है।

18.8 हाइट पर वर्क के लिए वर्क उपकरण का चयन:

1. संविदाकार हाइट पर वर्क में प्रयोग के लिए वर्क उपकरण के चयन में-

(क) व्यक्तिगत बचाव के उपायों के बजाए सामूहिक बचाव के उपायों को प्राथमिकता देंगे; और

(ख) निम्न का लेखा जोखा रखेंगे

i) वर्किंग परिस्थितियां और स्थल पर व्यक्तियों की संरक्षा का जोखिम जहां वर्क उपकरणों का प्रयोग किया जाना है;

ii) पहुँच एवं निकास के लिए वर्क उपकरण के मामले में, दूरी से समझौता;

iii) संभावित फॉल की दूरी एवं जराजीर्णता;

iv) प्रयोग की अवधि एवं बारम्बारता;

v) आपात में सरलता एवं समय पर निकासी एवं बचाव के लिए आवश्यकता

vi) उस वर्क उपकरण या इससे निकाले एवं बचाए के प्रयोग, स्थापना या हटाने से कोई अतिरिक्त जोखिम की समस्या;

2. संविदाकार साइट पर कार्य के लिए वर्क उपकरण का चयन करेंगे जोकि:
   (क) डायमेंशन सहित इसके लक्षण जोकि;
      i) निष्पादित किए जाने वाले वर्क की प्रकृति उचित है और सम्भावित लोडिंग; तथा
      ii) जोखिम के बिना मार्ग की अनुमति देना
   (ख) अन्य के संबंध में सबसे ज्यादा उपयुक्त वर्क उपकरण 18.5 एवं 18.6 में विनिर्दिष्ट उद्धेश्यों के संबंध में ।

18.9 कमजोर सर्फेस:

18.9.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थल पर या उसके नजदीक या पर कार्य, से या नजदीक, जहां सर्फेस कमजोर है, नहीं गुजरेगा, जहां कार्य सुरक्षित ढंग से करना व्यवहारिक रूप से उचित हो और उसका ऐसे किए बिना उचित एग्रोनॉमिक परिस्थितियों के अंतर्गत संभव है।

18.9.2 जहां कमजोर सर्फेस को पार कर या नजदीक या पर कार्य करना, से या नजदीक उचित एग्रोनॉमिक परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से सुरक्षित कार्य करना संभव नहीं है, प्रत्येक संविदाकार-
   (क) यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक व्यवहारिक रूप से उचित है, कि उपयुक्त एवं पर्याप्त प्लेटफार्म, कवरिंग, गार्ड रेलस या सपोर्ट या बचाव के इसी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और इस प्रकार प्रयोग किया कि ऐसे स्पोर्ट द्वारा किसी बलपूर्वक लोडिंग या ऐसे बचाव द्वारा वहन;
   (ख) जहां व्यक्ति का वर्क फालिंग पर जोखिम इस विनियम के प्रावधानों की पूर्ववती के अंतर्गत उपायों के बावजूद बना रहता है, तो अपने फॉल की दूरी एवं जराजीर्णता को कम करने हेतु पर्याप्त उपाय करेंगे ।

18.9.3 जहां कोई व्यक्ति वर्क पर कमजोर सर्फेस को पार कर या नजदीक या कार्य पर या नजदीक जाता है तो प्रत्येक संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि
   (क) जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो प्रमुख चेतावनी के नोटिस कार्य के पहुँच पर लगाए जाएं जहां कमजोर सर्फेस स्थित है; या
   (ख) जहां यह व्यवहारिक रूप से संभव न हो, वहां ऐसे व्यक्तियों को अन्य साधनों द्वारा जागरूक किया जाए।

18.10 वस्तुओं का गिरना:

18.10.1 संविदाकार जहां किसी व्यक्ति की चोट को बचाना आवश्यक है जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, किसी सामग्री या वस्तु के फॉल के बचाव के उपयुक्त एवं पर्याप्त कदम उठाएं।

18.10.2 जहां 18.9 की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है प्रत्येक संविदाकार किसी सामग्री या वस्तु के गिरने से व्यक्ति को लगने वाली चोट से बचाने के उपयुक्त एवं पर्याप्त कदम उठाएगा या वस्तु जिससे व्यक्ति को चोट लग सकती है।

18.10.3 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में ऊँचाई से कोई सामग्री या वस्तु न फेंकी जाए या गिराई जाए जिससे किसी व्यक्ति को चोट लगे।

18.10.4 प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सामग्री एवं वस्तुओं का भंडारन इस प्रकार से किया जाए कि ऐसी सामग्री या वस्तु के इनके गिरने, ओवर टर्निंग या अनैच्छिक मूवमेंट से किसी व्यक्ति को होने वाले खतरे को रोका जा सके ।

18.11 खतरनाक क्षेत्र:

18.11.1 इन विनियमों की पूर्ववर्ती आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि

(क) जहां वर्कप्लेस ऐसे क्षेत्र में है जो कार्य की प्रकृति के कारण, कार्य पर किसी व्यक्ति को जोखिम है

i) दूरी से गिरना; या

ii) वस्तु के गिरने से प्रभावित

जिससे व्यक्तिगत चोट की संभावना होती है, वर्क प्लेस को जहां तक संभव हो ऐसे उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए जहां ऐसे क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश मना हो; और

(ख) ऐसा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

18.12 वर्क उपकरणों का निरीक्षण:

18.12.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां वर्क उपकरणों की संरक्षा उसकी स्थापना या असेंबली पर निर्भर है, किसी भी स्थिति में इनकी स्थापना या असेंबली के बाद इनका प्रयोग नहीं हुआ है बशर्ते इनका इन स्थितियों में निरीक्षण हुआ हो।

18.12.2 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्क उपकरण जो जोखिम की परिस्थितियों के कारण खराब हैं परिणामस्वरूप खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है का निरीक्षण

(क) उपयुक्त अंतराल पर; और

(ख) प्रत्येक बार विशेष परिस्थितियों में, जिससे वर्क उपकरण की संरक्षा को खतरा हो सकता है।

सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य एवं सरंक्षा परिस्थितियां बनाई रखी जाएं ताकि किसी भी खराबी का पता लगाया जा सके और समय रहते ठीक किया जाए।

18.12.3 पैराग्राफ 18.12.1 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त वर्किंग प्लेटफार्म; और जिससे कोई व्यक्ति 2 मीटर या उससे अधिक की ऊँचाई से गिर सकता है, का किसी भी स्थिति में प्रयोग न करें बशर्ते इसका इस स्थिति में निरीक्षण न किया गया हो या मोबाइल वर्किंग प्लेटफार्म की स्थिति में, गत 7 दिनों में साइट का निरीक्षण किया हो।

18.12.4 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निरीक्षणों की रिपोर्ट उचित प्रकार से अनुरक्षित की जाएं और जब अपेक्षित हो नियोक्ता को दिखाई जाएं ।

18.12.5 इस खंड “निरीक्षण” में

(क) का अर्थ है ऐसे दृश्य या सक्षम व्यक्ति द्वारा अधिक सख्त निरीक्षण जोकि संरक्षा उद्देश्यों के लिए उचित है;

(ख) में सम्मिलित है इस उद्देश्यों के लिए उचित जांच ।

18.13 हाइट पर कार्य के स्थलों का निरीक्षण:

18.13.1 संविदाकार जहां तक उचित प्रकार से व्यवहारिक हो यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्फेस एवं प्रत्येक रेलिंग, परमानेंट रेल या हाइट पर कार्य के प्रत्येक स्थल पर अन्य ऐसे गिरावट बचाव के उपाय को स्थल के प्रयोग से पूर्व प्रत्येक अवसर पर जांच करना।

18.14 वर्क पर व्यक्तियों की ड्यूटी:

18.14.1 संविदाकार द्वारा नियुक्त कोई वर्कमैन हाईट पर कार्य से संबंधित किसी भी खराबी के बारे में पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करेंगे, जिसके बारे में वह जानता है, जिससे स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की संरक्षा को खतरा है।

18.14.2 निम्न के अनुरूप संविदाकार द्वारा हाईट पर कार्य के लिए उसे उपलब्ध कराए गए किसी वर्क उपकरण या संरक्षा उपस्कर का प्रत्येक वर्कमैन प्रयोग करेंगे:-

(क) कोई भी प्रशिक्षण

(ख) संबंधित वर्क उपकरण या साधन के प्रयोग में, जोकि उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) उस प्रयोग से संबंधित अनुदेश, जोकि नियोक्ता की आवश्यकतानुसार संविदाकार द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए हैं ।

18.15 वर्तमान कार्य के स्थल के लिए आवश्यकता या हाईट पर पहुँच तथा निकास के साधनों, कार्य के प्रत्येक वर्तमान स्थल या हाईट पर पहुँच या निकास के साधन-

(क) स्थायी और पर्याप्त मजबूत तथा जिसके लिए यह बनाया गया है के लिए दृढ़ता या प्रयोग के लिए;

(ख) जहां लागू हो, स्थायी एवं पर्याप्त मजबूत सर्फेस बनाया जाए;

(ग) व्यक्तियों के सुरक्षित मार्ग को अनुमत करने हेतु पर्याप्त आयाम तथा प्रयोग के लिए अपेक्षित किसी प्लांट या सामग्री का सुरक्षित प्रयोग तथा वहां के कार्य को करने के लिए सुरक्षित वर्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराना;

(घ) फॉल से बचने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त साधनों को प्रेरित करना

(ङ) सर्फेस तैयार करना जिसमें गैप न हो

i) जिससे व्यक्ति गिर सके;

ii) जिससे कोई सामग्री या वस्तु गिर सके और व्यक्ति को घायल करे; या

iii) किसी व्यक्ति को घायल करने के अन्य जोखिम को उत्पन्न करना, बशर्ते ऐसे जोखिम के विरूद्ध व्यक्ति के बचाव हेतु उपाय किए गए हों ;

(च) का इस प्रकार निर्माण एवं प्रयोग किया जाए, और बचाव के लिए ऐसी परिस्थिति में अनुरक्षित किया जाए, जैसाकि उचित प्रकार से व्यवहारिक हो-

i) स्लिपिंग या गिरने का जोखिम; या

ii) कोई व्यक्ति इसमें फंस जाए और सन्निकट कोई ढांचा;

(छ) जहां इसके हिस्से को स्थानांतरित कर रहा हो, हाइट पर कार्य के दौरान असावधानी से उचित उपस्करों को मूव करने से रोकना ।

18.16 गार्ड रेलस, टो-बोर्डस, बैरियर के लिए आवश्यकताएं तथा बचाव के इसी प्रकार के सामूहिक साधन

i) जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, गार्डरेल, टो-बोर्ड, बैरियर या बचाव के इसी प्रकार के सामूहिक साधनों के बचाव के सेक्शन के किसी संदर्भ में ।

ii) बचाव के साधन

(क) पर्याप्त आयाम, पर्याप्त मजबूती एवं उद्देश्य के लिए दृढ़ता जिसके लिए इनका प्रयोग हो रहा है और अन्यथा उपयुक्त;

(ख) इस प्रकार से स्थापित, सुरक्षित तथा प्रयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो उचित रूप से व्यवहारिक हो कि वे दुर्घटनावश डिस्प्लेस न हों; और

(ग) बचाव को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि यह व्यवहारिक हो, कार्य के स्थल से किसी व्यक्ति या किसी सामग्री या वस्तु का गिरना ।

iii) निर्माण कार्य में सम्मिलित हाइट पर कार्य के संबंध में

(क) टॉप गार्ड रेल या बचाव के अन्य इसी प्रकार के साधन किनारे से कम से कम 950 मिली मीटर ऊपर होंगे जिससे किसी व्यक्ति के गिरने की संभावना है;

(ख) टो-बोर्ड किसी कार्य स्थल से किसी व्यक्ति, या किसी सामग्री या वस्तु के गिरने को रोकने हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त होंगे; और

(ग) कोई इंटरमीडिएट गार्डरेल या बचाव के इसी प्रकार के साधन इस प्रकार लगाएं जाएं कि इनके बीच का कोई गैप और बचाव के अन्य साधन 470 मिलीमीटर से ज्यादा न हों ।

iv) कोई ढांचा या ढांचे का हिस्सा जिसे बचाव का स्पोर्ट या बचाव का साधन लगाया जाता है तो उसे ऐसे स्पोर्ट या अटैचमेंट के उद्देश्य के लिए पर्याप्त मजबूत एवं उपयुक्त होना चाहिए।

18.17 सभी वर्किंग प्लेटफार्म के लिए आवश्कताएं :

i) प्रत्येक वर्किंग प्लेटफार्म को होल्ड करने के लिए स्पोर्टिंग ढांचा अपेक्षित है ।

ii) कोई सर्फेस जिसपर कोई स्पोर्टिंग ढांचा बनेगा वो स्थिर, पर्याप्त रूप से मजबूत और उपयुक्त कम्पोजिशन का होना चाहिए जो स्पोर्टिंग ढांचे, वर्किंग प्लेटफार्म को सुरक्षित रूप से स्पोर्ट कर सके और वर्किंग प्लेटफार्म पर किसी लोड को रखा जा सके।

iii) स्पोर्टिंग ढांचे की स्थितरता:

(क) जिस उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाना है उसके लिए उचित एवं पर्याप्त मजबूती एवं कठोरता होनी चाहिए;

(ख) पहिए वाला ढांचा के मामले में, हाइट पर कार्य के दौरान अनजाने में होने वाली मूविंग को उचित डिवाइस से रोका जाए;

(ग) अन्य मामलों में सर्फेस या अन्य ढांचे में बियरिंग अटैचमेंट से, प्रभावी एंटी-स्लिप डिवाइस के प्रावधान या समतुल्य प्रभावी अन्य साधनों द्वारा फिसलन से बचाना;

(घ) स्थापना, प्रयोग एवं ढाहने के दौरान स्थिर रहना; तथा

(ङ) जब परिवर्तन या सुधार किया जाए तो इस प्रकार से परिवर्तन या सुधार किया जाए जिससे स्थिरता सुनिश्चित हो।

(च) पर्याप्त बेस प्लेटस लगाए और उचित प्रकार से आधार बनाए।

iv) वर्किंग प्लेटफार्म की स्थिरता

वर्किंग प्लेटफार्म में-

(क) उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए जिसके लिए प्रयोग करने का इरादा है या प्रयोग किया जा रहा है के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त मजबूती एवं कठोरता होनी चाहिए;

(ख) निर्माण एवं प्रयोग इस प्रकार से किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इसके घटक दुर्घटनावश डिस्प्लेस्ड न हों ताकि किसी व्यक्ति को खतरा हो;

(ग) जब परिवर्तन या सुधार हो, तो परिवर्तन या सुधार इस प्रकार से हो कि उसकी स्थिरता सुनिश्चित रहे; और

(घ) इस प्रकार से विखण्डित किया जाए कि दुर्घटना न हो।

v) वर्किंग प्लेटफार्म पर संरक्षा

वर्किंग प्लेटफार्म का -

(क) पर्याप्त आयाम होना चाहिए जिसपर व्यक्तियों को सेफ पैसेज तथा प्रयोग के लिए अपेक्षित किसी प्लांट या सामग्री के सेफ प्रयोग की अनुमति तथा उसपर कार्य करने के लिए सेफ वर्किंग क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए;

(ख) पर्याप्त सर्फेस होनी चाहिए और निर्माण इस प्रकार का होना चाहिए कि वर्किंग प्लेटफार्म के सर्फेस में कोई गैप न हो-

i) जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति गिर सके;

ii) जिसके माध्यम से कोई सामग्री या वस्तु गिर सके और व्यक्ति घायल हो;या

iii) किसी व्यक्ति को चोट लगने का कोई जोखिम उत्पन्न हो, जबतक कि व्यक्ति को ऐसे जोखिम से बचाने के उपाय न किए गए हों; और

(ग) का निर्माण एवं प्रयोग तथा अनुरक्षण ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि बचाव जहां व्यवहारिक रूप से उचित हो

i) फिसलने या गिरने का जोखिम; या

ii) किसी व्यक्ति का वर्किंग प्लेटफार्म एवं किसी सन्निकट ढांचे में फंसना

vi) लोडिंग

किसी लोडिंग प्लेटफार्म एवं अन्य स्पोर्टिंग ढांचा को इस प्रकार से लोड न किया जाए जिससे कि ढहने या विकृति का जोखिम उत्पन्न हो, जिससे इसका सुरक्षित उपयोग प्रभावति हो।

vii) मंच के लिए अतिरिक्त आवश्कताएं

(क) गणना का नोट, जो अपेक्षित ढांचा व्यवस्था को कवर करता है उपलब्ध है; या

(ख) यह सामान्यत: पंजीकृत मानदंड संरूपण के अनुरूप असेम्बल्ड है

viii) चयनित मंच की जटिलता के आधार पर सक्षम व्यक्ति असेम्बली, प्रयोग एवं डिस्मेंटलिंग प्लान तैयार करेगा। यह प्रश्न में मंच के विनिर्दिष्ट विवरण से संबंधित मदों द्वारा अनुपूरक मानक प्लान के फार्म में हो सकता है।

ix) इसमें निहित किसी अनुदेश सहित प्लान की प्रति, मंच की असेम्बली, प्रयोग, डिस्मेंटलिंग या परिवर्तन के दौरान संबंधित व्यक्ति के प्रयोग के लिए उपलब्ध रहेगी जबतक यह डिस्मेंटल न हो जाए।

x) मंच की छत का आयाम फार्म एवं नक्शा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप होगा और वहन सहने तथा अनुमत कार्य तथा सेफ्टी में पैसेज के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

xi) जब मंच अपने असेम्बली, डिस्मेंटलिंग या परिवर्तन के दौरान सहित प्रयोग हेतु उपलब्ध न हो, तो इसे सामान्य चेतावनी संकेत के अनुरूप चिह्नित किया जाए और खतरनाक जोन में प्रवेश को रोकने हेतु उपयुक्त रूप से भौतिक साधनों द्वारा चित्रित किया जाए।

xii) मंच की असेम्बली, डिस्मेंटल या महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अंतर्गत तथा उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने इस तरह के आपरेशन में उचित एवं विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो विशेष जोखिम का उल्लेख करता है जो आपरेशन के लिए आवश्यक है और पूर्वोपाय किए जाएं और विशेष रूप से निम्न पर-

(क) संबंधित मंच की असेम्बली, डिस्मेंटलिंग या परिवर्तन के लिए प्लान की समझदारी;

(ख) संबंधित मंच की असेम्बली, डिस्मेंटलिंग या परिवर्तन के दौरान संरक्षा;

(ग) व्यक्तियों, सामग्री या वस्तु के गिरने के जोखिम को रोकने के उपाय;

(घ) मौसम परिवर्तन की स्थिति में संरक्षा उपाय जो संबंधित मंच की संरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है;

(ङ) अनुमत लोडिंग;

(च) अन्य कोई जोखिम जो मंच की असेम्बली, डिस्मेंटलिंग या परिवर्तन के लिए आवश्यक है ।

18.18 फॉल रोकने के लिए सामूहिक संरक्षोपाय के लिए आवश्यकताएं:

i) फॉलस रोकने के लिए संरक्षा जाल, एयरबैग या अन्य सामूहिक संरक्षोपाय, सामूहिक संरक्षोपाय हैं ।

ii) संरक्षोपाय का प्रयोग केवल तभी किया जाए यदि

(क) जोखिम निर्धारण दर्शाता हो कि इसके प्रयोग के दौरान जहां तक व्यवहारिक हो वर्क गतिविधियां सुरक्षित तरीके से निष्पादित की जाएं और इसकी वास्तविकता प्रभावित न हो;

(ख) अन्य सुरक्षित वर्क उपकरण का प्रयोग व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है; और

(ग) उपलब्ध व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या ने बचाव प्रक्रिया सहित विनिर्दिष्ट पर्याप्त संरक्षोपाय प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

iii) किसी व्यक्ति का फॉल सुरक्षित रूप से रोकने के लिए संरक्षोपाय को उपयुक्त एवं पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाए जोकि फॉल कर सकता है।

iv) संरक्षोपाय

(क) संरक्षोपाय के मामले में, जिसका डिजाइन संलग्न है, को सभी

अपेक्षित एंकर्स को सुरक्षित ढंग से संलग्न किया जाए और एंकर्स एवं इसके अटैचमेंट के साधन उपयुक्त एवं पर्याप्त रूप से मजबूत तथा किसी उत्तरवर्ती बचाव के दौरान किसी फॉल को रोकने के उद्देश्य से स्थिरता;

(ख) एयरबैग, लैंडिंग मैट या इसी प्रकार के संरक्षोपाय के मामले में स्थिर रहे ; और

(ग) संरक्षोपाय के मामले में, जो फॉल को रोकने में विकार लाता है पर्याप्त क्लीयरेंस प्रदान करें

(V) जहां तक व्यवहारिक हो सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त कदम उठाए जाएं कि किसी व्यक्ति द्वारा गिरने की स्थिति में संरक्षोपाय स्वयं किसी व्यक्ति की चोट का कारण नहीं बनता है ।

18.19 व्यक्तिगत फाल बचाव प्रणाली के लिए आवश्यकताएं:

i) व्यक्तिगत फाल बचाव प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाए यदि
   (क) जोखिम निर्धारण यह दर्शाता है कि
      i) इस प्रणाली के प्रयोग के दौरान जहां तक व्यवहारिक रूप से उचित था कार्य को सुरक्षित तरीके से निष्पादित किया जाए; और
      ii) अन्य सुरक्षित वर्क उपकरणों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है; और
   (ख) प्रयोगकर्त्ता एवं उपलब्ध व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या ने बचाव प्रक्रिया सहित ऑपरेशन अवधारण विनिर्दिष्ट पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

ii) व्यक्तिगत फॉल बचाव प्रणाली
   (क) उद्देश्य के लिए मजबूती उपयुक्त एवं पर्याप्त हो वर्क जिसके लिए इसका प्रयोग हो रहा है एवं कोई पूर्ववत लोडिंग;
   (ख) जहां आवश्यक हो प्रयोगकर्त्ता को फिट करें;
   (ग) सही तरीके से फिट करें;
   (घ) प्रयोगकर्त्ता की चोट को न्यूनतम करने की योजना बनाना,जहां आवश्यक हो, प्रयोगकर्त्ता के गिरने या इस पर से फिसलने को रोकना, जहां फॉल हो सकती है; और
   (ङ) इस प्रकार से डिजाइन, स्थापना एवं प्रयोग करना जिससे प्रयोगकर्त्ता के गैर योजनाबद्ध या अनियंत्रित मूवमेंट को रोकना ।

iii) एंकर के साथ प्रयोग के लिए व्यक्तिगत फॉल बचाव प्रणाली को डिजाइन कर कम से कम एक एंकर के साथ सुरक्षित ढंग से सम्बद्ध किया जाए और प्रत्येक एंकर तथा इसके साथ अटैचमेंट के साधन किसी पूर्ववत लोडिंग स्पोर्टिंग के उद्देश्य के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त मज़बूती एवं स्थिरता हो ।

iv) किसी व्यक्ति की फॉलिंग या व्यक्तिगत फॉल बचाव प्रणाली से फिसलने को रोकने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त कदम उठाए जाएं ।

18.20 सीढ़ी की आवश्यकता:

i) प्रत्येक संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि हाइट पर कार्य करने के लिए केवल सीढ़ी का ही प्रयोग किया जाए यदि जोखिम निर्धारण यह प्रदर्शित करता हो कि ज्यादा उपयुक्त कार्य उपकरण का प्रयोग कम जोखिम के कारण न्यायोचित नहीं है।
   (क) प्रयोग की अल्प अवधि; या
   (ख) साइट पर विद्यमान विशेषता, जिसे वह बदल नहीं सकता है।

ii) केवल धातु की सीढ़ी की अनुमति होगी । बॉस की सीढ़ी प्रतिबंधित है ।

iii) कोई भी सतह जिसपर सीढ़ी रखी जाएगी वह स्थिर, पक्की, पर्याप्त रूप से मजबूत तथा सीढ़ी के समर्थ में उपयुक्त सुरक्षित बनावट की हो ताकि इसके पाए या स्टैपस समतल रहेंऔर इसपर कोई भी भावी लोड रखा जा सके ।

iv) सीढ़ी को इस प्रकार से रखा जाए कि प्रयोग के दौरान इसकी स्थिरता सुनिश्चित हो सके ।

v) एक प्रलंबित सीढ़ी सुरक्षित तरीके से अटैच की जाए ताकि लचीली सीढ़ी की आपत्ति पर, इसे डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है और झुमानेवाला को रोका जा सकता है।

vi) निम्न के प्रयोग के दौरान फिसलने से बचने के लिए पोर्टेबल सीढ़ी-

(क) साइट पर या इनके ऊपरी या निचले एण्ड के नजदीक सुदृढ़ करना;

(ख) प्रभावी फिसलन-रोधी या अन्य प्रभावी स्थिरता डिवाइस; या

(ग) समतुल्य प्रभावकारी कोई अन्य व्यवस्था ।

vii) पहुँच के लिए प्रयुक्त सीढ़ी लैंडिंग के स्थल से ऊपर पर्याप्त रूप से ज्यादा लंबी होनी चाहिए जहां तक पहुँच चाहिए अन्यथा उचित हैंड होल्ड सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय किए जाएं ।

viii) किसी इंटरलॉकिंग या विस्तार सीढ़ी का प्रयोग न करें अन्यथा इसके सेक्शन प्रयोग के दौरान एक दूसरे को सापेक्ष मूवमेंट से रोकते हैं ।

ix) मोबाईल सीढ़ी को तब तक मूव न किया जाए जबतक की उस पर से व्यक्ति उतर न जाए ।

x) जहां सीढ़ी या सीढ़ी का रन बढ़ता है तो इसके बेस के ऊपर 9 मीटर की सीधी दूरी या उससे अधिक, जहां व्यवहारिक रूप से उचित हो वहां उचित अंतराल पर पर्याप्त सेफ लैंडिंग क्षेत्र या रेस्ट प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाएं ।

xi) प्रत्येक सीढ़ी का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि-

(क) प्रयोगकर्त्ता को हमेशा सुरक्षित हैंडहोल्ड तथा सुरक्षित स्पोर्ट उपलब्ध हो; और

(ख) जब प्रयोगकर्त्ता लोड ले जा रहा होगा तो सेफ हैंड होल्ड मेनटेन कर सकता है अन्यथा, स्टेप सीढ़ी के मामले में जब लोड ले जाया जा रहा हो तो हैंडहोल्ड का मेनटेनेंस व्यवहारिक नहीं है और जोखिम निर्धारण दर्शाता है कि स्टेप सीढ़ी का प्रयोग न्यायोचित है क्योंकि

i) जोखिम कम है; और

ii) प्रयोग की अल्प अवधि ।

19.0 ओवरहैड संरक्षण

सभी संविदाकार बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के संबंधित नियमों के अनुसार ओवर हैड संरक्षण उपलब्ध कराएंगे ।

i) प्रत्येक बिल्डिंग की परिधि के साथ-साथ ओवरहैड संरक्षण का निर्माण किया जाए जोकि निर्माणाधीन है और निर्माण के बाद बिल्डिंग की ऊँचाई 15 मीटर या उससे ज्यादा होगी।

ii) ओवरहैड संरक्षण कम से कम 2 मीटर चौड़ा होगा और बाहरी किनारा अंदर के किनारे से 150 मि.मी. ऊँचा होगा और बिल्डिंग से एंगल इसके क्षैतिज स्लोपिंग से 20° से ज्यादा नहीं होगा ।

iii) ओवरहैड संरक्षण का निर्माण बिल्डिंग के बेस से 5 मीटर की ऊँचाई से ज्यादा नहीं होगा।

iv) सामग्री के गिरने के असावधान आपदा के क्षेत्र को संविदाकार द्वारा गार्ड या बैरीकेड या रस्सी से घेरा जाएगा।

20.0 फिसलना, गिरना, कटना, डूबना एवं गिरने का जोखिम

बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के अनुसार,

i) सभी स्थल धूल, मलवा या इसी प्रकार की सामग्री से मुक्त होने चाहिए।

ii) शार्प प्रोजेक्शन या बाहर निकली कोई कील या इसी प्रकार की कोई वस्तु को उचित प्रकार से नियंत्रित या कार्य के स्थल को सुरक्षित बनाने हेतु दूर रखा जाए।

iii) संविदाकार वर्कमैन को कार्य या प्लेटफार्म, मंच/पैसेज वे या किसी वॉकवेस के प्रयोग की अनुमति नहीं होगा जहां पानी या तेल या इसी प्रकार का तरल पदार्थ फैला है और फिलसलने का खतरा है, जब तक यह साफ या कवर या रेत या लकड़ी के बुरादे या उपयुक्त सामग्री द्वारा सुरक्षित न बना दिया जाए।

iv) जब वर्करों को पता चल जाए कि कहां पानी में गिरने की संभावना है, संविदाकार वर्करों को डूबने तथा ऐसे खतरे से बचाने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त उपकरण उलब्ध कराएंगे। यदि नियोक्ता का मत है तो संविदाकार वर्क प्लेस पर उपस्कर लगी बोट या प्रशिक्षित कर्मचारियों वाली लांच उपलब्ध कराएंगे ।

v) वर्क की प्रकृति के कारणों से फ्री पहुँच के स्थलों को छोड़कर खुली साइड या ओपनिंग में जहां वर्कर, उपकरण, वाहन या लिफ्टिंग एप्लांयसेस बिल्डिंग या आउटसाइड पर गिर सकते हैं को उचित प्रकार से गार्ड किया जाए।

vi) राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार वहां उपयुक्त संरक्षा नेट उपलब्ध कराए जाएं जहां सामग्री/व्यक्ति के गिरने की संभावना हो।

21.0 लिफ्टिंग एप्लांयसेंस एवं गियर

21.1 लिफ्टिंग एप्लांयसेंस का अर्थ है लिफ्टिंग सामग्री, वस्तु या बिल्डिंग वर्करों के लिए क्रेन, होस्ट मशीनरी, डेरिक, विन्च, गिन पोल, शीरलेग्स, जैक, होस्ट ड्रम, स्लीविंग मशीनरी, स्लीविंग बियरिंग फास्टनर, लोफिंग मशीनरी शेवस, पुल्ली ब्लॉकस, हुकस या अन्य उपकरण तथा लिफ्टिंग गियर्स का अर्थ है रस्सी, चेन स्लिंग, शैकलस, हुकस, लिफ्टिंग लग्स, वायर रोपस, लिफ्टिंग आईबोल्टस एवं आइनट्स तथा लिफ्टिंग एप्लांयसेस की अन्य असेसरी।

21.2 किसी जॉब विशेष के लिए कोई मशीन तब तक सलेक्ट नहीं की जाएगी जबतक इनका आकार एवं विशेषताओं पर निम्नानुसार विचार न कर लिया जाए:

i) सबसे भारी एवं सबसे बड़े लोड का वजन, डायमेंशन एवं लिफ्ट त्रिज्या

ii) अधिकतम लिफ्ट हाईट, अधिकतम लिफ्ट रेडियस तथा लोड का वजन जो प्रत्येक को हैंडल करेगा।

iii) लिफ्ट की संख्या एवं बारम्बारता

iv) साइट पर क्रेन की कितनी देर आवश्यकता है ।

v) की जाने वाली लिफ्टिंग के प्रकार (उदाहरण के लिए लोडस का स्पष्ट प्लेसमेंट महत्वपूर्ण है)

vi) अपेक्षित कैरियर के प्रकार (यह ग्राउंड परिस्थितियों तथा इसके ऑपरेटिंग क्वाडरैंटस में मशीन क्षमता पर निर्भर है; क्षमता सामान्यत: रियर से ज्यादा, लेस ओवर दी साइड तथा ई फ्रंट से नॉन एग्जिसटेंट से ओवर होगी)

vii) क्या लोडस को पैदल या उठाया जाना है।

viii) क्या लोडस को लंबी अवधि के लिए लटका कर रखना है।

ix) ग्राउंड सहित साइट परिस्थितियां जहां मशीन सेट अप होगी, इसके द्वारा ट्रैवल की जाने वाली पहुँच सड़क एवं रैम्प, निर्माण के लिए स्थल तथा कोई रूकावट जो पहुँच या ऑपरेशन में बाधा डाल सकती है।

21.3 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सिनक्रोनाइजड मोबाइल जैकस, प्री स्ट्रैसिंग हाइड्रोलिक जैक्स, लाउंचिंग गार्डर के साथ फिट जैकस इत्यादि सहित सभी लिफ्टिंग एप्लांयसेंस के लिए उपलब्ध खंड 21.7 के अनुसार वैध फिटनेस का प्रमाणपत्र जारी हो और साइट में प्रवेश से पूर्व नियोक्ता

का अनुमोदन हो। केवल नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किसी लिफ्टिंग एप्लांयसेस एवं गियर का प्रयोग किया जाए ।

21.4 सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र की लैमीनेटेड फोटो कॉपी, नियोक्ता का अनुमोदन पत्र, ऑपरेटर की फोटो, विनिर्माता का लोड चार्ट तथा सक्षमता प्रमाणपत्र को हमेशा आपरेटर के केबिन में रखें या लिफ्टिंग एप्लांयसेस के सदृश्य सर्फेस पर चिपकाए जाएं ।

21.5 सभी लिफ्टिंग एप्लांयसेस तथा लूज गियर्स को स्टैम्पिंग या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा इसके सेफ वर्किंग लोड एवं पहचान के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए।

21.6 संविदाकार एक रजिस्टर मेनटेन करेंगे जिसमें सभी टूलस एवं टैकल्स की पहचान की प्रणाली, इसकी खरीद की तिथि, सेफ वर्किंग लोड, सक्षम व्यक्ति के जांच की तिथि इत्यादि निहित होगा ।

21.7 लिफ्टिंग एप्लांयसेंस एवं गियर्स की जाचं एवं आवधिक परीक्षण:

21.7.1 सभी लिफ्टिंग एप्लांयसेस जिसमें सभी पार्टस एवं गियर्स सम्मिलित हैं, चाहे नियत या चल हों की कम से कम प्रत्येक छह में एक बार फैक्टरी के राज्य निरीक्षक के साथ पंजीकृत सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से जांच, परीक्षण एवं प्रमाणित किया जाएगा या इसमें किए गए किए किसी परिवर्तन या मरम्मत जिससे इसकी वैधता के अंदर इसकी मजबूती या स्थिरता प्रभावित होने की संभावना है, यदि लिफ्टिंग एप्लांयसेस को नए स्थल पर शिफ्ट किया गया है, इसकी संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसी सक्षम व्यक्ति द्वारा पुन:परीक्षण किया गया है।

21.7.2 संविदाकार नियोक्ता की अनुमति से फैक्टरी अधिनियम 1948 में परिभाषित किसी सक्षम व्यक्ति तथा फैक्टरी के मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की सेवाएं ले सकते हैं।

21.7.3 सभी अलार्म एवं सिगनल जैसे आटोमेटिक सेफ लोड इंडीकेटर(एस.एल.आई), बूम एंगल इंडीकेटर, बूम एक्सटेंशन इंडीकेटर, ओवर लिफ्ट बूम अलार्म, स्विंग अलार्म, हायड्रोलिक सेफ्टी वाल्वस, मकैनीकल रेडियस इंडीकेटर, लोड मूवमेंट इंडीकेटर इत्यादि की आवधिक जांच की जाए और इन्हें हमेशा वर्किंग स्थिति में बनाए रखा जाए।

21.8 आटोमेटिक सेफ लोड इंडीकेटर :

21.8.1 प्रत्येक लिफ्टिंग एप्लांयसेस एवं गियर्स जैसे क्रेन, हायड्रा इत्यादि, का यदि इसप्रकार निर्माण किया गया है कि जिब के बढ़ाने या घटाने से सेफ वर्किंग लोड में भिन्नता आती है या अन्यथा भारतीय मानक ब्यूरो/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणिक निकाय द्वारा अनुमोदित सेफ वर्किंग लोडस के स्वचालित इंडीकेटर के साथ अटैच किया जाए, जो आपरेटर को चेतावनी देता है और लिफ्टिंग पार्टस के और मूवमेंट को रोकता है ।

21.9 लिफ्टिंग एप्लायंसेंस के आपरेटर एवं सिगनेलर इत्यादि की अर्हता।

21.9.1 संविदाकार किसी व्यक्ति को लिफ्टिंग मशीन जैसे क्रेन, हायड्रा इत्यादि को ड्राइव या आपरेट करने हेतु तैनात नहीं करेगा चाहे वह मकैनीकल पॉवर या अन्य प्रकार से या रिग्गर या के डेरिक्स ऑपरेटर के रूप में वर्क को सिगनल देना हो जबतक कि वह

i) इक्कीस वर्ष की आयु से ऊपर न हो और मोटर वाहन अधिनियम एवं नियम के अनुसार वैध हैवी ट्रांसपोर्ट वाहन ड्राइविंग लाइसेंस का स्वामी हो।
ii) पूर्णत: सक्षम एवं विश्वसनीय हो
iii) राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिफ्टिंग एप्लांयसेंस के ऑपरेशन में सम्मिलित निहित जोखिम की जानकारी होना जो नियोक्ता को स्वीकार्य हो ।

iv) की आवधिक रूप से चिकित्सा जांच की जाए जैसाकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू नियमों में विनिर्दिष्ट है।

21.10 एप्लांयसेस की सामान्य आवश्यकताएं :

21.10.1 आउट ऑफ लेवल

21.10.1.1 आउट ऑफ फिट लेवल का सबसे गंभीर प्रभाव यह है कि बूम में साइड लोड विकसित होता है। जैसे-जैसे आउट आफ लेवल की डिग्री में वृद्धि होती है साइड लोड के कारण सभी मोबाइल क्रेन तेजी से अपनी क्षमता खोती हैं

21.10.2 बूम:

i) बूम क्रेन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है और उसे हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए । किसी भी बूम सेक्शन में बेंट लैटिस मेंम्बर की अनुमति न दी जाए ।
ii) सभी बैल्ड क्रैक एवं जंग मुक्त होने चाहिए
iii) बूम का कोई मेम्बर न मोडा जाए
iv) सभी टेलीस्कोपिक बूम क्रैक, रस्ट, फ्लेकिंग या क्रैकड पेंट, बल्गस, ग्रीस या वार्निस से फ्री रखे जाएं ।

21.10.3 निर्माण मशीनरी का स्वीप एरिया (वर्क एरिया) हमेशा बाधा रहित रखा जाए ।

21.10.4 आपरेटर कैब को अच्छी एवं सुरक्षित हालत में रखें:

i) ढांचा, विन्डो एवं विंडशील्ड वाइपर्स
ii) ड्राइवर की कुर्सी एवं फुट रैस्ट
iii) कंट्रोल हैंडल्स
iv) कैब इंस्ट्रूमेंनटेशन
v) दूरसंचार
vi) कैब आउट फीटिंग
vii) एडजस्टेबल सेट प्वाइंट के साथ विंड इंडीकेटर इस स्थिति में होंगे कि वे क्रेन पर हवा के सूतक हैं । इंडीकेटर निरंतर गति एवं झोके के संबंध में सूचना देंगे।

21.11 अनिवार्य रिग्गिं आवश्यकता:

21.11.1 रिग्गिं केवल अनुभवी एवं अर्हता प्राप्त रिग्गर के अंतर्गत की जाए।

21.11.2 रिग्गिं में प्राथमिक आवश्यकता है कि किसी लिफ्ट का प्रयास करने से पूर्व लोड के वजन का आकलन किया जाए।

21.11.3 मास्टर रिंग के साथ सभी हुक फिट किए जाएं जिसे सक्षम व्यक्ति से फिटनेस का प्रमाणपत्र प्राप्त हो, ताकि हुकस केवल वर्टिकल लोडिंग को बैलेंस कर सकें।

21.11.4 केवल चार लेग वाले स्लिंग की अनुमति होगी जिसमें मास्टर लिंक(रिंग) सम्मिलित है, यदि आवश्यक है तो इंटरमीडिएट मास्टर लिंक (रिंग), चेन/वायर रोप स्लिंग, स्लिंग हुक या अन्य टर्मिनल फीटिंग ।

21.11.5 किसी लिफ्टिंग उद्देश्य के लिए साईट पर 32 मि.मी. डायमीटर तक के हैंड स्प्लाइसड स्लिंगस का प्रयोग न किया जाए ।

21.11.6 पैदल चलने वालों एवं सड़क यातायात को रोके बिना सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर कोई लोड न धुमाया जाए।

21.11.7 आउटरिग्गर्स की आवश्यकताएं:

i) सभी आउटरिग्गर्स का पूर्णत: विस्तार किया जाए और सभी टायर ग्राउंड क्लीयर हों ।

ii) फ्लोटस की सिकिंग रोकने के लिए आवश्यक है कि बेड क्षेत्र में हैवी ड्यूटी ब्लाकिंग हो।

21.11.8 सभी लोडस पर टैग-लाइन्स अटैच किए जाएं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हमेशा लोड को नियंत्रित किया जा सके ।

21.11.9 वर्क की सुनिश्चित अनुमति के ऑपरेशन के बिना किसी लाइव ओवरहैड पावर लाइन के नजदीक वर्किंगी अनुमति न दी जाए।

21.11.10 सभी लिफ्टिंग आपरेशन पर न्यूनतम लाइटिंग सुनिश्चित की जाए ।

21.12 उपरोक्त में से कोई न करने की विफलता की स्थिति में संबंधित खंड के अनुसार नियोक्ता द्वारा दंड लगाया जाएगा।

22.0 लाउंचिंग ऑपरेशन

22.1 जैसाकि लाउंचिंग ऑपरेशन सबसे जोखिम भरा काम है, संविदाकार सभी स्तर जैसे-योजना, केसिंग यार्ड स्थापना, कास्टिंग सेगमेंटस, ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट, फैबरीकेशन एवं लाउंचिंग गार्डर के निर्माण, लाउंचिंग के सेगमेंट, प्री-स्ट्रेसिंग, गार्डर की आटो लाउंचिंग तथा लाउंचिंग गर्डर की डिस्मेंटलिंग पर अत्यधिक सावधानी रखेंगे ।

22.2 संविदाकार सं.स्वा.प. की संविदा शर्तों में निर्धारित सं.स्वा.प. शर्तों तथा सं.स्वा.प. परियोजना मेनुअल के अनुपालन में लाउंचिंग आपरेशन के लिए व्यापक क्रियाविधि विवरण तैयार करेंगे। हाइट पर बर्किंग के प्रावधानों के अनुरूप संदर्भ दिया जाए । लाउंचिंग की संपूर्ण प्रक्रिया उन्नत स्तर पर की जानी है इसलिए वर्कर एवं गार्डर की संरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है । संपूर्ण लाउंचिंग ऑपरेशन के दौरान निम्न सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाए ।

i) लांउचिंग गार्डर में आवश्यक वर्किंग प्लेटफार्म एवं फॉल प्रोटेक्शन एनकरेज व्यवस्था का प्रावधान किया जाए।

ii) लांउचिंग गार्डर में माउंटिंग लाइट फिटिंगस का भी प्रावधान किया जाए ।

iii) खंड 38.0 में दिए प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए कास्टिंग यार्ड सुनिश्चित किया जाए ।

iv) सुदृढ़ीकरण के फैबरीकेशन में तैनात बर्कमैन को आवश्यक हैंड प्रोटेक्शन दस्तानों सहित आवश्यक पी.पी.ई के साथ कनसर्टिंग सेगमेंट उपलब्ध कराया जाए ।

v) संविदाकार के उत्तरदायी इंजीनियर के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत सेगमेंट की कास्टिंग एवं क्यूरिंग की जाए ।

vi) ट्रक जिनके पास वैध पंजीकरण, लाइसेंस, सुरक्षित योग्यता प्रमाणपत्र, नियोक्ता का अनुमोदन प्रमाणपत्र तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र है केवल उनका ही सेगमेंट के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाए ।

vii) इन ट्रकों को चलाने हेतु तैनात ड्राइवरों को रक्षात्मक ड्राइविंग पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में 6 माह में एक बार प्रशिक्षित किया जाए।

viii) चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत उल्लेखित संबंधित खंडों के अनुसार ड्राइवरों की उचित चिकित्सा जांच भी की जाए ।

ix) सेगमेंट को दृढ़ता से आवश्यक लकड़ी के वेज से ट्रक के लिए सुरक्षित किया जाए और आवश्यक लाल इंडीकेटर/संरक्षा टेप उपलब्ध कराएं जाएं ताकि अन्य सड़क प्रयोगकर्त्ता को वाहन दोनों दिन/रात के समय स्पष्ट रूप से दिखाई दें ।

x) प्रत्येक लांउचिंग गार्डर पर हमेशा एक जिम्मेवार इंजीनियर ड्यूटी पर रहेगा ।

xi) निर्माण से ढाहने तक हमेशा दो पियर के बीच के क्षेत्र में जहां लांउचिंग प्रगति पर है को हमेशा बैरीकेड कर रखा जाए ।

xii) ट्रकों से सेगमेंट की अनलोडिंग, सेगमेंट की लिफ्टिंग, सेगमेंट की शिफ्टिंग, ग्लूइंग संविदाकार के अनुमोदित इंजीनियर के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जाए ।

xiii) केवल नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ऑटो लांउचिंग की जाए। प्रत्येक ऑटो लांउचिंग के बाद लांउचिंग गार्डर की स्थिरता सुनिश्चित की जाए ।

xiv) सभी नाजुक स्तरों जैसे लोडस के साथ/बिना तथा प्रत्येक ऑटो लांउचिंग के बाद लांउचिंग गार्डर के वर्टिकल विस्थापन की मॉनीटरिंग की जाए ।

xv) एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें लांउचिंग गार्डर के निर्माण से ढ़ाहने तक के सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशनल विवरण को लिखा जाए और मांगने पर नियोक्ता को उपलब्ध कराए जाएं ।

xvi) लांउचिंग गार्डर के नजदीक लोकेशन पर मकलॉय बार सहित सभी लिफ्टिंग गियर्स के लिए जांच प्रमाणपत्र अनुरक्षित किए जाएं ताकि सभी निरीक्षणों के दौरान इनका संदर्भ दिया जा सके ।

xvii) ऑपरेशन के संपूर्ण क्षेत्र में हमेशा पर्याप्त लाइटिंग सुनिश्चित की जाए ।

xviii) लांउचिंग प्रोसेस के लिए तैनात सभी वर्कमैन के लिए पीने का पानी एवं शौचालय तक पहुँच सुनिश्चित की जाए ।

xix) वर्कमैन/इंजीनियर के सुरक्षित चढ़ने/उतरने के लिए उचित सीढ़ी/पैदल वाली सीढ़ी मेनटेन की जाएं।

22.3 उपरोक्त उल्लेखित किसी भी खंड के गैर अनुपालन को नियोक्ता द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और सुसंगत खंड के अनुसार दंड वसूला जाएगा ।

23.0 निर्माण मशीनरी

23.1 निर्माण कार्य, पुल पुन: निर्माण इत्यादि के लिए संविदाकार द्वारा बड़ी संख्या में व्यक्ति एवं मशीनरी तैनात की जाती है । अत: यह आवश्यक है कि ट्रेनस एवं वर्कफोर्स की संरक्षा के लिए पर्याप्त संरक्षा उपाय किए जाएं । निरपवाद रूप से निम्न उपाय अपनाए जाएं :

i) संविदाकार स्थल पर डी.एफ.सी.सी. पर्यवेक्षक या उसके प्रतिनिधि एवं संविदाकार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे।

ii) जहां कहीं भी सड़क वाहनों तथा/या मशीनरी को रेलवे लाइन के नजदीक कार्य करना अपेक्षित है, तो कार्य को इस प्रकार से किया जाए कि रेलवे के शड्यूल ऑफ डायमेंशन का अतिक्रमण न हो । इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र जहां सड़क वाहन तथा/या मशीनरी चलाना अपेक्षित है, संविदाकार द्वारा सीमांकन तथा स्वीकृति दी जाएं । रनिंग ट्रैक का उल्लंघन किए बिना वाहनों/मशीनरी के टर्निंग/रिवर्सल के लिए विशेष सावधानी बर्ती जाए। साइट परिस्थितियों के अनुसार जहां न्यायोचित एवं संभव हो बैरीकेडिंग उपलब्ध कराई जाए ।

iii) गाड़ियों का लुक आउट एवं सीटी सावधानता आदेश जारी किए जाएं और जहां आवश्यक हो गति प्रतिबंध लगाए जाएं । गाड़ियों के संरक्षण के लिए जहां आवश्यक हो उपयुक्त फ्लैगमैन/डेटोनेटर उपलब्ध कराएं जाएं ।

iv) पर्यवेक्षक/वर्कमैन को संरक्षा उपायों के बारे में परामर्श दी जाए । ए.पी.एम द्वारा जारी संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार संविदाकार के पर्यवेक्षक को सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जाए जोकि केवल उसी वर्क के लिए वैध होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है ।

v) ट्रैक के पास अनलोड की गई गिट्टी/रेलस/स्लीपर/अन्य रेल पथ सामग्री को अनलोड करने के बाद मूविंग डायमेंशन से दूर रखा जाए और विनिर्दिष्ट हाइट के अनुसार ढेर किया जाए और रनिंग ट्रैक से दूर रखें ।

vi) अनुपूरक साईट अनुदेश, जहां कहीं भी आवश्यक हो, डी.एस.सी.सी. के प्रभारी इंजीनियर द्वारा जारी किए जाएं ।

प्रभारी इंजीनियर संविदाकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित क्रियाविधि को अनुमोदित करेंगे ताकि गाड़ियों, यात्रियों तथा वर्करों की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्क के प्रारंभ होने से पूर्व साईट पर पद्धति एवं व्यवस्थाएं वास्तव में उपलब्ध हों और संविदाकार के पर्यवेक्षकों वर्करों ने कार्य निष्पादन के दौरान अपनाई/अनुसरण की जाने वाली संरक्षा पहलूओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है ।

प्रत्येक साइट पर एक आश्वासन रजिस्टर रखा जाए, जोकि दोनों अथार्त डी.एफ.सी.सी. पर्यवेक्षक या उसके प्रतिनिधि तथा साथ ही साथ संविदाकार के पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि उन्होंने साईट पर अपनाए जाने वाले संरक्षा उपायों को समझ लिया है ।

23.2 निर्माण मशीनरी में डम्पर्स एवं डम्प ट्रक, लिफ्ट ट्रक तथा टेलीस्कोपिक हैंडलर्स पीलिंग फिगस, विब्रो हैमर, रेल वैल्डिंग उपकरण, मोबाइल एलीवेशन वर्क प्लेटफार्म, क्रेन, टिप्पर लॉरी, लॉरी लोडर्स, स्किप वैगन, 360° एक्सावेटर्स, 180° बैकहो लोडर्स, क्रॉलर ट्रैक्टर, स्क्रैपर्स, गार्डर, लोडिंग शोवेल्स, ट्रेंचर्स, साइड बूमस, पेवर्स, प्लेनर्स, चिप्पर, रोड रोलर्स, लोकोमोटिवस, टैंकर्स एवं ब्राउर्स, ट्रेल्र्स, हायड्रोलिक एवं मकैनिकल ब्रेकर इत्यादि सम्मिलित है।

23.3 संरक्षा पात्रता प्रमाणपत्र :

23.3.1 पूर्व में खरीदे गए प्रत्येक निर्माण उपकरण अच्छी मकैनीकल वर्किंग स्थिति में होने चाहिए, उपकरण की कोई घटना, विजुअल परीक्षण विवरण, नाजुक कम्पोनेटस की संरक्षा जांच, डिवाइस एवं इसकी वर्किंग स्थिति, विनिर्माता अनुरक्षण जांच सूची, विगत परियोजनाएं जिनमें उपकरणों का प्रयोग इत्यादि इसके न्यूनतम अंश के रूप में था ।

23.4 रिवर्स हॉर्न:

23.4.1 सभी वाहनों में आवाज वाले रिवर्स हॉर्न लगाए जाएं और ये अच्छी वर्किंग स्थिति में होने चाहिए। रिवर्सिंग केवल तभी की जाए जब रियर व्यू विजिविलिटि पर्याप्त हो या बैंकसमैन के निर्देशन के अंतर्गत ।

23.5 सामान्य आपरेशन प्रक्रिया:

i) साइट में प्रवेश करने वाले ड्राइवरों को अनुदेश दिए जाएं कि वे साईट पर अपनाई वर्क की संरक्षा प्रणाली का अनुसरण करें । इसमें मौखिक अनुदेश या अधिमानत: संबंधित साइट नियमों को दर्शाते लिखित अनुदेश, साईट नक्शा, डिलीवरी एरिया, गति सीमा इत्यादि होंगे ।
ii) किसी यात्री को न बैठाया जाए, जब तक कि विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार विशेष सीट न उपलब्ध कराई गई हो ।
iii) किसी उपकरण की क्षमता से ज्यादा ढलान पर कार्य की अनुमति न दी जाए ।
iv) खुदाई के किनारे, मिट्टी के ढेर, गढ़ा इत्यादि से पर्याप्त दूरी पर व्हील ठहराव प्रदान कर डम्पर एवं डम्पर ट्रक दुर्घटना को रोका जाए ।
v) विनिर्माता की सिफारिश है कि एक्सकवेटर में बकेट का आकार न बढ़ाया जाए।
vi) यदि एक्सकवेटर ढलान पर ऑपरेट कर रहा है, जिससे बचा नहीं जा सकता है, यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्किंग साइकिल को धीमा किया जाए, बकेट को डाउनहिल की दिशा में ज्यादा दूर तक विस्तार न दिया जाए और ट्रैवल अत्यंत सावधानी से किया जाए। बड़े एक्सकवेटर को कभी भी सीमित क्षेत्र या लोगों के आसपास बैंकसमैन के बिना जो ड्राइवर को गाइड करता है ट्रैवल की अनुमति न दें जो मशीन के नजदीक एक्सकवेटर अटैचमेंट के रूप में होता है । पहिए वाले

एक्सकवेटर में यह आवश्यक है कि टायर अच्छी स्थिति में हों और पूरी हवा हो । यदि स्टैबिलाइजिंग डिवाइस फिट हैं तो उन्हें तैनात किया जाए जब मशीन एक्सकवेटिंग कर रही हो ।

vii) जब 180° बैकहो लोडर का फ्रंट शॅवल तैनात हो तो बैकहो अटैचमेंट अपनी ट्रैवल स्थिति में होगा और संरक्षा लॉकिंग डिवाइस अपनी स्थिति में होगा।

viii) जब बैक हो खराब ग्राउंड परिस्थितियों में ऑपरेट कर रहा हो तो स्टैबलाइजर ग्राउंड की सतह में सिंक करेगा और स्थिरता कम होगी । इसलिए मशीन की स्थिरता के लिए निरंतर जांच की जाए। जब बैक हो तैनात हो मशीन को स्टैबलाइज करने के लिए लोडिंग शॅवल हमेशा ग्राउंड तक नीचे किया जाए ।

ix) स्किप वैगन का नैटिंग आपरेशन स्किप लिफ्टिंग से पूर्व किया जाए ताकि रियर प्लेटफार्म पर वर्किंग के जोखिम को कम किया जा सके ।

x) यदि ट्रैक्टर डोजर को झाड़ी या गिरे हुए पेड़ों की सफाई के लिए लगाया गया है तो इसे उचित ड्राइवर संरक्षण के साथ उपलब्ध कराया जाए ।

xi) जब दो या अधिक स्क्रैपर एक ही जॉब में कार्यरत हों तो उनके बीच कम से कम 25 मीटर या पर्याप्त दूरी रखी जाए ।

xii) हायड्रोलिक ब्रेकस, हायड्रोलिक रैमस तथा होज़ के मामले में इनकी वर्किंग स्थिति अच्छी बनाई रखी जाए ।

23.6 सभी लकड़ी की वर्किंग मशीनों में उपयुक्त गार्डस एवं डिवाइस लगाए जाएं जैसे टॉप गार्डस, राइविंग नाइफ, पुश स्टिक, ड्राइव बैल्ट तथा चेन के लिए गार्डस, तथा आपातकालीन स्टॉप स्विच जो आपरेटर के आसान पहुँच में हो ।

23.7 दंड:

23.7.1 यदि उपरोक्त किसी खंड का पालन नहीं हो रहा है तो असुरक्षित कृत्य या स्थिति के महत्व के आधार पर सुसंगत खंड के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

24.0 मशीन एवं सामान्य एरिया गार्डिंग

24.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे निर्माण साइट की सभी मोटर, कॉगव्हील, चेन एवं फ्रिकशन गियरिंग, फ्रायव्हील, शॉफ्टिंग, मशीनरी के खतरनाक एवं मूविंग पार्टस सुरक्षित तरीके से फेंसड या लेग्गड हैं । जब ऐसी मशीनरी मोशन या प्रयोग में हो तो मशीनरी के खतरनाक पार्ट की फेंसिंग हटाई न जाए ।

25.0 मेनुअल लिफ्टिंग एवं ज्यादा वजन को वहन करना

25.1 संविदाकार निर्माण वर्क के अपने निर्माण साइट पर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वर्कर बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के नियम 38 के अनुसार हाथ से या सिर पर या अपनी पीठ पर या कंधे पर ज्यादा वजन की कोई सामग्री, वस्तु, टूल या एप्लांयसेस नहीं ले जाएंगे जैसाकि नीचे दिया गया है ।

व्यक्ति	अधिकतम वजन कि०ग्राम में
वयस्क पुरूष	55
वयस्क महिला	30

25.2 कोई भी वर्कर अन्य वर्कर की मदद से प्रत्येक वर्कर के लिए अलग से निर्धारित अधिकतम सीमा का कुल योग का वजन या उच्च वजन नहीं उठाएगा जैसाकि उपरोक्त टेबल में उल्लेखित है ।

26.0 साईट की बिजली

26.1 बिजली वाले व्यक्ति की सक्षमता :

26.1.1 संविदाकार योग्य एवं सक्षम बिजली व्यक्ति तैनात करेगा जैसाकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/सा.अ./01 में विनिर्दिष्ट है ।

26.2 पावर का निर्धारण :

26.2.1 संविदाकार बिजली लोडस के आकार एवं लोकेशन तथा संविदा की अवधि के दौरान समय के साथ यह किस तरह से अलग-अलग रहेगा का निर्धारण करेगा ।

26.2.2 संविदाकार यह प्रतिपादित करेंगे कि कुल सप्लाई कैसे प्राप्त/उत्पन्न की जाएगी। बिजली, अर्थिंग आवश्यकता, सब स्टेशन/पैनल बोर्ड, वितरण प्रणाली के स्रोतों का विवरण तैयार करेगा और जॉब के निष्पादन की कार्यवाही से पूर्व नियोक्ता से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

26.2.3 मुख्य संविदाकार उप संविदाकार बिजली पावर सप्लाई की आवश्यकता पर विचार करेंगे और डीजल जनरेटर से पावर सप्लाई के मुख्य स्रोत की क्षमता के निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।

26.2.4 छोटी क्षमता के जनरेटर ज्यादा आवाज एवं संरक्षा बाधा उत्पन्न करते हैं, इस संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले जॉब के प्रकार के लिए छोटी क्षमता के डीजल जनरेटर की अनुमति न दी जाए ।

26.2.5 यदि उप संविदाकारों/संविदाकार द्वारा कोई आवाज करने वाला कम क्षमता का डीजल जनरेटर प्रयुक्त किया हुआ पाया गया तो केवल मुख्य संविदाकार को दंडित किया जाए ।

26.3 साईट पर वर्क

26.3.1 संविदाकार इलेक्ट्रीकल सिंगल लाईन डायग्राम, संक्षिप्त डायग्राम तथा सभी अस्थायी इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन के लिए उपकरणों का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे और अस्थायी इलेक्ट्रीकल उपकरणों के साथ इनका डायग्राम नियोक्ता के आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे । ऐसा करने में विफलता की स्थिति में सुसंगत खंड के अनुसार दंड लगाया जाए ।

26.4 इलेक्ट्रीकल उपकरणों की शक्ति एवं क्षमता

26.4.1 ऐसे किसी भी इलेक्ट्रीकल उपकरण का प्रयोग न करें जहां इनकी शक्ति एवं क्षमता इस प्रकार से बढ़ाई गई हो कि इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

26.5 प्रतिकूल या संकटमय पर्यावरण

26.5.1 इलेक्ट्रीकल उपकरण जो वास्तव में जोखिम में डाल सकता है-

i) मकैनीकल क्षति;
ii) मौसम का प्रभाव, प्राकृतिक संकट, तापमान या दवाब;
iii) आर्द्र, धूल भरा या जंग वाली स्थिति का प्रभाव; या
iv) ऐसे निर्माण की धूल, भाप या गैस सहित कोई ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ या संरक्षण के लिए रोकना अनिवार्य, जहां तक व्यवहारिक हो ऐसी परिस्थिति से खतरा उत्पन्न होना।

26.6 वितरण प्रणाली

26.6.1 संविदाकार विशिष्ट एप्लांयसेंस के लिए 50HZ की मेन ए.सी. सप्लाई से बिजली के नियंत्रण एवं वितरण के लिए वितरण प्रणाली उपलब्ध कराएगा ।

i) नियत प्लांट-400V 3 फेस
ii) चल प्लांट फ्रेड बरास्ता ट्रेलिंग केबल ओवर 3.75 ज्ञW-400 3 फेस
iii) साइट बिल्डिंग से इंस्टालेशन-230V सिंगल फेस
iv) नियत फ्लड लाइटिंग-230V सिंगल फेस
v) पोर्टेबल एवं हैंड टूलस 115 V सिंगल फेस
vi) साईट लाइटिंग - 115 V सिंगल फेस
vii) पोर्टेबल एवं हैंड लैम्पस 115 V सिंगल फेस

26.7 इलेक्ट्रीकल प्रोटेक्शन सर्किट

26.7.1 अर्थिंग या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा सावधानी बर्ती जाए, जब कोई कंडक्टर (सर्किट कंडक्टर के अलावा) सिस्टम के प्रयोग के परिणामस्वरूप या सिस्टम में खराबी के कारण, इस प्रकार चार्जड होता है कि उसे बलपूर्वक चार्ज किया गया है से उत्पन्न खतरे को रोका जाएं । कंडक्टर को अर्थड के रूप में रिगार्ड किया जाए जब पर्याप्त क्षमता के कंडक्टर और अर्थ से डिस्चार्ज इलेक्ट्रीकल एनर्जी की करंट कैरिंग क्षमता अर्थ के सामान्य मास से कनेक्ट हो ।

यदि सर्किट कंडक्टर अर्थ या अन्य किसी रेफ्रेंस प्वाइंट से कनेक्ट है, इलेक्ट्रीकल निरंतरता को ब्रेक कर या उस कंडक्टर में हाई इम्पीडेंस प्रारंभ कर खतरे को उत्पन्न करने की संभावना हो बशर्ते खतरे से बचने के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय किए गए हों ।

26.7.2 सभी सर्किट, ओवर लोड के विरूद्ध, शार्ट सर्किट तथा अर्थ फाल्ट करंट के लिए उचित इलेक्ट्रीकल संरक्षण उपलब्ध कराया जाए ।

26.7.3 संविदाकार सभी उपकरणों (पोर्टेबल उपकरण सहित), इलेक्ट्रीकल स्विचबोर्डों, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल इत्यादि के लिए पर्याप्त ई.एल.सी.बी (संवेदनशीलता बनाए रखना 20 एम.ए)/आर.सी.सी.बी.एस उपलब्ध कराएंगे ताकि वर्करों को बिजली का झटका न लगे ।

26.7.4 किसी खराबी की स्थिति में किसी उपकरण एवं सर्किट को क्षति पहुँचाए बिना सर्किट को अवरूद्ध करने में सभी बचाव डिवाइस सक्षम होने चाहिए।

26.7.5 सर्किट के बचाव के लिए प्रयुक्त फ्यूज एवं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग का उपकरण पावर रेटिंग के साथ समन्वय किया जाए ।

26.7.6 साइट पर खुले में रखे सभी उपकरणों के लिए लाइटनिंग के विरूद्ध बचाव सुनिश्चित किया जाए।

26.8 केबलस

26.8.1 परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद केबलस का चयन किया जाए कि इन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाए और किस ड्यूटी के लिए ये अपेक्षित हैं। 3.3ज्ञV तक की सप्लाई केबल बी.एस 6346 के अनुरूप होगी ।

26.8.2 मोबाइल या ट्रांसपोर्टेबल उपकरण की सप्लाई के लिए जहां उपकरण की ऑपरेटिंग केबल की फ्लेक्सिंग पर है, केबल इनमें से किसी कोड जैसे-बी.एस.6007/बी.एस.6500/बी.एस.7375 के अनुरूप होगा ।

26.8.3 1.5mm2 से छोटा कंडक्टर क्रास सेक्शनल एरिया कंडक्टर के साथ फ्लैक्सीबल कॉर्ड का प्रयोग न करें और इन्सुलेटेड फ्लैक्सीबल केबल बी.एस.6500 एवं बी.एस.7375 के अनुरूप हों ।

26.8.4 जहां कम वोल्टेज की केबलस का प्रयोग किया जाना है, बी.एस.7375 का संदर्भ दें । भूमिगत केबलस बी.एस.6346 एवं बी.एस.6708 के लिए विशेष रूप से निम्न मानदंडों का भी संदर्भ दें ।

26.8.5 ग्राउंड में सीधी दबी केबलस आर्मर या मेटल शीथ या दोनों प्रकार की होंगी। ऐसी केबलस, केबल कवर का उचित मार्किंग टेप द्वारा मार्कड होंगी और इसे पर्याप्त गहराई में दबाया जाए ताकि ग्राउंड की किसी गड़बड़ द्वारा होने वाली क्षति को रोका जा सके । साइट इलेक्ट्रीकल रजिस्टर में रखे प्लान पर केबल रूटस को मार्क किया जाए ।

26.8.6 पैदल रास्ते के नीचे तथा ट्रांसपोर्ट एवं मोबाईल उपकरण के लिए रास्ते के आर-पार से पास होने वाली केबलिंग को डक्ट में कम से कम 0.6 मीटर की गहराई में बिछाया जाए।

26.8.7 ऐसी केबलस जिसे खुले क्षेत्र या 3 मीटर या उससे अधिक के स्पैन को क्रास करने की आवश्यकता सम्मिलित है, तो विस्तार के सुविधाजनक साधनों के लिए पोल्स पर कैटनेरी वायरया अन्य स्पोर्ट उपलब्ध कराएं जाएं। ग्राउंड से न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी ।

26.8.8 वैल्डिंग प्रक्रिया के लिए सप्लाई के अलावा 65V के अर्थ के वोल्टेज को कैरी करने वाले केबलस के मैटल आर्मया शीथ होंगे, जो उचित प्रकार से अर्थड होंगे और संविदाकार द्वारा मॉनीटर किए जाएंगे । फ्लैक्सिबल एवं ट्रेलिंग केबलस के मामले में ऐसे अर्थड मैटल शीथ तथा/या आर्मर केबल में अर्थकोर के अतिरिक्त होंगे और प्रोटेक्टिव कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त न किया जाए ।

26.8.9 आर्मरड केबलस जिसमें पोलीविन्याल क्लोराइड (पी.वी.सी) का ओवर शीथ या ऑयल रसिस्टिंग तथा फ्लेम रिटारडेंट कम्पाउंड का तभी प्रयोग किया जाए जब मकैनीकल क्षति होने का जोखिम हो ।

26.9 प्लगस, सॉकेट-आउटलेटस तथा कप्लरस :

26.9.1 संविदाकार निर्माण स्थल में प्लगस, सॉकेट-आउटलेटस तथा कप्लरस स्पलैश प्रूफ टाइप के रूप में सुनिश्चित करेंगे। इनग्रेस प्रोटेक्शन की न्यूनतम डिग्री बी.एस.ई.एन 60529 के अनुरूप आई.पी.44 होनी चाहिए।

26.9.2 केवल वैदरप्रूफ प्रकार की प्लग एवं फिटिंगस का प्रयोग किया जाए और ये नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानदंडों के अनुरूप कलर कोडेड की जाएं;

i) 110 वोल्टस : पीला
ii) 240 वोल्टस : नीला
iii) 415 वोल्टस : लाल

26.10 कनेक्शन:

26.10.1प्रणाली में प्रत्येक ज्वाइंट एवं कनेक्शन खतरे को रोकने हेतु प्रयोग के लिए मकैनीकली एवं इलेक्ट्रीकली उपयुक्त हों । केबलस को कनेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित केबल कनेक्टर का ही प्रयोग करें ।

26.10.2 वर्कसाइट, कार्यालय क्षेत्र, भंडार तथा अन्य क्षेत्रों में कहीं भी लूज कनेक्शन या टेप वाले ज्वाइंटस की अनुमति नहीं है । किसी टेप वाले ज्वाइंटस के पाए जाने पर सुसंगत खंड के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

26.11 पोर्टेबल एवं हैंड हैल्ड उपकरण:

26.11.1 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि बिना अर्थिंग (अर्थात टू कोर केबलस) के डबल इन्सुलेटेड या ऑल-इन्सुलेटेड पोर्टेबल इलेक्ट्रीकल हैंड उपकरण का प्रयोग किया जाए, परंतु ट्रेलिंग लीड्स की क्षति के जोखिम के कारण वे केवल 110V का प्रयोग कर रहे हैं ।

26.11 अन्य उपकरण :

26.12.1 सभी उपकरणों में मेजर स्विच/कट-ऑफ स्विच के लिए प्रावधान होना चाहिए ।

26.12.2 इलेक्ट्रीकल उपकरण के सभी नॉन-करंट कैरिंग मैटल पार्टस को इन्सुलेटेड केबल के माध्यम से अर्थड किया जाए ।

26.12.3 पृथक एक्सपोसड हाई-वोल्टेज (415 वोल्टस से ज्यादा) उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर बैंकस, खुले स्विच तथा एक्सपोसड एनर्जाइज्ड पाटर्स के साथ इसी प्रकार के उपकरण का अनधिकृत एसेस रोका जाए।

26.12.4 निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र तथा एन्ट्रीवे से पृथक प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए अनुमोदित पैरामीटर मार्किंग का प्रयोग करें और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्थापित किया जाए और कार्य की संपूर्ण अवधि के दौरान बनाए रखा जाए । अनुमोदित पैरामीटर मार्किंग को या तो लाल बैरियर टेप जिसपर शब्दों में “खतरा-हाई वोल्टेज” छपा हो या पीला बैरियर या ऑरेंज सिन्थेटिक रोप, जो भूमि या वर्कसर्फेस से लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊपर होगी स्थापित की जाए ।

26.12 लाइव कंडक्टर पर या नजदीक कार्य करना:

26.13.1 किसी भी व्यक्ति को किसी लाइव कंडक्टर के नजदीक या पर किसी वर्क गतिविधियों में लगाया जाए (यदि वह उचित प्रकार से इन्सुलेटेड सामग्री से इस प्रकार कवर हो कि खतरा न हो) कि खतरा उत्पन्न हो यदि

i) सभी परिस्थितियों में इसके लिए मृत्यु अनुचित है; तथा
ii) सभी परिस्थितियों में उसके लिए इसके ऊपर या नजदीक कार्य करना उचित है जब यह लाइव है; तथा
iii) चोट को रोकने के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय किए जाएं (जहां आवश्यक हो उपयुक्त पूर्वोपाय उपकरण के प्रावधान सहित) ।

26.13 निरीक्षण एवं अनुरक्षण:

26.14.1सभी इलेक्ट्रीकल उपकरणों पर स्थायी नम्बर लगाए जाएं और जारी करने की तिथि, अंतिम निरीक्षण की तिथि तथा सिफारिश की गई निरीक्षण अवधि का रिकार्ड रखा जाए ।

26.14.2नियत इंस्टालेशन का कम से कम तीन माह के अंतराल में निरीक्षण किया जाए; उपकरण विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार नियमित अनुरक्षण किया जाए ।

26.15 25ज़VAC 50HZ सिंगल फेस ट्रैक्शन :

(क) 25ज़VAC 50HZ सिंगल फेस ट्रैक्शन का इनडक्शन प्रभाव

i) सभी स्टॉक का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए कि 25ज़VAC 50HZ सिंगल फेस ट्रैक्शन के अंतर्गत, ट्रैक के नजदीक में सभी मैटालिक स्ट्रक्चर तथा कंडक्टर पर भारी इनडक्शन है । इनडक्शन दो-फोल्ड में है ।

- इलेक्ट्रो-स्टैटिक, जो ओ.एच.ई सिस्टम पर 25ज़V की उच्च् क्षमता से परिणाम देता है।

- इलेक्ट्रो-मैगनेटिक, जो लोकोमोटिव/ई.एम.यू से ओ.एच.ई के सब-स्टेशन से पास होने वाले करंट का आनुपातिक है और अर्थ के माध्यम से बैक पार्टली है ।

ii) ट्रैक के समान्तर रनिंग ओवर हैड कंडक्टर पर वोल्टेज इनडयूस पर्याप्त है जो पैरलेजिज्म की लम्बाई पर निर्भर है। यह बताता है कि क्यों ज्यादातर ओवरहैड दूरसंचार लाइनों को भूमिगत केबलस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इनडक्शन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विशेष पूर्वोपाय अपेक्षित हैं ।

iii) रेलवे यार्ड में, डबल लाइन ट्रैक के सेन्टर से 8 मीटर दूर स्थित यार्ड लाइटिंग मेनस पर 200 वोल्टस के ऑर्डर का वोल्टेज प्रारंभ की जा सकती है, लगभग 20 मीटर की दूरी के लिए 25ज्ञV लाइनस के समान्तर इसके रन, कई हजार वोल्टस हो सकते हैं जब पैरलेलिज्म ज्यादा लंबा हो। ऐसे मामले में, इनडक्शन के कारण खतरनाक वोल्टेज लाइन पर पावर सप्लाई स्विच ऑफ के बाद भी विद्यमान रहेगी। अत: कोई भी वर्क के दोनों ओर अर्थिंग के विशेष पूर्वापाय के बिना इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के नजदीक किसी ओवर हैड लाइन रनिंगपर कार्य का प्रयास नहीं करेंगा। सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड करने से पूर्व, सभी स्टेशनों तथा यार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि प्रारंभ वोल्टेज को अनुमत वैल्यू के अंदर सीमित वोल्टेज तक रखा जाए, परंतु किसी भी अर्थ में वर्किंग पार्टी के दोनों साइड पर लाइनों की अर्थिंग की आवश्यकता समाप्त नहीं करेगा। जहां तक संभव हो वर्कस्पॉट के नजदीकी के रूप में प्रत्येक वर्किंग पार्टी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्थिंग की जाए । दो अर्थ के बीच की दूरी 1 कि.मी. से अधिक न हो।

iv) लार्ज मैटालिक स्ट्रक्चर पर घटित ऐसे प्रेरक प्रयास जैसे ट्रैक के समान्तर रनिंग प्लेटफार्म की घेराबन्दी स्ट्रक्चूअल स्टील वर्क। अत: संरक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्रकार से अर्थ किया जाए ।

v) किसी मैटालिक कंडक्टर जैसे-मैटालिक कपड़े- लाइनस, पावर लाइनस तथा इलेक्ट्रीफाइड ट्रैकस के समान्तर रनिंग एवं नजदीक प्राइवेट पार्टी से संबंधित लाइन्स पर इन्डक्टिव असर नजर आते हैं। प्रेरक प्रयास का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि प्राइवेट पार्टी द्वारा विशेष पूर्वोपाय किए जाएं।

(ख) सामान्य पूर्वोपाय

सिंगल फेस, 50HZ ट्रैक्शन के रूप में 25ज्ञV के लिए सुसज्जित सेक्शन में सभी परिस्थितियों में निम्न निर्धारित पूर्वोपायों का अनुसरण किया जाए ।

i) "कार्य की अनुमति" के बिना लाइव ओ.एच.ई से 2 मीटर की दूरी से ऊपर या अंदर कोई कार्य न किया जाए ।

ii) किसी भी पेड का कोई हिस्सा नजदीकी लाइव कंडक्टर के 4मीटर से ज्यादा नजदीक रखा जाए। कोई पेड या शाखा जो लाइव कंडक्टर पर गिरने वाली हो को आवधिक रूप से काटा या छांटा जाए ताकि क्लीयरेंस बनाई रखी जाए । कटिंग या छटाई ओ.एच.ई स्टॉफ द्वारा स्वयं या इनके द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षण की जाने वाली एजेंसी के माध्यम से की जाए ।

iii) पेड़ों की छटाई का कार्य प्राधिकृत ओ.एच.ई स्टॉफ या पर्यवेक्षक द्वारा 4 मीटर की सुरक्षित दूरी के क्लीयरेंस की उपस्थिति में किया जाए । पेड़ों की कटिंग से संबंधित किसी विवाद को संविदा आधार या संबंधित विभाग की निबंधन एवं शर्तों के विभागीय आधार पर हल किया जाएगा।

iv) किसी भी गिरी हुई तार या तारों को तब तक न छूआ जाए जब तक कि पॉवर स्विच ऑफ न हो और तार या तारें उचित प्रकार से अर्थएण्ड न हों । यदि तार समपार लेवल पर गिरती है,

तो गेटकीपर तुरंत संपूर्ण सड़क यातायात को रोकने की व्यवस्था करेंगे और जनता को इससे दूर रखेंगे ।

v) जहां तक संभव हो सामग्री गाड़ियों के लिए क्लोजड वैगनों का प्रयोग किया जाए। यदि ओपन या हॉपर वैगनों का प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैकस में लोडिंग एवं अनलोडिंग या ऐसे वैगनों में इंजीनियरिंग अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जाए जो ए.पी.एम रैंक से कम के न हों, वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई टूल या वर्कर के शरीर का कोई हिस्सा "खतरनाक जोन" अर्थात ओ.एच.ई के 2 मीटर के अंतर्गत नआए ।

vi) रेलपथ स्टॉफ ट्रैक को क्लीयर करेंगे और वर्क-स्पॉट पर पहुँच के दौरान या पहुँचने पर पटरी से संपर्क करने से बचेंगे, जब इलेक्ट्रीकली हॉलड गाड़ी 250 मीटर के अंतर्गत हो।

vii) जब अनलोडिंग पटरी ट्रैक के पास हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पटरी एक दूसरे को टच न करे जिससे कि निरंतर मैटालिक मास ऑफ लेंथ 300 मीटर से ज्यादा न बने ।

(ग) इलेक्ट्रीकफाइड सेक्शन पर संरक्षा पूर्वोपाय (अध्याय-IV), भारतीय रेल ए सी ट्रैक्शन मेनुअल जिल्द-1 का इलेक्ट्रीकल दुर्घटना (अध्याय-V) फायर पूर्वापाय (अध्याय-VI), जैसा लागू हो का अनुसरण किया जाए ।

(घ) भारतीय रेल ए सी ट्रैक्शन मेनुअल के जिल्द-II, भाग-1 का प्रशिक्षण एवं सक्षमता प्रमाणपत्र (अध्याय-XII) का अनुसरण किया जाए ।

(ङ) भारतीय रेल ए सी ट्रैक्शन मेनुअल के जिल्द-II, भाग-II के अध्याय-VI के लागू पैरा के अनुसार इलेक्ट्रीकफाइड लाइन के नजदीक जारी निर्माण के मामले में पॉवर ब्लॉक एवं कार्य की अनुमति अपेक्षित है।

27.0 लाइटिंग

27.1 संविदाकर पर्याप्त एवं उचित प्रकार की साइट लाइटिंग तथा इसके प्रभावी प्रयोग के लिए उचित स्थल पर उपलब्ध कराएंगे । लाईटिंग से किसी भी तरह के इलेक्ट्रीक शॉक का खतरा उत्पन्न न हो । अत: उन फीटिंग के लिए 230 V सप्लाई का प्रयोग किया जाए जो मजबूती से इंस्टाल हैं और इन्हें फ्लड लाइटिंग या हाई प्रैशर डिस्चार्ज लैम्प की पहुंच से पर्याप्त दूरी पर रखें।

27.2 लूमीनरी का चयन:

संविदाकर नीचे दर्शाए अपेक्षित क्षेत्र के अनुसार लूमीनरी का चयन करेंगे:

लाइटिंग के प्रकार	आवश्यकता के क्षेत्र	लूमीनरी
लाइटिंग क्षेत्र	वर्कमैन एवं वाहनों के सुरक्षित मूवमेंट के लिए	i)शॉवेल प्रकार:नॉन-सिमेट्रीकल ii) सिमेट्रीकल या नॉन-सिमेट्रीकल टंगस्ट्रेन हैलोजन
बीम फ्लड लाइटिंग	अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी से क्षेत्र विशेष में संकेंद्रीत लाइट	i)पोर्टेबल फ्लडलाइट (कोनिकल बीम) ii) वाइड एंगल फ्लड (फैन आकार का बीम) iii) मध्यम या नैरों एंगल फ्लड (कोनिकल बीम)
फैलने वाली लाइटिंग	इनडोर के लिए लाइटिंग	i)फैलने वाली (मरकरी फ्लोरसेंट) ii) कार्गो कलस्टर iii) फ्लोरसेंट ध्रू
वॉकवे लाइटिंग	सीढ़ियों, सीढ़ी के रास्ते, कोरीडोर, मंच, पहुंच मार्ग इत्यादि के लिए लाइटिंग	i) वैल ग्लास यूनिट ii) बल्कहैड यूनिट (टंगस्टन फिलामेंट) iii) बल्कहैड यूनिट (फ्लोरसेंट)

स्थानीय लाइटिंग	साइट एवं फीटिंग पर लाइटिंग सामान्यत: ऑपरेटिव के लिए सुगम्य हो	i) पी ए आर (पैराबोलिक एलूमिनाइजड रिफ्लैक्टर) लैम्प कलस्टर ii) फेस्टूनस (शेडस के साथ या बिना) iii) एडजेस्टेबल फ्लोरसेंट वर्क लैम्प iv) पोर्टेबल फ्लड लैम्प (स्वयं के केबल ड्रम पर माउन्टेड)

27.3 संविदाकर सुनिश्चित करेंगे कि लूमीनरी को हमेशा इस प्रकार स्थापित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वयं की छाया में काम न करना पड़े और एक व्यक्ति के लिए लोकल लाइट अन्य के लिए चमक का स्रोत न बने । लूमीनरी को खम्भा या अन्य सुविधाजनक स्पोर्ट से अटैच करने के लिए मजबूत बने कलैम्पस उपलब्ध हो ।

27.4 लूमीनरी विशेष रूप से केबल एंट्री के प्वाइंट पर मजबूत, जंगरोधी तथा रेन प्रूक होने चाहिए ।

27.5 हमेशा प्रत्येक लूमीनरी के लिए उचित प्रकार का प्रयोग करें और जब लैम्पस बदलने की आवश्यकता हो तो यह सप्लाई वोल्टेज के अनुरूप किया जाए ।

27.6 ऐसे लैम्प जिनमें लैम्प होल्डर नहीं लगा है को कैप्पड ऑफ किया जाए ।

27.7 संविदाकर नियोक्ता की आवश्यकतानुसार वर्क साइट को प्रकाशित करने का हर संभव प्रयास करेंगे जैसाकि सामान्य अनुदेश डी एफ सी सी आई एल/सं.स्वा.प./सा.अ./10 में उदाहरण सहित दिया गया है ।

28.0 हैंड टूलस एवं पावर टूलस

28.1 सामान्य

28.1.1 संविदाकार उसके कर्मचारियों एवं उसके उप-संविदाकारों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले टूलस एवं उपकरणों की अच्छी स्थिति के लिए पूर्णत: जिम्मेवार होगा।

28.1.2 शार्ट/क्षतिग्रस्त हैंड टूलस के प्रयोग से बचें और संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके वर्क साइट पर प्रयोग किए जाने वाले उसके सभी हैंड टूलस कार्य के लिए सुरक्षित या संचित हैं और इनके उचित प्रयोग के लिए अपने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे (अपने उप-संविदाकारों सहित)

28.1.3 सुरक्षित आपरेशन के लिए सभी हैंड टूलस एवं पॉवर टूलस का प्रयोग से पूर्व विधिवत् निरीक्षण किया जाए ।

28.1.4 सभी हैंड टूलस तथा पॉवरटूलस के एन्थ्रोपोमेट्रीक पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पर्याप्त ग्रिप एवं डिजाइन विनिर्देशन होने चाहिए ।

28.2 हैंड टूलस

28.2.1 हैंड टूलस में आरी, छेनी, कुल्हाड़ी तथा हैच, हथौड़ा, हैंड प्लेनस, पेचकस, क्रो बार, नेल पुल्लर सम्मिलित है।

28.2.2 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि

i) हाईबुड की क्रासकटिंग के लिए बर्ड दांत प्वाइंट वाली आरी को महत्व दिया जाए (प्रति इंच प्वाइंटस की संख्या) ताकि जॉब से आरी बाहर निकलने को रोका जा सके ।

ii) वर्कसाइट में मुश्रूम हैड वाली छेनी का प्रयोग न किया जाए जहां हैड के अंश से चोट लग सकती है ।

iii) यदि कुल्हाड़ी का स्ट्राइकिंग फेस है तो इसका प्रयोग हथौड़े के रूप में किया जाए ।

iv) केवल रिट्रैक्टेबल ब्लेड वाले चाकू का ही वर्कसाइट में प्रयोग किया जाए ।

v) किसी भी स्क्रूडाइवर का खुरचते, काटने या छेछ करने हेतु प्रयोग न किया जाए ।

vi) पेंच कसने से पूर्व हमेशा पहले मुख्य छेद कर लिया जाए ।

vii) जहां कही भी आवश्यक हो, उसके कर्मचारियों द्वारा उचित पी पी ई एस का प्रयोग किया जाए ।

28.3 पावर टूलस:

28.3.1 पावर टूलस में ड्रिल, प्लेनस, रूटर, आरा, जैकहैमर, रिनडर्स, स्प्रेयर, चिप्पिंग हैमर, एयर नोजल तथा ड्रिल सम्मिलित है ।

28.3.2 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि:-

i) इलेक्ट्रीक टूलस उचित प्रकार से ग्राउंडेड या/ओर डबल इन्सुलेटेड हैं ।

ii) सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रीक टूल ऑपरेटेड विशेष रूप से आउटडोर या वैट परिस्थितियों में जी एफ सी आई एस/आर सी सी बी एस का प्रयोग किया जाए ।

iii) कोई समायोजन या अटैंचमेंट परिवर्तन करने से पूर्व उसके वर्कर टूल को पॉवर स्रोत से डिस्कनेक्ट करेंगे ।

iv) जब ऑपरेटिंग सीमित क्षेत्र या लम्बी अवधि तक चलना हो तो हियरिंग प्रोटेशन अपेक्षित है। यही उन उपकरणों के साथ वकिंग पर भी लागू किया जाए जो ज्यादा आवाज करते हैं जैसाकि इस संविदा दस्तावेज के खंड 43.0 में उल्लिखित है ।

v) टूल को मजबूती से पकड़ें और टूल पर टर्न करने से पूर्व सामग्री को उचित प्रकार से सुदृढ़ करें ।

vi) आपरेशन की सुविधा के लिए सभी ड्रिल में आपरेशन एवं पावर के संबंध में उपयुक्त अटैचमेंट हों ।

vii) जब कोई वर्क/ऑपरेशन बार-बार या निरंतर करने की आवश्यकता है, तो उस कार्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए टूलस का प्रयोग किया जाए । यही डिटैचएबल टूल बिट के लिए भी लागू है ।

viii) ड्रिल बिट के मामले में चक की अधिकतम ओपनिंग द्वारा ड्रिल के आकार का निर्धारण किया जाए ।

ix) स्पीड कम करने वाले पेचकस तथा बफर जैसी अटैच में उपलब्ध कराई जाएं ताकि उसके वर्करों को अनावश्यक मसल खिंचाव तथा थकावट न हो ।

x) स्टॉक को उचित प्रकार से कलैम्प या कसा जाए ताकि यह खिसक न जाए ।

xi) वर्कर कभी भी दीवार/छत में ड्रिल से छेद करने के लिए सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर न खडे हों, जोकि खतरनाक हो सकता है, इसके बजाय चौथे या पांचवे पायदान पर खड़े होने की सलाह दी जाए ।

xii) ढीले कपड़ों या लम्बे स्कार्फ खुली जैकेट के साथ इलेक्ट्रीक प्लेन को ऑपरेट न किया जाए।

xiii) राइट एंगल हैड पर प्रयुक्त सेफ्टी गाड्र्स या वर्टिकल फेटेबल ग्रिन्डर्स को व्हील की कम से कम 180 ड्रिग्री कवर करना होगा और स्पिंडल/व्हील विनिर्देशन की जांच की जाए ।

xiv) सभी पावर टूलस/हैंड टूलस का उनके निप प्वाइंट पर गार्डस होना चाहिए ।

xv) बुड वर्किंग मशीन के मामले में लो प्रोफाइल सेफ्टी चेन का प्रयोग किया जाए ओर कटिंग के समय आरा उच्च आर पी एम पर रन करेगा और 'किकबैक' को रोकने के लिए उचित चेन टेंशन सुनिश्चित की जाए ।

xvi) बिथस्टैंड किकबैक की अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में लैदर ऐप्रन तथा दस्तानों का प्रयोग किया जाए ।

xvii) टेबल पर जॉब डाउन को होल्ड करने के लिए पुश स्टिकस उपलब्ध कराए जाएं और उनका उपयोग किया जाए जब हीलस मूव करते हैं और स्टॉक अग्रेषित होता है और इस प्रकार किकबैक से बचा जा सकता है ।

xviii) प्रयोग किये जाने वाले वायु प्रेरित टूल या उपकरण के लिए उचित स्तर पर वायु दबाव नियत किया जाए । वायु वाले टूलस में परिवर्तन या समायोजन से पूर्व एयर प्रैशर को बंद किया जाए ।

xix) विस्फोटक प्रेरित टूलस का केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाए और जब ये प्रयोग में न हों तो इन्हें अनलोड भी किया जाए ।

xx) ऐसे स्थल जहां विस्फोटक/ज्वलनशील वाष्प या गैसों की उपस्थिति हों ऐसे विस्फोटक प्रेरित टूलस के प्रयोग से बचा जाए ।

xxi) विस्फोटक प्रेरित टूलस एवं इनके विस्फोटकों को अलग से भंडारण किया जाए ओर तभी निकाला एवं लोड किया जाए जब इनका तुरंत इस्तेमाल किया जाना हो ।

xxii) एक्टूएटेड टूल विस्फोटक के मिसफायर्ड कार्टेजेस को पानी के कन्टेनर में रखा जाए और प्रोजेक्ट से सुरक्षित तरीके से हटाया जाए ।

xxiii) कोई वर्कर किसी अन्य व्यक्ति को विशेष रूप से लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान कोई पावर ऑपरेटेड/हैंड टूल प्वाइंट नहीं करेगा।

29.0 वैल्डिंग, गाउजिंग एवं कटिंग

29.1 प्रयोग किए जाने वाले गैंस सिलेंडर को कस्टम-बिल्ट स्टैंड या होस एवं उपकरण या अन्य सुरक्षित को एकोमोडेट करने के लिए ब्रैकट के साथ ट्राली पर अपराइट रखा जाए । जब सिलेंडर प्रयोग हेतु कनेक्ट नहीं है तो मैटलकैप को उचित स्थान पर रखा जाए ताकि बाल्व को बचाया जा सके ।

29.2 सिलेंडरों एवं टार्च के दोनों साइड में होस को उचित प्रकार से कनेक्ट करने के लिए होस कलैम्प या क्लिप का प्रयोग किया जाए ।

29.3 सभी गैस सिलेंडरों में प्रैशर रैगुलेटर एवं डायल गेज लगाई जाए ।

29.4 सिलेंडर एवं टार्च के दोनों एण्ड पर नॉन-रिटर्न वाल्व एवं फ्लैशबैक अरेस्टर लगाए जाएं।

29.5 गैस वैल्डिंग एवं कटिंग के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर का प्रयोग न करें ।

29.6 डी.सी.पी या सी.ओ 2 प्रकार के अग्निशामक जो 5 कि.ग्रा. से कम न हों को वैल्डिंग प्रोसेस जोन के नजदीक या पर नियत किया जाए जहां पहुँच आसान हो, अग्निशामक अद्यतन बी.आई.एस मानक के अनुरूप होने चाहिए ।

29.7 यदि आपरेटर द्वारा प्रज्वलन की संभावना का पता नहीं चलता है तो फायरवाचर्स का प्रयोग करें (उदाहरण- बल्कहैड की दूसरी ओर)

29.8 ऑक्सीजन सिलेंडरों एवं ज्वलनशील गैस सिलेंडरों को कम से कम 6.6 मीटर (20 फीट) दूर या फायर प्रूफ द्वारा अलग, 1.6 मीटर (5 फीट) ऊँचे पार्टिशन द्वारा अलग से स्टोर किया जाए। सिलेंडर भंडार के 50 फीट के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर न किया जाए ।

29.9 इलेक्ट्रीकल आर्क वैल्डिंग के प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में एम्मीटर और वोल्टमीटर लगाए जाएं तथा अलग से मेन पावर स्विच भी लगाए जाएं ।

29.10 वैल्डिंग ग्राउंड एवं रिटर्न केबल लंगस द्वारा वर्क से सुदृढ़ रूप से अटैच की जाए, मानक कंडक्टर के मामले में क्लैम्प द्वारा या स्ट्रिप कंडक्टर के लिए बोल्ट द्वारा अटैच किए जाएं ।

29.11 यदि संकुचित या डैम्प प्लेस में वैल्डिंग वैकल्पिक करंट के साथ की जाती है तो लो वोल्टेज ओपन सर्किट रिले डिवाइस का प्रयोग करें ।

29.12 जब क्रोम वाली फ्लक्सड कंजयूमएबल या हाई करंट मैटल इनसर्टगैस (एम.आई.जी.) या टंगसटेन इर्न्ट गैस (टी.आई.जी) प्रक्रिया के साथ वैल्डिंगकी जाए तो धुएं के बढ़ते खतरे के विरूद्ध पूर्वोपाय किए जाएं ।

29.13 वैल्डिंग के दौरान पानी या गीले फ्लोर के संपर्क में आने से बचें । डकबोर्ड या रबड़ सुरक्षा का प्रयोग करें ।

29.14 गैस सिलेंडर भंडारन क्षेत्र तथा अन्य जोखिम भरे क्षेत्रों के लिए सभी इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन आई.एस: 5571:1997 तथा एन.एफ.पी.ए 70 के अनुरूप हों ।

29.15 हैंड वैल्डिंग ऑपरेशन पर इलेक्ट्रीक आर्क वैल्डिंग के लिए करंट 300A से अधिक न हो ।

30.0 खतरनाक एवं हानिकारक पर्यावरण
बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के अनुसार,

i) जब सीमित क्षेत्र या खुदाई या सुरंग या अन्य किसी वर्कप्लेस पर इंटरनल कम्बयूशन इंजन का प्रयोग किया जा रहा हो, जहां प्राकृतिक या कृत्रिम वैंटीलेशन सिस्टम कार्बन मोनोऑक्साइड को 50 पी.पी.एम से नीचे रखने में अपर्याप्त है, वर्कर की अवस्थिति अवॉइड किया जाए बशर्ते संविदाकार द्वारा उपयुक्त उपाए किए एवं उपलब्ध कराए गए हों।

ii) किसी भी वर्कर को किसी सीमित क्षेत्र या टैंक या ट्रेंच या खुदाई वाले क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी जहां धूल, धुऑ/वाष्प या अन्य अशुद्धता हो, जिससे हानि या बदबू, विस्फोट या जहरीला या हानिकर या गैसीय सामग्री या अन्य नुकसान देह वस्तुएं हों बशर्ते संविदाकार द्वारा कदम उठाए गए हों और जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा सुरक्षित प्रमाणित किया गया हो ।

31.0 आग रोकना, बचाव एवं फाइटिंग प्रणाली

31.1 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण स्थल पर अग्निशामक उपकरण उपलब्ध कराएंगे जोकि निर्माण स्थल पर संभावित किसी आग को बुझाने के लिए पर्याप्त होगा । राष्ट्रीय मानक के अनुसार पर्याप्त प्रैशर पर पर्याप्त पानी की सप्लाई उपलब्ध कराई जाए ।

31.2 अग्निशामक की रिचार्जिंग एवं इनका उचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए और यह कम से कम बी.आई.एस मानक के अनुरूप हो ।

31.3 वाहनों के सभी ड्राइवर, फोरमैन, पर्यवेक्षक तथा प्रबंधक अग्निशामक तथा फायर फाइटिंग उपकरण को ऑपरेट करने हेतु प्रशिक्षित किए जाएं ।

31.4 संविदाकार फायर सर्विस अनुकूल होस कनेक्शन तथा आपातकालीन लाइटिंग के प्रावधान सहित भूमिगत एवं सुरंग ऑपरेशन के अंतर्गत पर्याप्त फायर फाइटिंग व्यवस्था के प्रावधान पर भी विचार करेंगे।

31.5 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के अनुसार, सभी लिफ्टिंग एप्लांयसेस के ड्राइवर केबिन में उपयुक्त पोर्टेबल अग्निशामक उपलब्ध कराया जाए।

31.6 ज्वलनशील स्क्रैप तथा अन्य निर्माण मलवा को नियमित आधार पर साइट से बाहर निपटान किया जाए। यदि स्क्रैप को साइट पर जलाया जाना है तो बर्निंग साइट का निर्धारण किया जाए और यह स्थान किसी निर्माण वर्क या किसी अन्य ज्वलनशील सामग्री से 12 मीटर की दूरी से कम न हो ।

31.7 संविदाकार के व्यक्ति द्वारा बुझाई गई आग सहित प्रत्येक आग की रिपोर्ट नियोक्ता के प्रतिनिधि को दी जाए ।

31.8 आपातकालीन प्लान एवं अग्नि निकास प्लान तैयार कर जारी किए जाएं। मासिक आधार पर नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाए ताकि व्यवस्था की प्रभाविकता सुनिश्चित की जा सके और कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साइट पर प्रत्येक टेलीफोन के नजदीक स्थायी रूप से स्थानीय फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर प्रदर्शित किए जाएं ।

32.0 क्षयकारी पदार्थ

32.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम के अनुसार, अलकालिस तथा एसिड सहित क्षयकारी पदार्थों का भंडारन एवं प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्माण स्थल पर इस प्रकार से किया जाए कि इससे वर्कर की जान को खतरा न हो और ऐसी हैंडलिंग एवं कार्य के दौरान संविदाकार द्वारा वर्कर को उपयुक्त पी.पी.ई उपलब्ध करायी जाए । वर्कर पर ऐसा पदार्थ गिरने की स्थिति में संविदाकार तुरंत उपचारी कदम उठाएंगे ।

33.0 ढाहना

33.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि-

i) ढाहने के सभी कार्य अनुभवी एवं सक्षम पर्यवेक्षण के प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित तरीके से किए जाएं ।

ii) स्थानीय प्राधिकार की सरकार के संबंधित विभाग को सूचित किया जाए और जहां कहीं भी अपेक्षित हो अनुमति प्राप्त की जाए ।

iii) कोई भी ढाहने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी शीशे के या ऐसी सामग्री या बाह्य ओपनिंग में वस्तुओं को हटाया जाए और पानी, भाप, इलेक्ट्रीक, गैस तथा अन्य इसी प्रकार की सभी सप्लाई लाइनों को बंद कर दिया जाए और ऐसी बिछी लाइनों को मजबूत कवर के साथ कैप्पड किया जाए ताकि उन्हें क्षति से बचाया जा सके और बिल्डिंग वर्कर एवं जनता को संरक्षा प्रदान की जा सके।

iv) ढाहने वाले स्ट्रक्चर के साथ लगे सभी स्ट्रक्चर की दीवारों की जांच की जाए ताकि ऐसे पास के स्ट्रक्चर की सघनता तथा स्पोर्ट की क्रियाविधि निर्धारित की जा सके।

v) यदि पास का स्ट्रक्चर असुरक्षित प्रतीत होता है तो ढाहने का कार्य तब तक न किया जाए जबतक कि पास के स्ट्रक्चर को गिरने से बचाने हेतु संरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित नहीं होती और लाइफ शीट पीलिंग, शोरिंग, ब्रेसिंग या इसी प्रकार के उपचारी साधन अपनाए न जाएं ।

vi) मलवा/इंटें तथा अन्य सामग्री या वस्तुओं को निम्न साधनों से हटाया जाए ।

(क) जलप्रपात

(ख) बाल्टी या हॉइस्ट

(ग) आपनिंग के माध्यम से फ्लोर्स के माध्यक से या

(घ) कोई अन्य सुरक्षित साधन

vii) वर्कर के अलावा कोई व्यक्ति या अन्य व्यक्ति ढाहने के कार्य के ऑपरेशन की आवश्यकता पर ढाहने के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए और क्षेत्र में पर्याप्त बैरिकेड उपलब्ध कराए जाएं ।

34.0 खुदाई एवं सुरंग बनाना

34.1 खुदाई

34.1.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि

i) जहां कोई निर्माण वर्कर खुदाई के कार्य में लगा है को गिरने या सामग्री खिसकने या किसी किनारे से वस्तु के गिरने का खतरा है या खुदाई की ऐसी साईड जो उसके फूटिंग से 1.5 मीटर ज्यादा है, ऐसे वर्कर को ऐसे किनारे या साइड के विरूद्ध पर्याप्त पाइलिंग एवं ब्रेसिंग द्वारा बचाया जाए ।

ii) जहां खुदाई के किनारे अंडरकट हैं, तो सामग्री या ऐसे किनारे पर ओवरहैंगिंग वस्तु के स्पोर्ट के लिए पर्याप्त शोरिंग उपलब्ध कराई जाए ।

iii) खुदाई की गई सामग्री को खुली खुदाई या ट्रेंच के किनारे से कम से कम 0.65 मीटर पर स्टोर न करें और ऐसी खुदाई के किनारे या ट्रेंच की ढीली चट्टानों को हटाना और अन्य सामग्री जो ऐसे किनारे के नीचे कार्यरत बिल्डिंग निर्माण वर्कर पर स्लाइड, रोल या गिर सकती है ।

iv) खुदाई के लिए प्रवेश एवं निकासी के लिए मामले के अनुसार मैटल की सीढ़ी तथा स्टेर्यकेस या रैम्पस उपलबध कराए जाएं जहां ऐसी खुदाई की गहराई 1.5मीटर से ज्यादा है और ऐसी सीढ़ीयां, स्टेर्यकेस या रैम्प आई.एस.3696 भाग 1एवं 2 तथा अन्य संबंधित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे ।

v) यदि ऐसे ट्रेंच या खुदाई की गहराई 1.5 मीटर से ज्यादा है तो उपयुक्त उपायों के द्वारा ट्रेंच एवं खुदाई को व्यक्ति के गिरने के विरूद्ध संरक्षित किया जाए और ऐसा संरक्षण व्यवसायिक इंजीनियर के डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुरूप महत्वपूर्ण संरक्षण है जहां ऐसी गहराई 4 मीटर से अधिक है ।

34.2 सुरंग बनाना:

34.2.1 संविदाकार सुरंग बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 30 दिनों के अंदर महानिदेशक को लिखित में सूचित करेंगे ।

34.2.2 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम के अनुसार संविदाकार सुरंग के कार्य के सुरक्षित आपरेशन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को नियुक्त करेंगे।

34.3 चेतावनी संकेत एवं नोटिस :

34.3.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि-

i) खुदाई या सुरंग का कार्य करने वाले वर्करों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित उपयुक्त् चेतावनी संकेत या नोटिस हिंदी तथा ज्यादातर बिल्डिंग वर्कर की समझ में आने वाली भाषा में प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित या लगाए जाएं।

ii) कम्प्रैसड एयर वर्किंग से संबंधित ऐसे चेतावनी संकेत एवं नोटिस में निम्न सम्मिलित होगा-

(क) ऐसे कम्प्रैसड एयर वर्क में सम्मिलित खतरा।

(ख) आग एवं विस्फोट का खतरा

(ग) ऐसे खतरे या जोखिम से बचाव के लिए आपातकालीन प्रक्रिया।

35.0 वर्क परमिट प्रणाली

35.1 संविदाकार वर्क परमिट प्रणाली विकसित करेंगे, जोकि निश्चित प्रकार के कार्य को नियंत्रित करने हेतु औपचारिक लिखित प्रणाली है जो संभवत: खतरनाक हैं । वर्क परमिट वह दस्तावेज है जो किए जाने वाले वर्क एवं बचाव के उपायों को विनिर्दिष्ट करता है । वर्क परमिट कई निर्माण गतिविधियों के लिए वर्क की सुरक्षित प्रणाली का महत्वपूर्ण अंश तैयार करता है । वे सुरक्षित प्रक्रिया परिभाषित होने के बाद ही कार्य प्रारंभ करने की अनुमति देगा और वे स्पष्ट रिकार्ड उपलब्ध कराएंगे कि सभी संभावित खतरों का अनुमान लगाया गया है। हाई रिस्क क्षेत्रों में प्राय: वर्क परमिट अपेक्षित है जैसाकि जोखिम अनुमान द्वारा चिह्नित है ।

35.2 यदि सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते या कार्य से नए जोखिम प्रारंभ होते हैं तो किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए परमिट की आवश्यकता होगी। हाई रिस्क गतिविधियों के उदाहरण सम्मिलित हैं परंतु वे निम्न तक सीमित नही हैं :

i) सीमित क्षेत्र में प्रवेश
ii) ओवर हैड पावर लाइन तथा दूरसंचार केबलस के नजदीक कार्य
iii) हॉट वर्क
iv) ऐसे जगह खोदना जहां भूमिगत सर्विस हो सकती है ।
v) हैवी मूविंग मशीनरी के साथ वर्क ।
vi) इलेक्ट्रीकल उपकरण पर वर्किंग ।
vii) रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के साथ वर्क ।
viii) हैवी लिफ्टिंग आपरेशन तथा लाइव पावर लाइन के नजदीक लिफ्टिंग ऑपरेशन ।

35.3 कार्य की अनुमति प्रणाली पूर्णत: दस्तावेजों पर निर्धारित की जाए कि:-

i) प्रणाली कैसे कार्य करेगी;
ii) जॉब के लिए प्रयुक्त होगी;
iii) सम्मिलितों की जिम्मेवारी एवं प्रशिक्षण; तथा
iv) इसके आपरेशन की जांच कैसे की जाए;

35.4 वर्क परमिट अनुज्ञप्ति फार्म को ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाए ।

35.5 प्रत्येक वर्क परमिट की प्रति इसकी वैधता अवधि के दौरान वास्तविक वर्क लोकेशन के नजदीक के सुस्पष्ट लोकेशन पर प्रदर्शित की जाए ।

35.6 वर्क परमिट के फार्मेट अर्थात् कोल्ड परमिट (हॉट या खुदाई/सुरंग तथा इलेक्ट्रीकल आइसोलेशन के अलावा सभी वर्क के लिए), हॉट वर्क, इलेक्ट्रीकल आइसोलेशन जैसाकि डी.एफ.सी.सी/एस.एफ.003,

डी.एफ.सी.सी/एस.एफ.004 & डी.एफ.सी.सी/एस.एफ/005 के रूप में इस दस्तावेज के अंत में दिया गया है ।

36.0 यातायात प्रबंधन

36.1 निम्न दिशानिर्देशों का मूल उद्देश्य है संविदाकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करना ताकि यातायात के सुरक्षित एवं प्रभावी मूवमेंट को सुनिश्चित करना तथा निर्माण साइट पर वर्कमैन की संरक्षा सुनिश्चित करना ।

36.2 सभी निर्माण वर्करों को रिफ्लेक्टिव टेप सहित हाई विजिविलिटि जैकेटस उपलब्ध कराई जाएं । हमेशा वर्कमैन की सुस्पष्टता बढ़ाई जाए ताकि उन्हें तीव्र यातायात से बचाया जा सके ।

36.3 निर्माण जोन में संरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत हैं-

i) सड़क प्रयोगकर्त्ता को स्पष्ट एवं उचित रूप से अग्रिम सूचित करना ।
ii) गाइडिंग सड़क प्रयोगकर्त्ता के लिए सुरक्षितएवं स्पष्ट चिह्नित लेन उपलब्ध कराना ।
iii) सुरक्षितएवं स्पष्ट चिह्नित बफर एवं वर्क जोन उपलब्ध कराना ।
iv) पर्याप्त उपाय उपलब्ध कराना जो निर्माण जोन के माध्यम से ड्राइवर के बर्ताव को नियंत्रित कर सके ।

36.4 विधिक अनुमति :

36.4.1 सभी मामलों में संविदाकार उचित सावधानी बर्तेंगे । जहां कहीं भी किए जा रहे ऑपरेशन के दौरान पब्लिक ट्रैफिक के साथ इंटरफेस होने वाला है, मामले के अनुसार स्थानीय पुलिस प्राधिकार तथा/या संबंधित महानगर/सिविल प्राधिकार के अनुमोदन एवं विचार के साथ संविदाकार द्वारा विनिर्दिष्ट यातायात प्रबंधन योजना तैयार एवं कार्यान्वित की जाए ।

36.4.2 ऐसी यातायात प्रबंधन योजना में ट्रैफिक डायवर्सन तथा उपकरणों के परिवहन के लिए वैकल्पिक रूट का चयन सम्मिलित किया जाए । यदि आवश्यक हो, तो संविदाकार अतिरिक्त लोड को समायोजित करने के लिए कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सड़क चौड़ी करने का कार्य करेंगे ।

36.5 वर्क जोन में प्रयुक्त प्राथमिक यातायात नियंत्रण उपकरणों में संकेत, डेलीनेटर्स, बैरीकेडस, कोनस, पॉयलॉन, पेवमेंट मार्किंग एवं फ्लैशिंग लाइट सम्मिलित की जाए ।

36.6 सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण संकेत जो उन्हीं तीन प्रमुख संवर्गों में आते हैं जैसेकि अन्य ट्रैफिक संकेत, वे हैं रैगुलेटरी संकेत, चेतावनी संकेत एवं डायरेक्शन (या दिशानिर्देश) संकेत का ही प्रयोग किया जाए । आई.आर.सी:67 (सड़क संकेत के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस) ट्रैफिक संकेतों की सूची उपलब्ध कराता है । संकेत का आकार, रंग एवं प्लेसमेंट आई.आर.सी:67 के अनुरूप होने चाहिए।

36.7 रैगुलेटरी संकेत:

36.7.1 रैगुलेटरी संकेत सभी ट्रैफिक पर कानूनी प्रतिबंध लगाता है। यदि यह अनिवार्य है, तो स्थानीय पुलिस तथा ट्रैफिक प्राधिकार से विचार-विमर्श के बाद इनका प्रयोग किया जाए ।

36.8 चेतावनी संकेत:

36.8.1 ट्रैफिक नियंत्रण जोन में चेतावनी संकेतों का प्रयोग ड्राइवरों को संभावित खतरों से अवगत कराने हेतु किया जाए, जिनका सामना करना पड़ सकता है ।

36.8.2 संविदाकार महत्वपूर्ण स्थलों पर डिटूर संकेत रखेंगे और उचि चेतावनी संकेत स्थापित करेंगे। निवासियों एवं व्यवसाय का मार्ग कम से कम बाधित हो इसके लिए संविदाकार प्रापर्टी में कम से कम एक प्रवेश रखेंगे जहां बहुविध प्रवेश विद्यमान हैं ।

36.8.3 चेतावनी संकेत जैसाकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी/सं.स्वा.प/सा.अ./11 में दिया गया है सभी उप सड़कों पर लगाए जाएं जो मुख्य सड़क के साथ जाकर मिलती है जहां मुख्य सड़क के साथ इसके मिलने से पूर्व पर्याप्त दूरी पर निर्माण कार्य प्रगति पर हो ताकि सड़क प्रयोगकर्त्ताओं को कार्य की प्रगति के संबंध में सावधान किया जा सके ।

36.9 डेलीनेटर्स:

डेलीनेटर्स यातायात नियंत्रण के कुल सिस्टम के घटक हैं और इसके दो भिन्न-भिन्न उद्देश्य हैं:

i) ड्राइवर को डेलीनेट एवं गाइड करना तथा सुरक्षित मार्ग पर ले जाना ।
ii) टेपर के रूप में यातायात को एक लेन से दूसरी लेन में मूव करना ।

36.9.1 इन चैनलाइजिंग डिवाइस जैसे- कोनस, ट्रैफिक सिलेंडर, टेप्स तथा ड्रमस को यातायात के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए रोडवे पर या उसके पास स्थापित किया जाए। सड़क डेलीनेटर्स के लिए ये सामान्यत: आई.आर.सी:79 द्वारा सिफारिश की गई रेट्रो-रिफ्लेक्ट्रोराइसड होनी चाहिए।

36.9.2 ट्रैफिक कोनस एवं सिलेंडर

36.9.2.1 500 मि.मी., 750 मि.मी. तथा 1000 मि.मी. ऊँचाई तथा 300 मि.मी. से 500 मि.मी. व्यास के ट्रैफिक कोनस या बेस में आयताकर शेप तथा जो प्लास्टिक या रबड़ के बने होते हैं और जिनपर सामान्यत: रेट्रो-रिफ्लेक्टोराइजड लाल एवं सफेद बैंड होता है जहां अपेक्षित हो प्रयोग किया जाए।

36.9.3 ड्रमस

36.9.3.1लगभग 800मि.मी. से 1000मि.मी. ऊँचे तथा 300 मि.मी. व्यास के ड्रमस चैन लाइजिंग या वार्निंग डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं । ये अत्यंत विजिबल होते हैं, विकट वस्तु का एहसास दिलाते हैं और ड्राइवर के रिस्पेक्ट को कमांड करते हैं ।

36.9.4 बैरीकेडस :

36.9.4.1 साईट के चारों ओर पूरी ऊँचाई का घेरा, बैरियर, बैरीकेडस इत्यादि का निर्माण किया जाए ताकि तेज गति से वाहनों के मूवमेंट के कारण होने वाली दुर्घटना के जोखिम से वर्किंग क्षेत्र को बचाया जा सके। इसी तरह से निर्माण उपकरण तथा अन्य अस्थायी स्ट्रक्चर के कारण खतरे से सड़क प्रयोगकर्त्ताओं को बचाने के लिए बैरीकेडस लगाए जाएं।

36.9.4.2 बैरीकेड, सामग्री तथा कम्पोजीशन का स्ट्रक्चर डायमेंशन, इसके रंग की योजना, डी.एफ.सी.सी लोगों तथा अन्य विवरण निविदा दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार होंगे।

36.9.4.3 सभी बैरीकेडस का निर्माण नियोक्ता के डिजाइन आवश्यकता के अनुसार किया जाए और संख्या, रंग-रोगन तथा अनुरक्षण अच्छा हो ओर बैरीकेड प्रभारी साईट में बैरीकेड रजिस्टर भी रखेंगे।

36.9.4.4 सभी बैरीकेडस सड़क प्रयोगकर्त्ताओं को रात में/अंधेरे में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने चाहिए ताकि कोई वाहन बैरीकेड से नटकरा जाए। बैरीकेडस के निचलेतथामध्य भाग में कम से कम 1000 मि.मी. की दूरी पर अपेक्षित आकार एवं शेष के उचित एंगल पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप

लगाकर सुस्पष्ट सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, प्रत्येक बैरीकेड के ऊपर कम से कम एक लालबत्ती या लाल लाइटब्लिंकर लगाए जाएं।

36.9.5 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले उसके निर्माण वाहन (जैसे डम्प ट्रक, ट्रेलर इत्यादि) के पास राज्य परिवहन प्राधिकार का सार्वजनिक सड़कों पर चलने का उचित लाइसेंस हो । ड्राइवर जिनके पास मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार उचित वैध लाइसेंस है इन वाहनों को चलाएंगे।

36.9.6 संविदाकार कैरिजवे पर लोडिंग एवं अनलोडिंग नहीं करेंगे जिससे कि वाहन यातायात के फ्री फ्लो को बाधा पहुँचे और कार्य निष्पादन के बहाने से संविदाकार द्वारा विद्यमान सड़कों का अतिक्रमण न किया जाए।

36.9.7 वाहनों को खींच कर ले जाना

36.9.7.1 संविदाकार बिना समय गवाएं तथा अपनी लागत पर ट्रैफिक फ्लो में किसी खराब वाहन को खींचकर ले जाने हेतु टो अवे वैन/मैनपावर की व्यवस्था करेंगे ।

36.9.8 सड़कों की सफाई

36.9.8.1 संविदाकार उचित मैनपावर तैनात कर सड़कों एवं फुटपाथ की साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे। संविदाकार रिसाव के निपटान सहित संविदा की अवधि के दौरान संपूर्ण स्ट्रेच पर हमेशा झाड़ू लगाने, साफ-सफाई, सड़कों एवं फुटपाथ की वाशिंग के उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

37.0 सन्निकट रेलवे पर कार्य

37.1 जब कभी भी भारतीय रेल ट्रैक के सन्निकट कार्य निष्पादित करना हो तो निम्न संरक्षा उपाय अपनाए जाएं ।

(क) ट्रैक के संरक्षण के लिए ब्लाक संरक्षण, संरक्षा पूर्वोपाय से संबंधित आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम के प्रावधानों का अनुसरण किया जाए।

(ख) वर्तमान भारतीय रेलवे ट्रैक के सेंटर लाइन से 3.5 मीटर के अंदर निष्पादित किए जाने वाले कार्य ब्लाक प्रोटेक्शन के अंतर्गत तथा संबंधित रेलवे से कार्य की अनुमति के साथ किया जाए ।

(ग) वर्तमान भारतीय रेलवे ट्रैक के सेंटर लाइन से 3.5 मीटर से 6 मीटर के बीच कार्य निष्पादन के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार फैन्सिंग के निर्माण के बाद कार्य किया जाए ।

(घ) वर्तमान भारतीय रेलवे ट्रैक के सेंटर लाइन से 6 मीटर से आगे कार्य निष्पादन के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान रेलवे ट्रैक के सेंटर से 3.5 मीटर पर वाहन/निर्माण उपकरण उल्लंघन सीमा रेखा लाइन चिह्नित नहीं है।

(ङ) मिट्टी संबंधी कार्य करने से पूर्व अलायन्मेंट में आने वाली सभी यूटिलिटि, सिगनलिंग केबलस, सिगनलिंग उपकरण, पाइपलाइन, गेट लॉज, स्टॉफ क्वार्टर इत्यादि को अनुमोदित योजना के अनुसार शिफ्ट/पुन:स्थापित किया जाए।

(च) मिट्टी संबंधी कार्य के दौरान यदि कोई सिगनलिंग केबल जिसकी पहले पहचान नहीं हो सकी थी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे को दी जाए और इसकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि यातायात बाधित न हो ।

(छ) कोई सामग्री जो ट्रैक के नजदीक अनलोड की गई है को मूविंग डायमेंशन से क्लीयर रखा जाए और रनिंग ट्रैक के ट्रैक सेंटर से कम से कम 3.5 मीटर पर ढेर किया जाए ।

(ज) रात्रि के दौरान वाहनों के मूवमेंट/मशीनरी की वर्किंग की अनुमति न दी जाए। यदि रात्रि के दौरान वर्किंग की जानी है तो रनिंग ट्रैक से ट्रैक सेंटर से 3.5मीटर पर उचित फैन्सिंग की जाए ताकि

सुनिश्चित किया जा सके कि मूविंग डायमेंशन का उल्लंघन न हो । लाइटिंग की उचित व्यवस्था भी की जाए ।

(झ) वर्तमान साइडिंग/लाइन के सुधार के लिए वर्तमान रेलवे स्टेशन क्षेत्र में वर्किंग प्लान में अनुमोदन के बाद तथा रेलवे से कार्य के परमिट के साथ किया जाए ।

(ञ) वर्तमान समपार पर सड़क सतह के सुधार के दौरान, जिससे सड़क यातायात बाधित हो सकता है का निष्पादन संबंधित स्थानीय प्राधिकार के अनुमोदन के साथ अनुमोदित प्लान के अनुसार निष्पादित किया जाए ।

(ट) आर.ओ.बी. के निर्माण/रेल फ्लाइओवर/वर्तमान आर.ओ.बी के सुधार के लिए गार्डर की लांउचिंग रेलवे/सड़क प्राधिकार से कार्य की अनुमति के साथ अनुमोदित प्लान एवं योजना के अनुसार की जाए ।

(ठ) नहर के ऊपर नए पुल के निर्माण/नहर के वर्तमान पुल के विस्तार के लिए कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित प्राधिकार से अनुमोदन लिया जाए ।

37.2 संविदाकारों की सेफ वर्किंग- निर्माण कार्य, पुल पुन:निर्माण इत्यादि के लिए संविदाकारों द्वारा बड़ी संख्या में आदमी और मशीनरी तैनात की जाती है। अत: यह आवश्यक है कि गाड़ियों एवं वर्कफोर्स की संरक्षा के लिए पर्याप्त संरक्षा उपाय किए जाए। निम्न उपाय निरपवाद रूप से अपनाए जाएं:

i) साइट पर डी.एफ.सी.सी. पर्यवेक्षकों या उसके प्रतिनिधियों एवं संविदाकार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना संविदाकार कोई कार्य प्रारंभ न करें।

ii) जहां कही भी रेलवे लाइन के अत्यंत नजदीक सड़क वाहनों तथा/या मशीनरी को कार्य करना अपेक्षित है, कार्य इस प्रकार से किया जाए कि रेलवे के विस्तार की अनुसूची का उल्लंघन न हो। इस उद्देश्य के लिए, जहां सड़क वाहन तथा/या मशीनरी चलाना अपेक्षित है, को चिह्नित किया जाए और संविदाकार द्वारा स्वीकृत किया जाए। रनिंग ट्रैक का उल्लंघन किए बिना वाहनों/मशीनरी की टर्निंग/रिवर्सल के लिए विशेष सावधानी बर्ती जाए। साइट की परिस्थितियों के अनुसार जहां न्यायोचित एवं संभव हो बैरीकेटिंग उपलब्ध कराई जाए ।

iii) गाड़ियों को लुल आउट एवं व्हीसल सावधानता आदेश जारी किए जाएं और जहां आवश्यक हो गति प्रतिबंध लगाया जाए। गाड़ियों की संरक्षा के लिए जहां आवश्यक हो उपयुक्त फ्लैग मैन/डेटोनेटरस उपलब्ध कराए जाएं ।

iv) पर्यवेक्षक/वर्कमैन के साथ संरक्षा उपायों पर मंत्रणा की जाए। ए.पी.एम द्वारा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार संविदाकार के पर्यवेक्षक को सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जाए जोकि केवल उसी कार्य के लिए वैध होगा जिसके लिए यह जारी किया गया है ।

v) अनलोडेड ब्लास्ट/रेलस/स्लीपर/अन्य रेल पथ सामग्री को ट्रैक के साथ अनलोड करने के बाद को मूविंग डायमेंशन से क्लीयर ऑफ रखा जाए और रनिंग ट्रैक से विनिर्दिष्ट ऊँचाई तथा दूरी के अनुसार ढेर लगाया जाए ।

vi) जहां आवश्यक हो डी.एफ.सी.सी. के इंजीनियर द्वारा अनुपूरक साइट अनुदेश जारी किए जाएं।

vii) संविदाकार द्वारा अपनाई प्रस्तावित क्रियाविधि को प्रभारी इंजीनियर अनुमोदित करेंगे, ताकि गाड़ियों, यात्रियों एवं वर्करों की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वह यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व साईट पर प्रक्रिया तथा व्यवस्था वास्तव में उपलब्ध हैं और संविदाकार के पर्यवेक्षकों एवं वर्करों ने संरक्षा पहलूओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यकताओं को अपनाया/अनुसरण किया गया है।

प्रत्येक साइट पर एक आश्वासन रजिस्टर भी रखा जाए, जिसपर दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे अर्थात डी.एफ.सी.सी पर्यवेक्षक या उसके प्रतिनिधि तथा साथ ही साथ संविदाकार के

पर्यवेक्षक द्वारा टोकन के रूप में कि साईट पर अनुपालन किए जाने वाले संरक्षा पूर्वोपाय को उन्होंने समझ लिया है ।

38.0 बैचिंग प्लांट/कास्टिंग यार्ड

i) अनलोडिंग के स्मूथ फ्लो तथा समुच्चय रिइनफोर्समेंट स्टैकिंग तथा सीमेंट, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट के परिवहन, सेगमेंट की कास्टिंग, सेगमेंट की स्टैकिंग तथा सेगमेंटस को ट्रक पर लोडिंग के लिए बैचिंग प्लांट/कास्टिंग यार्ड को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध किया जाए। जहां तक संभव हो विरोधाभास से बचा जाए।

ii) बैचिंग प्लांट/कास्टिंग यार्ड को बैरीकेड किया जाए और इसे अनिवार्य पी.पी.ई. जोन के रूप में बनाया जाए ।

iii) यदि सामग्री अनलोडिंग के मामले में क्षेत्र पी.पी.ई. जोन के रूप में अनुरक्षित करने योग्य नहीं है, तो उसे उचित प्रकार से गैर-पी.पी.ई जोन के रूप में उचित बैरिकेडिंग के साथ पृथक किया जाए।

iv) विद्युतीय प्रणाली को भी यथोचित रूप में योजनावद्ध किया जायेगा ताकि डीज़ल जेनेरटर की लोकेशन यदि कोई हो, डीबी की लोकेशन, केबलों के जाने क्र रास्तों, लाइटिंग पोस्ट / खंभे उपयोग में आने वाले किसी भी मदों का उल्लघंन न करें और खतरा उत्पन्न न करें।

v) जल निकासी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जाए और गंदे पानी को उचित ट्रीटमेंट के बाद निपटान किया जाए ।

vi) टाईम ऑफिस, कैन्टीन, पीनेका पानी, शौचालय तथा विश्राम स्थल उपयुक्त लोकेशन पर हों ताकि वर्कर आसानी से पहुँच सकें। ऑपरेशन की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी सुविधाएं उचित प्रकार से साफ एवं अनुरक्षित रखी जाएं ।

vii) अधिक मात्रा में सीमेंट की मेनुअल हैंडलिंग से बचा जाए। जब कभी भी यह अत्यावश्यक हो कि वर्कमैन के संपूर्ण शरीर को संरक्षण दिया जाना है, हस्त बचाव एवं बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मूल उपायों के रूप में श्वसन संरक्षण दिया जाए।

viii) पी.पी.ई बशर्ते कि सीमेंट हैंडलिंग वर्कमैन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे ।

ix) पहुँच सड़कें एवं आंतरिक सर्कुलेशन सड़के अच्छी होनी चाहिए और हमेशा उचित प्रकार से अनुरक्षण किया जाए।

x) उपरोक्त प्रावधानों में से किसी के भी गैर अनुपालन की स्थिति में सुसंगत दंड खंड के अनुसार दंडित किया जाएगा।

39.0 व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण (पी.पी.ई.एस)

39.1 संरक्षा तथा/या स्वास्थ्य जोखिम के विरूद्ध वर्कमैन को संरक्षण देने के लिए संविदाकार अपेक्षित पी.पी.ई.एस उपलब्ध कराएं। प्राथमिक रूप से निम्न संरक्षण के लिए पी.पी.ई.एस अपेक्षित है-

i) सिर का संरक्षण (सेफ्टी हैलमेट)

ii) पैरों का संरक्षण (सेफ्टी फुटवीयर, गमबूट इत्यादि)

iii) शरीर का संरक्षण (हाई विजिविलिटि क्लोथिंग(वेस्टकोट/जैकेट), एप्रन इत्यादि)

iv) व्यक्तिगत रूप से गिरने से संरक्षण (फुल बॉडी हार्नेस, रोप-ग्रौव काल अरेस्टर इत्यादि)

v) आंखों का संरक्षण (चश्मे, वैल्डर्स ग्लास इत्यादि)

vi) हाथों का संरक्षण (दस्ताने, फिंगर कोट इत्यादि) इलेक्ट्रीकल हैंड ग्लवस, एसिड/कैमीकल हैंडलिंग हैंड ग्लवस ।

vii) रेसपीरेटरी संरक्षण (नाम का मास्क, एस.सी.बी.ए.एस इत्यादि)

viii) हियरिंग संरक्षण (इयर प्लगस, इयर मफ इत्यादि)

39.2 संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पी.पी.ई.एस तथा संरक्षा एप्लांयसेस भारतीय मान ब्यूरो(बी.आई.एस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे । यदि बी.आई.एस मानक के अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं है,तो नियोक्ता के अनुमोदन के अनुसार संविदाकार पी.पी.ई तथा संरक्षा एप्लांयसेस खरीदेंगे जोकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हों ।

39.3 सभी निर्माण वर्करों को बी.एस.ई.एन 471:1994 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुरूप रिफ्लेक्टिव टेपस के साथ हाई विजिविलिटि जैकेट उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि ज्यादातर पुल/सुरंग तथा स्टेशन कार्य ऊपर या राईट-ऑफ-वे के अंदर निष्पादित होते हैं। वर्कमैन की कॉनसप्यूक्यूटि हमेशा बढ़े इसके लिए उन्हें तीव्र वाहन यातायात से बचाया जाए।

39.4 संविदाकार निम्न आवश्यकताओं के अनुसार इस संविदा के अंतर्गत किसी कार्य के लिए तैनात वर्कमैन, ट्रैफिक मार्शल तथा अन्य कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए संरक्षा हैलमेट, सेफ्टी शू तथा हाई विजिविलिटि क्लोथिंग उपलब्ध कराएंगे ।

वर्कमैन सहित संविदाकार के सभी कर्मचारी	ट्रैफिक मार्शल
i) कम्पनी के लोगो के साथ हार्ड हैट	i) रिफ्लेक्टिव टेप सहित हार्ड हैट
ii) सेफ्टी बूट	ii) सेफ्टी बूट
iii) हाई विजिविलिटि वेस्टकोट जो ऊपरी शरीर को कवर करे और बी.एस.ई.एन 471:1994 के अनुसार निम्न आवश्यकताओं को पूरा करता हो-	iii) हाई विजिविलिटि जैकेट जो ऊपरी शरीर को कवर करे और बी.एस.ई.एन 471:1994 के अनुसार निम्न आवश्यकताओं को पूरा करता हो-
(क) फ्लोरोसेंट, आरेंज-लाल रंग में बैकग्राउंड	(क) फ्लोरोसेंट, आरेंज लाल रंग में बैकग्राउंड
(ख) फ्रंट साइड पर 5 से.मी. चौड़ी दो वर्टीकल हरी स्ट्रीप, जो कम से कम टोरसी को 500 से.मी. 2 कवर करती हो।	(ख) रेट्रो रिफ्लेक्टिव सामग्री के दो बैंड के साथ पूरी बाजू के साथ जैकेट, यह उतनी ही ऊँचाई पर जितना की तन पर कपड़ा। कोहनी ओर कंधे के बीच बाजू के ऊपरी भाग में अपर बैंड सर्कल होगा; लोअर बैंड का बॉटम स्लीव के बॉटम से 5 से.मी. से कम नहीं होगा।
(ग) बैक में X पर 5 से.मी. चौड़ी दो डायग्नल स्ट्रीपस	(ग) कम से कम 500 से.मी. 2, धड़ को फ्रंट से कवर पर 5 से.मी. चौड़ी दो वर्टिकल हरी स्ट्रीपस होंगी।
(घ) फ्रंट में 5 से.मी. चौड़े सपाट स्ट्रीप जो वर्टिकल स्ट्रीप के बॉटम के चारों ओर होंगे और बैक में 'X' पैटर्न ।	(घ) बैक में 'X' पैटर्न पर 5 से.मी. चौड़ी दो डायगनल स्ट्रीपस जो कम से कम 570 से.मी.2 कवर करे ।
(ङ) बॉटम स्ट्रीप वेस्ट के बॉटम से 5 से.मी. की दूरी पर होगी ।	(ङ) हॉरीजेंटल स्ट्रीपस जो 5 से.मी. से कम चौड़ी नहीं होंगी, फ्रंट में बॉटम के चारों ओर वर्टिकल स्ट्रीप तथा बैक में 'X' पैटर्न ।
(च) स्ट्रीपस रेट्रोरिफ्लेक्टिव एवं फ्लोरसेंट होनी चाहिए।	(च) बॉटम स्ट्रीप वेस्ट के बॉटम से 5 से.मी. की दूरी पर होगी ।

(छ) वेस्टकोट साइडों से समायोज्य फिट का हो और साइट एवं फ्रंट टियर-अवे फीचर तथा वेस्ट नायलान का बना हो।	(छ) स्ट्रीपस रेट्रोरिफ्लेक्टिव एवं फ्लोरसेंट होनी चाहिए ।

39.4.1 हैलमेट के लिए कलर कोड

सेफ्टी हैलमेट कलर कोड (प्रत्येक हैलमेट पर लोगो* लगाया/छापा जाए)	प्रयोग करने वाला व्यक्ति
सफेद	डी.एस.सी.सी.आई.एल स्टॉफ
ग्रे	सभी डिजाइनर, वास्तुकार, परामर्शदाता इत्यादि
बैगनी	मुख्य संवीदाकार (इंजीनियर/पर्यवेक्षक)
नीला	सभी उप-संविदाकार (इंजीनियर/पर्यवेक्षक)
लाल	बिजली मिस्तरी (संविदाकार एवं उप संविदाकार दोनों)
हरा	संरक्षा व्यावसायिक (संविदाकार एवं उप संविदाकार दोनों)
ऑरेंज	सुरक्षा गार्ड/ट्रैफिक मार्शल
पीला	सभी वर्कमैन
सफेद ("आगंतुक" स्टीकर के साथ)	आगंतुक

नोट: लोगो*

1. लोगों का आउटर 2″x2″ व्यास का होगा और सुप्रकट होगा ।
2. लोगो छपा या लगा होगा ।
3. लोगो के ऊपर / नीचे कोई शब्द नहीं होगा ।

   मुख्य संविदा करने वाली कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिए तथा उप संविदा करने वाली कम्पनी अपने कर्मचारियों के अनुरूप ही लोगों का प्रयोग करेगी ।

39.5 उपरोक्त के अलावा किसी अन्य विनिर्दिष्ट जॉब जैसे-वैल्डिंग एवं कटिंग, ऊँचाई पर काम करना, सुरंग बनाना इत्यादि के लिए पी.पी.ई अपेक्षित है तो सभी वर्कमैन को उपलब्ध कराई जाएं और सुनिश्चित करेंगे कि सभी वर्कमैन पी.पी.ई का उचित प्रयोग करें जब वे जॉब पर हो।

39.6 संविदाकार पी.पी.ई के एवज में वर्कर/उप ठेकेदारों को पी.पी.ई के एवज़ में कोई नकद राशि का भुगतान नहीं करेंगे और आशा करते हैं कि कार्य के दौरान वे इनको खरीदकर प्रयोग करेंगे।

39.7 संविदाकार हमेशा कम से कम 10% स्पेयर पी.पी.ई तथा संरक्षा उपकरणों को मेनटेन करेंगे और उचित रिकार्ड रखेंगे तथा निरीक्षण के दौरान नियोक्ता को दिखाएंगे। ऐसा न कर पाने पर संविदा के प्रावधानों के अनुसार उचित दंड लगाया जाएगा ।

39.8 संविदाकार की हमेशा यह ड्यूटी होगी कि सभी आगंतुकों के लिए अपेक्षित पी.पी.ई उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सुरक्षा पोस्ट पर हमेशा पी.पी.ई की अपेक्षित मात्रा रखी जाए।

40.0 साइट पर आगंतुक

40.1 नियोक्ता की अनुमति के बिना साइट में किसी भी आगंतुक को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी प्राधिकृत आगंतुक साइट कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। संविदाकार आगंतुकों को साइट की आवश्यकता के अनुसार हैलमेट (सफेद हैलमेट जिस पर आगंतुक का स्टीकर लगा हो) तथा अन्य पी.पी.ई जैसे सेफ्टी शू, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रेस्पीरेट्री संरक्षण इत्यादि उपलब्ध कराएंगे ।

40.2 सभी आगंतुकों के साथ हमेशा साइट के जिम्मेवार सदस्य साथ रहेंगे।

40.3 संविदाकार साइट के अंदर सभी आगंतुकों की संरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूर्णत: जिम्मेवार होगा।

भाग-III

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं कल्याण

41.0 वर्कमैन की शारीरिक स्वस्थता

41.1 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मचारियों/वर्कमैन के वे सारी अपेक्षित चिकित्सा जांच की जाएं जो कानूनी या संविदा के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित हैं और उनका रिकार्ड रखा जाए ।

41.2 संविदाकार किसी ऐसे कर्मचारी/वर्कमैन को कार्य क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे जिसने शराब या कोई नशा कर रखा हो।

42.0 चिकित्सा सुविधा

42.1 चिकित्सा जांच

42.1.1 संविदाकार अपने उप संविदाकार द्वारा ड्राइवर, लिफ्टिंग एप्लांयसेंस तथा ट्रांसपोर्ट उपकरणों के आपरेटर के रूप में तैनात कर्मचारियों सहित अपने सभी कर्मचारियों की तैनाती से पूर्व चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेंगे, बीमारी या चोट के बाद यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बीमारी या चोट से उसकी शारीरिक स्वस्थता प्रभावित हुई है और इसके उपरांत 40 वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार तथा वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच की जाए।

1) संविदाकार चिकत्सा जांच का या नियोक्ता द्वारा प्राधिकृत डॉक्टर का गोपनीय रिकार्ड रखेंगे ।
2) चिकित्सा जांच के लिए किसी निर्माण वर्कर से प्रभार नहीं वसूला जाएगा और ऐसे जांच की लागत का वहन ऐसे वर्कर को तैनात करने वाले संविदाकार द्वारा किया जाएगा।
3) चिकित्सा जांच में निम्न सम्मिलित होगा:-
    1) पूरी चिकित्सा एवं व्यावसायिक हिस्ट्री
    2) विशेष संदर्भ के साथ नैदानिक जांच
    i) सामान्य फिजीक
    ii) दृष्टि:- मानक आर्थोरेटर जैसे टिटमस दृष्टि टेस्टर का प्रयोग करते हुए कुल दृष्टि निष्पादन का आंकलन किया जाए और निर्धारित जॉब मानक के अनुरूप प्लेसमेंट निर्धारण के लिए उपयुक्तता।
    iii) हियरिंग- सामान्य व्यक्ति चौबीस फुट की दूरी पर फोर्सड फुसफुसाहट सुन सकता है। ऐसे व्यक्ति जो हियरिंग ऐड का प्रयोग करते हैं को शोर वाली वर्किंग परिस्थितियों के अंतर्गत चेतावनी आवाज सुनने में समर्थ होना चाहिए।
    iv) शिकायतकर्त्ता वर्कर/कर्मचारी के लिए आडीयोमेट्री जांच; अन्यथा उनके लिए निरूद्देश्य है जो अत्यधिक शोर स्तर को स्पष्ट करते हैं।
    v) सांस लेना:- मानक पीक फ्लो मीटर का प्रयोग कर पीक फ्लो रेट तथा निष्पादित जांच की इन रीडिंग में से निर्धारित औसत पीक फ्लो रेट। प्री प्लेसमेंट चिकित्सा

जांच पर रिकार्ड किया गया परिणाम को अनुवर्ती जांच के दौरान संदर्भ के लिए उसी महत्व पर उसी व्यक्तिगत मानक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

vi) शिकायतकर्त्ता वर्करों/कर्मचारियों के लिए फेफड़ा क्रिया जांच; अन्यथा उनके लिए निरूद्देश्य है जो अत्यधिक शोर स्तर को स्पष्ट करते हैं ।

vii) अपर लिम्ब:- आर्म की पर्याप्त क्रिया एवं ग्रिप।

viii) स्पाइन:- संबंधित जॉब के लिए पर्याप्त लचीलापन।

ix) लोअर लिम्ब:- पर्याप्त संबंधित टांग एवं पैर ।

x) सामान्य: स्वस्थ ऑखों, हाथों एवं पैरों के समन्वय के साथ मानसिक स्फूर्ति तथा संतुलन।

3) परीक्षक डॉक्टर की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई जांच

42.1.2 यदि संविदाकार उपरोक्त उल्लेखितानुसार चिकित्सा जांच संचालित करने में असफल रहता है, तो नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह संविदाकार को सूचित करते हुए किसी एजेंसी के माध्यम से यह संचालित करवाए और लागत एवं उपरिप्रभार की कटौती करें ।

42.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र:

42.2.1 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण साइट पर व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोबाइल या स्थिर उपलब्ध कराया जाए और उसका अच्छा अनुरक्षण किया जाए। बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर में निर्धारित स्केल के अनुसार सर्विस एवं सुविधाएं दी जाएं। व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक निर्माण चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाए जिसके पास बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के अनुसार अर्हता हो।

42.3 एम्बूलेंस वैन एवं कमरा:

42.3.1 संविदाकार निर्माण वर्क के निर्माण साइट पर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे निर्माण साइट पर एम्बूलेंस वेन तथा कमरा उपलब्ध कराया जाए या दुर्घटना के गंभीर मामले या वर्करों की बीमारी की स्थिति में शीघ्र अस्पताल परिवहन के लिए एम्बूलेंस वैन उपलब्ध कराने के लिए नजदीक के अस्पताल में व्यवस्था की जाए तथा ऐसी एम्बूलेंस वैन तथा कमरे को अच्छी मरम्मत एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर में विनिर्दिष्ट मानक सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया जाए।

42.4 प्राथमिक उपचार बॉक्स:

42.4.1 संविदाकार निर्माण पर यह सुनिश्चित करेंगे कि 100 वर्करों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध एवं अनुरक्षित कराया जाए ताकि वर्करों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को अलग-अलग "प्राथमिक चिकित्सा" से चिह्नित किया जाए और बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अनुसार सुसज्जित किया जाए।

42.5 एच.आई.वी/एड्स निवारण एवं नियंत्रण:

42.5.1 संविदाकार द्वारा तैनात वर्कमेन के लिए "एच.आई.वी/एड्स निवारण" तथा नियंत्रण पर संविदाकार नियोक्ता की नीति को अपनाएंगे और नीति की प्रति परिशिष्ट सं.4 में दी गई है।

42.5.2 नीति में निर्धारित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए नियोक्ता व्यावसायिक एजेंसी को लगाएंगे और संविदाकार को सूचित करेंगे।

42.5.3 वर्कमैन को जागरूकता सृजन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त कर संविदाकार नियुक्त एजेंसी को आवश्यक मदद करेंगे।

42.5.4 संविदाकार के वर्कमैन के लिए एच.आई.वी/एड्स पर नियोक्ता की वर्कप्लेस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संविदाकार नियुक्त एजेंसी को आवश्यक संगठनात्मक मदद भी विस्तारित करेंगे।

42.5.5 जैसाकि नीति में निर्धारित है संविदाकार (प्रत्येक 100 वर्करों के लिए 1) एक समकक्ष जोड़ा शिक्षक चिह्नित करेंगे और उद्देश्य के लिए नियोक्ता की नियुक्त एजेंसी को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संदर्भित करेंगे।

42.5.6 जोड़ा शिक्षक प्रशिक्षण के समापन पर संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान वर्कमैन के बीच किसी सूचना, शिक्षा तथा जागरूकता अभियान के लिए केन्द्रीय प्वाइंट के रूप में सर्व करेंगे।

42.5.7 जोड़ा शिक्षकों को अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियत मासिक मानदेय दिया जाएगा।

42.5.8 संविदाकार द्वारा जोड़ा शिक्षकों (100 वर्करों के लिए 1) की कुल संख्या को हमेशा कायम रखा जाए ।

42.5.9 यदि ये जोड़ा शिक्षक के संविदाकार को छोड़ने से रिक्ति होती है तो इस उद्देश्य के लिए नियोक्ता की नियुक्त एजेंसी से प्रतिस्थापित नए जोड़ा शिक्षक को अपने व्यय पर प्रशिक्षित करेंगे।

42.5.10 संविदाकार को सुझाव दिया जाता है कि वर्कमैन ग्रुप में से जोड़ा शिक्षकों का चयन करने में सावधानी बर्ती जाए ताकि संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान वे संविदाकार के साथ बने रहें।

42.6 मच्छरों के प्रजनन को रोकना:

42.6.1 साइट पर प्रजनन को रोकने के उपाय किए जाएं। उठाए जाने वाले कदमों में निम्न सम्मिलित होंगे:

i) खाली कैन, आयल ड्रर्मस, पैकिंग एवं अन्य पात्र जिनमें पानी रह सकता है को केन्द्रीय कलेक्शन प्वाइंट पर जमा किया जाए और नियमित रूप से साइट से हटाया जाए।

ii) ठहरे हुए पानी को तेल से कम से कम प्रत्येक सप्ताह में एक बार ट्रीट किया जाए ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके।

iii) साइट पर संविदाकार के उपकरण एवं अन्य मदें, जिनमें पानी हो सकता है को इस प्रकार से स्टोर, कवर या ट्रीट किया जाए कि उसमें पानी न ठहरे ।

iv) वाटर स्टोरेज टैंक उपलब्ध कराए जाएं ।

42.6.2 मच्छर प्रजनन के अवसर के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पोस्टर साइट में प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किए जाएं।

42.6.3 संविदाकार आवधिक अंतराल पर कीटनाश का फ्यूमीगेशन/स्प्रे द्वारा मच्छर प्रजनन को रोकने की व्यवस्था करेंगे ।

42.7 शराब एवं ड्रग्स :

42.7.1 वर्क साइट पर किसी वर्कमैन/महिला द्वारा शराब पीने एवं प्रतिबंधित ड्रग्स की खपत बिल्कुल प्रतिबंध है और यह सरकारी विनियमों के अनुसार दंडनीय है। संविदाकार इसे सुनिश्चित करेंगे। संविदाकार समय-समय पर यादृच्छिक रूप से वर्करों पर शराब की उपस्थिति के लिए ब्रिथिंग एनालाइजर टैस्ट चलाएंगे ।

42.7.2 सरकारी विनियमों के अनुसार सार्वजनिक वर्कसाइट पर किसी कर्मचारी द्वारा धूम्रपान करना भी मना है।

43.0 शोर

43.1 संविदाकार अपने डिजाइन, प्लानिंग तथा कार्य के निष्पादन में शोर को पर्यावरण दबाव के रूप में मानेंगे और नियोक्ता के अनुरोध पर इसे प्रमाणय साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराएंगे। संविदाकार स्वयं के खर्च पर यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे कि संविदाकार तथा उसके उप संविदाकार द्वारा किया जा रहा कार्य, चाहे वह साइट में या साइट से बाहर हो किसी अनावश्यक शोर या अत्यधिक शोर का कारण न बने जिससे आस पास के निवासियों, स्कूलों, अस्पतालों या परिसर में इसी प्रकार की संवेदनशील आवाज से शांति भंग हो।

43.1.1 पूर्वगामी की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शोर के स्तर को कम करने में निम्न सम्मिलित किए जाएं:

i) संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्कस में प्रयुक्त सभी पावर्ड मकैनीकल उपकरण में उपलब्ध अति आधुनिक तकनीक से आवाज को प्रभावी ढंग से कम किया जाए परंतु केवल साइलेंसर एवं मफलर तक सीमित न रहा जाए।

ii) संविदाकार वर्कस के ऐसे किसी हिस्से के चारों ओर ध्वानिकी स्क्रीन या घेरा का निर्माण करेंगे जिससे कि अत्यधिक शोर उत्पन्न हो सकता है।

43.1.2 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि दिन एवं रात के समय संविदाकार एवं उसके उप संविदाकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से उत्पन्न शोर अनुमत शोर सीमा से अधिक न हो चाहे वो निरंतर हो या आन्तरायिक हो, जैसाकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर या परियोजना सं.स्था.प. मेनुअल में दिया गया है। नियोक्ता के स्वनिर्णय पर समय-समय में इसमें भिन्नता हो सकती है, इस आवश्यकता के उल्लंघन की स्थिति में, संविदाकार तुरंत सुसंगत उपकरण को बदलेंगे या ठीक करेंगे या अन्य उचित उपाय करेंगे ताकि शोर के स्तर को कम किया जा सके और उसे उस स्तर पर बनाए रखेंगे जिससे कि कथित सीमा पार न

हो। इन उपायों में उपकरणों की कुछ मदों के प्रयोग का अस्थायी या स्थायी परिसीमन के बिना समापन सम्मिलित है।

43.1.3 लोकेशन मॉनीटरिंग सहित शोर मॉनीटरिंग आवश्यकता सं.स्वा.प. मेनुअल में दी गई है।

43.2 नियंत्रण शर्ते

43.2.1 निर्माण सामग्री को इस प्रकार से ऑपरेट एवं परिवहन किया जाए जिससे कि अनावश्यक शोर उत्पन्न न हो जैसाकि नीचे प्रस्तुत है:

i) इसमें उल्लेखित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य निष्पादित किया जाए और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार एवं इनकी एजेंसी द्वारा स्थापित लागू कोडस, विनियम तथा मानकों का पालन करें ।

ii) शोर को निम्नतम उचित व्यावहारिक स्तर पर बनाए रखें । यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं कि निर्माण कार्य से कोई अनावश्यक या अत्यधिक शोर नहीं होगा, जिससे कि आस-पास के निवासियों, स्कूलों, अस्पतालों या परिसरों को इस प्रकार के संवेदनशील शोर से शांतिभंग नहीं होगी। प्रभावी शोर रोकने वाले उपकरणों का प्रयोग करें और अन्य शोर नियंत्रण के उपाय लागू करें ताकि जनता का संरक्षण किया जा सके।

iii) अनुसूची एवं ऑपरेशन संचालन इस प्रकार से हो कि निर्माण गतिविधियों के पास के सार्वजनिक क्षेत्रों तथा निर्माण गतिविधियों के नजदीक में बिल्डिंग के अधिभोक्ताओं की कम से कम शांति भंग हो।

iv) संविदाकार, संविदा विनिर्दिष्ट साइट पर्यावरण योजना के अंतर्गत शोर मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण योजना (एन.एम.सी.पी) प्रस्तुत करेंगे। इसमें सभी पावर्ड मकैनीकल उपकरणों का पूर्ण एवं व्यापक विवरण होगा, जिसे वह दिन एवं रात्रि के समय प्रयोग करेगा, और वह वर्किंग क्रियाविधि तथा शोर स्तर को कम करने के उपायों को प्रस्तावित करेगा। एन.एम.सी.पी. में विस्तृत शोर गणना तथा संविदाकार द्वारा प्रत्याशित शोर जनरेशन तथा कंपन प्रदर्शन के कंपन स्तर सम्मिलित किए जाएंगे।

v) संविदाकार द्वारा तैयार एन.एम.सी.पी., निर्माण गतिविधियों के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। नियमित आधार पर एन.एम.सी.पी. की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान निर्माण गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। यदि संविदा में किसी लोकेशन पर शोर मुद्दा है तो परियोजना समन्वय बैठकों में इसे नियमित कार्यसूची मद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

43.3 धूल नियंत्रण एवं सीलिकोसिस एक्सपोजर रिडक्शन कार्यनीति:

43.3.1 संविदाकार वर्क साइट पर उचित धूल हैंडलिंग सुनिश्चित करेंगे जैसाकि परियोजना विनिर्दिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना में उल्लेखित है और सीलिकोसिस एक्सपोजर रिडक्शन कार्यनीति का अनुसरण करेंगे जैसाकि इस दस्तावेज के अंत में संलग्नक-1 पर उल्लेखित है।

43.4 व्यावसायिक शोर :

i) व्यावसायिक शोर एक्सपोजर के प्रभाव के विरूद्ध संरक्षण तब दिया जाए जब आवाज का स्तर अवसीमा वैल्यू से अधिक हो जैसाकि सं.स्वा.प. मेनुअल में दिया गया है।

ii) जब कर्मचारी को लगे कि जो सारणी में सूचीबद्ध हैं वे आवाज के स्तर को पार कर रही हैं, संभाव्य प्रशासनिक या इंजीनियरिंग नियंत्रण का प्रयोग किया जाए जैसाकि इस दस्तावेज और परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल में दिया गया है।

iii) यदि ऐसे नियंत्रण आवाज का स्तर सारणी में दिए गए स्तर के अंदर कम करने में असफल रहते हैं तो व्यक्तिगत संरक्षण के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और आवाज के स्तर को सारणी के स्तर के अंतर्गत लाने हेतु प्रयोग किया जाए।

iv) जब विभिन्न स्तरों के शोर एक्सपोजर की दो या अधिक अवधि का कम्पोज दैनिक शोर एक्सपोजर हो तो प्रत्येक का अलग-अलग प्रभाव लेने के बजाय इनके संयुक्त प्रभाव पर विचार किया जाए। समय की भिन्न-भिन्न अवधि के लिए विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का परिकलन फार्मूला के अनुसार किया जाए और सैम्पल कम्प्यूटेशन परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल के अनुसार हो।

43.5 कंपर स्तर:

43.4.1 ऐसी लोकेशन जहां अलायन्मेंट ऐतिहासिक/हैरिटेज स्ट्रक्चर के पास हो, ऐसे ऐतिहासिक/हैरिटेज साइट पर निर्माण से पूर्व संविदाकार मॉनीटरिंग योजना तैयार करेंगे और अनुमोदन हेतु नियोक्ता को प्रस्तुत करेंगे । इस योजना में निम्न सम्मिलित होगा:-

i) संपूर्ण अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर कंपन के लिए मॉनीटरिंग आवश्यकता।

ii) परियोजना गतिविधियों में ऐतिहासिक एवं संवेदनशील स्ट्रक्चरों के निर्माण पूर्व संरचनात्मक इंटीग्रीटि निरीक्षण।

iii) निर्माण क्रियाविधि, संभावित प्रभाव, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय तथा प्रयुक्त किए जाने वाले पूर्वोपायों के बारे में सूचना का प्रसार।

iv) अलायन्मेंट के समीप वर्क साइट पर कंपन स्तर सीमा पीक पी वेलोसिटि के अनुमत वैल्यू के अनुरूप होगी जैसाकि परियोजना की ई.ए. रिपोर्ट में दिया गया है।

44.0 वैंटिलेशन एवं इल्यूमिनेशन :

44.1 वैंटिलेशन :

44.1.1 निर्माण वर्क के निर्माण साइट पर संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि वर्किंग क्षेत्र में वैंटिलेशन सिस्टम उपलब्ध कराया जाए जैसाकि डी.जी./सी.आई.आई.बी.सी. द्वारा अनुमोदित है और ऐसी सुरंग में भूमिगत रूप से तैनात प्रत्येक बिल्डिंग वर्कर के लिए ताजी हवा की सप्लाई की जाए जो $6m^3$/min से कम नहीं होगी और ऐसी सुरंग के अंदर फ्री एयर फ्लो मूवमेंट 9m/min से कम न हो।

44.1.2 वर्किंग पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर 19.5% से कम नहीं होना चाहिए।

44.2 इल्यूमीनेशन:

44.2.1 नियोक्ता की आवश्यकता के अनुसार संविदाकार वर्क साइट को इल्यूमीनेट करने का हर संभव प्रयास करेंगे जैसाकि उदाहरण स्वरूप सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./10 में दिया गया है।

44.2.2 संविदाकार सभी लोकेशन के लिए लक्स मीटर द्वारा मासिक इल्यूमीनेशन मॉनीटरिंग संचालित करेंगे और रिपोर्ट आगामी माह की 7 तारीख के अंदर नियोक्ता को भेजी जाए और इसका मासिक सं.स्वा.प. समिति की बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी।

45.0 रेडिएशन

45.1 सरकारी विनियामक आवश्यकता तथा सभी सहायक विधान के अनुसार रेडियोएक्टिव सबस्टांस तथा रेडिएटिंग अप्रेटस का अनुपालन किया जाए।

45.2 नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति के बिना समीक्षा के उपरांत ही आई.ओ-नाइजिंग रेडिएशन वाला ऑपरेशन किया जाएगा और यह क्रियाविधि स्टेटमेंट के अनुरूप किया जाएगा।

45.3 प्रत्येक क्षेत्र जहां इराडिएटेड अप्रेटस हैं वहां विनियम क्षेत्र में स्पष्ट पोस्टर या नजदीक आवश्यकतानुसार चेतावनी नोटिस तथा बैरीयर लगाए जाएं ।

45.4 रेडियोएक्टिव सबस्टांस का भंडारन, प्रयोग या निपटान आवश्यक रूप से सरकारी अधिनियमन के अनुसार किया जाएगा।

45.5 संविदाकार सुनिश्चित करेंगे कि साइट के सभी व्यक्तियों तथा जनता के सदस्यों को रेडिएशन का प्रभाव न हो।

46.0 वर्करों के लिए कल्याण उपाय

46.1 शौचालय एवं पेशाब घर:

46.1.1 संविदाकार प्रत्येक 20 वर्कर से 100 वर्कर के लिए एक शौचालय सीट तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 5 वर्करों के लिए एक सीट उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 100 वर्करों के लिए एक पेशाबघर उपलब्ध कराया जाए।

46.1.2 जब महिलाएं तैनात हों तो उपरोक्त उल्लेखित स्केल के अनुसार अलग से शौचालय एवं पेशाबघर उपलब्ध कराया जाएं ।

46.1.3 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए की धारा 33 के अनुसार शौचालय एवं पेशाबघर उपलब्ध कराए जाएं एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम के अनुसार रखरखाव किया जाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकार की आवश्यकता का भी पालन किया जाए।

46.1.4 मूविंग साइट:

46.1.4.1 ट्रैक बिछाने संबंधी कार्यों के मामले में, वर्क का जोन एलिवेटेड स्तर या ग्राउंड स्तर पर निरंतर मूव करता रहता है। ऐसे मामलों में मलजल ड्रेन की उचित सुविधा के साथ मोबाइल पेशाबघर उपलब्ध कराए जाएं जहां आसानी से पहुँचा जा सके ।

46.2 कैनटीन:

46.2.1 प्रत्येक वर्कप्लेस में जहां सामान्यत: 250 से कम वर्कर तैनात नहीं है संविदाकार द्वारा पर्याप्त कैनटीन उपलब्ध कराई जाए जो बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर की धारा 37 के अनुरूप हों और जैसाकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर में निर्धारित है, खाद्य सामग्री के चार्ज 'न लाभ न हानि' आधार पर होंगे। सभी मदों की दर सूची सुस्पष्ट रूप से ऐसी कैन्टीन में प्रदर्शित की जाएं।

46.3 वर्कप्लेस पर चाय एवं स्नैक्स सर्व करना:

46.3.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के अनुसार निर्माण कार्य जहां वर्कप्लेस बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम के अंतर्गत कैन्टीन से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर हो संविदाकार ऐसे प्लेस पर ऐसे बिल्डिंग वर्कर को चाय तथा अल्पाहार सर्व करने की उचित व्यवस्था करेंगे।

46.4 पीने का पानी

46.4.1 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए की धारा 32 के अनुसार संविदाकार प्रत्येक वर्कसाइट में पर्याप्त पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करेंगे।

पीने के पानी की गुणवत्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

46.4.2 पीने के पानी की सुविधा प्रदान करते समय लोकेशन का ध्यान रखा जाए ताकि वर्क साइट के सभी लोकेशन पर सभी वर्करों के लिए कार्य के स्थल से 200 मीटर की दूरी पर ये आसानी से पहुँचने योग्य हों।

46.4.3 ऐसे सभी प्वाइंटों पर "पीने का पानी" ऐसी भाषा में लिखा जाए जोकि ऐसे स्थल पर कार्यरत ज्यादातर वर्कमैन को समझ आ सके और ऐसे प्वाइंट किसी वाशिंग स्थल, पेशाबघर या शौचालय के छह मीटर के दायरे में हों।

46.5 मजदूरों के लिए आवास:

46.5.1 संविदाकार बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए की धारा 34 के प्रावधानों के अनुरूप सभी वर्करों को मुफ्त में पास के क्षेत्र में अस्थायी ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इन आवासों में खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने तथा शौचालय की सुविधा होगी।

46.6 शिशुसदन:

46.6.1 प्रत्येक वर्कप्लेस में जहां सामान्यत: 50 से अधिक महिला वर्कर तैनात हों वहां बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए उपयुक्त कमरा उपलब्ध एवं मेनटेन कराया जाए।

भाग-IV

पर्यावरण प्रबंधन

47.0 निर्माण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन में पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन तथा वर्क साइट पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन सम्मिलित होगा।

48.0 प्रमुख सांविधिक पर्यावरण अधिनियम, नियम तथा मानक निम्न प्रकार सूचीबद्ध हैं:

i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके संशोधन
ii) ई.आई.ए अधिसूचना, 2006
iii) वायु (निवारण तथा प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981
iv) पानी (निवारण तथा प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1974
v) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा इसके संशोधन
vi) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
vii) तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011
viii) वैटलैंडस (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010
ix) वृक्ष परिरक्षण अधिनियम या संबंधित राज्य के सुसंगत अधिनियम
x) ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2000 तथा इसके संशोधन
xi) सार्वजनिक दायित्व अधिनियम,1991
xii) विस्फोटक अधिनियम, 1884
xiii) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं ट्रांसबांउड्री) नियम, 2008
xiv) खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारन एवं निर्यात नियम, 1989
xv) पेट्रोलियम नियम, 2002 एवं संशोधन नियम, 2011
xvi) प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय साइट तथा शेष (संशोधन एवं वैधता) अधिनियम, 2010 तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकार (प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सर्विस शर्तें तथा व्यवसाय का संचालन) नियम, 2011
xvii) लघु खनिज तथा छूट नियम
xviii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (निवारण एवं संरक्षण) नियम, 2011

49.0 वायु गुणवत्ता

संविदाकार भूमि की खुदाई, ग्रेडिंग तथा क्लीयरिंग एवं अपशिष्ट के निपटान ऑपरेशन से होने वाले अस्थायी धूल उत्सर्जन को न्यूनतम करने हेतु सभी आवश्यक पूर्वोपाय करेंगे। वह किसी परिवहन, हैंडलिंग, निर्माण या भंडारन गतिविधियों से अस्थायी धूल के उत्सर्जन की अनुमति नहीं देगा और नियोक्ता को अधिसूचना के बिना समय की किसी दीर्घकालीन अवधि के लिए उत्सर्जन स्रोत की यथार्थ लाइन के आगे वातावरण में दृष्टिगोचर रहेंगे।

49.1 संविदाकार ऐसे डिजाइन के निर्माण उपकरण का प्रयोग करेंगे जिससे वायु प्रदूषण कम या नियंत्रित हो। संविदाकार ऐसे डिजाइन एवं उपकरण का साक्ष्य रखेंगे और नियोक्ता द्वारा निरीक्षण के लिए इन्हें उपलब्ध कराएगा ।

49.2 यदि निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ होने के बाद, नियोक्ता का मानना है कि संविदाकार के उपकरण या वर्किंग की क्रियाविधि अस्वीकार्य वायु प्रदूषण संघात उत्पन्न कर रहे हैं तो इनकी जांच की जाए और संविदाकार द्वारा उपचारी कदम तैयार किए जाएं, तथा समीक्षा एवं कार्यान्वयन हेतु नियोक्ता को प्रस्तुत किया जाए।

49.3 इन उपचारी उपायों को विकसित करने में, संविदाकार धूल के सभी स्रोतों का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे जो वायु प्रदूषण में योगदान कर रहे हैं। उपचारी उपायों में संविदाकार द्वारा अतिरिक्त/वैकल्पिक उपकरणों का प्रयोग या संविदाकार के वर्तमान उपकरण का रखरखाव/आशोधन सम्मिलित है। सिलिकोसिस एक्सपोजर रिडक्शन कार्यनीति संलग्नक-। पर प्रस्तुत है।

ऐसी स्थिति में जब अनुमोदित उपचारी उपाय कार्यान्वित न किए जा रहे हो और गंभीर संघात दृढ़ हों, तो नियोक्ता संविदाकार को तब तक कार्य स्थगित करने के निर्देश दे सकता है जब तक कि उपाय कार्यान्वित नहीं होते जैसाकि संविदा के अंतर्गत अपेक्षित है।

49.4 संविदाकार के परिवहन वाहन तथा अन्य उपकरण समय-समय पर भारत सरकार या राज्य सरकार की सांविधिक एजेंसी द्वारा नियत उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगे। संविदाकार आवधिक जांच संचालित करेंगे और यदि अपेक्षित हो तो प्रतिस्थापन सहित उपचारी उपाय करेंगे ताकि अनुमत प्रतिमान के अंदर ऑपरेट किया जाए।

49.5 संविदाकार इस परियोजना में प्रयुक्त इंटरनल कमब्यूशन इंजन पावर्ड वाहन तथा उपकरण के लिए नियमित अनुरक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था एवं रखरखाव करेंगे। नियोक्ता द्वारा निरीक्षण के लिए रिकार्ड उपलब्ध कराएंगे ।

49.6 संविदाकार निर्माण साइट से परिवहन किए जाने वाले मलवे एवं मिट्टी से उत्पन्न होने वाली धूल के लोड को कवर करेंगे। लूज सामग्री ले जाने वाले सभी ट्रकों को कवर किया जाए और पर्याप्त फ्री बोर्ड के साथ लोड किया जाए ताकि टेल बोर्ड या साइड बोर्ड से बिखराव न हो।

49.7 संविदाकार किसी भी प्रकार की खुदाई की गई निपटान सामग्री का शीघ्र परिवहन करेंगे ताकि परियोजना कार्य में विलम्ब न हो। नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए अनुमत स्थल पर ही सामग्री का संचयन किया जाए। संविदाकार खुदाई की गई सामग्री को योजना मे निर्धारित डम्पिंग/निपटान क्षेत्र में स्थित करेंगे जैसाकि विनिर्देशन में दिया गया है।

49.8 अस्थायी डम्पिंग क्षेत्र को तब तक संविदाकार द्वारा मेनटेन किया जाएगा जबतक कि बैकफीलिंग के लिए खुदाई को पुन: इस्तेमाल न कर लिया जाए या जैसाकि नियोक्ता द्वारा निर्देशित है। किसी कार्य ठहराव के दौरान भी धूल नियंत्रण गतिविधियां जारी रहेंगी।

49.9 संविदाकार सामग्री को इस प्रकार रखेंगे कि धूल कम से कम पैदा हो। सामग्री को प्रतिदिन कम तथा गीला किया जाए ताकि धूल कम से कम पैदा हो। खुशक मौसम के दौरान, रोजाना धूल नियंत्रण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए विशेषकर हवा वाले खुशक दिनों में ताकि साइट पैरामीटर में चलने वाली हवा से धूल उड़ने से रोका जा सके।

49.10 खुदाई की मिट्टी या मलवा या ढाहने को हैंडलिंग के दौरान धूल दबाने के लिए यदि अपेक्षित हो तो संविदाकार निर्माण स्थल पर पानी का छिड़काव करेंगे। संविदाकार पानी का छिड़काव, पानी की सप्लाई तथा पानी डिलीवरी उपकरण उपलब्ध कराएंगे जोकि धूल नियंत्रण प्रयोग हेतु अपेक्षित हैं। जहां वर्क संवेदनशील ग्राही के नजदीक हो और अतिरिक्त धूल नियंत्रण उपायों की विशेष रूप से आवश्यकता हो तो धूल स्क्रीन का प्रयोग किया जाए।

49.11 संविदाकार वर्क साइट से निकासी पर वाश पिट या व्हील वाशिंग तथा/या वाहन क्लीनिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे जैसे-निर्माण डिपो तथा बैचिंग प्लांटस। ऐसी सुविधा पर सभी रद्दी एवं गंद को हटाने के लिए वाहनों के पहियों को प्रैशर वॉटर जेट से धोया जाए।

49.12 संविदाकार अपनी ब्लास्टिंग तकनीक डिजाइन एवं कार्यान्वित करेंगे ताकि धूल, शोर, कंपन उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके और फ्लायिंग रॉक को रोका जा सके।

49.13 ब्लास्टिंग तकनीक न केवल ब्लास्ट किए जाने वाले रॉक की प्रकृति एवं मात्रा के अनुरूप होना चाहिए बल्कि लास्टिंग के लोकेशन के अनुरूप भी होना चाहिए।

49.14 संविदाकार बेहतर पर्यावरण विशिष्टता वाले विस्फोटकों को वरियता दें।

49.15 संविदाकार अपनी गतिविधियों के परिणामस्वरूप बिगाड़ या क्षतिग्रस्त होने वाले स्ट्रक्चर, यूटिलिटि, सड़ की पटरी तथा अन्य सुविधाओं का संरक्षण करेंगे। जहां यह संभव नहीं है, संविदाकार स्ट्रक्चर, यूटिलिटि, सड़क की पटरी, सड़क तथा अन्य सुविधाओं की मूल रूप में या बेहतर रूप में मरम्मत करेंगे, ऐसा न कर पाने की स्थिति में सुधार/पुनर्निमाण का कार्य संविदाकार के जोखिम एवं लागत पर किया जाएगा।

49.16 निर्माण गतिविधियों को गाइड करने के लिए संविदा विनिर्दिष्ट साइट पर्यावरण योजना के अंतर्गत संविदाकार एक एयर मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण योजना नियोक्ता को प्रस्तुत करेंगे जिसका संबंध मॉनीटरिंग, नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण कम करने से है।

50.0 पानी की गुणवत्ता

50.1 संविदाकार अस्तित्व में भारत सरकार के विधान तथा अन्य राज्य विनियम का पालन करेंगे जैसाकि ये पानी प्रदूषण नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग से संबंधित है। कार्य के प्रारंभ में ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण किया जाए ताकि वर्क साइट से संपूर्ण सर्फेस पानी को ड्रेन कर उपयुक्त ड्रेन आउटलेट में डाला जा सके।

50.2 संविदाकार यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त पूर्वोपाय करेगा कि सार्वजनिक सड़कें या विद्यमान स्ट्रीम कोर्स तथा साइट के अंदर या समीप सहित कोई अपशेष या किसी प्रकार का कोई मलवा साइट पैरामीटर में डाला, गिराया, धोया या पास की भूमि में

जमा किया जाए। यदि निर्माण वर्क से कोई अवशेष या मलवा किसी क्षेत्र में जमा या भरा जाता है तो ऐसे अपशेष, मलवा या सामग्री तथा सिल्ट को तुरंत हटाया जाए और प्रभावित भूमि एवं क्षेत्र को नियोक्ता की संतुष्टि तक संविदाकार द्वारा उसकी प्राकृतिक स्थिति में बहाल किया जाए।

50.3 पेय जल आपूर्ति कम तथा उत्तरवर्ती ग्राउंड वाटर के संदूषित होने के कारण संविदाकार नियोक्ता के अनुमोदन के बिना साइट से पानी डिस्चार्ज करने की अनुमति नहीं है। डिवाटरिंग से उत्पन्न पानी के डिस्चार्ज के लिए संविदाकार केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की शर्तों का पालन करेंगे। वर्क में स्थापित डिवाटरिंग सिस्टम से प्राप्त पानी को या तो निर्माण उद्देश्य के लिए पुन: प्रयुक्त किया जाए और इस पानी को बाद में ड्रेनेज सिस्टम में डिस्चार्ज किया जाए या, यदि पुन: प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उपयुक्त एक्यूफर स्तर पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। संविदाकार खुदाई के डिवाटिरंग के अपने प्रस्तावित स्थल तथा निर्माण पुन:प्रयोग या एक्यूफर से सीधे रिचार्ज के लिए पानी के संग्रहण हेतु नियोक्ता के अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संविदाकार का रिचार्ज प्रस्ताव निर्माण के लिए वाटर रि यूज की कटौती के बाद शेष पानी की मात्रा के रिचार्जिंग के लिए पर्याप्त होना चाहिए। डिवाटरिंग के दौरान संविदाकार कुँए से ग्राउंड वाटर लेबल की मॉनीटरिंग करेंगे ताकि सुनिश्चित कियाजा सके कि गिरा हुआ स्तर अनुमत सीमा से ज्यादान हो। संविदाकार को खुदाई से प्राप्त अप्रयुक्त ग्राउंड वाटर को नियोक्ता या प्रणाली को नियंत्रण करनेवाली एजेंसी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सीधे डिस्चार्ज को ड्रेनेज सिस्टम में डालने की अनुमति नहीं होगी।

50.4 संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि मिट्टी, बेनटोनाइट, कैमीकल तथा कंक्रीट एजीटेटर वाशिंग इत्यादि को वाटरकोर्स में न जमा किया जाए परंतु उचित प्रकार से एकत्र करें और स्थानीय प्राधिकार द्वारा अनुमोदित विधि से अवशेष का निपटान किया जाए।

50.5 साइट से उत्पन्न होने वाले सभी पानी एवं वेस्ट उत्पाद (सर्फेस एन ऑफ एवं वाटरवेस्ट) को एकत्र किया जाए और उपयुक्त एवं उचित तरीके से डिजाइन किए गए अस्थायी ड्रेनेज प्रणाली के माध्यम से साइट से हटाया जाए और ऐसे स्थल पर इस तरीके से निपटान किया जाए कि न तो इससे प्रदूषण हो और न ही गंदगी फैले।

50.6 ड्रिलींग, टनलिंग, डाइअफ्रैम दीवार निर्माण या ग्राउटिंग इत्यादि से निकलने वाले किसी घोल को ड्रेनेज प्रणाली में डिस्चार्ज न करें बशर्ते ट्रीटमेंट की गई हो कि इससे सिल्ट, मड पार्टिकल, बेनटोनाइट इत्यादि हटा दिए गए हों। संविदाकार दूषित ग्राउंड वाटर के डिस्चार्ज को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

50.7 संविदाकार स्वयं द्वारा निर्मित साइट कार्यालय, कैन्टीन या शौचालय सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले वाटरवेस्ट को प्रणाली नियंत्रण करने वाली एजेंसी के पूर्वानुमान के बाद सीवर में डिस्चार्ज करेंगे।

50.8 संविदाकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव को सम्मान देते हुए बेनटोनाइट मिक्सिंग ट्रीटमेंट तथा हैंडिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त बेनटोनाइट का सावधानी से निपटान

किया जाए चाहे वो बल्क या तरल रूप में हो। संबंधित प्राधिकार से विचारकर निपटान लोकेशन तय की जाए।

50.9 ड्रेनेज सिस्टम या किसी वाटर बॉडी तक पहुँचने से गिरने के दौरान संविदाकार तेल एवं ग्रीस के डिस्चार्ज को रोकने के उपाय करेंगे। वर्कशाप क्षेत्र इत्यादि से ऑयल रिमूवल/इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए जाएं ताकि ऑयल वेस्ट को ट्रीट किया जा सके।

50.10 संविदाकार बोर वैल स्थापना के लिए या साइट पर पानी की सप्लाई के लिए उचित प्राधिकार को आवेदन करेंगे।

51.0 पुरातत्व एवं ऐतिहासिक साइट संरक्षण

51.1 परियोजना के निर्माण के कारण विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के अत्यधिक नजदीक जहां ऐसे स्मारक स्थित हो सकते हैं संविदाकार पुरातत्व एवं ऐतिहासिक साइट से संबंधित संरक्षण के अनुकूल होने का प्रयास करेंगे।

51.2 नियोक्ता की सलाह पर संविदाकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई) एवं/या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से परामर्श करेंगे ताकि निर्माण प्रभाव की पहचान एवं निर्धारण किया जा सके और ऐसे स्मारकों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचा, न्यूनतम या कम करने के रास्ते खोजने का प्रयत्न करेंगे।

51.3 प्रतिकूल प्रभाव में सम्मिलित है निर्माण के कारण यथोचित पूर्वानुमान प्रभाव जोकि बाद में हो सकता है, दूरी में और दूर हटाया जाए या जिन्हें परिवर्तित किया गया है, यद्यपि अस्थायी रूप से स्ट्रक्चर की सार्थकता।

52.0 परिदृश्य एवं हरियाली

52.1 जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव है संविदाकार डिफार्स्टेशन तथा प्राकृतिक परिदृय की डिफेसिंग रोककर इकोलॉजिकल बैलेंस मेनटेन करेंगे।

52.2 संविदाकार अपना निर्माण ऑपरेशन इस प्रकार संचालित करेंगे कि वर्क के आसपास प्राकृतिक प्रतिवेश में किसी परिहार्य ध्वंस, स्केरिंग या डिफेसिंग को रोका जा सके।

52.3 जहां स्थायी या अस्थायी कार्य से संबंधित आपरेशन के परिणामस्वरूप ध्वंस, स्केरिंग, क्षति या डिफेसिंग होती है, तो इसे संविदाकार के खर्चपर मरम्मत, रिप्लांट या सही किया जाएगा। सम्पूर्ण वर्क एरिया निर्बाध तथा इस प्रकार से गर्ड होना चाहिए कि परिदृश्य, प्राकृतिक प्रकटन नियोक्ता के निर्देशानुसार हो।

52.4 वृक्षारोपण तथा लैंडस्केपिंग के लिए उपयुक्त वृक्षों/झाड़ियों की सूची नियोक्ता परियोजना पर्यावरण आकलन रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

53.0 काटे जाने वाले पेड़

53.1 वर्क के निर्माण के परिणामस्वरूप काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या एवं प्रकार की पहचान संविदाकार द्वारा दी जानी अपेक्षित है और नियोक्ता को सूचित करेंगे ।

53.2 ऐसे पेड़ एवं झाड़ियां जिन्हें निर्माण उद्देश्य के लिए क्लीयर या हटाना अपेक्षित नहीं है को सुरक्षित रखें तथा संविदाकार के निर्माण ऑपरेशन तथा उपकरण द्वारा होने वाली क्षति से बचाया जाए। वर्कस के निर्माण के लिए उसे सौंपी गई किसी भूमि में पैदा हुए पेड़ या वन को संविदाकार न ही काटेंगे, न हटाएंगे या न समाप्त करेंगे, बशर्ते वन विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त की गई हो।

53.3 पेड़ो को काटने या ट्रांसप्लांट करने के लिए नियोक्ता वन विभाग से अनुमति की व्यवस्था करेंगे। केवल पूर्वानुमोदन के बाद ही नियोक्ता पेड़ों या झाड़ियों को हटाने की अनुमति देंगे।

53.4 जहां पेड़ों या झाड़ियों को निर्माण उपकरण, ब्लास्टिंग, खुदाई, डम्पिंग, कैमीकल डैमेज या अन्य ऑपरेशन द्वारा क्षति की संभावना हो वहां इनका विशेष ध्यान रखा जाए और संविदाकार प्रोटेक्टिव बैरियर का प्रयोग कर या नियोक्ता द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाविधि द्वारा ऐसे पेड़ों का पर्याप्त बचाव करेंगे। आश्रय के लिए पेड़ों का प्रयोग न किया जाए।

53.5 तथापि पेड़ काटने से पूर्व, संविदाकार नियोक्ता की ओर से यह सुनिश्चित करेंगे कि पेड़ों को काटने के लिए सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। यह ध्यान रखने कि आवश्यकता है कि पेड़ों को काटने के लिए उच्च प्राधिकार की अनुमति अपेक्षित है यदि यह उसी विशेष अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है (उदाहरण- ताज ट्रापेज़ियम जोन में पेड़ों को काटने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ग्रीन बेंच से प्राप्त करनी अपेक्षित है)

54.0 फ्लाई ऐश

54.1 कुछ स्ट्रक्चर एवं वर्कस के लिए नियोक्ता सीमेंट के कुछ प्रतिशत प्रतिस्थापन के रूप में फ्लाई ऐश के प्रयोग हेतु संविदाकार को कह सकते हैं।

54.2 फ्लाई ऐश क ऐसे सभी प्रयोगों में, संविदाकार फ्लाई ऐश के प्रयोग का विस्तृत रिकार्ड रखेंगे। संविदाकार संबंधित विवरण को भी एकत्र करेंगे और नियोक्ता को उपलब्ध कराएंगे।

54.3 फ्लाई ऐश की खपत पर रिपोर्टिंग विवरण नियोक्ता के साथ परामर्श कर विकसित किया जाए।

55.0 वेस्ट

55.1 संविदाकार अपने कार्य के लिए परियोजना के निर्माण के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम (डब्ल्यू.एम.पी) विकसित स्थापित एवं मेनटेन करना अपेक्षित है, जिसमें निम्न सम्मिलित है:-

55.2 निपटान साइट की पहचान ।

55.3 खुदाई तथा निपटान की मात्रा की पहचान।

55.4 वेस्ट एवं निष्क्रिय सामग्री के बीच स्प्लिट की पहचान ।

55.5 ऐसे भंडारन के साइट लोकेशन पर अस्थायी रूप से भंडार की अभिप्रेत मात्रा की पहचान।

55.6 अभिप्रेत परिवहन साधनों तथा रूट की पहचान ।

55.7 निपटान के लिए जहां अपेक्षित हो अनुमति प्रापत करना।

55.8 ऐसी क्रियाविधि बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि डब्ल्यू.एम.पी. में पुन: प्रयोग तथा रिसाइकिल योग्य सामग्री के पृथककरण तथा अस्थायी भंडारन के लिए क्षेत्रों का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। डब्ल्यू.एम.पी तैयार कर अनुमोदन के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाए।

55.9 संविदाकार वेस्ट को इस तरीके से हैंडल करेंगे जिससे कि इनका सुरक्षित अनुरक्षण सुनिश्चित हो सके और वेस्ट भंडारन क्षेत्र की नियमित सफाई हो ।

55.10 संविदाकार समयबद्ध तरीके से वेस्ट को हटाएंगे और स्थानीय प्राधिकार के अनुमोदन से लैंडफिल साइट पर निपटान करेंगे ।

55.11 वेस्ट को जलाना प्रतिबंधित है। संविदाकार मलवा या पेड़-पौधे या निर्माण वेस्ट को साइट पर नहीं जलाएंगे परंतु उपरोक्त 50.1 के अनुसार उसे हटाएंगे ।

55.12 संविदाकार मैटल स्क्रैप के निपटान तथा अन्य बिक्री योग्य वेस्ट को प्राधिकृत डीलर को निपटानकी व्यवस्था करेंगे और अनुरोध पर ऐसी बिक्री के रिकार्ड नियोक्ता को उपलब्ध कराएंगे ।

56.0 खतरनाक वेस्ट प्रबंधन

56.1 यदि संविदाकार की गतिविधियों के परिणामस्वरूप वेस्ट मिलता है या उत्पन्न होता है तो “खतरनाक वेस्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग तथा ट्रांसबांउण्ड्री) नियम”, 2008 के अंतर्गत वेस्ट खतरनाक के रूप में वर्गीकृत है तो इसे उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुपालन के तरीके से निपटान किया जाए।

56.2 “विनिर्माण, भंडारन तथा खतरनाक कैमीकल नियम के आयात”, 1989 के अंतर्गत खतरनाक कैमीकल के रूप में वर्गीकृत कैमीकल का निपटान उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुपालन के अनुसार किया जाए।

56.3 संविदाकार स्वयं की गतिविधिों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए खतरनाक वेस्ट की प्रकृति एवं मात्रा की पहचान करेंगे और भंडारन क्षेत्र के लोकेशन को दर्शाते मानचित्र के साथ “अनुमोदन के लिए अनुरोध” करेंगे।

56.4 भंडारन क्षेत्र के बाहर संविदाकार ‘डिस्प्ले बोर्ड’ स्थापित करेंगे जो तिथि पर खतरनाक वेस्ट की मात्रा एवं प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे। खतरनाक वेस्ट को सुरक्षित स्थल पर भंडारन करने की आवश्यकता है ।

56.5 यह सुनिश्चित करना संविदाकार की जिम्मेवारी है कि खतरनाक वेस्ट का भंडारन इस प्रकार से हो कि इसकी हैंडलिंग, भंडारन तथा परिवहन उचित प्रकार से हो सके। इसकी लेबलिंग एवं पैकिंग इस प्रकार से की जाए जो आसानी से दृष्टिगोचर हो और जो भौतिक परिस्थितियों एवं जलवायु फैक्टर का सामना कर सके।

56.6 नियोक्ता को सूचना के अंतर्गत संविदाकार खतरनाक वेस्ट के निपटान के लिए केवल प्राधिकृत रिसाक्लर्स या खतरनाक वेस्ट की खरीद के लिए एप्रोच करेंगे ।

56.7 मुख्य पैरामीटर जैसे ऊर्जा,पानी, सामग्री जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, आयरन तथा स्टील, वेस्ट का रिसाइकल/रियूज इत्यादि स्रोतों की खपत/प्रभावी प्रयोग तक सीमित नहीं पर सभी पर्यावरण की मॉनीटरिंग एवं ट्रेंड विश्लेषण से संबंधित दस्तावेजों एवं रिकार्ड को प्रस्तुत करना, जिसने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में निरंतर सुधार दर्शाया हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में नियोक्ता दंड खंड के अंतर्गत निर्दिष्टानुसार उचित दंड लगाएगा ।

57.0 ऊर्जा प्रबंधन

57.1 संविदाकार ऐसे उपकरणों का प्रयोग एवं अनुरक्षण करेंगे जिससे ऊर्जा की बचत हो और नियोक्ता के अनुरोध पर यही वह साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने में सक्षम हो।

57.2 ऊर्जा संरक्षण उपायों में सम्मिलित है परंतु निम्न तक सीमित नहीं है:

i) ऊर्जा प्रगुण मोटरों एवं पम्प का प्रयोग
ii) ऊर्जा प्रगुण लाइटिंग का प्रयोग, जिससे ऊर्जा प्रगुण प्रकाश हो
iii) निर्माण साइट पर पर्याप्त एवं यूनिफार्म प्रकाश का स्तर जो टॉस्क के लिए पर्याप्त हो
iv) केबलस एवं वायर्स का उचित आकार एवं लम्बाई जो उपकरण की रेटिंग से मेल खाती हो
v) ऊर्जा प्रगुण वातानुकूलन का प्रयोग

57.3 संविदाकार साइट कार्यालय को अधिकतम डेलाइट एवं अधिकतम हीट गेन डिजाइन का बनाएंगे। कमरों को इस प्रकार से इनसुलेट किया जाए की वातानुकूलन की क्षमता बढ़े और जहां संभव हो खिड़कियों पर सोलर फिल्म का प्रयोग किया जाए।

58.0 पर्यावरण एवं वन क्लीयरेंस

58.1 पर्यावरण, वन, वन्यजीव सेंचुरी/राष्ट्रीय पार्क, सी.आर.जेड, ए.एस.आई. क्लीयरेंस के लिए मानक आवश्यकता एवं प्रक्रिया का उल्लेख नीचे किया गया है।

58.1.1 पर्यावरण क्लीयरेंस: ई.आई.ए अधिसूचना, 2006 के अनुसार डी.एफ.सी. परियोजना के लिए पूर्ववत पर्यावरण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है।

58.1.2 वायु अधिनियम, खतरनाक वेस्ट के अंतर्गत निर्माण उपकरणों को ऑपरेट करने के लिए सुसंगत अधिनियम/नियम के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति से सहमति अपेक्षित है। खतरनाक वेस्ट का नियमों के अनुसार निपटान किया जाए।

58.1.3 वन्यजीव सेंचुरी, वर्ड सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क के लिए क्लीयरेंस: जहां डी.एफ.सी अलायन्मेंट किसी वनयजीव या राष्ट्रीय पार्क या इसकी बांउड्री से 10 कि.मी. के रेडियस के बफर जोन के माध्यम से गुजरती है वहां वन विभाग एवं एम.ओ.ई.एण्ड.एफ के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्लीयरेंस अपेक्षित है। क्लीयरेंस के लिए वन्यजीव(एस.बी.डब्ल्यू.एल) के लिए प्रस्ताव पहले राज्य सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू द्वारा तथा बाद में राज्य बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एम.ओ.ई.एण्ड.एफ में वन्यजीव (एन.बी.डब्ल्यू.एल) के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा एस.बी.डब्ल्यू.एल सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। एन.बी.डब्ल्यू.एल से क्लीयरेंस के बाद, प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सेन्ट्रल एम्पावरमेंट समिति (सी.ई.सी) को प्रस्तुत किया जाएगा। सी.ई.सी. से प्रस्ताव क्लीयर होने के बाद, वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नामित न्यायधीश/बेंच से औपचारिक अनुमति मांगेगे और परियोजना प्राधिकार के निर्णय को संचारित करेंगे जोकि इस मामले में डी.एफ.सी.सी.आई.एल है।

58.1.4 वैटलैंड: वैटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम,2010 के अनुसार अधिसूचित वैटलैंट में परियोजना गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। संपूर्ण देश में नियमों में सूचीबद्ध वैटलैंड हैं और नियम केवल उन वैटलैंड पर लागू हैं। दूसरे शब्दों में, यह नियम अधिसूचित वैटलैंड के लिए लागू हैं।

58.1.5 पर्यावरण संवेदनशील जोन: यदि डी.एफ.सी. अलायन्मेंट किसी अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील जोन के माध्यम से पास होता है, तो संबंधित पर्यावरण संवेदनशील प्राधिकार या राज्य सरकार से क्लीयरेंस अपेक्षित है।

58.1.6 पेड़ काटना: राज्य के पेड़ संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करनी होगी। निर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना होगा। ताज ट्रापेजियम जोन जैसे विशेष अधिसूचित क्षेत्रों के मामले में: यदि डी.एफ.सी. टी.टी.जेड के होकर गुजरता है, तो क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ कटिंग हेतु अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ग्रीन बेंच से प्राप्त की जाएगी।

58.1.7 वन क्लीयरेंस: सभी रिकार्डेड वन क्षेत्र (आरक्षित, सुरक्षित, सामाजिक इत्यादि) के लिए वन क्लीयरेंस वन विभाग से प्राप्त करनी होगी। यदि वन भूमि का डायवर्सन 5 हेक्टेयर से ज्यादा परंतु 40 हेक्टेयर के अंतर्गत है, एम.ओ.ई.एण्ड.एफ क्षेत्रीय कार्यालय अनुमति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि इन्होंने विधिवत एफ.ए.सी गठित किया हो। अन्यथा, प्रस्ताव एम.ओ.ई.एण्ड.एफ नई दिल्ली द्वारा क्लीयर किया जाएगा। प्राधिकार के निर्देशानुसार इनसे परामर्श कर प्रतिपूरक वनरोपण करना होगा।

58.1.8 ए.एस.आई. स्ट्रक्चर के लिए एन.ओ.सी: ए.एस.आई अपनी संरक्षित बांउड्री वॉल के अंतर्गत ए.एस.आई स्मारक के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। बांउड्री वॉल के बाहर 300 मीटर के मध्यवर्ती जोन में एन.ओ.सी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकार जिम्मेवार है। जबकि बाउंड्री वॉल से प्रथम 100 मीटर 'प्रतिबंधित' जोन के अंतर्गत कोई नया निर्माण या पुन:निर्माण की अनुमति नहीं है, मामले के आधार पर अगले 200 मीटर

नियंत्रित जोन के अंतर्गत आने वाली परियोजना के लिए एन.एम.ए से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

58.1.9 सी.आर.जेड क्लीयरेंस: तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत

सी.आर.जेड के अंतर्गत आने वाली परियोजना के लिए क्लीयरेंस अपेक्षित है जोकि सी.आर.जेड संवर्ग पर निर्भर है। यदि परियोजना गतिविधियां अधिसूचना में सूचीबद्ध हैं, राज्य सी.जेड.एम.ए द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है। यदि नहीं, तो राज्य सी.जेड.एम.ए द्वारा अग्रेषित करने के बाद एम.ओ.ई.एण्ड.एफ द्वारा प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाए। संयोग से, रेलवे परियोजना के लिए सी.आर.जेड क्लीयरेंस एम.ओ.ई.एण्ड.एफ से प्राप्त की जा सकती है।

58.1.10 आम्रवन: आम्रवन की कटिंग के लिए एफ.सी.ए. 1980 के अंतर्गत क्लीयरेंस अपेक्षित है। यद्यपि कुछ राज्यों में जैसे-महाराष्ट्र में एफ.सी.ए 1980 के अंतर्गत प्रथम क्लीयरेंस राज्य वन विभाग से ओर मुंबई उच्च न्यायालय से एन.ओ.सी अपेक्षित है।

58.1.11 खदान एवं गढ़ा खोदना: एम.ओ.ई.एण्ड.एफ द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, भूमि के आकार के बावजूद खदान सहित माइनर मिनरल का पट्टा, एम.ओ.ई.एण्ड.एफ से पर्यावरण क्लीयरेंस के बाद राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

58.1.12 समय-समय पर एम.ओ.ई.एण्ड.एफ द्वारा जारी अन्य कोई सांविधिक पर्यावरण अधिसूचना।

भाग-V

जुर्माना एवं पुरस्कार

59.0 असुरक्षित कृत्य या शर्तों के उल्लंघन के लिए संविदाकार से वसूले जोने वाले प्रभार।

59.1 डी.एफ.सी.सी.आई.एल का उद्देश्य है कि श्रेष्ठ संरक्षा सचेत संगठन का प्रतीक बनना। कोई भी प्रतिवेद्य दुर्घटना (अपमृत्यु/चोट) के परिणामस्वरूप जीवन तथा/या सम्पति को क्षति होती है परंतु इससे संगठन की साख को भी क्षति पहुँचती है। ज्यादातर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है और यह संविदाकार की लापरवाही के कारण होता है। इसलिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल प्रत्येक प्रतिवेद्यदुर्घटना (अपमृत्यु/चोट) के लिए संविदाकार से क्षति की लागत वसूलेगा।

59.2 इसके अलावा, डी.एफ.सी.सी.आई.एल की प्रत्येक वर्क साइट सार्वजनिक संवीक्षा के लिए खुली रखी जाए क्योंकि कार्य का निष्पादन राईट-ऑफ-वे पर है। जनता द्वारा कोई असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति का अवलोकन करने पर डी.एफ.सी.सी.आई.एल की प्रतिष्ठा खराब होगी। सं.स्वा.प. तथा परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल पर संविदा की शर्तों पर संविदाकार के गैर-स्वेच्छिक अनुपालन के कारण ऐसा होता है। डी.एफ.सी.सी.आई.एल ने गैर पुष्टिकरण के बजाय अनुपालन के पक्ष में संविदाकार के निर्णय करने तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बाध्यकरण प्रणाली प्रारंभ की है।

59.3 निम्न टेबल संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण उल्लंघन (असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति) दर्शाता है जोकि उचित प्रभार संविदाकार से वसूले जाएंगे। सं.स्वा.प. मेनुअल या नियोक्ता के सीधे अनुदेश के पालन में आवृत्तीय विफलता पर संविदाकार पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियोक्ता द्वारा लगाए गए जुर्माना को संविदाकार के रनिंग बिल से काटा जाए।

क्र. सं.	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
1.	सं.स्वा.प. नीति एवं योजना	i) सं.स्वा.प. नीति क) खंड 4.1 का गैर-अनुपालन ख) अपर्याप्त कवरेज, हस्ताक्षर रहित ग) प्रमुख लोकेशन पर प्रदर्शित न करना ii) सं.स्वा.प. योजना क) नियोक्ता की सहमति एवं कवरेज के अनुसार न होना ख) प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ग) खंड 4.4 के अनुसार नियोक्ता के अनुदेशों के अनुसार अद्यतन न करना घ) सभी अपेक्षित पर्यवेक्षकों/इंजीनियरों को प्रतियां उपलब्ध न कराना।	प्रत्येक एकल उल्लंघन पर 5,000 रु., किसी सिंगल दृष्टांत पर संयोजित अधिकतम 25,000/- रु. प्रति सिंगल उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु. किसी सिंगल दृष्टांत पर संयोजित अधिकतम 2,00,000 रु.

क्र. सं.	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
2.	सं.स्वा.प. संगठन	i) न्यूनतम अमला आवश्यकता का पालन न करना जैसाकि सामान्य अनुदेश डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प/001/एम.पी.आर/281105 में उल्लेखित है। ii) 14 दिनों के अंदर, संविदाकार को छोड़ने वाले सं.स्वा.प. व्यक्तियों के कारण सृजित रिक्तियों को न भरना। iii) सं.स्वा.प. संगठन द्वारा सामान्य अनुदेश डी.एम.आर.एस/सं.स्वा.प/012/ए.वी.ई/ 281105 के अनुसार अपेक्षित आडियो-विजुअल एवं अन्य उपकरण उपलब्ध न कराना । iv) आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति तथा सं.स्वा.प व्यक्ति का मुख्य संविदाकार के पेरोल में न होना। v) किसी सं.स्था.प. कर्मचारी का आज्ञाभंग/अनुचित आचरण vi) मुख्य सं.स्वा.प. प्रबंधक द्वारा सीधे संविदाकार के सी.पी.एम को रिपोर्टिंग न करना।	i) प्रथम माह के लिए 1,00,000/- रु. प्रति माह तथा उत्तरवर्ती माह के लिए 2,00,000/- रु. ii) प्रथम माह के लिए 50,000/- रु. प्रति माह तथा उत्तरवर्ती माह के लिए 1,00,000/- रु. मद सं. (iii),(iv),(v)एवं(vi) के लिए प्रथम उल्लंघन पर 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु.
3.	सं.स्वा.प. समिति	i) किसी माह के लिए सं.स्वा.प. समिति की बैठक प्रतिपादित या संचालित करने में असफल। ii) संविदाकार तथा उप संविदाकार के प्रतिनिधि सं.स्वा.प. समिति की बैठक में भाग न ले रहे हों। iii) सं.स्वा.प. समिति बैठक संचालित करने से पूर्व साइट निरीक्षण संचालित करने में असफल iv) नियोक्ता को सं.स्वा.प. समिति बैठक के कार्यवृत्त या कार्यसूची समय पर भेजने में असफल। v) खंड 7.7.1 का गैर अनुपालन vi) खंड 7.9 का गैर अनुपालन	i) प्रथम उल्लंघन के लिए 1,00,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 5,00,000/-रु ii) संविदाकार के सदस्य को 5000/-रु. जिसने प्रथम उल्लंघन के लिए बैठक में भाग नहीं लिया और उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 25,000/-रु. मद सं. (iii),(iv),(v)एवं(vi) के लिए प्रथम उल्लंघन पर 25,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000/- रु.
4.	पहचान पत्र	i) खंड 8.1, 8.2 तथा 8.3 का पालन	प्रथम उल्लंघन पर 1,00,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 2,00,000/- रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
5.	सं.स्वा.प. प्रशिक्षण	निम्न के संबंध में, सं.स्वा.प. तथा परियोजना सं.स्वा.प मेनुअल पर संविदा की शर्तों में उल्लेखितानुसार आवश्यकताओं का गैर अनुपालन: क) प्रारंभिक प्रशिक्षण न दिया गया हो ख) खंड 9.6 के अनुसार पर्यवेक्षक/इंजीनियर/प्रबंधक प्रशिक्षण संचालित न किया गया हो। ग) खंड 9.7 एवं 9.11 के अनुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण संचालित न किया गया हो। घ) खंड 9.8 के अनुसार टूल-बाक्स टॉक संचालित न किया गया हो। ङ) खंड 9.9 के अनुसार दक्षता विकास प्रशिक्षण संचालित न किया गया हो। च) खंड के अनुसार दैनिक संरक्षा शपथ संचालित न की गई हो। छ) शीर्ष प्रबंधन बर्ताव आधारित सं.स्वा.प. प्रशिक्षण संचालित।	मद(क) से (छ) तक के प्रथम उल्लंघन के लिए 50,000/- रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/-रु.
6.	सं.स्वा.प. निरीक्षण	i) खंड 10.0 के अनुसार सं.स्वा.प. तथा परियोजना सं.स्वा.प. मेनुअल पर संविदा की शर्तों में उल्लेखितानुसार आवश्कताओं का गैर अनुपालन। ii) खंड 10.3.6 का गैर अनुपालन।	प्रथम उल्लंघन पर 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु.
7.	सं.स्वा.प.लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा: एम.ए.आर.एस i) सं.स्वा.प. योजना के अनुसार संचालित नहीं ii) नियोक्ता को रिपोर्ट न भेजना iii) किसी माह के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कार्रवाई न करना iv) सं.स्वा.प. योजना के अनुसार संचालित नहीं v) नियोक्ता को रिपोर्ट न भेजना vi) किसी माह में कार्रवाई न करना	मद (i) से (ii) के प्रथम उल्लंघन पर 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु.। मद (iv) से (vi) के प्रथम उल्लंघन के लिए 1,00,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 2,00,000/- रु.
8.	सं.स्वा.प. संचार	i) सं.स्वा.प. जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण दिवस मनाना जैसाकि नियोक्ता द्वारा निर्धारित है का पालन न करना। ii) पोस्टर वैसे न छपवाना एवं प्रदर्शित करना जैसाकि नियोक्ता द्वारा निर्धारित है।	i) प्रथम उल्लंघन पर 10,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000/- रु. ii) 2,00,000/- रु. प्रति संविदा
9.	सं.स्वा.प. प्रस्तुतीकरण	i) खंड 13.1 का गैर अनुपालन ii) खंड 13.2 का गैर अनुपालन iii) खंड 13.3 का गैर अनुपालन	मद(i) के प्रथम उल्लंघन पर 50,000/- रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु. मद(ii) एवं (iii) के प्रथम उल्लंघन पर 1,00,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 2,00,000/- रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
10.	चोट एवं घटना रिपोर्टिंग	i) घातक दुर्घटना ii) चोट लगने की घटना iii) खंड 14.1.4 के अनुसार किसी दुर्घटना/खतरनाक घटना के बारे में सूचना का जानबूझकर दमन की दुर्घटना रिपार्टिंग में असमान्य विलम्ब ।	i) प्रथम अपमृत्यु के लिए 5,00,000/-रु. तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती अपमृत्यु के लिए 1,00,000/-रु. ii) प्रथम गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 1,00,000/-रु. तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 2,00,000/- रु. (गंभीर रूप से घायल जैसाकि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में परिभाषित है) iii) प्रथम उल्लंघन के लिए 1,00,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 2,00,000/- रु. मद(iv) एवं (v) के प्रथम उल्लंघन के लिए 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/-रु.
11	आपातकालीन तैयारी योजना	खंड 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 तथा 15.6 का गैर अुनपालन	किसी भी खंड के गैर अनुपालन के लिए 1,00,000/-रु.
12	हाउसकीपिंग	i) अद्यतन तक हाउसकीपिंग अनुरक्षण रजिस्टर उचित प्रकार से मेनटेन न करना। ii) पीने के पानी के टैकों/नलों के आसपास के क्षेत्रों को स्वास्थ्यकर तरीके से साफ/मेनटेन न करना iii) कार्यालय,भंडार, शौचालय/पेशाबघर को उचित प्रकार से साफ एवं मेनटेन न करना iv) उचित स्थलों पर अपेक्षित कूड़ेदान उपलब्ध न कराना/साफ न करना। v) सीढ़ियों, गैंगवे, पैदल रास्ते को ब्लाक करना। vi) कील निकली लकड़ियों को छोड़ना vii) असंरक्षित गड्डे viii) खोदी गई मिट्टी को यथोचित समय के अंदर न हटाना ix) खोदी गई मिट्टी ले जाने वाले ट्रकों को कवर न करना/टायरों को साफ न करना x) वाहनों/उपकरणों को सड़क पर खड़ा करना/रखना जिससे ट्रैफिक का फ्री फ्लो बाधित हो xi) अप्रयुक्त सरप्लस केबलस/स्टील ड्रर्मस का बिखरे पड़े रहना। xii) स्क्रैप का बिखराव xiii) लकड़ी का स्क्रैप, खाली लकड़ी के केबल xiv) जमा पानी में मच्छरों का पैदा होना	प्रति एकल उल्लंघन के लिए 10,000/-रु। किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
13	ऊँचाई/सीढ़ी तथा मंच पर वर्किंग	i) सेफ्टी बैल्ट का प्रयोग या एंकरिंग न करना ii) सेफ्टी नेट का प्रयोग न करना iii) लाइफ लाइन या एंकर सेफ्टी बैल्ट के एनकरेज प्वाइंट की अनुपस्थिति iv) खंड 18.17 का गैर अनुपालन v) बांस की सीढ़ियों का प्रयोग vi) सीढ़ियों की पेंन्टिंग vii) अनुचित प्रयोग (लैंडिंग प्वाइंट से ऊपर 1 मीटर से कम का विस्तार, 1:4 का अनुपात मेनटेन न करना) viii) बिना रबड़ बुश वाली एल्यूमिनियम सीढ़ी ix) टूटी/कमजोर सीढ़ियों का प्रयोग x) री-बार वैल्डेड सीढ़ियों का प्रयोग xi) अनुचित गार्डरेल, टो बोर्ड, बैरियर तथा सामूहिक संरक्षण के अन्य साधन xii) अनुचित वर्किंग प्लेटफार्म xiii) असुरक्षित कमजोर सतह पर वर्किंग xiv) असुरक्षित किनारों पर वर्किंग	प्रति एकल उल्लंघन के लिए 10,000/- रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
14	एप्लांयसेस एवं गियर लिफ्टिंग	i) खंड 21.3 के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र का उपलब्ध न होना। ii) खंड 21.4 के अनुसार मशीन पर दस्तावेज प्रदर्शित न करना या ऑपरेटर के पास उपलब्ध न होना। iii) खंड 21.5 के अनुसार मशीन पर अधिकतम सेफ वर्किंग लोड न लिखा होना iv) 21.6 क गैर अनुपालन v) 21.7 का गैर अनुपालन vi) खंड 21.8 के अनुसार स्वचालित सेफ लोड इंडीकेटर उपलब्ध न कराना या वर्किंग कंडीशन में न होना vii) आपरेटर की आयु 21 वर्ष से कम होना या बिना लाइसेंस के होना तथा खंड 21.9 के अनुसार अन्य मद का गैर अनुपालन viii) 21.10 का गैर अनुपालन ix) खंड 21.11 के अनुसार साज समान आवश्यकता संबंधी उल्लेखित मदों का कोई गैर-अनुपालन x) सभी संवेदनशील लिफ्टिंग के मामले में क्रियाविधि विवरण प्रस्तुत करने में विफलता xi) व्यक्ति का क्रेन पर चढ़ना xii) ज्यादा आवाज एवं धुँआ पैदा करना xiii) ड्राइवर केबिन में पोर्टेबल अग्निशमन की अनुपस्थिति xiv) होस्ट प्लेटफार्म को गार्ड करने में विफलता xv) होस्ट रोप मूवमेंट क्षेत्र की घेराबंदी न होना xvi) होस्ट प्लेटफार्म का हॉरीजेन्टल स्थिति में न होना	प्रति एकल उल्लंघन 50,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 5,00,000/- रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
15	लॉचिंग आपरेशन	खंड 22.2 में उल्लेखित किसी प्रावधान का गैर अनुपालन	प्रथम उल्लंघन पर 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु.
16	साइट इलेक्ट्रीकल सेफ्टी	i) खंड 26.1.1 का गैर अनुपालन ii) खंड 26.2.4, 26.2.5 का गैर अनुपालन iii) खंड 26.3.1 का गैर अनुपालन iv) खंड 26.7, 26.8 तथा 26.9.1 का गैर अनुपालन v) खंड 26.10 तथा 26.13 का गैर अनुपालन vi) खंड का गैर अनुपालन vii) वर्क प्लेस में इलेक्ट्रीक लाइन एवं सर्किट विस्तार (फरमेन्टेटिव क्षति) viii) सॉकेट में नंगी तारें घुसाना ix) इलेक्ट्रीकल एप्लांयसेंस के लिए अनुचित ग्राउंडिंग x) ग्राउंड पर रनिंग इलेक्ट्रीकल केबलस xi) खंड 27.0 का गैर अनुपालन	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
17	हैंड टूल्स एवं पावर टूल्स	खंड 28.0 का गैर अनुपालन	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
18	गैस कटिंग	i) सिलेंडर की गलत कलर कोडिंग ii) सिलेंडर सीधा न रखा गया हो iii) फ्लैश बैक अरेस्टर, नॉन-रिटर्न वाल्व तथा रेगुलेटर उपस्थित न होना या वर्किंग कंडिशन में न होना iv) सिलेंडर को सिलेंडर ट्रॉली में रखने में विफल v) क्षतिग्रस्त होस vi) घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर का प्रयोग vii) सिलेंडर को ज्वलनशील सामग्री से 6.6 मीटर की दूरी पर रखने में विफल viii) होस क्लैम्प के प्रयोग में विफल ix) ऑपरेशन के दौरान अग्निशमन का नजदीक न होना	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
19	वैल्डिंग	i) वोल्टमीटर एवं एम्मीटर वर्किंग न हो ii) अनुचित ग्राउंडिंग एवं रिटर्न पाथ iii) क्षतिग्रस्त वैल्डिंग केबल iv) केबल में बेयर ओपनिंग v) ट्रांसफार्मर में अलग स्विच की गैर उपलब्धता vi) वैल्डिंग यूनिट की पॉवर को स्विच ऑफ करने के लिए अलग स्विच का उपलब्ध न होना vii) रिटर्न कंडक्टर के रूप में रिइनफोर्समेंट का प्रयोग viii) क्षतिग्रस्त होल्डर ix) ऑपरेशन के दौरान अग्निशमन का नजदीक न होना	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 50,000/- रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
20	आग से संरक्षोपाय	i) अग्नि प्रणत क्षेत्र में धूम्रपान एवं ओपन फ्लेमस ii) अग्नि प्रणत क्षेत्र में 24 वोल्ट से अधिक पोर्टेबल इलेक्ट्रीकल एप्लायंसेस का प्रयोग iii) सिलेंडर भंडारन क्षेत्र में उचित वैटींलेशन न होना iv) अग्निश्मन की अनुपस्थिति v) अग्निश्मन को वर्ष में एक बार रिफिल न करना vi) अग्निश्मन को आसानी से पहुँचने वाले लोकेशन पर न रखना	प्रति एकल उल्लंघन 5,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 25,000/- रु.
21	खुदाई, सुरंग बनाना एवं सीमित क्षेत्र	i) खंड 34.1.1 का गैर अनुपालन ii) खंड 34.2.3 का गैर अनुपालन iii) खंड 34.3 का गैर अनुपालन	(i)एवं(ii) से किसी मद के लिए प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 50,000/- रु.। प्रति प्रथम उल्लंघन 10,000/-रु तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000/-रु.
22	वर्क परमिट सिस्टम	i) खंड 35.2 का गैर अनुपालन ii) खंड 21.11.9 का गैर अनुपालन	मद(i)एवं (ii) के लिए प्रति प्रथम उल्लंघन पर 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रु.
23	यातायात	i) खंड 36.4.1 का गैर अनुपालन ii) खंड 36.8.3 का गैर अनुपालन iii) खंड 36.9.2 का गैर अनुपालन iv) खंड 36.9.3 का गैर अनुपालन v) खंड 36.9.7 का गैर अनुपालन vi) खंड 36.9.8 का गैर अनुपालन	प्रति प्रथम उल्लंघन पर 1,00,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 2,00,000/- रु.
		क) बैरीकेडस i) साफ न हो ii) अलायन्मेंट में नहो iii) नम्बर न दिया गया हो iv) पेंट न किया हो v) रेड लाइट/रिफ्लैक्टर काम न करते हों vi) क्षतिग्रस्त की मरम्मत न की गई हो vii) उचित प्रकार से संरक्षित न हो viii) बैरीकेड निरीक्षक तैनात न हो ix) पॉटरूडिंग पार्ट/हिस्से की मरम्मत न होना x) बैरीकेड अनुरक्षण रजिस्टर उचित प्रकार से अनुरक्षित न हो।	प्रति एकल उल्लंघन 25,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
		ख) संविदाकार के वाहन i) वाहनों की ओवर लोडिंग ii) अनफिट ड्राइवर या आपरेटर iii) बिना लाइसेंस वाले वाहन iv) ट्रैफिक मार्शल की अनुपस्थिति v) रिवर्सिंग अलार्म न होना vi) फॉग लाइट न होना (सर्दियों में) vii) पावर/हैंड ब्रेक का वर्किंग स्थिति में न होना	प्रति एकल उल्लंघन 25,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
		ग) सड़कों पर बेनटोनाइट की स्प्लैसिंग/डम्पर्स एवं ट्रांजिट मिक्सर के टायरों की क्लीनिंग न करना i) बेनटोनाइट की मिस हैंडलिंग जैसे बैरीकेडिंग की विनिर्दिष्ट चौड़ाई के बाहर बेनटोनाइट की स्प्लैसिंग । ii) साइट छोड़ने से पूर्व डम्पर्स एवं ट्रांजिट मिक्सर के टायरों की क्लीनिंग न करना तथा सड़क प्रयोगकर्त्ताओं के लिए ट्रैफिक संरक्षा हेतु खतरा पैदा करना	मद (i) एवं (ii)के लिए क) प्रथम टिप्पणी पर 1,00,000/-रु. ख) द्वितीय टिप्पणी पर 2,00,000/-रु. ग) तृतीय एवं उत्तरवर्ती टिप्पणी पर 3,00,000/-रु.
24	बैचिंग प्लांट/का स्टिंग यार्ड	खंड 38.0 में उल्लेखित किसी एक प्रावधान का गैर अनुपालन	एकल उल्लंघन के लिए 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
25	पी.पी.ई	i) न रखना ii) न पहनना (या) न प्रयोग करना तथा कहीं और रखना iii) क्षतिग्रस्त का प्रयोग करना iv) गलत प्रकार का प्रयोग करना v) गलत रंग के हैलमेट या हैलमेट का प्रयोग vi) अन्य ऑपरेशन के लिए प्रयोग (उदाहरण-सामग्री भंडारन या पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना) vii) बी.आई.एस मानक के अनुरूप न होना viii) खंड 39.6, 39.7 तथा 39.8 का गैर अनुपालन	मद (i) से (vi) प्रति एकल उल्लंघन 200/-रु । मद (vii) प्रथम उल्लंघन के लिए 10,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000/-रु.। मद (viii) के प्रथम उल्लंघन 50,000/-रु. तथा उत्तरवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000/-रु.

क्र. सं	विषय	असुरक्षित कृत्य/असुरक्षित स्थिति	कटौती की जाने वाली राशि
26	व्यावसायिक स्वास्थ्य	i) वर्करों की चिकित्सा जांच संचालित करने में असफल ii) एम्बूलेंस वैन एवं कमरे की अनुपस्थिति iii) वर्करों के पास पहचान पत्र न होना iv) शौचालयों की अपर्याप्त संख्या v) शौचालय उचित प्रकार से साफ न करना vi) शौचालय एवं वाशिंग प्लेस के लिए पानी की सुविधा न होना। vii) शौचालय का वर्क साइट से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित होना। viii) पीने का पानी न होना ix) वर्क साइट पर प्राथमिक उपचार करने वाले की अनुपस्थिति x) प्राथमिक उपचार बॉक्स की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता xi) प्राथमिक उपचार बॉक्स का दुर्पयोग xii) प्राथमिक उपचार बॉक्स संतोषप्रत एवं पूर्ण न होना xiii) निर्माण साइट के अंदर धूम्रपान xiv) ड्रिंक एण्ड ड्राइव या वर्क xv) अत्यधिक आवाज एवं कंपन xvi) कैन्टीन उपलब्ध न हो xvii) न लाभ न हानि आधार पर खाना उपलब्ध न कराना xviii) शीशु घर उपलब्ध न कराना xix) बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए के अनुसार आवास उपलब्ध न कराना xx) मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए धुँआ/कीटनाश का छिड़काव न करना xxi) खंड 44.1 तथा 44.2 का गैर अनुपालन	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 1,00,000/- रु.
27	श्रमिक कल्याण उपाय	i) बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए के श्रम कल्याण प्रावधानों का गैर अनुपालन ii) संस्था को रजिस्टर कराने तथा वर्क प्लेस में पंजीकरण नम्बर एवं प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने में असफल iii) वर्कर्स रजिस्टर एवं रिकार्ड की अनुपस्थिति iv) मस्टर-रोल एवं वेतन रजिस्टर की अनुपस्थिति v) बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए तथा राज्य बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सार को प्रदर्शित करने में असफल	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 50,000/- रु.
28	पर्यावरण प्रबंधन	i) टायर वॉश सुविधा उपलब्ध न हो ii) वाहनों से रिसाव को साफ न करना iii) एयर मॉनीटरिंग की परम्परा न होना iv) आवाज मॉनीटरिंग की प्रक्रिया न होना v) एयर मॉनीटरिंग तथा आवाज मॉनीटरिंग की वैल्यू स्वीकार्य सीमा में न हो। vi) साइट पर डस्ट नियंत्रण उपाय की प्रक्रिया न हो। vii) मलवा/अपशेष का अनुचित निपटान	प्रति एकल उल्लंघन 10,000/-रु तथा किसी एकल घटना पर अधिकतम समायोजित 50,000/- रु.

29	विद्यमान रेलवे ट्रैक के नजदीक वर्किंग	i) आवश्यकता के अनुसार घेराबंदी किए बिना कार्य प्रारंभ करना ii) वर्क परमिट के बिना या अनुमोदित प्यान के बिना स्टेशन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करना iii) अनुमोदित प्लान एवं वर्क परमिट के बिना आर.एफ.ओ/आर.ओ.बी. के लिए गार्डर लांउच करना iv) किसी वाहन/निर्माण उपकरण द्वारा मूविंग डायमेंशन के उल्लंघन के कारण रनिंग ट्रेन के कारण यातायात में बाधा, यात्री को चोट/अपमृत्यु की घटना	

59.4 खंड 59.3 में उपरोक्त उल्लेखित असुरक्षित कृत्य या स्थितियों तक सीमित न रहते हुए नियोक्ता को अधिकार है कि मामले के आधार पर परिस्थितियों के ग्रैवीटि पर आधारित किसी अन्य असुरक्षित कृत्य या स्थिति के लिए प्रभार कटौती कर सकता है। प्रभार उसी प्रकार के अपराध की तुलना में होंगे जैसा कि खंड 59.3 में दर्शाए गए हैं।

60.0 कार्य रोकना

60.1 जब नियोक्ता को लगेगा कि किए जा रहे कार्य के तरीके से दुर्घटना हो सकती है और किसी व्यक्ति तथा/या सम्पत्ति, तथा/या उपकरण की संरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह स्वयं के निर्देश पर कार्य रोक सकता है। ऐसे मामलों में, संविदाकार को खतरे की प्रकृति तथा संभावित चोट/दुर्घटना के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाए।

60.2 संविदाकार तब तक कार्य जारी नहीं रखेंगे जब तक नियोक्ता को प्रत्येक निर्देश के अनुपालन हेतु संतुष्ट न कर दें।

60.3 संरक्षा कारणों से वर्क को रोकने के लिए संविदाकार किसी क्षति/मुआवजा का पात्र नहीं होंगे और वर्क के ऐसे ठहराव की अवधि को सुविधा को पूरा करने के लिए समय के विस्तार के रूप में न लिया जाए और लिक्विडेटेड डैमेज की वसूली को समाप्त करने के लिए ग्राउंड नहीं होगा।

61.0 पुरस्कार

नियोक्ता के प्रैक्टिस में योजना के अनुसार पुरस्कार के लिए निम्न संवर्गों पर विचार किया जाएगा:-

i) बिना किसी रिपोर्टेबल दुर्घटना के प्रत्येक सेफ मिलियन मैन ऑवर वर्किंग के लिए
ii) शून्य अपमृत्यु संविदा
iii) संविदा की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी दुर्घटनाओं की स्वैच्छिक रिपोर्टिंग का 100% अनुपालन
iv) वर्ष की सबसे संरक्षित योजना टीम
v) वर्ष की श्रेष्ठ एस.एच.ई टीम
vi) वर्ष का सबसे सुरक्षित संविदाकार

<u>परिशिष्ट सं.1</u>

संविदा कार्य के सुरक्षित निष्पादन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा संविदाकार के बीच सहमति ज्ञापन

यह सहमति ज्ञापन डी.एफ.सी.सी.आई.एल द्वारा एवं के बीच बनाया एवं निष्पादित किया जाता है जोकि कम्पनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है और 5वीं मंजिल प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन कॉम्पलैक्स नई दिल्ली-110001 पर इसका पंजीकृत कार्यालय है या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं, इसमें इसके पश्चात एक पार्टी के रूप में "नियोक्ता" के रूप में संदर्भित होंगे (जो अभिव्यक्ति जहां पाठ के अनुसार अपेक्षित हो या स्वीकार्य हो माना जाएगा और व्यवसाय में इसके उत्तराधिकारी को शामिल करेगा और नियत करेगा)

और

मैर्सस _____जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है इसमें इसके पश्चात "संविदाकार" के रूप में अन्य पार्टी के रूप में संदर्भित होगा। (जो अभिव्यक्ति जहां पाठ के अनुसार अपेक्षित हो या स्वीकार्य हो माना जाएगा और व्यवसाय में इसके उत्तराधिकारी को शामिल करेगा और नियत करेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि

नियोक्ता कार्य के निष्पादन के दौरान व्यावसायकि संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को अधिकतम महत्व देंगे, इसके लिए संविदाकार से सहयोग अपेक्षित है।

इस प्रकार, यह सहमति ज्ञापन वर्क प्लेस/साइट पर संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के अपेक्षित पहलूओं को समर्थन के लिए है और संविदाकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी जॉब के लिए लागू होंगे ।

और

जबकि संविदाकार ने नियोक्ता की सभी निबंधन एवं शर्तो को पढ़ लिया है और संविदाकार ने निम्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है:

क) निविदा आमंत्रण सूचना, सामान्य शर्तें, विशेष शर्तों सहित निविदा दस्तावेज।

ख) संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर संविदा की शर्तें तथा डी.एफ.सी.सी.आई.एल का संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल।

ग) बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर अधिनियम 1996, केन्द्रीय नियम 1998 (रोजगार के विनियम तथा सर्विस की शर्तें) तथा बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर कल्याण उपकर अधिनियम 1996 तथा नियम 1998.

घ) भारतीय बिजली अधिनियम2003 तथा नियम 1956

ङ) फैक्टरी अधिनियम,1948

च) तदनुसार भारतीय मानक कोड का अंतर्राष्ट्रीय/ब्यूरो

समय-समय पर नियोक्ता द्वारा उपरोक्त निर्धारित नियमों तथा अन्य किसी नियमों एवं विनियमों या प्रक्रिया, परिपत्र, सूचना एवं परामर्श का कोई संशोधन ।

अत: एतदद्वारा नियोक्ता एवं संविदाकार द्वारा एवं बीच निम्न प्रकार सहमति एवं घोषणा की जाती है:

खंड-I डी.एफ.सी.सी.आई.एल के संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संविदा की शर्तों तथा संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का संविदाकार पालन करेंगे।

खंड-II संविदाकार वर्क प्लेस/साइट पर जॉब के सुरक्षित निष्पादन एवं अपने कर्मचारियों तथा सार्वजनिक लोगों की संरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे ।

खंड-III कर्मचारियों की संरक्षा तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा कार्य की संरक्षा के सुधार के मद्देनजर, नियोक्ता समय-समय पर बिना पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से किसी या सभी निबंधन एवं शर्तों में सम्मिलित/या संशोधन करने के पात्र होंगे और यह संविदाकार पर बाध्यकर होगा। संविदाकार ऐसे सभी संशोधनों को कार्यान्वित करने से सहमत होंगे जोकि नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

खंड-IV उपरोक्त के अलावा उक्त उल्लेखित विभिन्न संरक्षा प्रक्रिया/दस्तावेजों में दिए दिशानिर्देशों, संरक्षा नियमों एवं विनियमों, संरखा कोड का अनुसरण कर संविदाकार विस्तृत प्रक्रिया विवरण तैयार करेंगे जिसमें जॉब संरक्षा विश्लेषण सम्मिलित है, और जहां कहीं भी जटिल एवं खतरनाक/हाई रिस्क वर्किंग सम्मिलित है वहां कार्य के निष्पादन से पूर्व नियोक्ता से इसे अनुमोदित कराएंगे। संविदाकार सेफ हैंडलिंग के लिए नियोक्ता के वर्कस मेनुअल, कैमीकल का मैटेरियल सेफ्टी डेटा शीट (एम.एस.डी.एस) तथा उपकरण का अनुदेश मेनुअल का पालन करेंगे ।

खंड-V संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण तथा डी.एफ.सी.सी.आई.एल के परियोजना संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल पर संविदा की शर्तों के किसी प्रावधानों के कार्यान्वयन में लापरवाही या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रतिष्ठा की क्षति के लिए संविदाकार द्वारा नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करनी होगी। मामलों के आधार पर क्षति की लागत नियत है।

साक्ष्य के रूप में पार्टियां प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत ____20___ को यह सहमति ज्ञापन निष्पादित करती है।

हस्ताक्षर दिनांक _____	हस्ताक्षर दिनांक _____
डी.एफ.सी.सी.आई.एल की ओर से और के लिए	संविदाकार के लिए और की ओर से
_____	_____
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
नाम:	नाम:
विषय:	विषय:

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम 1996 तथा नियम 1998 के अनुसार संरक्षा, कल्याण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं ।

(यह सूची अधिनियम की धारा के प्राथमिक महत्व तथा नियमों के अनुपूरक महत्व के अनुसार कालानुक्रम के अनुसार तैयार की गई है)

एस- बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए.आर में संदर्भित सुसंगत धारा

आर- बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर.सी में संदर्भित सुसंगत धारा

सी- बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर में संदर्भित सुसंगत अध्याय सं.

क्र.सं.	मद	बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए. तथा बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर की सुसंगत धारा/नियम (संदर्भ के अनुसार दर्शाए नियम नम्बर दिल्ली बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर से हैं। संबंधित राज्य बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम लागू होंगे)
1.	संगठन का पंजीकरण	एस-7, आर-23 से 27
2.	वर्क प्लेस पर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना	आर-26(5)
3.	कार्य के घंटे	एस-28, आर-234 से 237
4.	ओवर टाइम का रजिस्टर	एस-28, एस-29, आर-241(1) से XXII(119)
5.	साप्ताहिक विश्राम एवं विश्राम पर भुगतान	आर-235
6.	नाइट शिफ्ट	आर-236
7.	वर्कर रजिस्टर एवं रिकार्ड का अनुरक्षण	एस-30, आर-238(119)
8.	प्रारंभ एवं समापन का नोटिस	एस-46, आर-239
9.	बिल्डिंग वर्कर के रूप में तैनात कर्मचारियों का रजिस्टर	आर-240
10.	मस्टर रोल एवं वेतन रजिस्टर	आर-241(1)(क); फार्म XIX, XX, XXI(120)
11.	वेतन का भुगतान	आर-248
12.	वेतन के संबंध में सूचना का प्रदर्शन	आर-249
13.	क्षति या हानि का रजिस्टर	आर-241(1)(क); फार्म XIX, XX, XXI
14.	वेतन बुक जारी करना	आर-241(2)(क); फार्म XXII
15.	प्रत्येक वर्कर के लिए सर्विस प्रमाणपत्र	आर-241(2)(ख); फार्म XXIV
16.	बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए तथा बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सार का प्रदर्शन	आर-241(5)
17.	वार्षिक रिटर्न	आर-242; फार्म XXV
18.	पीने का पानी	एस-32
19.	शौचालय एवं पेशाबघर	एस-33, आर-243
20.	आवास	एस-34

क्र.सं.	मद	बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए. तथा बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर की सुसंगत धारा/नियम (संदर्भ के अनुसार दर्शाए नियम नम्बर दिल्ली बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर से हैं। संबंधित राज्य बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम लागू होंगे)
21.	शिशुकेन्द्र	एस-35
22.	प्राथमिक उपचार बाक्स	एस-36, आर-231 एवं अनुसूची-III
23.	कैन्टीन	एस-37, आर-244
24.	खाद्य सामग्री एवं कैन्टीन में सर्व किए जाने वाली अन्य मदें	आर-245
25.	वर्क प्लेस में चाय एवं सनैक्स की सप्लाई	आर-246
26.	न लाभ न हानि आधार पर खाद्य प्रभार	आर-247
27.	दिल्ली बी.ओ.सी.डब्ल्यू कल्याण बोर्ड नियम	आर-250 से 296
28.	संरक्षा समिति	एस-38 आर-208
29.	संरक्षा अधिकारी	एस-30, आर-209 तथा अनुसूची-VII
30.	दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं की रिपोर्टिंग	एस-39, आर-210
31.	दुर्घटनाओं के कारणों में जांच की प्रक्रिया	आर-211
32.	नियोक्ता की जिम्मेवारी	एस-44 आर-5
33.	अभिलेखागार, परियोजना इंजीनियर तथा डिजाइनर की जिम्मेवारी	आर-6
34.	वर्कमैन की जिम्मेवारी	आर-8
35.	वेतन एवं मुआवजा के भुगतान की जिम्मेवारी	एस-45
36.	दंड एवं प्रक्रिया	एस-47, एस-55
37.	अत्यधिक आवाज, कंपन इत्यादि	आर-34
38.	अग्नि संरक्षण	आर-35
39.	आपातकालीन कार्य योजना	आर-36
40.	मोटर की घेराबंदी	आर-37
41.	अत्यधिक वजन के वहन की लिफ्टिंग	आर-38
42.	स्वास्थ्य, संरक्षा तथा पर्यावरण नीति(डी.एफ.सी.सी की वेबसाइट पर उपलब्ध)	आर-39
43.	खतरनाक एवं हानिकारक पर्यावरण	आर-40
44.	ओवरहैड संरक्षण	आर-41
45.	फिसलने, ट्रीपिंग, कटिंग, ड्राउनिंग एवं गिरने का खतरा	आर-42
46.	धूल, गैस, धूँआ इत्यादि	आर-43
47.	जंग पदार्थ	आर-44
48.	ऑखों का संरक्षण	आर-45
49.	सिर का संरक्षण एवं अन्य संरक्षण परिधान	आर-46, आर-54
50.	बिजली से खतरा	आर-47
51.	वाहनों का यातायात	आर-48
52.	ढांचे की स्थिरता	आर-49
53.	प्रकाश	आर-50, आर-124
54.	सामग्री का ढेर	आर-51

क्र.सं.	मद	बी.ओ.सी.डब्ल्यू.ए. तथा बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर की सुसंगत धारा/नियम (संदर्भ के अनुसार दर्शाए नियम नम्बर दिल्ली बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर से हैं। संबंधित राज्य बी.ओ.सी.डब्ल्यू.आर के सुसंगत नियम लागू होंगे)
55.	मलवा का निपटान	आर-52
56.	मंजिलों की नम्बरिंग एवं मार्किंग	आर-53
57.	लिफ्टिंग एप्लांयसेस एवं गियर्स	सी-VII; आर-55 से 81
58.	रनवे एवं रैम्प	सी-VII; आर-82 से 85
59.	पानी पर या नजदीक काम करना	सी-IX; आर-86 से 87
60.	ट्रांसपोर्ट एवं अर्थमूविंग उपकरण	सी-X; आर-88 से 95
61.	कंक्रीट वर्क	सी-XI; आर-96 से 107
62.	ढ़ाहना	सी-XII; आर-108 से 118
63.	खुदाई एवं सुरंग का कार्य	सी-XIII; आर-119 से 168
64.	वैंटीलेशन	आर-153
65.	स्टेप रूफ का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण	सी-XIV; आर-169 से 171
66.	लैडर एवं स्टेप लैडर्स	सी-XV; आर-172 से 174
67.	कैच प्लेटफार्म तथा होर्डिंगस, च्यूट, संरक्षा बैल्ट तथा नेट	सी-XVI; आर-175 से 180
68.	ढांचा फ्रेम तथा फ्रेमवर्क	सी-XVII; आर-181 से 185
69.	स्टैकिंग एवं अनस्टैकिंग	सी-XVIII; आर-186 से 187
70.	मंच	सी-XIX; आर-188 से 205
71.	कॉर्फडैम्स तथा गोलाबारूद	सी-XX; आर-206 से 211
72.	विस्फोटक	सी-XXI; आर-212 से 213
73.	पाइलिंग	सी-XXII; आर-214 से 222
74.	बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्करों, क्रेन आपरेटर तथा परिवहन वाहन ड्राइवरों के लिए चिकित्सा जांच	आर-81; आर 223(क)(iii) एवं अनुसूची-XII
75.	व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा के लिए चिकित्सा जांच	आर 223(क)(IV)
76.	चिकित्सा जांच के लिए वर्करों से चार्ज करना	आर 223(ख)
77.	व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा अधिकारी	आर-225 तथा अनुसूची X एवं XI
78.	एम्बूलेंस वैन एवं रूम	आर-226 एवं 227 तथा अनुसूची IV एवं V
79.	स्ट्रैचर	आर-228
80.	बिल्डिंग वर्करों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्विस	आर-229
81.	व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए चिकित्सा जांच	आर-223(क)(IV)
82.	आपातकालीन केयर सर्विस तथा आपातकालीन ट्रीटमेंट	आर-232
83.	विशेषज्ञों तथा एजेंसी का पैनल	केन्द्रीय नियम 250 दिल्ली नियम 297
84.	निरीक्षकों की शक्ति	केन्द्रीय नियम 251 दिल्ली नियम 298

परिशिष्ट सं.3

साइट संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण योजना

संविदा संख्या:

संविदाकार का नाम:

परियोजना का नाम:

1. परियोजना विशिष्टिता
   i) अंतर्वस्तु का शीर्षक
   ii) संविदाकार का नम्बर
   iii) कार्य का संक्षिप्त कार्यक्षेत्र
   iv) लोकेशन मानचित्र/मुख्य योजना
   v) परियोजना की अवधि
2. संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण नीति
3. साइट का सं.स्वा.प. संगठनात्मक चार्ट
   सं.स्वा.प. कर्मचारियों की रिपोर्टिंग को दर्शाता चार्ट
4. भूमिका एवं जिम्मेवारी
   i) परियोजना प्रबंधक
   ii) निर्माण प्रबंधक
   iii) निर्माण पर्यवेक्षक
   iv) सं.स्वा.प. समिति के सदस्य
   v) सं.स्वा.प. प्रभारी
   vi) साइट इंजीनियर
   vii) फर्स्ट लाइन पर्यवेक्षक
   viii) उप-संविदाकार
5. सं.स्वा.प. समिति
   i) विवरण- अध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा नियोक्ता के प्रतिनिधि
   ii) बैठक के प्रभावी संचालन के लिए प्रक्रिया
6. संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रशिक्षण
7. उप संविदाकार का मूल्यांक, चयन एवं नियंत्रण
8. सं.स्वा.प. निरीक्षण
9. सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा
10. दुर्घटना एवं इसका टलना या खतरनाक घटना की जांच एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया
11. व्यावसायिक स्वास्थ्य उपाय
12. मजदूर कल्याण उपाय
13. जोखिम आकलन एवं कम करने की प्रक्रिया
14. सुरक्षित कार्य की प्रक्रिया:-
    i) ऊँचाई पर कार्य
    ii) स्टील के ढांचे का निर्माण
    iii) सेगमेंट की लांउचिंग
    iv) फ्लोर, वॉल ओपनिंग एवं स्टेयरवेस
    v) वैल्डिंग, कटिंग एवं ब्रेसिंग
    vi) लेफ्टिंग एप्लांयसेस
    vii) वर्क परमिट सिस्टम

viii) बिजली के उपकरण

ix) यांत्रिक उपकरण

x) खुदाई

xi) अग्नि संरक्षण

xii) खतरनाक रासायनिक द्रव

xiii) लोनीजिंग रेडीएशन

xiv) लाइटिंग

xv) अब्रेसिव ब्लास्टिंग

15. वर्क परमिट सिस्टम
16. साइट में प्रयोग किए जाने वाले मानक जॉब विनिर्दिष्ट पी.पी.ई की सूची
17. निर्माण उपकरण तथा मशीनरी के लिए प्रणाली का अनुरक्षण
18. यातायात प्रबंधन
19. हाउसकीपिंग
20. पर्यावरण प्रबंधन
21. आपातकालीन प्रबंधन
22. आगंतुक एवं सुरक्षा व्यवस्था

परिशिष्ट सं.4

संविदाकारों द्वारा तैनात वर्कमैनके लिए एच.आई.वी/एड्स निवारण एवं नियंत्रण पर वर्कप्लेस नीति ।

"स्वयं के मोबाइल रहने पर एच.आई.वी. संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। इस स्थिति का सामना करना है और मोबीलिटि या स्थानांतरण के दौरान चाल चलन संभवत: आकर्षित करता है जिससे एच.आई.वी/एड्स के संबंधमें दोषपूर्णता तथा जोखिम में वृद्धि होती है।"

जनसंख्या, मोबीलिटि तथा एड्स पर अनएड्स, तकनीकी अद्यतन, फरवरी 2001, पी-5

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एच.आई.वी/एड्स को विकासात्मक चुनौती के रूप में मान्यता देता है और नियमित एच.आई.वी/एड्स रोकथाम कार्यक्रम को कार्यान्वित कर तथा संविदाकारों द्वारा तैनात एच.आई.वी. संक्रमित वर्कमैन के लिए गैर-पक्षपातपूर्ण वर्क पर्यावरण तैयार कर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता को चरितार्थ करना है । एच.आई.वी./एड्स की वास्तविकता संबोधन में कर्त्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता एवं सहानुभूति निर्णय करने के उद्देश्य के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल ने एच.आई.वी./एड्स पर प्रैक्टिस के आई.एल.ओ.कोड पर आधारित ये दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं ।

- स्थानांतरित वर्करों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आई.ई.सी(सूचना, शिक्षा एवं संचार) का प्रयोग करते हुए व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।
- परियोजना कार्यान्वयन टीम, संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (सं.स्वा.प.) प्रबंधकों को प्रशिक्षण द्वारा संस्थागत क्षमता निर्माण करना, त्रुटिपूर्ण निदान के लिए संपर्क स्थापित करना तथा प्रभावित वर्करों का उपचार, और जानकारी के लिए कार्यान्वयन एवं दस्तावेजों की प्रभावी मॉनीटरिंग।
- संविदाकारों से परामर्श कर समकक्ष प्रशिक्षकों का चयन करना और व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देना ताकि वे संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान वर्कमैन के बीच किसी सूचना, शिक्षा तथा जागरूकता अभियान के लिए केन्द्रीय बिन्दु बन सके।
- कॉनडोम के सामाजिक विपणन का प्रचार।

संविदा वैल्यू पर आधारित सं.स्वा.प. संगठन की न्यूनतम जनशक्ति आवश्कता

	1	2	3	4	5	6
संविदा वैल्यू (करोड़ रु. में)	मुख्य सं.स्वा.प. प्रबंधक/प्रधान	वरिष्ठ सं.स्वा.प. प्रबंधक	सं.स्वा.प. प्रबंधक	संरक्षा कर्मचारी	वरिष्ठ सं.स्वा.प. बिजली इंजीनियर	सं.स्वा.प. बिजली इंजीनियर
2 तक	-	-	1	संदर्भित नोट 1	-	1
>2-10	-	1	संदर्भित नोट 1		1	संदर्भित नोट 2
>10-25	1	संदर्भित नोट 1			1	
>25-100	1				1	
>100-250	1				1	
>250	1				1	

	7	8	9	10	11	12	13
संविदा वैल्यू (करोड़ रु. में)	सं.स्वा.प. (अग्नि) इंजी/ वरिष्ठ सं.स्वा.प.(अग्नि) इंजीनियर	नोशिंग सहायक के साथ ओ.एच.अधिकारी (संदर्भित नोट3)	पर्यावरण इंजीनियर	वरिष्ठ सं.स्वा.प. (यातायात)(इंजीनियर)(संदर्भित नोट 4)	बैरीकेड अनुरक्षण दस्ता (संदर्भित नोट 4)	हाउस कीपिंग दस्ता	मजदूर कल्याण अधिकारी
2 तक	-	-	-	-	संदर्भित नोट 5	संदर्भित नोट 6	-
>2-10	-	1(पी.टी.)	1	1			1
>10-25	1	1(पी.टी.)	1	1			1
>25-100	1	1(पी.टी.)	1	1			1
>100-250	1	2(एफ.टी.)	1	1			1(स्पोर्ट स्टाफ के साथ)
>250	2	2(एफ.टी.)	1(स्पोर्ट स्टाफ के साथ)	1			1(स्पोर्ट स्टाफ के साथ)

नोट:

1. प्रत्येक वर्क साइटपर प्रत्येक शिफ्ट में अपेक्षित स्पोर्ट स्टॉफ के साथ पर्याप्त, योग्य तथा प्रशिक्षित सं.स्वा.प. व्यावसायिक तैनात किए जाएं।
2. प्रत्येक वर्क साइट पर प्रत्येक शिफ्ट में पर्याप्त, योग्य तथा प्रशिक्षित बिजली इंजीनियर/पर्यवेक्षक तैनात किए जाएं ।

3. (पी.टी.) का अर्थ है पार्ट-टाइम तथा (एफ.टी.) का अर्थ है फुल-टाइम
4. वरिष्ठ सं.स्वा.प.(यातायात) इंजीनियर का पद तथा बैरीकेड प्रबंधक का (कर्मचारी सहित) पद उन संविदाओं पर लागू होगा जहां कार्य राइट-ऑफ-वे के नीचे या ऊपर जैसे-पुल, सुरंग संविदा से संबंधित निष्पादित किया जाना हो और बैरीकेडस का निर्माण एवं अनुरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो।
5. एक बैरीकेड प्रबंधक के साथ पर्यवेक्षक एवं वर्कमैन अपेक्षित हैं।
6. एक हाउसकीपिंग प्रबंधक के साथ पर्यवेक्षक एवं वर्कमैन अपेक्षित हैं।

सामान्य अनुदेश: डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./02

(सं.स्वा.प.) संरक्षा, बिजली, पर्यावरण, यातायात इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य (ओ.एच.) व्यावसायिक के लिए न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव.

क्र. सं.	पदनाम	अर्हता	अनुभव (वर्षों में)
1.	मुख्य सं.स्वा.प. प्रबंधक/ प्रधान, सं.स्वा.प.	निम्न में से कोई: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई श्रम मंत्रालय के अंतर्गत सी.एल.आई में औद्योगिक संरक्षा में 1 वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम। ii) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई से औद्योगिक संरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन (पी.जी.डी.आई.एस.एम.ई) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा iii) एन.आई.टी, त्रिच्ची से औद्योगिक संरक्षा में एम.ई. iv) मैपको शैल्नेक इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवकाशी, तमिलनाडू से औद्योगिक संरक्षा में एम.ई v) राष्ट्रीय फायर सर्विस कॉलेज से बी.ई(अग्नि) तथा सी.एल.आई से औद्योगिक संरक्षा पर 1 वर्ष का कोर्स । vi) कोचीन/इंदौर विश्वविद्यालय से फायर एवं संरक्षा इंजीनियरिंग में बी.ई । vii) एन.आई.सी.एम.ए.आर, हैदराबाद से एक वर्ष का पूर्णकालिक एडवांस संरक्षा डिप्लोमा के साथ बी.ई/बी.आर्च viii) बी.ई/बी.टेक, साथ में संरक्षा में समतुल्य राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिग्री/डिप्लोमा ix) अंतर्राष्ट्रीय अर्हता जैसे-सी.एस.पी(प्रमाणित संरक्षा वृत्तिक), एन.ई.बी.ओ.एस.एच, एम.आई.ओ.एस.एच, एम.एस.आई.एस.ओ इत्यादि ।	2{या (IV) को छोड़कर सभी संवर्ग तथा संवर्ग(IV) के लिए 5 वर्ष}
2.	वरिष्ठ सं.स्वा.प. प्रबंधक (संदर्भित नोट 3)	1. जैसाकि क्रम सं.1 में दिया गया है या निम्न संवर्ग: i) विज्ञान स्नातक (भौतिक/रसायन/गणित) साथ में एन.आई.सी.एम.ए.आर, हैदराबाद से एक वर्ष का पूर्णकालिक एडवांस संरक्षा डिप्लोमा । ii) सी.एल.आई/आर.एल.आई/मुंबई/चैन्नई/कोलकाता एवं कानपुर एडवांस संरक्षा प्रबंधन डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक/डिप्लोमा । iii) विज्ञान स्नातक (भौतिकी/रसायन/गणित) साथ में पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग तथा अन्य राज्यों द्वारा इसी प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा प्रस्तावित संरक्षा इंजीनियरिंग में एक वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा। iv) कोई स्नातक या डिप्लोमा धारक जिसे मामले के आधार पर नियोक्ता के पूर्वानुमोदन के साथ किसी सार्वजनिक उपक्रम/शीर्ष निजी क्षेत्रक/एम.एन.सी के सं.स्वा.प. विभाग में कार्य करने का 7 वर्ष का अनुभव हो।	2{केवल संवर्ग(i), (ii) तथा (iii) के लिए}
3.	सं.स्वा.प. प्रबंधक (संदर्भित नोट 3)	i) विज्ञान में डिग्री/इंजीनियरिंग डिप्लोमा साथ में एन.आई.सी.एम.ए.आर, अन्नामलाइ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय तथा राज्य उत्पादकता परिषद, अन्य राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड इत्यादि से सरकारी मान्यता प्राप्त संरक्षा डिप्लोमा. ii) कोई स्नातक या डिप्लोमा धारक साथ में किसी सार्वजनिक क्षेत्रक/शीर्ष निजी क्षेत्रक/एम.एन.सी/तथा मामले के आधार पर नियोक्ता के पूर्वानुमोदन के साथ सं.स्वा.प. विभाग में 5 वर्ष के कार्य का अनुभव।	2(केवल संवर्ग (i) के लिए)

क्र. सं.	पदनाम	अर्हता	अनुभव (वर्षों में)
4.	संरक्षा कर्मचारी (संदर्भित नोट3)	मूल रूप से सं.स्वा.प. से संबंधित प्रमाणपत्र	2
5.	वरिष्ठ सं.स्वा.प बिजली प्रबंधक	बिजली इंजीनियरिंग में डिग्री तथा सरकारी मान्यता प्राप्त बिजली लाइसेंस	2
6.	सं.स्वा.प. बिजली प्रबंधक	बिजली इंजीनियरिंग में डिग्री तथा सरकारी मान्यता प्राप्त बिजली लाइसेंस	1
7.	वरिष्ठ सं.स्वा.प (फायर) प्रबंधक	निम्न से कोई :- i) राष्ट्रीय फायर सर्विस कालेज,नागपुर से बी.ई.(फायर) ii) कोचीन/इंदौर विश्वविद्यालय से बी.ई (फायर एवं संरक्षा)	केवल संवर्ग(i), एवं(ii)) के लिए 2
8.	सं.स्वा.प(फायर) प्रबंधक	फायर या औद्योगिक संरक्षा में डिप्लोमा	1
9.	ओ.एच.अधिकारी	एम.बी.बी.एस. डिग्री/औद्योगिक/ व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा	1
10	पर्यावरण प्रबंधक	पर्यावरण प्रबंधक/पर्यावरण इंजीनियरिंग/पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री	2
11.	वरिष्ठ सं.स्वा.प. यातायात इंजीनियर	यातायात/परिवहन इंजीनियरिंग/योजना में पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा	1
12	हाउसकीपिंग दस्ता प्रबंधक	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	1
13	बैरीकेड प्रबंधक	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	1
14	मजदूर कल्याण अधिकारी	मजदूर कल्याण/औद्योगिक संबंध में स्नातक के बाद डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा	2

नोट:-

1. विशेष मामलों में जहां उम्मीदवार ने पूर्व में डी.एफ.सी.सी.आई.एल परियोजना में कार्य किया है, को निम्न पदों के लिए विचार किया जा सकता है:
   i) वरिष्ठ सं.स्वा.प. प्रबंधक
   ii) सं.स्वा.प. प्रबंधक
   iii) कर्मचारी संरक्षा

   बशर्ते मामले के आधार पर अर्हता एवं अनुभव के वर्षों की संख्या निर्धारित अर्हता न पूरी करती हो।
2. उपरोक्त सूची में से 1 के अलावा सभी मामलों में, उम्मीदवार के पास डी.एफ.सी.सी.आई.एल का अनुभव न होने बावजूद आवेदन कर सकता है।

<u>सामान्य अनुदेश: डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./03</u>

<u>सं.स्वा.प. मॉनीटरिंग तथा दृश्य-श्रव्य उपकरणों की न्यूनतम आवश्कता</u>

1. दृश्य-श्रव्य तथा अन्य उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता के उद्देश्य के लिए संविदाकारों को निम्न ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है:
   संविदा वैल्यू करोड़ रु. में (प्रारंभिक संविदा वैल्यू)
   ग्रुप
   25 तक - ए
   >25-100 - बी
   >100-250 - सी
   >250 - डी
2. उपरोक्त ग्रुपों में आने वाले प्रत्येक संविदाकार मासिक संरक्षा समिति संचालित करने के लिए तथा सभी अपमृत्यु तथा प्रमुख घटनाओं की अन्य विगत समीक्षा बैठकों के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षित दृश्य-श्रव्य उपकरण उपलब्ध कराएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवधिक इन-हाउस संरक्षा प्रस्तुतीकरण संचालन के लिए ये दृश्य-श्रव्य उपकरण अनिवार्य हैं ।
3. उपरोक्त के अलावा पोर्टेबल लैंड हैल्ड डिजीटल सांउड लेवल मीटर (एस.एल.एम) तथा पोर्टेबल हैंड हैल्ड डिजीटल लक्स मीटर भी उपलब्ध कराए जाएं ।

क्र. सं.	संरक्षा,स्वास्थ्य, पर्यावरण दृश्य-श्रव्य उपकरण	ग्रुप के लिए अपेक्षित उपकरण			
		ए	बी	सी	डी
1	एस.एल.एम	1	1	1	1
2	लक्स मीटर	-	-	1	1
3	मल्टी मीडिया सुविधा सहित मानक कॉनफीग्रेशन के साथ लैपटॉप कंप्यूटर	1	1	1	1
4	कलर प्रिंटर	1	1	1	1
5	स्क्रीन के साथ कंप्यूटर प्रोजेक्टर	1	1	1	1
6	ओवर हैड प्रोजेक्टर	1	1	1	1
7	दुर्घटना फोटो जांच के लिए 35 एम.एम. कैमरा	1	1	1	1
8	न्यूनतम 4 मेगा पिक्सल की फ्लैश के साथ डिजीटल कैमरा एवं विडियो सुविधा	1	1	1	1
9	न्यूनतम 4 मेगा पिक्सल की फ्लैश के साथ डिजीटल स्टिल कैमरा	1	1	1	1
10	पोर्टेबल लाउड स्पीकर/टूल बाक्स टॉक के लिए लाउड हेलर	1	1	1	1

क्र. सं.	संरक्षा,स्वास्थ्य, पर्यावरण दृश्य-श्रव्य उपकरण	ग्रुप के लिए अपेक्षित उपकरण			
		ए	बी	सी	डी
11.	मोबाइल फोन/वॉकी-टॉकी	सं.स्वा.प. में कार्यरत सभी प्रबंधकों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों के लिए			
12.	दुर्घटना जांच किट 3 किट में निम्न सम्मिलित होगा: क) मार्किंग के लिए चॉक पीस ख) माप के लिए टेप: • फ्लैक्सीबल 2 मीटर लम्बी • मैटल फुट स्केल • मैटल टेप 30 मीटर ग) उपकरण टैग घ) बहु-उद्देशीय फ्लैश लाइट ङ) बैरीयर टेप 20 मीटर लम्बी च) जांच सूची के अनुसार दुर्घटना जांच छ) गवाह, बयान तथा अन्य नोटिंग के लिए पेपर ज) आपातकालीन फोन नम्बर	1	1	1	1

<u>सामान्य अनुदेश: डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./04</u>

वर्कमैन के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अभिविन्यास पाठ्यक्रम:

वर्क पर प्रथम दिवस के लिए विषय

1. जोखिम पहचान प्रक्रिया: साइट पर जोखिम
    - फॉल
    - फॉलिंग ऑब्जेक्ट
    - ऊँचाई पर वर्किंग
    - अर्थ वर्क
    - खुदाई का ट्रेंच
    - बिजली
    - मशीनरी
    - सामग्री/रसायन की हैंडलिंग
    - ट्रांसपोर्ट
    - आग जोखिम / हेजाड
    - हाउस कीपिंग
2. व्यक्तिगत बचाव के उपकरण
    - क्या उपलब्ध है ?
    - कहां उपलब्ध है ?
    - कैसे प्राप्त करना है ?
    - सही उपयोग एवं सुरक्षा
3. व्यावसायकि स्वास्थ्य (ओ.एच)
    - साइट कल्याण सुविधा
    - संभावित स्वास्थ्य जोखिम
    - प्राथमिक उपचार/सी.पी.आर
4. संविदाकार की ड्यूटी
    - कानून के अनुसार संविदाकार के उत्तरदायित्व की संक्षिप्त रूपरेखा
    - संविदाकार की दुर्घटना रोकने की नीति
    - डी.एफ.सी.सी.आई.एल का सं.स्वा.प. मेनुअल
    - कल्याण पर बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर अधिनियम/नियम
5. नियोक्ता की ड्यूटी
    - कानून के अनुसार नियोक्ता के उत्तरदायित्व की संक्षिप्त रूप रेखा
    - दुर्घटना निवारण के लिए संविदा की योजना में नया कर्मचारी कैसे फिट होगा का स्पष्टीकरण (समावेशन एवं अभिविन्यास)

<u>सामान्य अनुदेश: डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./05</u>

पहचान पत्र फार्मेट
(85 मि.मी. X 55 मि.मी.)

पहचान पत्र का अगला हिस्सा:

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी का लोगो	मुख्य/उप/मजदूर संविदाकार का नाम व पता
नाम: पदनाम: रक्तगुप:	फोटोग्राफ
	प्राधिकृत हस्ताक्षर

पिछला हिस्सा :

कर्मचारी:

पता:

1. यह पहचान पत्र.....मुख्य/उप/मजदूर संविदाकार की संपत्ति है एवं रोजगार के रद्द होने या मांग/स्थानांतरण पर अवश्य वापस किया जाए।
2. पाएं जाने पर कृपया निम्न को वापस करें ।

मुख्य संविदाकार का नाम एवं पता:

प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सं.स्वा.प. प्रशिक्षण विवरण

1. कानून एवं संरक्षा	2. नीति एवं प्रशासन
नियोक्ता एवं कर्मचारियों की सांविधिक आवश्यकता उचित विनियम ड्यूटी	दुर्घटना रोकने पर प्रोत्साहन का प्रभाव मानवीय संबंधों पर परामर्श संरक्षा अधिकारी : ड्यूटी, लक्ष्य, उद्देश्य, सं.स्वा.प.नीति
3. संरक्षा एवं पर्यवेक्षक	4. दुर्घटना निवारण के सिद्धांत
संरक्षा एवं कार्यक्षम उत्पादन एक साथ चलते हैं। दुर्घटना से धैर्य एवं सार्वजनिक संबंधों पर प्रभाव	प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा ऑपरेशन का व्यवहार, सुरक्षित ऑपरेशन हासिल करने की क्रियाविधि, दुर्घटना एवं घटना के कारण
5. साइट निरीक्षण	6. मानव बर्ताव
प्रबंधन की भूमिका जोखिम पहचान प्रक्रिया परिणाम का रिकार्ड अनुवर्ती क्रियाविधि फीडबैक	मोटीवेटिंग एजेंसी व्यक्तिगत व्यवहार पर्यावरण प्रभाव पालन की तकनीक
7. साइट हाउसकीपिंग	8. स्वास्थ्य
साइट व्यवस्था दुर्घटनाघटने से साइट हाउसकीपिंग का संबंध साइट पर पहुँच उपकरण भंडारन सामग्री ढेर सामग्री हैंडलिंग	चिकित्सा जांच साइट पर स्वास्थ्य को जोखिम सफाई तथा कल्याण संरक्षा के कपड़े प्राथमिक उपचार/सी.पी.आर
9. व्यक्तिगत बचाव के उपकरण	10. बिजली
ऑख, चेहरे, हाथों, पैरों तथा टॉगों, श्वसन संरक्षण उपकरण, आयोनाइजिंग रेडिएशन के विरूद्ध संरक्षण	बिजली जोखिम का मूल्यांकन पावर टूल्स आर्क वैल्डिंग लो वोल्टेज सिस्टम साइट पर लाइटिंग एवं पावर सिस्टम ई.एल.सी.बी, आर.आर.सी.बी, ग्राउंडिंग/ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (जी.एफ.सी.आई.एस)

11. ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन उपकरण	12. उपकरण
सिलेंडर भंडारन एवं अनुरक्षण वाल्व की स्थिति एवं अनुरक्षण रेगुलेटर्स एवं गेजस होस एवं फिटिंग प्रैशर की स्थिति एवं अनुरक्षण	मशीनरी के मूविंग पार्ट से संबंधित दुर्घटना गार्डिंग के सिद्धांतों का मूल्यांकन नियमित अनुरक्षण का महत्व
13. परिवहन	14. खुदाई
साइट में तथा साइट से परिवहन साइट परिवहन से जुड़े जोखिम सक्षम ड्राइवर डम्पर्स टिप्पिंग ट्रक खुदाई के नजदीक मूवमेंट	शोरिंग शीट स्टील पाइलिंग, खुदाई ऑपरेशन के खुदाई रिमूवल के तट पर शोरिंग संरक्षण के दौरान शोरिंग रोकथाम की प्रक्रिया
15. वर्किंग प्लेटफार्म, सीढ़ी एवं मंच	16. क्रेन एवं अन्य लिफ्टिंग मशीन
सीढ़ी के प्रयोग से जुड़े जोखिम अनुरक्षण एवं निरीक्षण मंच के प्रकार ओवर लोडिंग छतों पर कार्य कमजोर सामग्री दीवार एवं फर्श में ओपनिंग सेफ्टी बैल्ट एवं नेट, फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग	क्रेन स्लिंगिंग प्रक्रिया के ऑपरेशन के लिए अपेक्षित लाइसेंसिंग, प्रमाणन तथा प्रशिक्षण सिगनलिंग क्रेन पर पहुँच, अनुरक्षण तथा ग्राउंड परिस्थितियों की जांच सभी लिफ्टों के लिए क्रेन/हैवी उपकरण क्रेन लिफ्ट प्लान के विभिन्न प्रकारों के उपयोग से संबंधित जोखिम एवं दुर्घटना रोकथाम क्रियाविधि।
17. लिफ्टिंग का तरीका	18. अग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण
स्लिंगस- सिंगल एवं मल्टी लेगड सेफ वर्किंग लोडस (एस.डब्ल्यू.एल.एस) सेफ्टी हुकस तथा आइबोल्टस, अनुरक्षण विफलता एवं जांच	फायर निर्धारण के प्रमुख कारण फायर कैमीस्ट्री अंडरस्टैंडिंग फायर फाइटिंग उपकरण फायर फाइटिंग प्रशिक्षण
19. संचार	
संचार के प्रभावी साधन (विशेष रूप से गैर-अंग्रेजी बोलने वाले वर्करों का हित) के तरीके तथा संरक्षा समिति संरक्षा बैठक की रिपोर्ट तैयार करना ।	

संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए मनाए जाने वाले दिवस

जनवरी के प्रथम सोमवार से रविवार	सड़क संरक्षा सप्ताह (प्रति वर्ष सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से पुष्टी को ध्यान में रखते हुए)
मार्च	रेड क्रास माह
4, मार्च	राष्ट्रीय संरक्षा दिवस
7, अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस
14, अप्रैल	फायर सेफ्टी दिवस
18 से 22, अप्रैल	अर्थ वीक
20 अप्रैल	अर्थ दिवस
20 अप्रैल	आवाज जागरूकता दिवस
28 अप्रैल	वर्क दिवस पर संरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आई.एल.ओ विश्व दिवस
1 से 7 मई	आपातकालीन तैयारी सप्ताह
5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस
12 जून	बाल मजदूरी के विरूद्ध विश्व दिवस
9 जुलाई	व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस
17 अक्टूबर	विश्व ट्रामा दिवस
1 दिसंबर	विश्व एड्स दिवस

<u>सामान्य अनुदेश: डी.एफ.सी.सी.आई.एल/सं.स्वा.प./सा.अ./08</u>

सं.स्वा.प. संचार की न्यूनतम आवश्यकता

पोस्टर / संकेत बोर्ड / विडियो

1. सं.स्वा.प. संचार, पोस्टर/संकेत बोर्ड/विडियो की न्यूनतम आवश्यकता के उद्देश्य के लिए संविदाओं को निम्न ग्रुपों में वर्गीकृत किय गया है:

<u>संविदा वैल्यू (करोड़ रु. में)</u>	<u>ग्रुप</u>
25 तक	ए
>25-100	बी
>100-250	सी
250	डी

2. उपरोक्त ग्रुप के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक संविदाकार साइट विनिर्दिष्ट सं.स्वा.प. योजना के भाग के रूप में सं.स्वा.प. संचार योजना तैयार करेंगे और लागू निम्न न्यूनतम आवश्यकता के पोस्टर/संकेत बोर्ड/विडियो सम्मिलित करेंगे। यदि राष्ट्रीय संरक्षा परिषद या किसी अन्य संरक्षा संगठन से किसी संवर्ग के तैयार पोस्टर उपलब्ध हैं, तो उन्हें प्राप्त कर प्रदर्शित किया जाए। यदि तैयार पोस्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो संविदाकार स्वयं पोस्टर डिजाइन एवं प्रिंट कराने की व्यवस्था करेंगे। सं.स्वा.प. योजना में इन सभी का विवरण दिया गया है और इन्हें प्रदर्शित करने से पूर्व नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

टेबल सं.1-पोस्टरों की न्यूनतम संख्या

क्र.सं.	पोस्टर का विषय	प्रत्येक विषय में कॉनसेप्ट की न्यूनतम संख्या	ग्रुप के लिए पोस्टर/संकेत बोर्ड/विडियो की संख्या			
			ए	बी	सी	डी
1.	संरक्षा संस्कृति	5	10 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	100 प्रत्येक
2.	दैनिक संरक्षा शपथ	1 अंग्रेजी 1 हिंदी	100 प्रत्येक	200 प्रत्येक	500 प्रत्येक	1000 प्रत्येक
3.	पी.पी.ई का अनिवार्य उपयोग	-	-	-	-	-
क.	संकेत बोर्ड जैसे पी.पी.ई जोन, गैर पी.पी.ई.जोन, हैलमेट क्षेत्र इत्यादि	विभिन्न लोकेशन पर 2 प्रकार की मैटल शीट को माउंट करना	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
ख.	हैलमेट	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
ग.	जूते	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
घ.	चश्मा एवं कान की सुरक्षा	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक

क्र.सं.	पोस्टर का विषय	प्रत्येक विषय में कॉनसेप्ट की न्यूनतम संख्या	ग्रुप के लिए पोस्टर/संकेत बोर्ड/विडियो की संख्या			
			ए	बी	सी	डी
ड़.	फुल बॉडी हार्नेस	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
च.	हाई-वी जैकेट	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
4.	आपातकालीन प्रबंधन योजना	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
5.	ऊँचाई पर वर्किंग	10	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
क.	सीढ़ी, स्टेयरवे, मंच-सुरक्षित, असुरक्षित, प्रयोग के लिए फिट, प्रयोग से बचें इत्यादि प्रदर्शित करते संकेत बोर्ड	5 प्रकार	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
6.	साइट की बिजली	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
7.	क्रेन सेफ्टी	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
8.	स्लिंग	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
9.	रिग्गिं प्रक्रिया	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
10.	खुदाई	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
11.	व्यावसायिक स्वास्थ्य इत्यादि (मच्छर नियंत्रण, एच.आई.वी/एड्स जागरूकता, धूल नियंत्रण, आवाज नियंत्रण, घूम्रपान/थूके ना)	10	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
12	प्राथमिक उपचार	3	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
13	मजदूर कल्याण उपाय	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
14.	संरक्षा हैंडबुक का महत्व	1	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
15.	यातायात सेफ्टी	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
16.	पर्यावरण प्रदूषण मॉनीटरिंग	5	25 प्रत्येक	50 प्रत्येक	75 प्रत्येक	200 प्रत्येक
17.	हिंदी में पी.पी.ई विडियो का प्रयोग-15 मिनट	1	-	-	-	1

नोट:- उपरोक्त क्र.स.17 पर उल्लेखित मद विडियो है जबकि क्र.सं.3क एवं 5 क पर मद मैटल संकेत बोर्ड हैं और शेष सभी पोस्टर हैं ।

सारणी सं.2: पोस्टर/संकेत बोर्ड का आकार

क्र.सं.	मद	आकार
1.	पोस्टर-मानक	17"X22"-135 जी.एस.एम 4 कलर प्रिटिंग
2.	पोस्टर- विशेष(जहां अपेक्षित हो)	17"X22"- कार्ड लैमीनेटेड एफ.ए. पोस्टर
3.	पोस्टर- मेगा आकार (जहां अपेक्षित हो)	32"X40"- फ्लैक्स एफ.ए.फोस्टर
4.	प्राथमिक उपचार बुकलेट	6"X4"
5.	संरक्षा हैंडबुक	6"X4"
6.	संकेत बोर्ड	छोटा : 12"X6" बड़ा : 24"X12"
7.	सड़क यातायात संकेत बोर्ड	सख्ति से आई.आर.सी विनिर्देशन के अनुसार

सारणी सं.3: संरक्षा संकेत बोर्ड कलर कोड (आई.एस: 9457)

क्र.सं.	संकेत बोर्ड के प्रकार	कलर
1.	अनिवार्य	नीला
2.	खतरा	पीला
3.	प्रतिबंधित	लाल
4.	सुरक्षित	हरा

सं.स्वा.प. सर्विस के लिए विशेषज्ञ/एजेंसी

क्र.सं.	संगठन	सर्विस
1.	ब्यूरो वेरीटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बी-21 एवं 22, प्रथम तल, सेक्टर-16 नोएडा-201301(उ.प्र.) फोन: 0120-2515055 फैक्स- 0120-2515248 ई मेल : enp.delhi@in.bureauveritas.com	बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा सं.स्वा.प. प्रबंधन/तकनीकी प्रशिक्षण
2.	केन्द्रीय श्रम संस्थान पोस्ट बॉक्स नं.17851 सिऑन, मुंबई-400022 टेली-022-4092203, फैक्स: 022-4071986 ई मेल :cli@dgfasli.nic.in	सं.स्वा.प. प्रबंधन/तकनीकी प्रशिक्षण
3.	निर्माण उद्योग विकास परिषद 801, 8वीं मंजिल, हेमकुंड चैम्बर, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	सं.स्वा.प. प्रबंधन/तकनीकी प्रशिक्षण
4.	दिल्ली उत्पादकता परिषद, 1 ई/10, स्वामी समतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055, दूरभाष : 23522835	सं.स्वा.प. प्रबंधन/तकनीकी प्रशिक्षण
5.	डेट नॉर्सके वेरिटास ए.एस, 203, सावित्री सदन 1, 11 प्रीत विहार सामुदायिक केन्द्र, नई दिल्ली-110092 फोन: 011-22531502/2253/1503 22427688/22531278 फैक्स: 011-22530247 ईमेल: www.dnv.com	बाह्य सं.स्वा.प. लेखापरीक्षा सं.स्वा.प. प्रबंधन/तकनीकी प्रशिक्षण
6.	डॉ. ए.वी.बलीगा मेमोरियल ट्रस्ट लिंक हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, प्रैस एरिया नई दिल्ली-110002, दूरभाष : 011-23311119	एच.आई.वी/एड्स जागरूकता
7.	डॉ. क्रिस रिसर्च सेंटर फार आक्यूपेशनल हैल्थ & सेफ्टी 306, गुरू अर्जुन देव भवन, रनजीत नगर कॉम्पलेक्स , नई दिल्ली-110008, दूरभाष: 9810040406 फैक्स : 011-25702929 ई मेल: team@drcris.com Web: www.drcris.com	एम्बूलेंस रूम एवं वैन संचार सामग्री प्राथमिक उपचार बॉक्स प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एच.आई.वी/एड्स जागरूकता चिकित्सा सुविधा सं.स्वा.प. अभिविन्यास प्रशिक्षण
8.	भारतीय राष्ट्रीय संरक्षा परिषद प्लाट नं. 98ए, संस्थागत एरिया, सेक्टर-15, सी.बी.डी बेलापुर नवी मुंबई 400614 दूरभाष: 022-27579924-27 ईमेल:nsci@giasbm01.vsnl.net.in	पोस्टर, इश्तहार, संरक्षा प्रशिक्षण इत्यादि ।

न्यूनतम लाइटिंग आवश्यकता

क्र.सं.	सुविधा या प्रकार्य	प्रकाश-1 x (एल.एम/एफ.टी^{2})
1.	प्रशासनिक एरिया (कार्यालय, ड्राफ्टिंग एवं बैठक कक्ष इत्यादि)	540-(50)
2.	निर्माण एरिया • सामान्य इनडोर • सामान्य आउटडोर • सुरंग एवं सामान्य भूमिगत वर्क एरिया (सुरंग तथा ड्रिलिंग, मकिंग तथा स्केलिंग के दौरान शॉफ्ट हैडिंग पर न्यूनतम अपेक्षित 110 लक्स)	 55(5) 33(3) 55(5)
3.	पहुँच मार्ग • एग्जिट वे, वॉक वे, लैडर, स्टेयर्स	110(0)
4.	अनुरक्षण/ऑपरेटिंग एरिया/दुकानें • वाहन मरम्मत की दुकान • कारपेंटर की दुकान • आउटडोर फील्ड अनुरक्षण एरिया	325(30) 110(10) 55(5)
5.	यांत्रिक/बिजली उपकरण रूम	110(10)
6.	होस्ट, एलीवेटर्स, मालभाड़ा एवं यात्री	215(20)
7.	वेयरहाउस एवं भंडारन कक्ष/एरिया • इनडोर स्टॉक रूम, एक्टिव/बल्क भंडारन • इनडोर रेक भंडारन • आउटडोर भंडारन	 110(10) 270(25) 33(3)

डी.एफ.सी.सी/सं.स्वा.प./जी.आई/11

डी.एफ.सी.सी.आई.एल कार्य प्रगति पर है, साइन बोर्ड

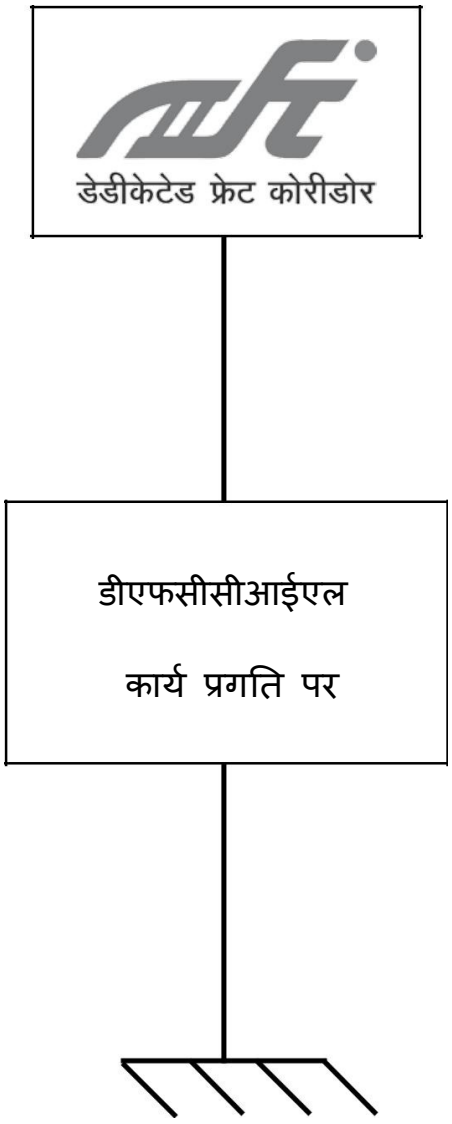

फार्म

साइट सं.स्वा.प. समिति का गठन	
संविदा सं	
संविदाकार का नाम	
संविदा का शीर्षक	

परिपत्र

समिति

निम्न सं.स्वा.प. समिति तत्काल प्रभाव से गठित की जाती है:

अध्यक्ष :

सचिव :

सदस्य :

1.
2.
3.
4.
5.

आवधिकता

समिति कम से कम माह में एक बार निर्धारित दिन (निर्धारित तिथि) को बैठक करेगी।

कार्यसूची

सचिव बैठक की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व में बैठक की कार्यसूची परिचालित करेंगे ।

वितरण

मानक प्रपत्र में बैठक का सार कार्यवृत्त में सचिव के हस्ताक्षर के अंतर्गत निम्न को परिचालित किया जाएगा ।

1. अध्यक्ष
2. सदस्य
3. डी.एफ.सी.सी.आई.एल के प्रतिनिधि
4. अन्य संबंधित

दिनांक :

हस्ताक्षर:

समिति के अध्यक्ष:

फार्म सं. डी.एफ.सी.सी.आई.एल /एस.एफ/02

समिति बैठक का कार्यवृत्त	
संविदा संख्या	
संविदाकार का नाम	
संविदा विषय	
बैठक संख्या	
बैठक की तिथि	
बैठक का स्थल	

उपस्थित सदस्य	आमंत्रित	अनुपस्थित सदस्य

प्रतियों की संख्या	नाम/विभाग	प्रतियों की संख्या	नाम/विभाग	प्रतियों की संख्या	नाम/विभाग

द्वारा तैयार: स्थल: तिथि:

सं.स्वा.प. बैठक के कार्यवृत्त				
मद सं.	विचार-विमर्श का विवरण	द्वारा कार्रवाई	लक्ष्य	टिप्पणी
1.	ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें एवं सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई			
2.	गत बैठक के एम.ओ.एम की समीक्षा			
3.	थर्ड पार्टी की टिप्पणी			
4.	प्राथमिक उपचार मामले/रिपोर्ट की गई दुर्घटनाएं			
5.	भविष्य के जॉब तथा विनिर्दिष्ट आवश्यकता			

6.	संरक्षा प्लान के कार्यान्वयन की स्थिति			
7.	उप संविदाकार का निष्पादन			
8.	प्राथमिक उपचार मामले का विश्लेषण			
9.	किसी विनिर्दिष्ट सिस्टम/प्रशिक्षण/पी.पी.ई स्रोत की आवश्यकता			
10.	लास्ट वॉक डाउन के दौरान सं.स्वा.प. समिति की टिप्पणी			

आगामी सं.स्वा.प. बैठक की निर्धारित तिथि:

दिनांक: मुख्य प्रबंधक/सं.स्वा.प. के प्रधान
(हस्ताक्षर एवं नाम)

दिनांक: परियोजना प्रबंधक
(हस्ताक्षर एवं नाम)

फार्म सं. डी.एफ.सी.सी.आई.एल /एस.एफ/02

डी.एफ.सी.सी.आई.एल
कोल्ड वर्क परमिट

(हॉट, सीमित क्षेत्र प्रवेश या बिजली के अलावा वर्कस के लिए प्रयोग हेतु)

क्रम सं. .....

वर्क क्लीयरेंस दिनांक ..... के ..... बजे से दिनांक ..... के..... बजे तक
(शिफ्ट के लिए वैध बशर्ते नवीकरण किया गया हो)
(विभाग/सेक्शन/संविदाकार) को जारी .....
वर्क का सही लोकेशन (क्षेत्र/यूनिट/उपकरण सं. इत्यादि) .....
वर्क का विवरण .....
परमिट जारी करने से पूर्व निम्न मदों की जांच कर ली जाए
(उचित बाक्स में सही का निशान लगाएं । जांचसूची की मदों को तारक (*) द्वारा चिह्नित किया गया है, प्राप्तकर्ता द्वारा पालन किया जाए।)

क्र.सं.	मद	किया गया	अपेक्षित नहीं	क्र.सं.	मद	किया गया	अपेक्षित नहीं
1.	उपकरण/वर्क एरिया निरीक्षण			6.	उपकरण वाटर फ्लशड		
2.	आस-पास का क्षेत्र जांच, सफाई तथा कवर करना			7.	उपकरण उचित प्रकार से स्टीमड/पर्गड		
3.	उपकरण ब्लाइंडेड/ डिस्क्नेक्टेड/क्लोजड/ आइसोलेटेड/वेज ओपन			8.	उचित वैंटीलेशन तथा लाइटिंग उपलब्ध कराना		
4.	उपरकण उचित प्रकार से ड्रेनड तथा डिप्रैशराइजड			9.	क्षेत्र की घेराबंदी एवं सावधानता बोर्ड/टैग उपलब्ध कराना		
5.	उपकरण इलेक्ट्रीकली आइसोलेटेड तथा टैगड वाइड परमिट सं.			10.	गैस टेस्ट : एच.सी.एस/ टॉक्सिक इत्यादि एच.सी.एस- %एल.ई.एल टॉक्सिक गैस- पी.पी.एम		

टिप्पणी:

1. अवशिष्ट जोखिम को छोड़कर निम्न गतिविधियां होंगी (सुसंगत मद पर निशान लगाएं):ऑक्सीजन की कमी/एच 2 एस, टॉक्सिक गैस/कम्बस्टिबल गैस/ फायरोफोरिक आयरन/ कोरोसिव कैमीकल/ स्टीम-कॉन्डेनसेट/अन्य --------
2. मानक पी.पी.ई के अलावा निम्न अतिरिक्त पी.पी.ई का प्रयोग किया जाए (हैलमेट, संरक्षा जूते, दस्ताने, बॉयलर सूट) फेस शील्ड/ऐप्रन/चश्मा/डस्ट रेस्पीरेटर/फ्रेश एयर मास्क/लाइफ लाइन/सेफ्टी बैल्ट/एयरलाइन /इयरमफ इत्यादि ।
3. अतिरिक्त सावधानी यदि कोई है तो .....

जारी कर्त्ता का नाम एवं पदनाम	जारीकर्त्ता का हस्ताक्षर	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पदनाम	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

क्लीयरेंस नवीकरण:

दिनांक	समय		अतिरिक्त सावधानी यदि कोई हो, अन्यथा 'शून्य' उल्लेखित करें	जारीकर्त्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	प्राप्तकर्त्ता का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर
	से	तक			

वर्क परमिट की समाप्ति :

प्राप्तकर्त्ता : प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत कार्य पूरा/रोक दिया गया है और क्षेत्र साफ है			जारीकर्त्ता : प्रमाणित किया जाता है कि जॉब को पूरा कर लिया गया है और क्षेत्र साफ है तथा जोखिम से बाहर है ।		
दिनांक एवं समय	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	दिनांक एवं समय	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर

सामान्य अनुदेश :

1. वर्क परमिट को स्पष्ट हस्तलेख से सावधानी एवं उचित प्रकार से भरा जाए ताकि सभी सेक्शन/उप सेक्शनों में संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जा सके। जहां कहीं भी संभव हो आरेख उपलब्ध कराए जाएं ताकि मिसकमयूनिकेशन से बचा जा सके ।
2. संभावित खतरे का सावधानी से विश्लेषण कर उचित सेफगार्ड एवं अपेक्षित व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण (पी.पी.ई) का निर्धारण किया जाए और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ऑपरेशन निष्पादित कियाजाए ।
3. संविदाकार/सं.स्वा.प. टीम में से स्टैंडबाई व्यक्ति की आवश्यकता यदि कहीं से अतिरिक्त की मांग हो तो ।
4. फायर अलार्म/सायरन की स्थिति में,सभी कार्य तुरंत रोके जाएं ।
5. वर्क क्लीयरेंस के नवीकरण के लिए, जारीकर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य को जारी रखने के लिए परिस्थितयां संतोषजनक हैं। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, तो नया परमिट या वर्तमान परमिट का संशोधन जारी करने की आवश्यकता है ।
6. यह क्लीयरेंस उसी परमिट पर अधिकतम सात कैलेंडर दिनों तक नवीकरण/विस्तारित की जा सकती है।
7. यह परमिट हमेशा वर्क साइट पर उपलब्ध होना चाहिए ।
8. यह परमिट जारी/नवीकरण के दिन के 12 घंटे के लिए वैध रहेगा ।
9. वर्क की समाप्ति पर, परमिट समाप्त हो जाएगा ।

फार्म सं. डी.एफ.सी.सी.आई.एल /एस.एफ/04

डी.एफ.सी.सी.आई.एल

सीमित क्षेत्र में हॉट वर्क/प्रवेश के लिए हॉट वर्क परमिट

क्रम सं. .....

वर्क क्लीयरेंस दिनांक ..... के ..... बजे से दिनांक ..... के..... बजे तक (शिफ्ट के लिए वैध बशर्ते नवीकरण किया गया हो)

(विभाग/सेक्शन/संविदाकार) को जारी .....

वर्क का सही लोकेशन (क्षेत्र/यूनिट/उपकरण सं. इत्यादि) .....

वर्क का विवरण .....

परमिट जारी करने से पूर्व निम्न मदों की जांच कर ली जाए

(उचित बाक्स में सही का निशान लगाएं । जांचसूची की मदों को तारक (*) द्वारा चिह्नित किया गया है, प्राप्तकर्ता द्वारा पालन किया जाए।)

क्र.सं.	मद	किया गया	अपेक्षित नहीं	क्र.सं.	मद	किया गया	अपेक्षित नहीं
क.	सामान्य प्वाइंट			ख.	हॉट वर्क के लिए/सीमित क्षेत्र में प्रवेश		
1.	उपकरण/वर्क एरिया निरीक्षत			1.	उचित वैंटीलेशन तथा लाइटिंग उपलब्ध कराना		
2.	आस-पास के क्षेत्र की जांच, सफाई तथा कवर करना			2.	बाहर निकलने के उचित साधन/जगह उपलब्ध कराना		
3.	सीवर, मेनहोल, सी.बी.डी. इत्यादि तथा आस-पास की हॉट सर्फेस को कवर करते हुए			3.	प्रक्रिया/अनुरक्षण/संविदाकार /फायर/सेफ्टी विभाग से स्टैंडबाई व्यक्ति उपलब्ध कराना		
4.	अन्य ऑपरेशन से खतरे पर विचार तथा संबंधित व्यक्ति को सावधान करना ।			4.	उपकरण में लाइनिंग के पीछे जमा तेल एवं गैस की जांच		

5.	उपकरण ब्लाइंडेड/डिस्कनेक्टेड/क्लोजड /आइसोलेटेड/वेज ओपन			5*.	स्पार्क के विरूद्ध शीलड उपलब्ध		
6.	उपकरण उचित प्रकार से ड्रेनड तथा डिप्रैशराइजड			6*.	पोर्टेबल उपकरण/नोजल उचित प्रकार से ग्राउंड हैं ।		
7.	उपकरण उचित प्रकार से स्टीमड/पर्गड			7*.	सीमित क्षेत्र में प्रवेश के लिए स्टैंडबाई व्यक्ति उपलब्ध हैं ।		
8.	उपकरण वाटर फ्लशड						
9.	आयरन सलफाइड रिमूवड/ गीला रखना			ग	वाहनों के प्रवेश के लिए		
10.	उपकरण इलेक्ट्रीकली आइसोलेटेड तथा टैगड वाइड परमिट सं.....			1*.	मोबाइल उपकरण/वाहन पर स्पार्क अरेस्टर उपलब्ध हैं		
11.	गैस टेस्ट: एच.सी.एस = %एल.ई.एल, टॉक्सिक गैस-पी.पी.एम, ओ$_2$ = %						
12.	रनिंग वाटर होस/अग्निशमन उपलब्ध कराना। फायर वाटर सिस्टम उपलब्ध है।			घ.	खुदाई के कार्य के लिए		
13.	क्षेत्र की घेराबंदी है और सावधानता टैग/बोर्ड उपलब्ध हैं ।			1.	संबंधित विभाग से खुदाई/सड़क कटिंग/डाइक कटिंग के लिए क्लयरेंस प्राप्त की गई है ।		

टिप्पणी :

1. अवशिष्ट जोखिम को छोड़कर निम्न गतिविधियां होंगी (सुसंगत मद पर निशान लगाएं): ऑक्सीजन की कमी/एच 2 एस/कम्बस्टिबल गैस/फायरोफोरिक आयरन/कोरोसिव कैमीकल/स्टीम-कॉन्डेनसेट/अन्य ।
2. मानक पी.पी.ई के अलावा निम्न अतिरिक्त पी.पी.ई का प्रयोग किया जाए (हैलमेट, संरक्षा जूते, दस्ताने, बॉयलर सूट): फेस शील्ड/ऐप्रन/चश्मा/डस्ट रेस्पीरेटर/फ्रेश एयर मास्क/लाइफ लाइन/सेफ्टी बैल्ट/ एयरलाइन/इयरमफ इत्यादि
3. यदि कोई अतिरिक्त सावधानी हो तो :.....

जारीकर्त्ता का नाम एवं पदनाम	जारीकर्त्ता के हस्ताक्षर	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पदनाम	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

नवीकरण क्लीयरेंस:

दिनांक	समय		अतिरिक्त सावधानी यदि कोई हो, अन्यथा 'शून्य' उल्लेखित करें	जारीकर्त्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	प्राप्तकर्त्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	प्राप्तकर्त्ता का नाम , पदनाम एवं हस्ताक्षर
	से	तक				

वर्क परमिट की समाप्ति :

प्राप्तकर्त्ता : प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत कार्य पूरा/रोक दिया गया है और क्षेत्र साफ है ।			जारीकर्त्ता : प्रमाणित किया जाता है कि जॉब को पूरा कर लिया गया है और क्षेत्र साफ है तथा जोखिम से बाहर है ।		
दिनांक एवं समय	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	दिनांक एवं समय	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर

सामान्य अनुदेश:

1. वर्क परमिट को स्पष्ट हस्तलेख से सावधानी एवं उचित प्रकार से भरा जाए ताकि सभी सेक्शन/ उप सेक्शनों में संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जा सके और किसी कॉलम को खाली न छोड़ें । जहां कहीं भी संभव हो आरेख उपलब्ध कराएं ताकि मिसकमयूनिकेशन से बचा जा सके ।

2. संभावित खतरे का सावधानी से विश्लेषण कर उचित सेफ गार्ड एवं अपेक्षित व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण का निर्धारण किया जाए और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ऑपरेशन निष्पादित किया जाए।
3. फायर अलार्म/सायरन की स्थिति में, सभी कार्य तुरंत रोके जाएं ।
4. केवल प्रमाणित वाहन/इंजन तथा इलेक्ट्रीकल उपकरण एवं टूलस के अनुमत प्रकार की आपरेटिंग क्षेत्र में अनुमति होगी ।
5. वैल्डिंग मशीन को गैर-खतरनाक तथा वैंटीलेटेड क्षेत्र में स्थापित किया जाए।
6. किसी भी हॉट वर्क की अनुमति नहीं होगी जब तक कि एक्सप्लोसिव मीटर रीडिंग शून्य न हो ।
7. जब कोई व्यक्ति सीमित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो तो रिसीवर मेनहोल या प्रवेश प्वाइंट पर कम से कम दो स्टैंडबाई व्यक्ति रखेंगे।
8. किसी पात्र, मेनहोल कवर को बॉक्स अप करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि पात्र में कोई आदमी/सामग्री नहीं है ।
9. वर्क क्लीयरेंस के नवीकरण के लिए, जारीकर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य को जारी रखने के लिए परिस्थितयां संतोषजनक हैं। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, तो नया परमिट या वर्तमान परमिट का संशोधन जारी करने की आवश्यकता है।
10. यह क्लीयरेंस जारी/नवीकरण की तिथि पर 12 घंटे के लिए वैध रहेगा ।
11. यह परमिट हमेशा वर्क साइट पर उपलब्ध होना चाहिए।
12. वर्क की समाप्ति पर, परमिट समाप्त हो जाएगा और इसे रिकार्ड में रखा जाए।

फार्म सं. डी.एफ.सी.सी.आई.एल /एस.एफ/05

डी.एफ.सी.सी.आई.एल

बिजली आइसोलेशन/एनर्जाइजेशन परमिट

सेक्शन-ए: आइसोलेशन परमिट क्रम संख्या :.....

आइसोलेशन के लिए अनुरोध दिनांक : .....

समय:.....

परमिट जारी करने वाला विभाग/सेक्शन/एरिया .....

आइसोलेट किए जाने वाले उपकरण का नम्बर .....

उपकरण का नाम/आइसोलेट किए जाने वाला सर्किट: .....

उपरोक्त उल्लेखित उपकरण/सर्किट को सभी लाइव कंडक्टरों से डी-एनर्जाइजड किया जाए ताकि ऑपरेशन आवश्यकता के लिए ..... सेक्शन द्वारा अनुरक्षण कार्य किया जा सके ।

जारीकर्त्ता का नाम पदनाम हस्ताक्षर

आइसोलेशन का प्रमाणपत्र: दिनांक ..... समय:.....

प्रमाणित किया जाता है कि .....प्लांट के उपकरण / सर्किट नं. ..... को स्विच /आइसोलेटर/लिंकस/फ्यूज (लागू को टिक करें) द्वारा इलेक्ट्रीकली आइसोलेट कर दिया गया है और सप्लाई पैनल पर खतरे का टैग लगा दिया गया है । इलेक्ट्रीकल आइसोलेशन के संबंध में कार्रवाई को इलेक्ट्रीकल शिफ्ट लॉग बुक में रिकार्ड कर लिया गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम हस्ताक्षर

सेक्शन-बी: एनर्जाइजेशन परमिट

एनर्जाइजेशन के लिए अनुरोध: दिनांक: ..... समय: .....

परमिट जारी करने वाल विभाग/सेक्शन/एरिया : .....

एनर्जाइजड किए जाने वाले उपकरण का नम्बर: .....

उपकरण का नाम/एनर्जाइजड किए जाने वाला सर्किट: .....

उपरोक्त उल्लेखित उपकरण/सर्किट पर कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी लागू परमिट समाप्त हो गए हैं । उपकरण/सर्किट को एनर्जाइजड किया जाए।

जारीकर्त्ता का नाम पदनाम हस्ताक्षर

एनर्जाइजेशन का प्रमाण पत्र: दिनांक ..... समय:.....

प्रमाणित किया जाता है कि .....प्लांट का उपकरण/सर्किट नं..... इलेक्ट्रीकली एनर्जाइजड कर लिया गया है और सप्लाई पैनल से खतरे का टैग हटा दिया गया है। इसे इलेक्ट्रीकल शिफ्ट लॉग बुक में भी रिकार्ड कर लिया गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम हस्ताक्षर

<u>सक्षमता प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मैर्सस ..... के रेल पथ पर्यवेक्षक श्री ..... की .....वर्क पर रेल पथ वर्किंग के संबंध में जांच की गई। इनका ज्ञान संतोषजनक पाया गया और वे संरक्षा कार्य पर्यवेक्षण में समर्थ हैं।

नियोक्ता/
प्राधिकृत प्रतिनिधि

संलग्नक-I

सिलिका एक्सपोजर रिडक्शन योजना

भाग I- सामान्य अनुप्रयोग

1.1 विवरण

क) यह परिशिष्ट खदान ऑपरेशन, स्टोन क्रशिंग, परिवहन तथा साइट निर्माण के दौरान पर्यावरण स्वास्थ्य तथा संरक्षा उपकरण, प्रैक्टिस एवं प्रक्रिया जिसमें एयरबोर्न सिलिका का न्यूनतम एक्सपोजर हो, को विनिर्दिष्ट करता है। इस सेक्शन का कार्यक्षेत्र धूल नियंत्रण तथा इस पर्यावरण में कर्मचारी संरक्षण तक सीमित है।

ख) यह परिशिष्ट तकनीकी विनिर्देशन में ओवरलैपिंग आवश्यकता पर अग्रता लेगा जबतक अन्यथा उल्लिखित हो ।

ग) यह दस्तावेज संविदा का अभिन्न अंग है और संविदाकार की यह जिम्मेवारी है कि वो इसे पूर्णत कार्यान्वित करें। किसी विनिर्दिष्ट मांग से हटने के लिए परियोजना प्रायोजक को लिखित में अनुरोध करना होगा।

घ) यह परिशिष्ट उन आपरेशनों में संबंधित लोकेशन, पर्यावरण प्रदूषण तथा व्यावसायिक संरक्षा के सभी लोकल, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय कानूनएवं विनियमों के अनुपूरक हैं । यदि विनियामक मांग ज्यादा सख्त है या इस मानक में दिए गए आउटलाइन से ज्यादा बार सत्यापन अपेक्षित हो तो विनियामक प्रावधान वरियता को लेंगे और उस अधिकारिता में वस्तुत: मांग बन जाएगी ।

ङ) संविदाकार प्रत्येक खदान, स्टोन क्रशर मिल तथा हॉट मिक्स प्लांट के बारे में यह दर्शाते हुए कि वे सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं सहित जहां से वे क्रशड स्टोन खरीदेंगे प्रत्येक सुविधा के लिए लाइसेंसिंग दस्तावेजों (एन.ओ.सी/सहमति पत्र) की प्रति उपलब्ध कराएंगे ।

1.2 सामान्य खदान साइट की आवश्यकताएं :

- ऑपरेटर खदान साइट पर सभी धूल दमन प्रणाली को चलाने के लिए पर्याप्त क्षमता एवं प्रैशर के साथ पानी के विश्वसनीय स्रोत स्थापित करेंगे;
- ऑपरेटर स्टोन खदान साइट पर सभी यांत्रिक उपकरणों के लिए पावर के विश्वसनीय स्रोत अवश्य स्थापित करेंगे ।

- आवासीय क्षेत्र एवं अस्थायी कर्मचारी हाउसिंग किसी भी खदान ऑपरेशन से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए।
- स्टोन ड्रीलिंग, कटिंग तथा परिवहन ऑपरेशन में या तो निरंतर जल छिड़काव प्रणाली या ड्राइ डस्ट कलेक्टर की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार डिजाइन एवं ऑपरेशन होना चाहिए।
- खदान में डस्ट कंट्रोल के लिए वाटर फेड कम्प्रैसड एयर ड्रीलिंग उपकरण, एन्क्लोजड स्क्रीन; एन्क्लोजड ट्रांसफर प्वाइंटस, कवर्ड कन्वेयर तथा चयूट्स उपलब्ध है ।
- ब्लास्टिंग ऑपरेशन से पूर्व होस से रॉक सामग्री का सर्फेस गीला करना।

1.3 सामान्य साइट आवश्यकता स्टोन क्रशर मिल तथा हॉट मिक्स प्लांट :

क) इस परियोजना के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अस्थायी स्टोन क्रशर या हॉट मिक्स प्लांट साइट के लिए संविदाकार विस्तृत योजना प्रस्तुत करेंगे। योजना में 100 मीटर के अंतर्गत आने वाले आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया जाए और सभी ढांचों एवं रोडवेज का चित्रण किया जाए। इस परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यकताएं सभी अस्थायी साइटों में पूर्ण होनी चाहिए और लागू संबंधित प्राधिकारणों से स्थापना की सहमति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी) अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख) अस्थायी या स्थायी स्टोन क्रशर साइट या हॉट मिक्स प्लांट में निम्न सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए:

- साइट राष्ट्रीय तथा राज्य हाइवे से कम से कम 250 मीटर तथा स्कूल, शैक्षिक संस्थाओं तथा धार्मिक स्थलों से 500 मीटर दूर अवश्य होने चाहिए।
- लागू स्थानीय आवश्यकताओं द्वारा अपेक्षितानुसार ग्रीन बैल्ट जोन स्थापित किया जाए।
- आवासीय क्षेत्र तथा अस्थायी कर्मचारी हाउसिंग किसी भी स्टोन क्रशिंग उपकरण या ऑपरेशन से कम से कम 200 मीटर दूर स्थित होने चाहिए।
- स्टोन क्रशर साइटपर स्थापित सभी डस्ट निवारण प्रणाली को चलाने के लिए ऑपरेटर पर्याप्त क्षमता एवं प्रैशर के साथ पानी के उचित स्रोत अवश्य स्थापित करेंगे।
- स्टोन क्रशर साइट पर स्थापित पावरिंग के सभी यांत्रिक उपकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिजली के उचित स्रोत स्थापित करेंगे ।
- क्रशिंग, स्क्रीनिंग तथा परिवहन ऑपरेशन में शीट मैटल या अन्य रिजिड सामग्री अवश्य संलग्न होनी चाहिए। कपड़ा या प्लास्टिक का संलग्न के रूप में प्रयोगन करें ।
- क्रशर के अंदर रोडवेज को डस्ट निवारण करने के लिए मैट्ल्ड, पक्का या अन्यथा कैमीकल दमन के साथ ट्रीट किया जाए।
- स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन से उत्पन्न वेस्ट डस्ट सामग्री को बंद कंटेनर या बंद ढांचे में भंडारन किया जाए।

- साइट से बाहर जाने वाली लॉरी को बेलचा एवं झाड़ू से साफ किया जाए ताकि डस्ट कम से कम साइट से बाहर जा सके ।
- भंडारन ढेर की ऊँचाई को कम से कम रखना ।
- विंड ब्रेक वॉल्स जोकि इसकी ऊँचाई से कम से कम छह गुना लम्बी होनी चाहिए, अपने स्थल पर होनी चाहिए।
- कवर लॉरी में प्लांट साइट से वेस्ट सामग्री (रॉक डस्ट) को नियमित रूप से हटाए एवं सुरक्षित रूप से निपटान किया जाए।
- स्टॉक पॉइल्स, वाहन तथा अन्य क्षेत्रों के उत्सर्जन सहित अस्थायी प्रदूषण को जहां तक संभव हो सके कम से कम किया जाए। इन स्रोतों से उत्पन्न उत्सर्जन विजिबल डस्ट प्रदूषण से वास्तव: में मुक्त होते हैं ।

1.4 सामान्य साइट आवश्यकता निर्माण साइट:

निम्न ऑपरेशनों के दौरान निम्न आवश्यकताओं को कार्यान्वित किया जाए:

- स्टॉक पाइलिंग
- अर्थ मूविंग/ अर्थ वर्क, ग्रेडिंग तथा लेवलिंग
- स्टॉक पाइल से वर्क साइट में स्थानांतरण
- अंतिम प्लेसमेंट, तथा
- ट्रैक बिछाना

- ऑपरेटर निर्माण साइट पर सभी अपेक्षित डस्ट निवारण के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ पानी के उचित स्रोत स्थापित करेंगे ।
- कवर लॉरी में साइट से वेस्ट सामग्री (रॉक डस्ट) को नियमित रूप से हटाना और सुरक्षित निपटान।
- स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन से वेस्ट डस्ट सामग्री का यदि भरने के लिए प्रयोग होता है तो 4 घंटे के अंदर कवर किया जाए।
- कच्ची सामग्री का कम से कम बिखराव हो। डस्ट के सभी बिखराव एवं ढेर को शीघ्रता से साफ किया जाए।
- स्टॉक पॉइल्स तथा अन्य क्षेत्रों के उत्सर्जन सहित अस्थायी प्रदूषण को जहां तक संभव हो सके कम से कम किया जाए। इन स्रोतों से उत्पन्न उत्सर्जन विजिबल डस्ट प्रदूषण से वास्तव में मुक्त होते हैं।

1.5 सामान्य पर्यावरण संरक्षण :

संविदाकार पर्यावरण तथा आसपास की आबादी को सिलिका डस्ट खतरे से बचाने के लिए कदम उठाएंगे। सुनिश्चित करें कि डस्ट दमन ऑपरेशन के लिए अपेक्षित पानी की सप्लाई से आसपास के पर्यावरण में पानी की गुणवत्ता या उपलब्धता पर प्रभाव न पड़े। साइटिंग मानदंड के लिए राज्य आवश्यकताओं का पालन किया जाए और लागू राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की जाए। सुनिश्चित करें कि उत्सर्जन, सर्फेस डिस्चार्ज तथा साइट के नजदीक प्रक्रिया सभी लागू नियमों का पालन करें परंतु निम्न तक सीमित न हों:-

- जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्र) अधिनियम 1974; सं. 1974 का 6.
- वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981; सं. 1981 का 14

भाग-2 एयरबोर्न डस्ट उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी आवश्यकताएं

2.1 **सामान्य**

कच्चे माल, उत्पादों, वेस्ट या बाई प्रोडक्ट को इस प्रकार से हैंडल किया जाए कि एयरबोर्न डस्ट के रिलीज को कम किया जा सके। डस्ट दमन प्रक्रिया की तैनाती में मार्गदर्शन के लिए निम्न सारणी 1 का प्रयोग करें ।

सारणी 1: ओपन डस्ट स्रोत के लिए संभावित नियंत्रण उपाय

अस्थायी उत्सर्जन नियंत्रण उपाय

स्रोत	संलग्नक	वैट अप्रेशन	कैमीकल टैबीलाइजेशन	ग्रीन बैल्ट	सर्फेस क्लीनिंग	विंड ब्रेक वॉल्स
अनपेवड रोडवेज एवं स्टेजिंग क्षेत्र		X	X			
भंडारन पाइल्स	X	X	X			X
स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन	X	X		X	X	X
पेवड रोडवेज एवं स्टेजिंग क्षेत्र					X	
एक्सपोजड क्षेत्र	X	X	X	X	X	X
बैच ड्राप ऑपरेशन	X	X				X
निरंतर ड्राप ऑपरेशन	X	X				X

2.2 वैट प्रक्रिया: स्टोन क्रशिंग मिल्स के लिए वाटर स्प्रे डस्ट स्प्रेशन सिस्टम ।

सभी स्टोन क्रशर सुविधा के लिए प्रणाली घटकों का विवरण :

क) प्रैशर स्प्रे नोजल की न्यूनतक संख्या तथा लोकेशन:

- क्रशर के टॉप पर 1 नोजल
- क्रशिंग सामग्री के डिलीवरी प्वाइंट पर 2 नोजल
- वायबरेटर स्क्रीन या रोटरी स्क्रीन के बॉटम पर 1 नोजल
- स्टोरेज हॉपर के अंतर्गत 2 नोजल
- कच्ची सामग्री के डिलीवरी प्वाइंट पर 1 नोजल
- डस्ट हॉपर के बॉटम पर 1 नोजल

ख) स्प्रे नोजलस के ऑप्टिमल निष्पादन के लिए पर्याप्त होर्सपावर की मोटर तथा डिस्चार्ज प्रैशर के साथ वाटर पम्प अपेक्षित है।

ग) मेनहोल प्रकार के अनुरक्षण प्रावधान के साथ कवर्ड वाटर स्टोरेज टैंक। कवर पर्यावरण डस्ट को टैंक में प्रवेश करने से रोकेगा। टैंक को ग्राउंड लेवलपर स्थापित किया जा सकता है। बोरवैल या अन्य स्रोत से पानी को पम्प कर टैंक को आवधिक रूप से भरा जाए।

घ) सेंट्रीफ्यूगल मोनोब्लाक टाइप सेल्फ-प्राइमिंग पम्प को 3 से 5 कि.ग्रा./सी.एम.2 प्रैशर तथा प्रति मिनट 72 लीटर डिलिवरिंग की क्षमता रखते हों ।

ङ) दो समानांतर सेल के साथ 100 स्टेनलेस स्अील मैश ऑनलाइन वाटर फिल्टर । समानांतर सेल को इस प्रकार से सेट किया जाए कि जिसमें रिवर्स कनेक्शन की अनुमति हो जिससे कि एक सेल बैकवॉश क्लीनिंग करने जबकि अन्य सेल ऑपरेशन में हो। स्प्रेनोजल के लिए केवल फिल्टर किया गया पानी ही सप्लाई किया जाए।

च) स्प्रे सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले पानी में कैमीकल सर्फैक्टेंट या वैटिंग ऐजेन्ट भी मिलाए जा सकते हैं।

छ) डस्ट दमन के लिए प्रयुक्त सभी स्प्रे सिस्टम को उचित प्रकार से मेनटेन किया जाए। संबंधित स्रोतों से उत्सर्जित डस्ट के दमन के लिए स्प्रे द्रव्य/सल्यूशन का फ्लो रेट एवं ऑपरेटिंग प्रैशर पर्याप्त होना चाहिए। स्प्रे सिस्टम संबंधित उत्सर्जन प्वाइंट के क्षेत्र को कवर करने में समर्थ हो।

ज) साइट पर सभी स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन के दौरान सभी वाटर स्प्रे उपकरण ऑपरेशनल हों ।

झ) प्रैशर मिस्टिंग नोजल्स के लिए किसी घरेलू शॉवर, स्प्रिंकर्ल्स या अन्य सामान्य वाटर स्प्रे डिवाइस का प्रतिस्थापन न किया जाए। नोजल्स हॉलो कोन, सॉलिडकोन या फैन प्रकार के हो सकते हैं ।

2.3 ड्राइ प्रक्रिया: स्टोन क्रशर मिल्स/हॉट मिक्स प्लांटस के लिए डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम ।

सिस्टम घटकों का विवरण:

क) ड्राइ डस्ट कैप्चर तथा कलेक्शन सिस्टम के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं:

- हुड या उत्सर्जन कैप्चर का एनक्लोजर
- डस्ट कलेक्टर जो पार्टिकुलेटस को अलग करता है (उदाहरण सेन्ट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर); तथा
- डस्ट कलेक्टर से एयर प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस से एयर स्ट्रीम में पार्टिकुलेटस ट्रांसपोर्ट का डक्ट (उदाहरण बैगहाउस)

ख) कैप्चर हुडस को सभी क्रशर यूनिटस एवं स्क्रीनस पर स्थापित किया जाए। डस्ट के सभी स्रोतों को यथासंभव एनक्लोजर से सराउंड किया जाए।

ग) डस्ट हटाने के लिए डस्ट कलेक्टर को एनक्लोजड डक्ट के सायक्लोन एवं बैगहाउस के रास्ते इन-लाइन कनेक्ट किया जाए।

घ) एयर हैंडलिंग सिस्टम उचित आकार का हो ताकि अनट्रीटेड एयरबोर्न डस्ट के निकास को रोका जा सके। डिजाइन के अनुसार न्यूनतम एयरफ्लो मेनटेन किया जाए। सभी ओपन हुडस के माध्यम से 1मीटर/सेकेंड की न्यूनतम ड्राफ्ट वेलोसिटी मेनटेन की जाए।

ङ) नियमित यप से बैग फिल्टर की जांच करे और क्षति के लिए कम से कम माह में एक बार तथा आवश्यकानुसार सफाई, मरम्मत या प्रतिस्थापन ।

2.4 स्टोन क्रशर मिल्स तथा हॉट मिक्स प्लांटस के लिए डस्ट निरोधक एनक्लोजर:

निम्न स्थलों पर डस्ट निरोधक एनक्लोजर स्थापित कर विविक्त उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाए:

क) प्राथमिक क्रशर डिस्चार्ज एरिया

एनक्लोजर सभी कन्वेयर बैल्टस या सकेन्ड्री क्रशर के डिस्चार्ज एरिया को कवर करेंगे ।

ख) वाइब्रेट्री स्क्रीन

सभी वाइब्रेट्री स्क्रीन को पूर्णत एनक्लोजड किया जाए। स्क्रीन हाउस स्थिर हों और पहुँच के लिए सेल्फ क्लोजिंग डोर्स या क्लोज-फिटेड प्रवेश एवं एग्जिट के साथ उचित प्रकार से डस्ट टाइट हो। जहां वाहक स्क्रीन हाउसको होकर गुजरे, हाउसिंग के वाहक के प्रवेश एवं एग्जिट पर फ्लैक्सीबल कवर स्थापित किए जाएं ।

ग) कन्वेयर बैल्ट (वैकल्पिक)

एनक्लोजर चारों साइड एवं छत से पूर्ण किया जाए। इसमें कोई खुली खिड़की/ओपनिंग इत्यादि न रखी जाए। ऑपरेशन के दौरान किसी भी

ओपनिंग को बंद रखा जाए। गैप को गास्केट या वूल टाइप पैकिंग इत्यादि का प्रयोग कर सील किया जाए। क्रशर एनक्लोजर स्थिर हों और इनमें सेल्फ क्लोजिंग डोर तथज्ञ क्लोज फिटिंग प्रवेश एवं एग्जिट लगा हो । जहां वाहक क्रशर एनक्लोजर से होकर गुजरे, एनक्लोजर के वाहक के प्रवेश एवं एग्जिट पर फ्लैक्सीबल कवर स्थापित किए जाएं।

घ) इन्लेट होपर

तीनों साइडों पर इन्लेट संलग्न किए जाएं ।

ङ) रोट्री ड्रायर

हॉट मिक्स प्लांट में रोट्री ड्रायर प्लांट ।

उपकरण की मालफंगशनिंग या खराबी के कारण असामान्य उत्सर्जन से तुरंत निपटा जाए। ऐसे मामले में जहां असामान्य उत्सर्जन उपकरण की विफलता के कारण हो रहा है को यथाशीघ्र रोका जाए। डस्ट एकत्रण प्रणाली की नियमित जांच की जाए और उसे अच्छी स्थिति में रखा जाए और अपेक्षितानुसार प्रयोग किया जाए। स्वामी कम से कम माह में एक बार डस्ट नियंत्रण प्रणाली की जांच संचालित करेंगे ।

2.5 रोडवेज तथा स्टॉक ढेर से उत्पन्न अस्थायी डस्ट को कम करना ।

जहां क्रशड रॉक को स्टोर किया गया है उस सभी साइट से अस्थायी डस्ट उत्सर्जन को कम किया जाए। अनपेवड रोडस तथा स्टॉक ढेर से होने वाले विविक्त उत्सर्जन को उचित कम्पाउंड के एप्लीकेशन से नियंत्रित किया जाए ताकि डस्ट को नियंत्रित किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए पेट्रोलियम आधारित उत्पाद, वेस्ट ऑयल या अन्य वेस्ट उत्पादों का कभी प्रयोग न करें। इस उद्देश्य के लिए स्वीकार्य कम्पाउंड में निम्न सम्मिलित हैं:

- एक्रेलिक पॉलीमर्स ;
- सॉलिड रिसाइकिलड एसफॉल्ट ;
- क्लोराइड कम्पाउंडस (कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नेशियम क्लोराइड);
- लिगनिन कम्पाउंडस (लिगनिन सल्फेट तथा लिगनिन सेल्फोनेट पाउडर);
- नेचुरल ऑयल रेसिन (सोयाबीन ऑयल); तथा
- आरगेनिक रेसिन इमल्शन ।

संविदाकार विनिर्माता या डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा तैयार उत्पाद सूचना शीट प्रतिनिधि इंजीनियर को लागू करने हेतु 30 दिन अग्रिम में उपलब्ध कराएंगे जिसमें, कैमीकल कम्पोजीशन, लागू अनुदेशों तथा अन्य पर्यावरण, संरक्षा तथा स्वास्थ्य विषयों को दर्शाया गया है । परियोजना साइट पर इसे लागू करने से पूर्व संविदाकारउत्पाद सूचना की समीक्षा करेंगे और लिखितमें अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

2.6 बड़े उपकरणों तथा सड़क परिवहन वाहनों से उत्पन्न अस्थायी डस्ट को कम करना।

परियोजना साइट, स्टेजिंग एरिया या स्टोन क्रशर मिल्स पर वाहनों से लोडिंग, अनलोडिंग तथा आपरेटिंग वाहनों से होनेवाले अस्थायी डस्ट उत्सर्जन को कम करना। स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन तथा अन्य भारी निर्माण वाहनों से परिवहन किए जाने वाले स्टोन या वेस्ट में प्रयुक्त लॉरी से उत्पन्न डस्ट एवं विविक्त उत्सर्जन को सैटल करना तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार कम करना:

लॉरी में सामग्री को वैट प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए भरा जाए। लम्बी स्लीव के माध्यम से लोड वेस्ट फाइन सामग्री तथा पाउडर ऑनटू टैंकर या क्लोजड ट्रक को स्पाउट से अटैच किया जाए ताकि ड्राप हाइट एवं डस्ट रिलीज को कम किया जा सके।

स्टोन या अन्य वेस्ट सामग्री से भरी लॉरी को साइट छोड़ने से पूर्व कवर किया जाए। संपूर्ण लोड को सिंगल लेयर अभेद्य टार्प से कवर किया जाए और रस्सी या अन्य टेंशनबार से बांधा जाए।
उस विसंदूषित क्षेत्र को चिह्नित करें जोकि साइट छोड़ने से पूर्व सभी वाहनों द्वारा प्रयोग किया जाना अपेक्षितहै। यह क्षेत्र अप्रभावित टार्प से कवर किया जाए। वाहनों एवं टायरों के सभी सुगम बाह्य सर्फेसको धोने के लिए वैट प्रक्रिया का उपयोग करें।

सर्विस रोडस, लोडिंग एरिया या स्टेजिंग एरिया पर सभी वाहनों के ऑपरेटिंग के लिए सख्त गति सीमा लगाई जाए ।

2.7 रॉक खदान ऑपरेशन के दौरान अस्थायी डस्ट को कम करना।
ड्रीलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग तथा हॉउलिंग के दौरान पानी या फोम स्प्रे का प्रयोग करते हुए वैट प्रक्रिया से उत्सर्जित कणों को नियंत्रित किया जाए।
स्टोन ड्रीलिंग के लिए डस्ट नियंत्रण हेतु डस्ट को दबाने के लिए कम्प्रैसड एयर में वॉटर फेड का प्रयोग किया जाए।

2.8 कर्मचारी एक्सपोजर को कम करने के लिए वर्क व्यवहार।
यह सेक्शन खदान, स्टोन क्रशर यूनिट, हॉट मिक्स प्लांट तथा निर्माणसाइट पर तैनात वर्करों के डस्ट एक्सपोजर के लिए संभावित सभी गतिविधियों से संबंधित है। वर्किंग सर्फेस या उपकरण से होने वाले डस्ट उत्सर्जन को कम करने के लिए जहां तक संभव हो वैट प्रक्रिया का प्रयोग करें ।
डस्ट पार्टिकल को सैटल करने के लिए हल्के स्प्रेया मिस्ट का प्रयोग करें। जब सर्फेस से बड़ी मात्रा में डस्ट को धोना हो तो हलके स्प्रे के साथ संपूर्ण डस्ट को गीला करने के बाद पानी के फोर्स को बढ़ाएं ।

अपवाह सृजित किए बिना कार्य को करने के लिए पानी की कम से कम मात्रा का प्रयोग करें । डस्ट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार सर्फेस को गीला करें।

भाग-3- वर्कर की चिकित्सा निगरानी के लिए तकनीकी आवश्यकताएं ।

3.1 सामान्य

यह सेक्शन खदान, स्टोन क्रशर यूनिट तथा हॉट मिक्स प्लांट में तैनात वर्करों के संबंध में है।

3.2 चिकित्सा मॉनीटरिंग

कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व तथा उसके उपरांत कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक वर्कर के लिए चिकित्सा मॉनीटरिंग संचालित की जाए। जांचके लिए निम्न निर्धारित आवश्यकताओं पूरा किया जाए:

जांच:

1. नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी चिकित्सा जांच एवं प्रक्रिया लाइसेंसधारी चिकित्सक द्वारा की जाएगी और यह कर्मचारी की लागत पर उचित समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
2. लाइसेंसधारी चिकित्सक के अंतर्गत तैनात व्यक्ति इस सेक्शन द्वारा अपेक्षित पलमोनरी फंगशन जांच, छाती का एक्स-रे या अन्य जांच करेगा यदि वह उचित शैक्षिक या व्यावसायिक संस्था द्वारा उचित प्रकार से प्रशिक्षित है।
3. पलमोनरी सिस्टम के लिए निर्देशित भौतिक जांच में छाती का एक्स-रे तथा फोर्सड वाइटल क्षमता (एफ.वी.सी.) की पलमोनरी फंगशन जांच तथा एक सेकेंड (एफ.ई.वी.(1)) पर फोर्सड एक्सपीरेट्री वाल्यूम सम्मिलित है। चेस्ट रोटंजेनोग्राम का इंटरप्रीटेशन तथा क्लासीफिकेशन आई.एल.ओ क्लासीफिकेशन सिस्टम के अनुसार संचालित किया जाए। इस प्रोटोकॉलके अंतर्गत प्रशिक्षित रिडर द्वारा फेन्यूमोकोनीयोसिस के रिडियोग्राफ के आई.एल.ओ वर्गीकरण के अंतर्गत चेस्ट एक्स-रे का इंटरप्रीटेशन संचालित कियाजाए।संभावित क्षयरोग के लिए चेस्ट एक्स-रे का मूलयांकन किया जाए क्योंकि सिलिका के संपर्कसेलोगों में इसकी संभावना बढ़ जाती है ।

   चिकित्सा जांच की रिपोर्ट: खदान एवं स्टोन क्रश रयूनिट में तैनात प्रत्येक वर्कर के लिए इस चिकित्सा निगरानी आवश्यकता के साथ गत 12 माह के अंतर्गतसंचालित सभी चिकित्सा जांचकी रिपोर्ट के दस्तावेज जमा कराए जाएं। प्रत्येक वर्कर के लिए कम से कम निम्न प्रस्तुत किया जाए।

4. नाम एवं कर्मचारी पहचान नम्बर

   जांच करने वाले चिकित्सक से चिकत्सक की लिखित राय और निम्न सम्मिलित होगा:

   - क्या वर्कर में ऐसी चिकित्सा स्थिति पाई गई है जिससे कि वर्कर के सिलिका के संपर्क में जाने से स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का खतरा बढ़ सकता है।
   - विवरण कि वर्कर नेगेटिव प्रैशर रेस्पीरेटर पहनेगा या वर्कर पर किसी परिसीमन की सिफारिश या व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग जैसे रेस्पीरेटर ।
   - विवरण कि चिकित्सक द्वारा वर्कर को चिकित्सा जांच के परिणाम तथा किसी चिकित्सा स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है जोकि डस्ट एक्सपोजर के परिणामस्वरूप हो सकता है।

3.3 रिकार्ड कीपिंग

1. नियोक्ता चिकित्सा निगरानी के सही रिकार्ड सुव्यवस्थित एवं मेनटेन करेगा ताकि प्रत्येक कम्मचारी की स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सक की लिखित राय सम्मलित की जा सके।
2. कम से कम संविदा अवधि के रिकार्ड मेनटेन किए जाएं ।
3. प्रत्येक कर्मचारी के रिकार्ड की प्रति उन प्रभावित कर्मचारी को अवश्य उपलब्ध कराई जाए जो उपरोक्त जांच की तिथि के 30 दिनों के अंदर निर्धारित चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत रहे हैं ।

भाग-4 कर्मचारी प्रशिक्षण की आवश्यकताएं

4.1 सामान्य

क). इस सेक्शन का संबंध उन सभी वर्करों से है जो खदान, स्टोन क्रशर यूनिट, हॉट मिक्स प्लांट तथा अन्य निर्माण वर्कर जो पार्वड टूल्स या काटने के उपकरण, ग्राइंड, कोर या ड्रिल कंक्रीट या राजमिस्त्री के काम में लगे हैं । इस सेक्शन के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण पर कोई लागत नहीं लगेगी और प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्कर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में दिया जाएगा । पर्यावरण स्वास्थ्य एवं संरक्षा विशेषज्ञयों द्वारा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जिन्हें पर्याप्त शिक्षा, अनुभव एवं प्रशिक्षण हो।

ख) सभी अभिविन्यास एवं साइट प्रशिक्षण सत्र में स्वास्थ्य एवं संरक्षा पहलूओं को कवर करते हुए सिलिका डस्ट खतरे के बारे में सामान्य सूचना सम्मिलित की जाए।

4.2 प्रशिक्षण का विषय:

नियोक्ता कर्मचारी से जॉब अनुबंध करने से पूर्व सभी कर्मचारियों को निम्न विषयों पर प्रशिक्षण देंगे जहां कहीं भी इस परियोजना के दौरान नियोक्ता इन ऑपरेशनों को संचालित करेंगे:-

क) सिलिकोसिस, क्षयरोग, लंगस कैंसर, क्रोनिक ऑबस्ट्रटिव लंगस बीमारी (सी.ओ.पी.डी) तथा डीक्रिजड लंग फंगशन सहित एयरबोर्न सिलिका डस्ट के एक्सपोजर से संभावित स्वास्थ्य का खतरा।

ख) दूरी, एनक्लोजर या अन्य साधनों जैसा लागू हो के माध्यम से स्टोन क्रशिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, स्थानीय एग्जास्ट वैंटीलेशन सिस्टम तथा कर्मचारियों से प्रक्रिया के आइसोलेशन सहित एयरबोर्न सिलिका डस्ट से कर्मचारी एक्सपोजर को नियंत्रित करनेके लिए नियोक्ता द्वारा प्रयुक्त विधि ।

ग) वेस्ट सामग्री की सेफ हैंडलिंग तथा निपटान सहित डस्ट रिडक्शन सिस्टम का उचित उपयोग एवं अनुरक्षण ।

घ) अच्छी व्यक्तिगत स्वास्थ्यकर तथा हाउसकीपिंग प्रैक्टिस का महत्व जब सिलिका डस्ट की निकटता की वर्किंग में निम्न सम्मिलित हो:

- तम्बाकू उत्पाद का सेवन न करना; खाने से पूर्व सफाई की उचित विधि, तथा कपड़े साफ करने की उचित विधि।
- ऐसी भौतिक गतिविधियों के विस्तार को रोकना जिससे एयरबोर्न डस्ट के एक्सपोजर को सार्थक रूप से मदद मिले ।

भाग-5- वर्करों का संरक्षण

5.1 सामान्य

संविदाकार खदानों, स्टोन क्रशर यूनिटों, हॉट मिक्स प्लांट तथा कोई भी निर्माण वर्कर जो पावर्ड टूल्स या कट, ग्राइंड, कोर या ड्रिल कंक्रीट के उपकरण या राजमिस्त्री सामग्री जैसा कि निम्न प्रकार उल्लेखित है को रेस्पीरेटर तथा अन्य विनिर्दिष्ट संरक्षा उपकरण की आपूर्ति करेंगे :

क) वर्क एरिया में च्यूगम या तम्बाकू न खाएं एवं पीएं । खाने, पीने, चबाने या धूम्रपान के लिए वर्कर नीचे उल्लेखित प्रक्रिया का अनुसरण करें और वर्क एरिया को छोड़ दें ।

ख) हाथों एवं चेहरे को साबुन एवं पानी से धोने की सुविधा के लिए वर्करों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। यह खाने, धूम्रपान या पीने एवं दिन क समाप्ति पर घर जाने से पूर्व किया जाए। हाथ धोने की सुविधा वर्क एरिया के नजदीक स्थापित की जाए।

ग) स्टोन क्रशिंग तथा निर्माण ऑपरेशन के दौरान सहित यह संभावना हो कि कर्मचारी सिलिका प्रभाव में आ सकता है तो इंजीनियरिंग एवं वर्क प्रैक्टिस नियंत्रण का प्रयोग किया जाए।

घ) कम्प्रैसड एयर, ड्राइ स्वीपिंग या किसी क्लीनिंग विधि का प्रयोग जिसके कारण उन्नत सिलिका डस्ट एयर कंसंट्रेशन होता है, प्रतिबंधित है।

5.2 रेस्पीरेट्री संरक्षण

न्यूनतम रेस्पेरेट्री संरक्षण: यूरोपीयन मानक ई.एन.143 या व्यावसायिक संरक्षा तथा स्वास्थ्य (एन.आई.ओ.एस.एच) वर्गीकरण के लिए यू.एस. राष्ट्रीय संस्था के एन.99 के अंतर्गत प्रयुक्त रेस्पीरेटर क्लास एफ.एफ.पी.3 के रेस्पीरेट्री संरक्षण का न्यूनतम स्तर अपेक्षित है। डस्ट या उच्च क्षमता पार्टिकूलेट एयर फिल्टर के साथ पुन:प्रयोज्य हाफ-सेफ एयर-प्यूरीफाइंग रेस्पीरेटर के लिए रेस्पीरेटर सिंगल यूज डिस्पोजल रेस्पीरेटर होंगे।

अपेक्षित है कि रेस्पीरेटर किसी भी ऑपरेशन के दौरान हमेशा कार्य क्षेत्र में सभी के द्वारा पहना जाए। किसी भी उद्देश्य के लिए सर्जिकल मास्क या अन्य प्रकार का डिस्पोजेबल रेस्पीरेटर जोकि उपरोक्त में विनिर्दिष्ट नहीं हैं की अनुमति न दें ।

वर्कर को सौंपे गए पुन:उपयोग में लाने योग्य एयर-प्यूरीफाइंग रेस्पीरेटर की फिट जांच संचालित की जाएगी।

इस परिशिष्ट के पैरा 3 की आवश्यकतानुसार चिकित्सक की लिखित राय तथा उसके उपरांत वार्षिक चिकित्सा जांच के अनुसार केवल निर्धारित रेस्पीरेटर उन वर्करों द्वारा पहने जाएंगे जिन्हें चिकित्सा आधार पर नेगेटिव प्रैशर रेस्पीरेटर पहनना अनुमोदित है।

5.3 संरक्षात्मक उपकरण

वर्क शिफ्ट के दौरान पहने किन्हीं कपड़ों या उपकरणों के साथ वर्करों को वर्क प्लेस छोड़ने की अनुमति न दें । बशर्ते निम्न के अलावा:-

क) ऑखों का संरक्षण: निष्पादित किए जाने वाले कार्य के प्रकार के लिए आवश्यकतानुसार ऑखों को संरक्षण प्रदान किया जाए।

ख) जूते: सभी वर्करों को जूते उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे वर्क एरिया में हमेशा इन्हें पहन सकें ।

ग) श्रवण संरक्षण: सभी खदान, स्टोन क्रशिंग साइट तथा हॉट मिक्स प्लांट तथा सभी अन्य वर्करों जो ऊँची आवाज के संपर्क में हैं को इयर प्लग या अन्य उचित श्रवण संरक्षण उपलब्ध कराए जाएं ।

भाग-6- उत्सर्जन एवं आसपास की वायु सीमा

6.1 सामान्य

संविदाकार सभी अपेक्षित उत्सर्जन मॉनीटरिंग संचालित करेंगे जैसाकि सभी लागू राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनियम तथा इस सेक्शन के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के अनुपालन को सिद्ध करना अपेक्षित है। यह सेक्शन सभी स्थायी एवं अस्थायी स्टोन क्रशिंग तथा हॉट मिक्स प्लांट पर लागू होगा ।

6.2 सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर (एस.पी.एम)

सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर (एस.पी.एम) क्लस्टर में स्टोन क्रशर यूनिट से 40 मीटर की दूरी पर प्रति क्यूबिक मीटर (ug/Nm^3) 600 माइक्रो ग्राम से कम होनी चाहिए।

एयर के किसी अन्तर्विष्ट उत्सर्जन में कुल पाटीकुलेट मैटर की सान्द्रता, उदाहरण के लिए बैग फिल्टर एग्जास्ट एयर आउॅटलेट प्रति क्यूबिक मीटर (150 ug/Nm^3) 150 माइक्रो ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उत्सर्जन सान्द्रता सीमा हासिल करने के लिए डायल्यूशन एयर के इंट्रोडक्शन की अनुमति नहीं होगी।

आस पास की वायु में कुल सस्पेंडेड पार्टीकुलेट तथा/या रेसपीरेबल सस्पेंडेड पार्टीकुलेट की 24 घंटे औसत सान्द्रता की मॉनीटरिंग साइट बाउंड्री तथा/या प्राधिकार द्वारा सहमत अन्य किसी लोकेशन पर संचालित की जाए। वातावरण में सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर के निर्धारण के लिए एस.पी.एम सैम्पलिंग यूनाइटेड स्टेट पर्यावरण प्रोटेक्शन एजेंसी की संदिर्भित विधि के अनुरूप होनी चाहिए (हाई-वाल्यूम विधि) तथा इसके संचालन की बारम्बारता 6 माह में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए।

भाग-7 क्रशड स्टोन के लिए चेन-ऑफ कसटडि

7.1 संविदाकार नीचे उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण साइट पर आने वाले क्रशड स्टोन के प्रत्येक लोड के लिए सप्लायर का रिकार्ड मेनटेन करेंगे । परियोजना की अवधि के दौरान कम से कम मासिक आधार पर केन्द्रीय लोकेशन पर ऐसे रिकार्ड एकत्र किए जाएं और प्रतिनिधि इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हों।

7.2 आपूर्तिकर्त्ता का वैधीकरण

संविदाकार सभी आपूर्तिकर्त्ताओं तथा निर्माण साइट पर क्रशड स्टोन की सभी आंतरिक स्रोत की आपूर्ति का रिकार्ड मेनटेन करेंगे जिसमें निम्न सम्मिलित होगा:

- आपूर्तिकर्त्ता का नाम;
- स्टोन क्रशर ऑपरेशन का स्थल;
- खदान का लोकेशन एवं नाम
- पंजीकरण का साक्ष्य तथा अनुप्रयोज्य खनन विभाग से सहमति;
- पंजीकरण का साक्ष्य तथा अनुप्रयोज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऑपरेशन के लिए सहमति;
- आपूर्ति की गई सामग्री का आकार एवं मात्रा (वजन या वॉल्यूम द्वारा)
- तिथि एवं लोकेशन विशेष जहां से सामग्री साइट पर लाई गई है।

भाग-8 अस्थायी स्टोन क्रशर साइट की मरम्मत

8.1 सामान्य

यह सेक्शन परियोजना की अवधि के दौरान स्थापित किसी अस्थायी स्टोन क्रशर साइट को हटाने एवं प्रयोग के लिए लागू है। ऑपरेशन के दौरान सभी अस्थायी ऑपरेशन उपरोक्त पैरा 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ।

8.2 उपकरणों को हटाना

ऑफ साइट ट्रांसपोर्ट के लिए उतारी जाने वाली तथा तैयार अस्थायी उपकरणों को ले जाने से पूर्व साफ किया जाए। सभी अस्थायी ढांचे एवं कूड़ा करकट को साफ करें ।

8.3 साइट की मरम्मत

ग्राउंड सर्फेस पर दिखने वाले सभी मलवा एवं डस्ट के ढेर को हटाएं । सभी खुली जगह को पेड़-पौधों या फर्श से कवर करें ताकि अवशिष्ट सिलिका डस्ट के प्रभावन को कम किया जा सके ।

संलग्नक-II

राष्ट्रीय संरक्षा दिवस (4 मार्च)- इतिहास एवं पृष्ठभूमि

वर्ष 1962 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 22 वें सत्र में संस्तुति की गई:
"फैक्ट्री में संरक्षा" पर सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए और दुर्घटना निवारण पर अभियान संचालित करने के लिए राष्ट्रीय संरक्षा परिषद की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों, नियोक्ता संगठनों, ट्रेड यूनियनों तथा संबंधित संस्थानों के सहयोग के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 से 13 दिसंबर, 1965 को दिल्ली में औद्योगिक संरक्षा पर आयोजित राष्ट्रपति के प्रथम सम्मेलन में यह पुष्टि की गई कि "राष्ट्रीय एवं राज्य संरक्षा परिषद के स्थापना के पक्ष में विचारों की सहमति है ।"

स्थायी श्रम समिति ने 24वें सत्र में फरवरी, 1966 में राष्ट्रीय संरक्षा परिषद (एन.एस.सी) के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया। तदनुसार 4 मार्च, 1966 को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद (एन.एस.सी) की स्थापना की गई ताकि राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण (एस, एच एवं ई) पर स्वैच्छिक आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं संपोषण किया जा सके।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है और तत्पश्चात् बोम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 तथा बम्बई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत यह शीर्ष नॉन-प्रॉफिट मेकिंग, त्रिपक्षीय निकाय है ।

वर्ष 1972 से भारतीय राष्ट्रीय संरक्षा परिषद के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय संरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस का फोकस है कि दुर्घटना एवं घटना मुक्त औद्योगिक गतिविधियां करना और देश के सभी नागरिकों एवं वर्करों के बीच संरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रचारित करना ।

नोट

विषय- संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल का हिंदी अनुवाद ।
(SAFETY,HEALTH AND ENVIRONMENT MANNUAL HINDI TRANSLATION)

प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेनुअल का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हो गया है। अनुरोध है कि संलग्न हिंदी अनुवाद की भाषा एवं तकनीकी जांच कर जारी करें।

(सं.प्रका/प्रशासन/राजभाषा/अनुवाद दिनांक 27.4.2017)

मुख्य राजभाषा अधिकारी

<u>समूह महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेमू /ईसी</u>